Monday, 01 April, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र]

Fourth Session

Preservation Sect.
Fumigated
On 16.1.84
Parliament Library

[खंड 15 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 34, सोमवार, 1 अप्रैल, 1968/12 चैत्र, 1890 (शक)
No. 34, Monday, April 1, 1968/Chaitra 12, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
958. मेसर्स रामनारायण एण्ड सन्स, बम्बई के आय कर का निर्धारण	Income-Tax assessment of Messrs Ram Narain and Sons, Bombay ..	421—427
959 विलिंगडन अस्पताल कर्मचारी यूनियन	Willingdon Hospital Workers' Union ..	427—431
960 केरल से पेट्रो-रसायन परियोजना को अन्यत्र ले जाना	Shifting of Petro-Chemical Project from Kerala ..	432—437
961 निर्यात के लिये सहायता योजना	Assistance Scheme for Exports ..	437—438
964 भारत तथा कनाडा के बीच करार	Agreement between India and Canada ..	438—439
965. परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme ..	439—441
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
14. धनबाद के खनन इंजीनियरी छात्रों द्वारा डिप्लोमा लेने से इन्कार	Refusal by Mining Engineering Students of Dhanbad to Accept Diplomas ..	441—444

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
963. थाना जिले में सोना पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Thana District ..	445
966. मध्य प्रदेश में सतनामी हरिजन	Satnami Harijans in M. P. ..	445—446

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

967. नया वेतन आयोग	New Pay Commission ..	446
968. विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ काय चिकित्सक का पद	Senior Physician's Post in Willingdon Hospital, New Delhi ..	446—447
969. रेडियो सेटों और ट्रांजिस्टरों पर उत्पादन शुल्क में छूट	Relaxation in Excise Duty on Radios and Transistors ..	447
970. बरौनी तेल कारखाना	Barauni Oil Plant ..	447—448
971. उत्तरी क्षेत्र के राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों की बैठक	Meeting of Chairmen State Electricity Boards of the North Zone ..	448—449
972. कोयना बांध सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की प्रारम्भिक रिपोर्ट	Preliminary Report by Expert Committee on Koyna Dam ..	449—450
973. दिल्ली की वृहद् योजना में रिहायशी घनत्व	Residential density in Delhi Master Plan ..	451
974. दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा रिहायशी मकानों की बिक्री	Sale of Dwelling Units by Delhi Development Authority ..	451—452
975. नर्मदा घाटी परियोजना सम्बन्धी खोसला आयोग	Khosla Commission on Narmada Valley Project ..	452
976. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी विनियोजन	Investment in Public Sector	452
977. पेट्रोलियम की कमी	Shortage of Petroleum	453
978. अमरीका से सहायता	U. S. Aid ..	453
979. वृहत्तर कलकत्ता में महिलाओं का अनैतिक पण्य	Immoral Traffic in Women in Greater Calcutta ..	453—454
980. भूतपूर्व कांग्रेस प्रधान श्री कामराज के आयकर का निर्धारण	Assessment of Income-Tax in respect of former Congress President Shri Kamraj ..	454
981. आदिवासियों तथा हरिजनों के कल्याण के लिये राज्यों को सहायता	Assistance to States for Welfare of Tribals and Harijans ..	455
982. कैन्सर का उपचार	Treatment of Cancer	455
983. गंडक परियोजना	Gandak Project ..	455—456
984. अपंजीकृत चिकित्सक	Non-Registered Medical Practitioners ..	456
985. गंगा नदी की घाटी में छिद्रण कार्य	Drilling in Ganga Valley ..	456—457

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
986. बिजली की समान दरें	Uniform Electricity Rates ..	457
987. गोआ में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plan at Goa ..	457—458
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
5798. सरकारी उपक्रमों में तकनीकी व्यक्तियों की भर्ती	Technical Personnel Recruited for Public Undertakings ..	458
5799. केन्द्रीय मंत्रियों पर पानी और बिजली का खर्च	Expenditure on Water and Electricity in respect of Central Ministers ..	458
5800. सम्पदा शुल्क	Estate Duty ..	458—459
5801. मध्य प्रदेश में छोटी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	Major and Medium Irrigation Projects in M. P. ..	459
5802. गोदावरी बांध परियोजना	Godawari Barrage Project	459
5803. आन्ध्र प्रदेश में गांवों में बिजली की व्यवस्था	Rural Electrification of Andhra Pradesh ..	460
5804. अनुसूचित आदिम जातीय क्षेत्रों का विकास	Development of Scheduled Tribes Areas ..	460—461
5805. उड़ीसा में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in Orissa	461
5806. उड़ीसा में आदिम जातीय खण्ड	Tribal Blocks in Orissa ..	461
5807. उड़ीसा का भूकम्पीय सर्वेक्षण	Seismic Survey of Orissa ..	461
5808. उड़ीसा में राजसहायता प्राप्त गृह-निर्माण योजना के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for Subsidised Industrial Housing Schemes in Orissa ..	461—462
5809. जिला न्यायाधीश, दिल्ली के कार्यालय से रिकार्ड गुम हो जाना	Disappearance of Records from the Office of District Judge, Delhi ..	462
5812. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली में ठेकेदारों द्वारा निष्पादित कार्य	Works executed by Contractors in C.P.W.D., Delhi ..	463
5813. कलकत्ता में प्रेसीडेंसी सर्जनों की सूची में चर्म विशेषज्ञों (चिकित्सकों) का शामिल किया जाना	Inclusion of a Skin Specialist in List of Presidency Surgeons, Calcutta ..	463

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5814. विदेशी पूंजी	Foreign Capital ..	463—464
5815. ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल जनित्र सेट	Diesel Generating Sets in Rural Areas ..	464
5816. गोल मार्केट, नई दिल्ली के इलाके में सरकारी क्वार्टर	Government Quarters in Gole Market Area, New Delhi ..	464—465
5817. श्री आर० के० रुइया के शेयर	Shares of Shri R. K. Ruia ..	465—466
5818. श्री रुइया की ओर बकाया धन कर की राशि	Wealth Tax due from Shri Ruia ..	466—467
5819. फ्रांस से प्रतिरक्षा उपकरणों की खरीद	Purchase of Defence Equipment from France ..	467
5820. वर्ष 1967-68 में महाराष्ट्र को नियत की गई राशि का उपयोग	Utilization of Funds allocated to Maharashtra during 1967-68 ..	468
5821. वस्तुओं के मूल्य	Prices of Commodities	468
5822. इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड	Indian Explosives Ltd. ..	468—469
5823. अमझोर पाइराइट परियोजना	Amjhor Pyrites Project ..	469
5824. द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन	U.N.C.T.A.D. II ..	469—470
5825. गाजियाबाद नगरपालिका का सीमा-क्षेत्र	Municipal Limits of Ghaziabad ..	470
5826. उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के चुनाव	Village Panchayat and Municipal Election in U. P. ..	470—471
5827. आय की अधिकतम सीमा नियत करना	Income Ceilings ..	471
5828. पाकिस्तान को दालों आदि की तस्करी	Smuggling of Pulses etc. to Pakistan ..	471
5829. दन्त चिकित्सा	Dental Treatment ..	471—472
5831. पश्चिम जर्मनी को केरल से भेजी गई युवतियां	Young Girls from Kerala sent to West Germany ..	472
5832. मध्य प्रदेश में नदी घाटी योजनायें	River Valley Schemes in Madhya Pradesh ..	472

अता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

5833. सामान खरीदने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के जिला बोर्डों द्वारा की गई अनियमिततायें	Irregularities Committee by District Boards in Uttar Pradesh in purchase of materials ..	472—473
5834. दिल्ली ग्राम कल्याण संस्था, बादली (दिल्ली) से ज्ञापन	Memo from Delhi Village Welfare Association, Badli (Delhi) ..	473
5835. नई दिल्ली में सब्जी विक्रेता	Vegetable Vendors in New Delhi ..	474
5836. दिल्ली में अतिथि गृह	Guest Houses in Delhi ..	474
5837. मध्य प्रदेश में बिलासपुर जिले में मेडिकल कालेजों का खोला जाना	Opening of Medical College in Bilaspur (Madhya Pradesh) ..	475
5838. कलकत्ता स्थित बैंकों द्वारा एक फर्म को ऋण	Loan by Calcutta Banks to a Firm	475
5839. नर्मदा जल परियोजना	Narmada Water Project	475
5840. मंत्रियों पर पानी और बिजली का खर्च	Expenditure on Water and Electricity in respect of Ministers ..	476
5841. हरियाणा और पंजाब सरकारों के कब्जे में चंडीगढ़ के भवनों का देय किराया	Rent due from Haryana and Punjab Governments for buildings occupied in Chandigarh ..	476
5842. व्यास सतलुज सम्पर्क परियोजना	Beas-Sutlej Link Project ..	476—477
5843. स्वर्गीय डा० लोहिया की चिकित्सा	Medical treatment of the late Dr. Lohia ..	477
5844. राजस्थान में बिड़ला बन्धुओं को रियायती दरों पर बिजली का दिया जाना	Supply of Electricity to Birlas in Rajasthan on Concessional Rates ..	477—478
5845. गंगा के दूषित जल का प्रभाव	Effect of Polluted Water of Ganga ..	478
5846. बम्बई में सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Bombay ..	478—479
5847. राष्ट्रीय भवन निर्माण संस्थान की समिति की बैठक	Meeting of the Committee of National Buildings Organisation ..	479
5848. अधिक आयकर देने वाले करदाता	Income-tax Assessment ..	480
5849. मद्रास में कैंसर निरोध प्रायोगिक परियोजना	Cancer Control Pilot Project in Madras ..	480

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5850. मिट्टी का तेल	Kerosene Oil ..	480
5851. पश्चिम बंगाल के लिये मिट्टी का तेल	Kerosene Oil for West Bengal ..	481
5852. सालाल पन-बिजली परियोजना	Salal Hydro-Electric Project ..	481—482
5853. सरकारी कर्मचारियों को बारी के बिना क्वार्टरों का दिया जाना	Out-of-turn Allotment to Government Employees	482
5854. मिट्टी के तेल का आयात	Import of Kerosene Oil	482
5855. बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Oil Refinery	483
5856. जोर बाग, नई दिल्ली के निकट कर्बला अलीगंज बस्ती	Karbala Aliganj Colony near Jor Bagh, New Delhi ..	483
5857. भूतलिंगम समिति का प्रतिवेदन	Bhootlingam Committee's Report	484
5858. खाई जाने वाली गर्भनिरोधक औषधियों का प्रचार	Propagation of Oral Contraceptives ..	484—486
5859. विद्युत् जनन संयंत्र, दुर्गापुर	Power Generation Plant, Durgapur	486
5860. आय-कर की बकाया राशि	Income-tax Arrears ..	486—487
5861. आय-कर अपीलें	Income-tax Appeals ..	487—489
5862. सिनेमा गृहों का आय-कर निर्धारण	Income-tax Assessed from Cinema Houses ..	489
5863. भारत का पौंड पावना	India's Sterling Balances ..	489—490
5864. समाज कल्याण संगठन	Social Welfare Organisation ..	490
5865. बड़ी सिंचाई योजनाओं पर व्यय	Expenditure on Major Irrigation Schemes ..	490
5866. परिवार नियोजन उपकरण	Family Planning Devices ..	490—491
5867. गुरुद्वारों, मस्जिदों और मन्दिरों को करों से छूट	Exemption of Gurudwaras, Mosques and Temples from Taxes ..	491
5868. समुत्थानोद्दीपन (पम्प प्रिमिंग)	Pump Priming ..	491—492
5869. घटिया किस्म के कोयले से ईंधन तेल	Fuel Oil from Low Grade Coal ..	492
5870. दिल्ली में झुग्गी निवासियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Jhuggi-Dwellers in Delhi ..	492—493

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5871.	दिल्ली में मोतिया खान से फैक्टरियों को हटा कर अन्यत्र ले जाना	Shifting of factories from Motia Khan, Delhi ..	493
5872.	दिल्ली में नफजगढ़ रोड पर कारखाने	Factories on Najafgarh Road, Delhi ..	493
5873.	दिल्ली में मथुरा रोड पर उद्योग स्थापित करने की योजना	Plan to set up Industries on Mathura Road ..	494
5874.	प्रधान मंत्री द्वारा प्राप्त प्रतिलिप्यधिकार की रायल्टी	Value of Copyright Received by Prime Minister ..	494
5875.	दिल्ली में लगी विदेशियों की मूर्तियों को हटाने सम्बन्धी समिति	Committee on Removal of Foreigners Statues in Delhi ..	494—495
5876.	स्वास्थ्य के लिये गर्भपात	Abortion for Health	495
5877.	विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली के लिये जांच समिति	Enquiry Committee for Willingdon Hospital, New Delhi ..	495
5878.	कम्पाला में भारतीय उद्भव के लोगों का अभ्यावेदन	Representation by People of Indian Origin in Kampala ..	496
5879.	किराया - खरीद आवास योजना	Hire Purchase Housing Scheme ..	496
5880.	राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां लगाना	Installation of Statues of National Leaders..	497
5881.	दामोदर-घाटी निगम का नया चेयरमैन	New Chairman of Damodar Valley Corporation	497
5882.	भारतीय स्वास्थ्य संघ की स्थापना	Establishment of Health Association of India ..	498—500
5883.	रेलवे कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत लाना	Railway Employees under G. H. S. ..	500
5884.	दिल्ली तथा नई दिल्ली क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Railway Employees in Delhi and New Delhi Area ..	500—501
5885.	उत्तर प्रदेश में उत्पादन-शुल्क सलाहकार समितियों और ग्राम्य एवं नगरीय लाइसेंस बोर्ड	Excise Advisory Committee and Rural and Urban Licensing Boards in Uttar Pradesh ..	501

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	Subject	Pages
5886. उत्तर प्रदेश में नलकूपों तथा पम्पिग सेटों के लिये बिजली देना	Electrification of Tube-wells and Pumping Sets in U. P. ..	501
5887. पोंग बांध के निर्माण के सम्बन्ध में निकाले गये व्यक्ति	Pong Dam Oustees ..	501—502
5888. उर्वरक कारखाने	Fertilizer Factories ..	502—503
5889. अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा पेश किया गया ज्ञापन	Memo from Employees of Ashoka Hotels Ltd., New Delhi ..	503
5890. दिल्ली अस्पताल कर्मचारी संघ की मांगें	Demands of Delhi Hospital Karamchari Union ..	503—504
5891. औद्योगिक प्रतिरक्षा कर्म-चारियों के लिये परिवार पेंशन	Family Pension for Industrial Defence Employees ..	504
5893. जीवन बीमा निगम के क्षेत्र अधिकारियों का मांग पत्र	Charter of Demand of Fields Officers of L. I. C. ..	504—505
5894. महाराष्ट्र में मध्यम आकार की सिंचाई योजनायें	Medium Irrigation Schemes in Maharashtra ..	505
5895. महाराष्ट्र में मध्यम दर्जे की परियोजनायें	Medium Projects in Maharashtra ..	505—506
5896. मैडीकल स्टोर्स आर्गनाइजेशन	Medical Stores Organisations ..	506
5897. फ्रांस से ऋण	Credit from France ..	506
5898. पेंसिलीन का टीका	Penicillin Injections ..	506—507
5900. कास्टिक सोडे का निर्यात	Export of Caustic Soda ..	507
5901. यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा धन एकत्रित किया जाना	Collections by Unit Trust of India ..	508
5902. मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये धन का उपयोग	Utilization of Funds for Development of Backward Areas of Madhya Pradesh ..	508—509
5903. मध्य प्रदेश की बिजली की आवश्यकता	Electricity Requirement of Madhya Pradesh ..	509—510

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5904. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल सम्भरण और सफाई योजना	National Water Supply and Sanitation Scheme in Madhya Pradesh ..	510—511
5905. मुंगेली तहसील, मध्य प्रदेश में हरिजनों के साथ झगड़े	Clashing with Harijans in Mungeli Tehsil, Madhya Pradesh ..	511
5906. भारत सेवक समाज को अनुदान	Grants to Bharat Sewak Samaj ..	511
5907. छोटे कागज मिलें	Small Paper Mills ..	512
5908. पागलों के लिये डाक्टर	Doctors for Lunatics ..	512
5909. हरिजनों के लिये मकान	Houses for Harijans ..	513
5910. देशी चिकित्सा प्रणाली के अप्रशिक्षित चिकित्सकों के लिये पाठ्यक्रम	Courses for Untrained Practitioners in Indigenous Systems of Medicine ..	513
5911. विदेशी सहायता	Foreign Aid ..	513—514
5912. विदेशी ऋण	Foreign Loans ..	514
5913. राजस्थान में कुओं का बिजली से चलाया जाना	Electrification of Wells in Rajasthan ..	515
5914. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में वरिष्ठ चिकित्सक	Senior Physicians in C. H. S. ..	515
5915. पेट्रोल के 'आकटेन' तत्व	Octane content of Petrol ..	516
5916. गुजरात में टाटा द्वारा उर्वरक उद्योग समूह	Fertilizer complex by Tatas in Gujarat ..	516
5917. राज्यों की प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income of States ..	517
5918. बैंकों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Banks ..	517
5919. उड़ीसा के फूलवनी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी	Adivasis of Hill Areas of Phulbani District, Orissa ..	517—518
5920. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में महंगाई भत्ते की दरें ।	Dearness Allowance Rates in Public Undertakings ..	518
5921. उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant ..	518—519
5922. कोचीन के समुद्र से प्राप्त खाद्य पदार्थों के निर्यातक	Sea Food Exporters of Cochin ..	519
5923. पेंशन अधिनियम 1871 का संशोधन	Amendment of Pension Act, 1871 ..	519

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5924.	बरेली में पकड़ा गया सोना	Gold Seized at Bareilly ..	519—520
5925.	आर्थिक प्रगति	Economic Progress ..	520
5926.	बैंक दर कम करने में स्टेट बैंक की असफलता	Failure of State Bank of India to Reduce Bank Rate ..	520—521
5927.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में विदेशी लोग	Foreigners in Oil and Natural Gas Commission ..	521
5928.	तेल की तटागत लागत	Landed cost of Oil ..	521—522
5929.	गर्भनिरोध के लिए अयुर्वेदिक औषधियों का अध्ययन	Study of Ayurvedic Drug for Contraceptives ..	522
5930.	आर्यनगर, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों को आवंटित मकान	Houses allotted to Scheduled Castes in Aryanagar, New Delhi ..	522—523
5931.	तम्बाकू के बारे में बीमा नियम	Insurance Rules Re: Tobacco ..	523—524
5932.	उत्तर प्रदेश में कूओं की खुदाई और उनको बिजली देना	Sinking and Electrification of Wells in U. P. ..	524
5933.	नेशनल एण्ड ग्रिंडलेंज बैंक लिमिटेड	National and Grindlays Bank Ltd. ..	524—525
5934.	मैसूर राज्य में विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Students in Mysore State ..	525
5935.	सिंचित और जुती हुई भूमि	Irrigated and Cultivated Land ..	525—526
5936.	भारत को डेनमार्क से ऋण	Danish Loan to India ..	526
5937.	नेत्र बैंक तथा नेत्र दान	Eye Banks and Eyes Donations ..	526—527
5938.	आसाम में यमुना सिंचाई योजना	Jamuna Irrigation Project in Assam	527
5939.	विदेशी ऋण	Foreign Loans	527
5940.	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या	Number of Employees in Central Government Offices ..	528
5941.	केरल में एडामलयार परियोजना	Edamalayar Project in Kerala	528—529

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.

5943. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी	Shortage of Doctors in Rural Areas ..	529—530
5944. लोक-सभा में प्रश्नों के बारे में सूचना प्राप्त करने पर व्यय	Expenditure on Collecting information Re : Questions in Lok Sabha ..	530
5945. झुन्झुनू जिले में अल्प बचत	Small Savings in Jhunjhunu District ..	531
5946. दिल्ली में नवनिर्मित क्वार्टरों का अलाट किया जाना	Allotment of Newly Built Quarters in Delhi ..	532
5947. विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली के होस्टल में बेहोश पाई गई नर्सें	Nurses Found Unconscious in Willingdon Hospital Hostel, New Delhi ..	532
5948. भारतीयों के विदेशों के बैंकों में खाते	Indian's Bank Accounts Abroad ..	533
5949. तीस्ता घाटी योजना	Teesta Valley Scheme ..	533
5951. बम्बई जल सम्भरण योजना के लिए वित्तीय सहायता	Financial Aid for Bombay Water Supply Schemes ..	534
5952. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय का स्वतंत्र स्तर	Independent Status of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioners' Office ..	534
5953. विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarship to Physically Handicapped Students	535
5954. निर्यात व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Export Purposes ..	535—536
5955. अशोधित तेल पर बिक्री कर	Sales-Tax on Crude Oil	536
5956. अनुर्वरीकरण और नसबन्दी आपरेशन	Sterilization and Vasectomy Operations ..	536
5957. नसबन्दी	Vasectomy ..	537
5958. नई दिल्ली में इर्विन रोड पर स्थित हनुमान मन्दिर का बन्द किया जाना	Closure of Hanuman Mandir, Irwin Road, New Delhi ..	537—538
5959. केरल में समाज कल्याण विभाग	Social Welfare Department, Kerala ..	538

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5960.	पोर्ट ब्लेयर अस्पताल में गर्भावस्था में रक्तक्षीणता के कारण मृत्यु	Deaths due to Anaemia Pregnancy in Port Blair Hospital ..	538—539
5961.	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के विकास के बारे में पटेल आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Patel Commission Re: Development of Eastern Districts of U. P. ..	539
5962.	क्रिश्चियन एजेंसी फार सोशल एक्शन	Christian Ageny for Social Action ..	539—540
5963.	पिछड़े क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income of Backward Areas ..	540—541
5964.	मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	Malaria Eradication Programme ..	541
5965.	दिल्ली में टाउन हाल के सामने राष्ट्रीय महापुरुष की मूर्ति लगाना	Erection of a Statue of National Hero in Front of Town Hall, Delhi ..	541—542
5966.	आयकर की राशि का बट्टे खाते में डाला जाना	Writing off Income-Tax	542
5967.	ट्राम्बे उर्वरक कारखाना	Trombay Fertilizer Factory ..	542—543
5968.	ट्राम्बे उर्वरक कारखाना	Trombay Fertilizer Factory ..	543
5969.	ट्राम्बे उर्वरक कारखाना	Trombay Fertilizer Factory ..	543
5970.	कोटा (राजस्थान) में एक ट्रान्सफार्मर का जल जाना	Burning of a Transformer in Kota (Rajasthan)	544
5971.	मंत्रियों के लिये आवास	Accommodation for Ministers ..	544—545
5972.	फरक्का बांध परियोजना को पूरा करने के लिये मैसर्स तारापुर एंड कम्पनी मद्रास को ठेका	Contract to M/S Tarapore and Co., Madras for Work on Farakha Barrage Project ..	545
5973.	फिल्मी कलाकारों द्वारा कर अपवंचन	Evasion of Tax by Film Stars ..	545—546
5974.	मूलभूत नियम	Fundamental Rules ..	546
5975.	मजूरी और वेतन की दरें	Wages and Salaries ..	546—547
5976.	सहकारी गृह-निर्माण समितियां	Co-operative Housing Societies ..	547—548

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.		
5977. ब्रिटेन का आयव्ययक	British Budget ..	548
5978. रोगों के उपचार के लिये योगासन	Yoga Asans for Cure of Diseases ..	548—549
5981. मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी सम्बन्धी परियोजनाएं	Projects on Narmada River in Madhya Pradesh ..	549
5983. नासिक सिक्योरिटी प्रेस से नोटों की चोरी	Theft of Notes in Nasik Security Press ..	549
5984. गंडक परियोजना के अन्तर्गत खजूरिया नहर	Khajuria Canal under Gandak Project ..	549—550
5985. उर्वरकों की लागत	Cost of Fertilizers ..	550—551
5986. बरौनी-हल्दिया पाइप लाइन से तेल का रिसना	Leakage in Barauni-Haldia Pipeline ..	551—552
5987. दिल्ली में शराब की दुकानों की नीलामी	Auction of Liquor Shops in Delhi ..	552
5988. संकटग्रस्त कपड़ा मिल	Sick Textile Mills ..	552—553
5989. मिलावटी सरसों के तेल के प्रयोग से पक्षाघात	Paralysis due to use of Adulterated Mustard Oil ..	553—554
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
उच्च अधिकारी दल की आसाम, नागालैंड और मनीपुर की यात्रा	Visit of High level official team to Assam, Nagaland and Manipur ..	554—556
हरिजनों सम्बन्धी घटनाओं के बारे में	Re: Incidents concerning Harijans ..	556—557
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	557—558
लोक लेखा समिति —	Public Accounts Committee—	
बाईसवां प्रतिवेदन	Twenty-second Report	558
उत्तर रेलवे के भरवारी स्टेशन पर रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Railway Accident at Bharwari Station on the Northern Railway ..	558—561
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha ..	558—559
निदेश 115 के अन्तर्गत कच्चाटीवू द्वीप के बारे में वक्तव्य	Statement under Direction 115 Re: Kuchchativu Island ..	561—563
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	561
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi ..	561—562

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव	Motions Re : extension of term of Members of Committee on Private Members Bills and Resolutions ..	563
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव	Motions Re : extension of term of office of Members of Committee on subordinate Legislation ..	564
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव	Motions Re : extension of term of office of Members of Committee on Government Assurances ..	564—565
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव	Motion Re : extension of term of office of Members of Committee on absence of Members from Sittings of the House ..	565—566
केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	Central Silk Board (Amendment) Bill-Introduced ..	566
अनुदानों की मांगें, 1968-69	Demands for Grants, 1968-69 ..	566—602
प्रतिरक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence ..	566—584
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ..	566—568
श्री मुहम्मद शरीफ	Shri Muhammad Sheriff ..	568—569
श्री क० प्र० सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo ..	569—572
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjit Singh ..	572—575
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh ..	575—583
वाणिज्य मंत्रालय	Ministry of Commerce ..	584—682
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh ..	584—586
श्री अमरसे	Shri M. Amersey ..	587—589
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani ..	589—592
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goel	592
श्री न० कु० साल्वे	Shri N. K. P. Salve ..	593—595
श्री कंडप्पन	Shri S. Kandappan ..	600—601
श्री प्र० कु० घोष	Shri P. K. Ghosh ..	601—602
महाजन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re : Mahajan Commission's Report ..	602—606
श्री नायनार	Shri E. K. Nayanar ..	602—603
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ..	605—606

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

1 अप्रैल, 1968 । 12 चैत्र , 1890 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
427	तारांकित प्रश्न संख्या 959 में सदस्यों के नामों में से श्री ओंकारलाल बेरवा का नाम निकाल दीजिये ।
477	प्रश्न संख्या 5843 का अंग्रेजी रूपान्तर इस प्रकार है :

Medical treatement of the late Dr. Lohia

Shri Baburao Patel : Will the Minister of Family Works
Planning and Urban Development
Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Junior surgeons were allowed to operate on the late Dr. Ram Manohar Lohia while the senior surgeon stood aside and watched; and

(b) The reason why a senior politician was handed over junior surgeons?

Health Family Planning
The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and
rban Development
Supply (Shri B.S. Murthy) : (a) The operation was performed by the Senior Staff Surgeon and the Staff Surgeon .

(b) Question does not arise.

वाद-विवाद में लिखित इस प्रश्न के हिन्दी रूप के स्थान पर यह अंग्रेजी पढ़िये ।

557 पंक्ति 24 के नीचे "श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए" भी पढ़िये ।

पंक्ति 12 के नीचे से निम्नलिखित शब्दों को निकाल दीजिये :

"श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए"

604 पंक्ति 14 में सदस्य का नाम "श्री रणजीत सिंह" के स्थान पर "श्री रणधीर सिंह" पढ़िये ।

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 1 **अप्रैल**, 1968/12 **चैत्र**, 1890 (**शक**)
Monday, April 1, 1968/Chaitra 12, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मैसर्स रामनारायण एण्ड सन्स, बम्बई के आय-कर का निर्धारण

*958. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1967 में वित्त मन्त्री को एक संसद् सदस्य द्वारा लिखे गये पत्र में बताये गये मैसर्स रामनारायण एण्ड सन्स, बम्बई के आयकर निर्धारण के मामलों के बारे में उस समय के निरीक्षण (जांच) निदेशक ने बम्बई में सम्बन्धित आयकर अधिकारियों को अनुदेश दिये थे कि वे इन निर्धारणों को पूरा करते समय इस फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरणों को ही आधार मानें और किसी बाहरी पार्टी को न बुलाया जाये अथवा छिपाई गई आय के बारे में कोई जांच नहीं की जानी चाहिये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संसद् सदस्य के पत्र की प्राप्ति के पश्चात् इस मामले की जांच करने के लिये बुलाया गया अधिकारी/बुलाये गये अधिकारियों ने यह सुझाव दिया था कि पुन: खोले जाने के लिये वह उपयुक्त मामला था ; और

(ग) यदि हां, तो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ग्राह्य इस मामले को पुनः न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कर-निर्धारण करने के लिये ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये थे। इस समूह के मामलों में की जा रही जांच-पड़ताल का निरीक्षण करने वाले निदेशक ने आयकर अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी और इस रिपोर्ट के सीमित प्रयोजन के लिये आयकर अधिकारी से कहा गया था कि वह बाहर की किसी पार्टी को

नहीं बुलाये, निर्धारिती द्वारा रखे गये हिसाब-किताब के आधार पर ही कुल आय के बारे में तथा विस्तृत जांच-पड़ताल की आवश्यकता वाले मुद्दों के बारे में रिपोर्ट दे ।

(ख) जी, नहीं । एक अन्य मामले में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार केवल एक वर्ष, अर्थात्, सन् 1949-50 के लिये कर-निर्धारण की कारवाई फिर से शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I received a letter from the Finance Minister in this regard on 5th December, 1967. **[Placed in the Library. See No. LT-725/68]** That is a long letter but I would like to read here. Only a paragraph of that letter.

"The facts are that speculation losses amounting to Rs. 58·72 lakhs were claimed by Messrs. Ram Narain and Sons for the assessment years 1944-45 to 1951-52. In three of these assessments the income-tax officer had disallowed losses of Rs. 36·65 lakhs. The remaining five assessments were pending. The case was transferred to the investigation circle. In view of large amounts claimed as deductions, the case was transferred to the charge of the Commissioner of Income-tax, Central, Bombay. The Board also directed the Director of Inspection and Investigation to look into the case and give appropriate instructions. The Director of Inspection and Investigation gave instructions that out of Rs. 58·72 lakhs claimed in all these years, a sum of Rs. 18·23 lakhs was to be disallowed and the balance was to be allowed".

श्री उमानाथ : उस पत्र को सभा-पटल पर रखा जाय ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न पूछने दीजिये ।

Shri Madhu Limaye : Will the Minister be pleased to state that their speculation losses amounting to Rs. 40.49 lakhs have been allowed which means that some one has gained and ; whether on this gain income-tax has been assessed by the Department of Income-tax ; and whether it was recovered ? If not ; I would like to know, whether the case of this party which has gained Rs. 40·49 lakhs ; will be re-opened for fresh assessment under sections 147 and 149 of the Income-tax Act ? Sections 147 and 149 read as follows.

"The income-tax officer has in consequence of information in his possession reason to believe that income-tax chargeable ...... to assessment for any assessment year ......"
I have already informed him. Further in the rule it is written :

"If tax which has escaped assessment amounts to or is likely to amount to Rs. 50,000 or more ...... "

It is a matter of Rs. 40 lakhs and not of Rs. 50 thousands. Therefore, may I know whether the Hon. Minister will tell the names of recipients ; and whether tax has been imposed over them and recovered ? If not whether the case will be re-opened on the basis of the information which I have given ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पहला प्रश्न पाने वालों (रिसीपियन्ट्स) के बारे में है । जहां तक मैं समझता हूं यदि अधिक हानि अस्वीकार कर दी जाय तो रिसीपियन्ट वह होता है जिसे फायदा

होता है और यहां मैसर्स रामनारायण एण्ड सन्स है । अन्य किसी को भी फायदा नहीं होता यदि अधिक हानि स्वीकार की जाती है ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है अर्थात् इसका कि क्या पुराने मामलों को दोबारा खोला जा सकता है ; तो इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आयकर निर्धारण के मामले को 16 वर्ष के अन्दर ही दोबारा तभी खोला जा सकता है जब एक अपीलीय आदेश को कार्यान्वित न किया जाय । इसलिये एक या दो मामलों को छोड़कर अधिकतर मामले कालबाधित थे ।

Shri Madhu Limaye : My question has not been answered. I should read from my letter. I had asked :

"What are the names of persons in whose cases the speculation losses allowed to Messrs. Ram Narain and Sons Private Ltd. have been considered for assessment and if so in what years ? If speculation losses of Rs. 40 lakhs allowed to Messrs. Ram Narain and Sons and also over Rs 50 lakhs to Kilachand Devichand have not been recovered in the hands of recipients cannot this be considered as a new fact within the meaning of sections 147 and 149 of the Income-tax Act and the cases re-opened ?"

श्री स० मो० बनर्जी : इसे भी सभा-पटल पर रख दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : मालूम पड़ता है आप सभा-पटल पर बहुत सी चीजें रखना चाहते हैं । उन्हें प्रश्न पूछने दीजिये ।

Shri Madhu Limaye : He has not answered it at all.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जसा कि मैंने कहा कि निर्धारण केवल 16 वर्ष के अन्दर दोबारा हो सकता है, लेकिन यदि कुछ और जानकारी हो तो उसे प्राप्त किया जा सकता है और हम इसे प्राप्त करेंगे............**(व्यवधान)**

Shri Madhu Limaye : What else information do you want ?

My second question is that I have gone through Shri Morarji Desai's letter in which he has said that the income-tax officer had disallowed losses of Rs. 36 lakhs in three assessments and the cases of five assessments were still pending. Therefore the centre intervened and asked to forgive Rs. 40 lakhs and 39 thousands to them. I want to ask from the Hon. Minister that why their losses were allowed and whether this was proper ? If it was improper whether it will be reconsidered ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं पहले कह दूं कि ये मामले 12 वर्ष से अधिक पुराने हैं, यह पहली बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : You can re-open the 16 years old cases.

श्री मोरारजी देसाई : यह बात ठीक है, जो आदेश दिये गये थे वे भी 10-12 वर्ष पुराने थे ।

Shri Madhu Limaye : It matters not much.

श्री मोरारजी देसाई : मैं नहीं कह रहा.........(**व्यवधान**) आप मेहरबानी करके सुनें तो सही।

इसलिये हमने इस पर गौर किया और जानकारी प्राप्त की जिसे मैंने तुरन्त ही माननीय सदस्य के पास भेज दिया, जैसा कि उनको लिखे गये पत्र से स्पष्ट है.........

Shri Madhu Limaye : After that I wrote second letter ......

श्री मोरारजी देसाई : मैंने उसका भी जवाब दे दिया है। मैंने कभी भी आपके पत्रों का जवाब देना बन्द नहीं किया न ही कभी आपने मुझे पत्र लिखना बन्द किया, यह सच है। मैं तथ्यों के आधार पर आपको संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं, मैं आपसे झगड़ा करने नहीं जा रहा हूं। जिस आय-कर निर्धारण के मामले को वह पुन:खोलने के लिये कह रहे हैं उसे सामान्य कानून के अन्तर्गत पुन: नहीं खोला जा सकता क्योंकि 16 साल की सीमा संशोधित कानून के अन्तर्गत रखी गयी है। ऐसा करने की व्यवस्था है यदि अपीलीय प्राधिकारी यह कहे कि इसमें कुछ और ही करना है। हाल ही में, अपीलीय आदेश का एक मामला हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बैनामी सौदा था, उसकी जांच की जा रही है कि यह किस प्रकार हो सकता है। यदि इस पर पुनर्विचार करना संभव होगा तो अवश्य पुनर्विचार किया जायेगा इस पर पुनर्विचार का प्रश्न नहीं उठता। यह कहा गया था कि जिस विशिष्ट अधिकारी अथवा कमिश्नर को यह काम सौंपा गया था उसने हानि की अमुक राशि स्वीकार की। यह उसके द्वारा किया गया था न कि यहां से सरकार द्वारा। बोर्ड को इस प्रकार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं कि इस मामले में कुछ मनमाना ढंग अपनाया जा रहा था।

Shri Madhu Limaye : You should place all the facts before the House.

Shri Morarji Desai : There is no question of concealing any facts. So far as the Government is concerned that has to see that everyone gets justice. If it is known about some one that much more assessment has been made about him and the special commissioner is aware that arbitrarily assessment has been made and it is handed over to the special commissioner as a special case for investigation then there should be nothing wrong about it ...... **(Interruptions)**

Shri Madhu Limaye : Hon. Minister has accepted this in his original answer that the Income-tax officer was ordered not to call outside parties and was asked that there should be no further investigation about the concealed income. Although it was suggested by the officers that this case should be re-opened but this was not opened ...... **(Interruptions)**.

Shri Morarji Desai : It seems that some grudging officer might have given the information. He can only say like this. Likewise informations are received ...... **(Interruptions)**

Shri S. M. Banerji : It is an aspersion on an Hon. Member **(Interruptions)**

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir I want to say strongly that their malpractices can be unfolded in this way. The persons who have some grudge come to inform us then we

investigate the matter whether it is true or false. He is casting reflection over us. We have also got sense and wisdom. We investigate what they say and we try to lay what is true and what is a fact.

Shri Morarji Desai : If the Hon. Member examines the truth then there can be no dispute with him but as a Government if we also investigate the facts, then why the Hon. Member raises a dispute ?

Shri Madhu Limaye : I am not quarrelling ?

Shri Morarji Desai : But the things are going like that. Hon. Member is charging the Government that it has acted in a wrong way. I would like to say that there is nothing wrong on the part of the Government—Government should give justice to both the sides. Now if any person gives such information to Hon. Member I have no dispute with him. But if an unsatisfied person gives such information, his information is not always true, many times it is something else. Therefore both the things have to be looked into. Government have more responsibilities in this respect and as I have said that the Commissioner asked them to send the facts of the case otherwise that will become time-barred and there is no necessity to call other parties. There is nothing wrong in it as the Hon. Member is expressing doubts. Now the Income-tax officer has charged an amount from the assessee and on appealing the appellate officer revised that. It is not proper that something else was done I am not prepared to accept it.

श्री स० मो० बनर्जी : एक पिछले मामले में जिसमें एक दूसरे कांग्रेसी व्यक्ति श्रीराम रतन गुप्त के मामले में 31 लाख रुपये की छूट दे दी गयी थी.........

अध्यक्ष महोदय : वह बिल्कुल दूसरा प्रश्न है।

श्री स० मो० बनर्जी : यह एक पूर्व दृष्टान्त था। श्री राम रतन गुप्त इस सभा के सदस्य थे। उस राशि की छूट दे दी गयी लेकिन इस सभा में तथा दूसरी सभा में बार-बार प्रश्न उठाने पर माननीय मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने यह जानते हुए कि किसी दूसरे मंत्री ने यह सब कुछ किया था इस मामले पर पुनर्विचार का वचन दिया था और इस पर पुनर्विचार भी किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस विशिष्ट मामले में इस पर पुनर्विचार करने में वह क्यों हिचकिचा रहे हैं और क्या यह सच है कि श्री रूइया किसी बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी से सम्बन्धित हैं और क्या उनको कुछ उन व्यक्तियों के द्वारा जिनको वे अच्छी तरह जानते हैं राजनीतिक दृष्टि से प्रभावित किया जा रहा है.........

अध्यक्ष महोदय : यह आरोप है.........**(व्यवधान)**

Shri S. M. Banerjee : A guilty conscience is always suspicious.

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये। अनुपूरक प्रश्न में आरोप नहीं किया जाना चाहिये। इससे हम केवल निरर्थक प्रश्नों में अपना समय बर्बाद करेंगे। उन्हें बिना आरोप लगाये प्रश्न पूछना चाहिये। बिना किसी दल अथवा व्यक्ति पर आरोप लगाए वह अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। श्री राम रतन गुप्त कांग्रेस के एक लब्ध प्रतिष्ठ सदस्य हैं। मैं केवल यही बता रहा हूं कि उस मामले में 31 लाख रुपये की छूट दी गयी थी। बार-बार प्रश्न उठाने पर वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने हमें इस सभा में वचन दिया था कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जायेगा और पुनर्विचार किया गया। श्री रुइया के विशेष मामले में वे कांग्रेस की मदद क्यों कर रहे हैं तथा मामले पर पुनर्विचार के लिये कार्यवाही क्यों नहीं हो रही।.........(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि इस पर पुनर्विचार क्यों न किया जाये।

श्री मोरारजी देसाई : मैं कहना चाहता हूं दूसरे मामलों में यह कुछ निश्चित न वसूल किये जाने वाली वस्तुओं को बट्टे खाते में डालने का प्रश्न था। और जब कुछ अन्य बातें सामने आयीं तब कुछ गलत सौदे किये गये जो कि मंत्रालय को नहीं बताये गये थे। उन पर कानून के अन्तर्गत पुनर्विचार किया जा सकता था। क्योंकि इन मामलों के, 16 वर्ष के अन्तर्गत होने का प्रश्न था। इसलिये इस पर पुनर्विचार किया गया। सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी सदाशयता साबित करनी चाहिये और सरकार हमेशा इस पर पुनर्विचार करना चाहती है। यह इसपर पुनर्विचार को तैयार हैं यदि ऐसा करना उचित हो। इस मामले में, कानून के अन्तर्गत ऐसा करना सम्भव नहीं है और मैं अभी भी कह रहा हूं कि हाल ही में अपीलीय न्यायाधिकरण का एक निर्णय हुआ है कि इसी मामले में कुछ अन्य सौदे भी हुए हैं। हम कानून सम्बन्धी जांच कर रहे हैं कि इसपर किस प्रकार पुनर्विचार किया जाये। और यदि पुनर्विचार किया जा सकता है तो पुनर्विचार अवश्य किया जायेगा।

श्री उमानाथ : मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पस्ट है कि केन्द्र इस बड़े व्यापार गृह के पक्ष में था जिससे कम्पनी भी सम्बन्धित है। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि रिकार्ड के निर्धारण और जांच के समय बाहर वालों को न बुलाने के अनुदेश दे दिये गये हैं। मैंने इसे बड़ी अच्छी प्रकार समझा है और यह भी कि अधिकारी को कम्पनी द्वारा दिये गये आंकड़ों और लेखों पर विश्वास करना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप क्यों किया गया तथा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत आंकडों में विश्वास पर क्यों बल दिया गया, अन्य पार्टियों को न बुलाने के अनुदेश क्यों दिये गये और क्या यह सच है कि इस विशेष समूह अथवा ग्रुप ने, जो कि उससे सम्बन्धित है और एकाधिकार जांच आयोग द्वारा घोषित 75 बड़े व्यापारिक समवायों में से एक है, ने शासक-दल कांग्रेस के प्रति बड़ा योगदान दिया है और यही कारण था केन्द्रीय सरकार की ओर से विशेष हस्तक्षेप हुआ; और क्या यह सच है कि मैं अब एक गम्भीर विषय को आगे ला रहा हूं......

अध्यक्ष महोदय : दूसरा मामला गम्भीर नहीं था।

श्री उमानाथ : यह अधिक गम्भीर मामला है। मैं जानना चाहता हूं क्या यह सच है कि प्रत्यक्ष कर बोर्ड (डाइरेक्ट टैक्सेस बोर्ड) के चेयरमैन ने तथा उस मंत्रालय के कुछ

कर्मचारियों ने इस प्रश्न को स्वीकार न कराने के लिए हमारे सचिवालय पर दबाव डालने का प्रयत्न किया। मैं विशेष रूप से इसका उत्तर जानना चाहता हूं।

श्री मोरारजी देसाई : इस प्रश्न को स्वीकार न कराने के लिये किसी प्रकार के दबाव का प्रश्न नहीं हुआ है। इस मंत्रालय ने कभी ऐसा नहीं कहा कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिये। यह प्रश्न उठ ही कैसे सकता था ? ये सब कल्पना की बातें हैं जो माननीय सदस्य बता रहे हैं।

श्री उमानाथ : प्रत्यक्ष कर मंडल के सभापति। मैंने उनके विषय में स्पष्ट रूप से कहा है।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने कहा है कि प्रत्यक्ष कर मण्डल के सभापति ने विशेष आयुक्त को इस प्रश्न की जांच करने के लिये निदेश दे दिया है और यह मामला अब विशेष आयुक्त को सौंप दिया गया है क्योंकि……

श्री उमानाथ : इस विशेष कृपा का क्या कारण है ?

श्री मोरारजी देसाई : यह कोई विशेष कृपा नहीं है।

श्री उमानाथ : कि एक बाहरी व्यक्ति को न बुलाया जाये।

श्री मोरारजी देसाई : आयुक्त ने ऐसा ही किया था। प्रत्यक्ष कर मण्डल के सभापति ने उन्हें ऐसा निदेश नहीं दिया था। **(व्यवधान)**

Hon'ble Member may please try to be peaceful. After all why he is so angry ? Nobody has taken away anything from him.

Shri Madhu Limaye : How is the Hon'ble Minister talking ? I strongly object to it. It is true that I have no personal interest in the matter but as the Government imposes taxes on the poor and lets off the rich so I have to raise these questions in the House.

Shri Morarji Desai : If there is some provision for giving some relief to the rich, it will be given to him. Hon'ble Member may say whatever he likes but the rule is one for the rich and poor, they are not two for different persons. Government have to dispense justice to both the rich and the poor. Hon'ble Member may call names but the justice cannot be denied to any one. This is the action taken in this matter. There is no injustice in this.

विलिंग्डन अस्पताल कर्मचारी यूनियन

*959. **श्री रा० को० अमीन :**
श्री द० रा० परमार :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री किकर सिंह :
श्री श्री कान्तन नायर :
श्री निहाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री उमानाथ :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'विलिंग्डन अस्पताल कर्मचारी यूनियन (रजिस्टर्ड)' के

अधिकारियों से संघ के कुछ पदाधिकारियों के साथ विलिंग्डन अस्पताल प्रबन्ध के कुछ उच्च-अधिकारियों द्वारा अशिष्ट व्यवहार किये जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) अस्पताल कर्मचारी यूनियन के जिस प्रतिनिधि ने यह शिकायत की थी, उसे कथित मामले सम्बन्धी और ब्योरा तथा दूसरी सम्बद्ध सूचना भेजने के लिये पहले 3 जनवरी, 1968 और फिर 1 फरवरी, 1968 को लिखा गया था। उसने अभी तक उत्तर नहीं दिया।

श्री रा० की० अमीन : क्या यह सच है कि 24 नवम्बर, 1967 को दिन के 11.15 बजे विलिंगडन अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक श्री एच० वी० लाल अपना काम करते हुए शराब के नशे में धुत्त थे और उन्होंने विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारी यूनियन के प्रधान श्री मुकुन्द पारेख को गालियां दीं और उनसे दुर्व्यवहार किया और उन्हें धमकी दी कि उन्हें पुलिस के साथ गठजोड़ करने के किसी मामले में फंसाया जायेगा और इस आशय की रिपोर्ट माननीय स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्री से भी की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : जहां तक दिन में शराब के नशे में धुत्त होने की बात है माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि यह बात बिल्कुल निराधार है। जैसे ही मुझे श्री पारेख से शिकायत मिली मैंने तुरन्त महानिदेशक को आदेश दिया कि वे मामले की जांच करें। श्री पारेख से कहा गया कि वे अपने अभियोग की पुष्टि करें और गवाह पेश करें। उन्हें दो अनुस्मारक दिये गये हैं पर उन्होंने अब तक कोई उत्तर नहीं दिया है। इस मामले में माननीय सदस्य हमसे क्या आशा करते हैं ?

श्री रा० की० अमीन : क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल में काम करने वाले कुछ हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मंत्रियों से लिखित रूप में डा० लाल की शिकायत की है कि वे महात्मा गांधी और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं ? हरिजनों को उन्होंने बहुत अपमानजनक बात कही—

"He said something like—what have these Khadi wearing people made of you, what do you want ?

उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जायेगी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : हमें ऐसी किसी शिकायत का पता नहीं है।

श्री द० रा० परमार : क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल में काम करने वाले 64 हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लोगों ने पहली अप्रैल, 1966 को अस्पताल के

चिकित्सा अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ लिखित रूप में यह रिपोर्ट की थी कि वे उनसे बुरा व्यवहार करते हैं और जाति के सम्बन्ध में अपमानजनक और गलत बातें कहते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने हरिजनों और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये क्या कार्रवाई की है ? जिन गलत बातों का प्रयोग किया गया था, वे ये हैं :

"These Khadi wearing people have given you undue importance as a result of which you have become dangerous for the country. Not only this, these Khadi wearing people have doomed the country. About Gandhiji he said that this old man, who was the worshipper of Khaddar and his followers, white collared have thrown the country back by one thousand years and they have given undue importance to Harijans".

यदि स्वतन्त्रता के 20 वर्ष बाद भी और सरकार के इस दावे के बावजूद भी कि वह हरिजनों के उत्थान के लिए काम कर रही है, यदि सरकारी अधिकारी अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो आम जनता का क्या कहना ? इससे पता चलता है कि सरकार ने हरिजनों के उत्थान के लिए कितना काम किया है, सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

Shri Satya Narain Sinha : The Hon'ble Member has referred to an incident of the year 1966. I cannot say what happened in 1966 but if something is brought to my notice, I shall look into it. I was not in the Ministry of Health in 1966. Anyway I shall investigate what the Hon'ble Member has stated.

Shri Kameshwar Singh : Today the case of workers of Willingdon Hospital that they are abused by the officer and that they call them filthy names has come up in the House like the case of beating the workers of the Indian Standards Institution. But it is a matter of great regret that no Minister gives appropriate reply and investigates the matter. They feel that tomorrow nobody will care for the question asked to-day. Will the Hon'ble Minister assure the House that he will investigate the matter to keep the result of the investigation on the Table of the House ?

Secondly, Dr. Lall considers himself as Socrates and Plato, distributes pamphlets in that name and says that he is not in the wrong and that he is not the murderer of Dr. Lohia etc. I will like to place it on the Table of the House with your permission.

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य के पास इसकी प्रतिलिपि है। आप इसे सभा-पटल पर क्यों रखना चाहते हैं।

Shri Kameshwar Singh : It is a very wrong thing. Dr. Lall is not Socrates or Plato. Please permit me place this on the Table of the House.

Shri Satya Narain Sinha : I will not say whether he is Socrates or Plato. There can be no folly greater than considering oneself as Socrates and Plato. As regards complaints, I have said time and again that our points are not replied to when we make enquiries. More levelling of allegations will not do. One have to prove them. As soon as I received the complaint, I ordered enquiry. But when the man who makes complaint receives our letter, he sits over

that. You can very well appreciate that one should have proofs to substantiate the allegations made. But when we want proofs nobody comes forward :

श्री किकर सिंह ने पंजाबी भाषा में प्रश्न पूछा।

Shri Satya Narain Sinha : I could not follow the question.

Shri Nihal Singh : Will the Hon'ble Minister be pleased to state that is it a fact that the compounders and Store Keepers working in the Willingdon Hospital are required to attend Emergency Duty even on Holidays without any allowance or compensatory leave ?

श्री ब० सू० मूर्ति : यदि अलग से प्रश्न पूछा जाये तो हम इसका उत्तर दे सकेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : जैसे ही यह घटना हुई मैंने श्री सत्य नारायण सिंह को पत्र लिखा और उनके और केन्द्रीय श्रम आयुक्त के प्रयासों से थोड़ा बहुत समझौता हुआ। लेकिन यह बहुत बुरी बात है कि बिग्रेडियर लाल ने श्री मुकुन्द पारेख और अन्य लोगों का अपमान किया। यदि डा० लाल शाम को 7 बजे के बाद शराब पीते हैं, तो ठीक है पर यदि वे सात बजे से पहले शराब पिये रहते हैं, तो यह बुरी बात है।

क्या मंत्री महोदय ने विलिंगडन अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को अनुदेश दिये हैं कि वे कर्मचारियों के साथ ठीक व्यवहार करें ? इसके अतिरिक्त क्या उनका ध्यान संसद् सदस्य श्री अब्दुल गनी दार द्वारा प्रकाशित पुस्तक मीट सुक्कातस् एण्ड प्लैटो आफ टुडे की ओर गया हैं ? फारसी में सुकरात को सुक्कात कहते हैं। मैं इस पुस्तक का एक अंश पढ़ रहा हूं :

"एक वृद्ध व्यक्ति का नयाजन्म—डाक्टर और परिचारिकाएं विश्व भर में असंख्य बच्चों को पैदा करने में माताओं की सहायता करती हैं। हरेक नया बच्चा माता की गोदी में रखा जाता है। महान ब्रिगेडियर एच० बी० लाल और सुन्दर डाक्टर आर० के० करोली के हाथों आचार्य कृपालानी की सहायता से विलिंगडन अस्पताल में तुम्हारे पुराने मित्र मृतप्राय अब्दुल गनी दार को नयाजन्म मिला है......"

उसके बाद आपका और लगभग हरेक आदमी के नाम का जिक्र आया है, मुझे आश्चर्य है कि डा० लाल का चित्र भी प्रकाशित किया गया है। विलिंगडन अस्पताल ऐसी जगह बन गई है जहां संसद् सदस्य को भेजकर दस दिन में ही उसके निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनाव करा सकते हैं। इसको रोकने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ? ऐसे प्रकाशन नहीं निकाले जाने चाहिये। वे खराब हैं। सरकारी कर्मचारी को चाहिये......

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि सरकार क्या कार्रवाही कर रही है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय ने ऐसे आदेश जारी किये हैं कि डाक्टरों को यूनियनों के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने चाहिये और ऐसे प्रकाशन नहीं निकालने चाहिये ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जब कभी मैं उनसे मिलता हूं मैं उनसे कहता हूं कि उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिये । इसमें कोई अपवाद नहीं है । जब कभी मैं उनसे मिलता हूं मैं इस बात पर जोर देता हूं । फिर जो यह पैम्फलेट जो किसी संसत्सदस्य ने प्रकाशित किया है इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?···(**व्यवधान**) केवल अब्दुल गनी दार ही नहीं अपितु पांच या छः संसत्सदस्य विलिंगडन अस्पताल जाते रहते हैं, मैं ब्रिग्रेडियर लाल के प्रति कुछ पक्षपात न करते हुये कहता हूं कि जो पांच या छः सदस्य अभी हाल में ही उस अस्पताल से लौटे हैं, स्वयं बतायें कि वहां उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है ?······(**व्यवधान**)

श्री रामचन्द्र जी० अमीन : क्या मंत्री महोदय को विदित है कि विलिंगडन अस्पताल में 5 या 6 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से 12 घंटे काम लिया जाता है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं इस आरोप की जांच करवाऊँगा ।

श्री उमानाथ : मैं मंत्री महोदय के उत्तर से सम्बन्धित अनुपूरक बातें बतलाऊँगा । उन्होंने कहा कि एक पत्र भेजा गया था जिसमें गवाह पेश करने के लिए कहा गया था ताकि जांच की जा सके, पर उसका कोई उत्तर नहीं मिला है । मैंने उत्तर स्वयं पढ़ा है जिसमें उस अधिकारी से जिसने पत्र लिखा था उसमें दो विशेष प्रार्थनाएं की थीं । पहली प्रार्थना यह थी कि जिस अधिकारी की शिकायत की गयी थी उसने सब दूसरे कर्मचारियों को धमकी दी है कि वे उसके विरुद्ध गवाही न दें । दूसरी प्रार्थना यह थी कि जो गवाही देने के लिये आते हैं उनके बचाव का अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया जाय । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे फाइल का अध्ययन करें और बताएं कि उस आदमी को क्या उत्तर भेजा गया ।

श्री सत्यनारायण सिंह : उन्हें पूरा बचाव दिया जायेगा । मुझे सम्बन्धित व्यक्ति ने कुछ नहीं बताया है ।

श्री उमानाथ : मेरा मतलब आप से नहीं है, सारे प्रश्न का सम्बन्ध अस्पताल के अधिकारियों से है । आपने कहा कि एक पत्र भेजा गया था जिसका उत्तर नहीं आया । मैं यह कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को पत्र मिला था उसने उत्तर भेज दिया है और गवाहों के बचाव के लिए आश्वासन मांगा है । क्या वह बतावेंगे कि क्या कोई आश्वासन दिया गया है ।

श्री सत्यनारायण सिंह : जांच का काम महा-निदेशक को सौंपा गया है । यदि सम्बन्धित व्यक्ति ने उन्हें कोई पत्र लिखा है तो मैं अवश्य पूछूंगा कि उन्होंने क्या उत्तर भेजा है ।

श्री उमानाथ : महा-निदेशक द्वारा पत्र लिखा गया था तथा उन्हें उत्तर भी मिल गया है । बिना ही पत्र-व्यवहार देखे मंत्री महोदय कैसे कह सकते हैं कि उन्हें भेजे गये पत्र का उत्तर नहीं मिला है । आपको चाहिये कि आपको जानकारी न देने के लिये उस अधिकारी की आप खबर लें । आपको जानकारी न दिये जाने के कारण सारे सदन को धोखा दिया गया है ।

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं अवश्य ही महा-निदेशक से पूछूँगा कि क्या उन्हें ऐसा कोई पत्र मिला है ।

केरल से पेट्रो-रसायन परियोजना को अन्यत्र ले जाना

+

*960. **श्री श्रीधरन :**

श्री कामेश्वर सिंह :

श्री विश्वम्भरम :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पेट्रो-रसायन परियोजना को केरल से हटाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). जी नहीं। यह अनुमान है कि प्रश्न कोचीन स्थित उर्वरक परियोजना से सम्बंधित है।

श्री श्रीधरन : आज 'समस्त-मूर्ख दिवस' प्रथम अप्रैल है तथा आज उनके उत्तर से यह सेहरा उन्हीं के सिर पर बंधना चाहिए मेरा प्रश्न 'पेट्रो-रसायन प्रायोजना' के बारे में था 'उर्वरक' के बारे में नहीं। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि जब मैंने प्रश्न किया था उस समय मुझे पता था कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ, अतः मंत्री महोदय कृपा करके मुझे कुछ सिखाने की कोशिश न करें, अब यह अनुमान किया जाता है कि तेल साफ करने वाले कारखाने से गैसोलीन तथा उर्वरकों की आवश्यकता को पूर्ण करने के बाद एक लाख टन नैफ्था तेल उपलब्ध हो जायेगा। इस सम्बन्ध में केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि वहां एक पैट्रो-रसायन सार्थ समूह स्थापित किया जाये और यह समझा जाता है कि सरकार ने उत्तर दिया था कि इस बारे में अन्तिम निर्णय जून, 1967 के अन्त तक ले लिया जायेगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस मामले में अन्तिम निर्णय ले लिया है। यदि हां तो क्या वहां कोई उर्वरक संयंत्र लगाया जायेगा ?

श्री रघुरामैया : 'समस्त-मूर्ख दिवस' के उपलक्ष्य में क्या मैं माननीय मित्र को बधाई दे सकता हूँ ?

श्री रा० कृ० सिंह : क्योंकि आज उनका जन्म-दिवस है।

श्री रघुरामैया : क्योंकि प्रश्न इस प्रकार किया गया है कि मैं नहीं जानता कि बधाई देना किसको अधिक उपयुक्त है। प्रश्न इस प्रकार है—

"क्या यह सत्य है कि क्या सरकार ने पैट्रो-रसायन प्रायोजना को केरल से हटा लेने का निर्णय किया है ?"

शब्द "प्रायोजना" और "हटा लेने" पर ध्यान दीजिए। जब कुछ है ही नहीं तो उसे हटा लेना कैसे हो सकता है ? जहां तक प्रायोजना का सम्बन्ध है, उर्वरक कारखाना एक

पैट्रो-रसायन प्रायोजना है, क्योंकि पैट्रोलियम उत्पाद से बनी कोई भी रसायन प्रायोजना एक पैट्रो-रसायन प्रायोजना होती है। अतः जब यह प्रश्न ऐसे ढंग से किया गया, तो मेरे लिये और कोई चारा न था कि मैं उसका ऐसे ढंग से उत्तर दूं जैसे कि मैंने दिया है। मुझे कुछ भी नहीं छिपाना है, यह सत्य है कि कोचीन की सरकार ने... ... ... ।

श्री वासुदेवन नायर : कोचीन की कोई सरकार नहीं है, केवल केरल सरकार है।

श्री उमानाथ : अब गेंद दूसरे क्षेत्र में है । यह देखना है कि अब वे उसे कैसे वापस फेंकते हैं ?

श्री रघुरामैया : पहली बातों को देखते हुए मैने सोचा था कि आज तो कुछ भी चलेगा।

केरल सरकार ने यह मामला उठाया था। हमने उनको सूचित किया है कि तेल-शोधक कारखाने के उत्पाद का अन्य संयंत्र के लिये उपयोग होने के कारण केरल में एक पैट्रो-रसायन सार्थ समूह बनाना सम्भव नहीं है।

श्री श्रीधरन : मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि आज के दिन की महत्ता उनके लिए उपयुक्त है। इसी समय, उत्तर देते हुए उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि··· ··· ··· ।

अध्यक्ष महोदय : अब वे प्रश्न करें। प्रथम अप्रैल को भी हमारे पास नष्ट करने के लिये समय नहीं है।

श्री श्रीधरन : अतः सेहरा बड़ी शान के साथ उनके सिर पर है। मेरा प्रश्न तो केरल के मुख्य-मंत्री के इस वक्तव्य पर आधारित था कि यह सम्भव है कि इस संयंत्र का स्थान केरल से मद्रास में बदल दिया जायेगा। मेरा प्रश्न इसी वक्तव्य पर आधारित था। अब उस तरह उत्तर देने की बजाय मंत्री महोदय कहते हैं कि कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है।

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : किस संयंत्र का स्थान ?

श्री श्रीधरन : पैट्रो-रसायन सार्थ समूह।

श्री अशोक मेहता : मैं जानना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री ने क्या कहा तथा किस संयंत्र के बारे में कहा ?

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट है कि इनके पास पूरा ब्योरा नहीं है।

श्री श्रीधरन : 2 मार्च, 1968 के **हिन्दू** समाचार-पत्र के अनुसार :

"श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद ने केरल विधान सभा में आज बताया है कि पैट्रो-रसायन सार्थ समूह जो कि पहले केरल में बनना था अब मद्रास में ले जाया जायेगा।"

सार्थ समूह में सब संयंत्र शामिल हैं। केवल यही नहीं, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित **उद्योग और व्यापार पत्रिका** में बताया गया है :

"पिछले वर्ष, दिसम्बर में देश ने, ट्राम्बे में 60,000 टन के नेपथा क्रेकर संयंत्र को चालू करके रसायन-उत्पादन के क्षेत्र में औपचारिक रूप से प्रवेश किया। इस वर्ष के अन्त तक दो और नैफ्था क्रेकर संयंत्र के पूरा होने की आशा है।" यह वर्ष 1967 में प्रकाशित हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न पर आइए, प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न बहुत समय ले रहा है।

श्री श्रीधरन : मेरा प्रश्न यह है कि एक लाख टन नैफ्था प्राप्त करने की मन्शा से क्या सरकार इस संयंत्र को केरल में स्थापित करने का विचार कर रही है ?

श्री अशोक मेहता : पहले तो अतिरिक्त माल को कमी वाले तेल-शोधक कारखानों को देना होगा ताकि उर्वरक उत्पादन का कार्य अच्छी तरह से हो। मैं कई बार बता चुका हूं कि आने वाले वर्षों में हमें नैफ्था की कमी पड़ेगी। दूसरे, जब इस पैट्रो-रसायन प्रायोजना के प्रश्न के बारे में आयोजना आयोग द्वारा कुछ समय पहले विचार किया गया, तो यह निश्चय किया गया था कि श्रोतों की कमी के कारण हमें केवल एक ही पैट्रो-रसायन सार्थ समूह पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। किसी चीज को मद्रास में ले जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि केरल में वह चीज है ही नहीं; तथा मद्रास में कुछ स्थापित हो जाने की निकट भविष्य में कोई आशा नहीं है।

Shri Kameshwar Singh Will the Hon. Minister please state whether the project which is being shifted to Madras ...... ?

अध्यक्ष महोदय : वह कह चुके हैं कि वहां कोई प्रायोजना नहीं है तथा वहाँ से हटाने के लिये कुछ नहीं है।

Shri Kameshwar Singh: Is it because they are prejudiced about Shri Namboodripad's Communist Government that they go on changing their minds from time to time ?

श्री विश्वम्भरम : मंत्री महोदय ने बताया है कि केरल से इस सार्थ समूह को हटाने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि वहां कोई संयंत्र है ही नहीं। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या कभी किसी समय कोचीन में पैट्रो-रसायन सार्थ समूह बनाने का प्रस्ताव था ; यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा उस प्रस्ताव को रद्द करने के क्या कारण हैं ? केरल के इस पैट्रो-रसायन सार्थ समूह के प्रस्ताव को छोड़ देने का यह चरण, ऐसे ही पहले फाहरो-रसायन 'जहाज' डीजल इंजन कारखाना, प्रीसीजन इन्स्ट्रूमेंट्स और उपकरणों तथा सूक्ष्मता उपकरण कारखानें जैसे अनेक कारखानों के प्रस्तावों को छोड़ने के क्रम का अन्तिम चरण है। कोचीन पोत-प्रांगण की तो अभी बारी आनी शेष है। इन तथ्यों के आधार पर क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि कोचीन के इस पैट्रो-रसायन सार्थ समूह की योजना को छोड़ने के बारे में तथा केरल को किसी बड़े स्तर के उद्योग से वंचित करने के दिल्ली में रचे गए षडयंत्र में क्या उनके मंत्रालय का भी हाथ है ?

श्री अशोक मेहता : मुझे भय है कि माननीय सदस्य ने कुछ गलत बात कह दी है क्योंकि किसी भी प्रस्ताव को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। इस मंत्रालय को निश्चय ही कुछ सुझाव भेजे

गए थे । इनकी उद्देश्यपूर्ण दृष्टि से तथा सहानुभति से जांच की गई थी और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि तेल-शोधक कारखानों से उपलब्ध होने वाले माल की वहां के नए उर्वरक संयंत्र के लिए इतनी मांग है कि एक दूसरा पैट्रो-रसायन सार्थ समूह वहां स्थापित करना सम्भव न हो सकेगा ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं जान सकता हूं कि कोचीन के तेल-शोधक कारखाने के उत्पाद को अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए सरकार ने क्या कोई योजना तैयार की है, जैसा कि 100 उपोत्पाद देने वाले आसाम के डिगबोई तेल-शोधक कारखाने के मामले में किया गया था, तथा भारतीय कच्चे माल की कमी के कारण कोचीन तेल-शोधक कारखाने को क्या ऐसा रूप दिया गया है कि निकट भविष्य में केरल के अन्दर एक पैट्रो-रसायन सार्थ समूह का विकास करने की सम्भावना हो जाए ?

श्री रघुरामैया : जब कोचीन के तेल-शोधक कारखाने को चलाया गया था, तब इसके प्रत्येक तकनीकी पहलू पर विचार किया गया था तथा आवश्यकता के अनुसार उसका डिजायन बनाया गया था ।

श्री विश्वनाथ मेनन : क्या मैं जान सकता हूं कि जब कोचीन उर्वरक कारखाने के लिये भूमि ग्रहण की गई थी तो इसके साथ-साथ पैट्रो-रसायन सार्थ समूह के लिये भी भूमि प्राप्त की गई थी ?

श्री रघुरामैया : इस विषय में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री मनुभाई पटेल : मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण एक साथ सब स्थानों पर पैट्रो-रसायन सार्थ समूह नहीं चलाये जा सकते । क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्योंकि हमारा उर्वरक उद्योग नैफ्था पर आधारित है, तो जहां भी पैट्रो-रसायन सार्थ समूह है, क्या वहां नैफ्था-क्रेकर लगाये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है ।

श्री मनुभाई पटेल : यह एक साधारण प्रश्न है । श्रीमन् उन्हें उत्तर देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है । यह बहुत विस्तृत हो जायेगा तथा न जाने कहां जाकर रुकेगा ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सरकार की नीति नहीं है कि जहां भी तेल-शोधक कारखाने हैं वहां पैट्रो-रसायन उद्योगों जैसे सहायक उद्योग स्थापित किये जायें, यदि हां, तो फिर कोचीन को क्यों वंचित किया गया है ?

श्री अशोक मेहता : मुझे भय है कि माननीय सदस्य का निष्कर्ष ठीक नहीं है । पैट्रो-रसायन सार्थ समूहों पर भारी रकम लगानी पड़ती है तथा ये हर तेल-शोधक कारखाने के साथ

तथा हर उस स्थान पर नहीं लगाये जा सकते जहां तेल उपलब्ध हो। इन सार्थ समूहों को स्थापित करने के लिये सारे उद्योग का समन्वय करना पड़ता है तथा लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत आती है। न तो हम अनेक स्थानों पर ऐसा कर सकते हैं और न ये सार्थ समूह अलग-अलग किये या बिखेरे जा सकते हैं। होता यह है कि 200 करोड़ रुपये की लागत से भारी मात्रा में मध्यवर्ती माल उत्पन्न होता है तथा इसको उपयोगी बनाने का काम सारे देश भर में किया जाता है। हमें आशा है कि कुछ समय पश्चात भारत को अन्य भागों में भी ऐसे सार्थ-समूह स्थापित करने होंगे परन्तु इस समय तो हम एक अथवा दो का ही विकास कर सकते हैं।

Shri Maharaj Singh Bharati: The Hon. Minister has just now stated that the Cochin Petro-Chemical Complex is not being set up for want of money and sources. Government has given up the establishment of first coal-based fertilizer factory. And later, dropped the plan of using electricity after using the same in Nangal.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न की सीमा से बाहर तथा उससे असम्बन्धित है।

Shri Maharaj Singh Bharati: Later on it was decided to set up Naphtha-based fertilizer plants. I want to know whether the Government are not able to set up a Petro-Chemical complex at Cochin because of the paucity of funds resources or they have adopted a policy of minimum production of Naphtha? Which of these two is true?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। इसका उत्तर नहीं दिया जायेगा।

श्री वासुदेवन नायर : जितने सम्भव होंगे हम उतने ही पैट्रो-रसायन सार्थ समूह बनायेंगे परन्तु सम्बन्धित प्रश्न यह है कि जब कोचीन के तेल-शोधक कारखाने को चलाया गया था तथा एक विशिष्ट प्रस्ताव था कि नैफ्था का प्रयोग करने के लिये कोचीन में ही एक पैट्रो-रसायन समूह स्थापित किया जाये। हम समझते हैं कि सरकार ने यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी। जबकि उन्होंने मद्रास में तेल-शोधक कारखाना चालू होने से पहले ही वहां एक पैट्रो-रसायन सार्थ समूह निर्मित करने का निश्चय कर लिया है, यद्यपि यह अभी तक कागज पर ही है, हमें इसका कारण मालूम होना चाहिये कि कागज पर ही बनी प्रायोजना के लिये तो सार्थ-समूह के बारे में पहले ही तय हो गया जबकि पहले से ही चालू कोचीन तेल-शोधक कारखाने के लिये मना कर दिया गया। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं मद्रास में सार्थ-समूह होने के विरुद्ध कतई नहीं हूं। परन्तु यह भेदभाव क्यों किया गया ?

श्री अशोक मेहता : कुछ समय पूर्व, चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा बनाते समय जब एक अध्ययन-दल द्वारा पैट्रो-रसायन उद्योग के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार किया गया था तब एक प्रस्ताव रखा गया था कि केरल में भी एक सार्थ समूह होना चाहिये परन्तु अध्ययन-दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद आयोजना आयोग ने भी इसमें कटौती की तथा जैसाकि मैंने कहा, अभी-अभी इसको घटाकर केवल एक ही किया गया है। मद्रास में किसी सार्थ समूह को स्थापित होने का प्रश्न ही नहीं है अतः किसी का स्थान बदलने का प्रश्न नहीं उठता। मैंने यह बहुत ही स्पष्ट कर दिया है। इस समय तो हम केवल एक ही

सार्थ समूह के विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। मुझे आशा है कि अगले कुछ वर्षों में हम और दूसरी जगह चुनने योग्य हो जायेंगे परन्तु, अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। इस समय ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, कई स्तरों पर अनेक प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा अन्तिम निर्णयों के बारे में सदन को अवगत कराया जाता है।

Assistance Scheme for Exports

*961. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any new scheme for providing cash assistance and making tax adjustments for exports;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the expenditure which would be incurred thereon every year?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): (a) Yes, Sir. Additional cash assistance has been announced on selected commodities and certain direct tax concessions to assist exporters have been included in the Budget proposals.

(b) and (c). A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-678/68]**

Shri Raghuvir Singh Shastri: May I know whether the attention of the Hon. Minister has been drawn to the proposals accepted in the meeting of the F.I.C.C.I. on 30th March in New Delhi, in which they have demanded that two things are most important to encourage export: firstly, reduction may be made in the export duties and secondly, facilities for foreign-travel should be given to the traders for exploring markets and opening of their offices in foreign countries. If so, what is his reaction in this respect?

Shri K. C. Pant: Even today the exporters enjoy these two facilities. They might have asked for more facilities.

Shri Raghuvir Singh Shastri: The main aim of the devaluation of Rupee in June, 1966 was to increase export but it seems that the aim has not been achieved. Therefore, whether the Government will consider the demand of the exporters that the Import Voucher System which existed before devaluation should be rejuvenated?

Shri K. C. Pant: This question relates to Ministry of Commerce. I cannot give an answer to it.

श्री श्रद्धाकर सूपकार: मैं जानना चाहता हूं कि जिन विशेष मदों की नकद सहायता में इस समय वृद्धि की जा रही है क्या इनको जो नकद सहायता पहले दी जा रही थी उससे इनके निर्यात में वृद्धि हुई?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: जी, हां।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी: क्या यह सच है कि पाकिस्तान बोनस वाउचर के रूप में खूब निर्यात सहायता देता रहा है, और यदि हां, तो क्या इससे हमारे कुछ निर्यात किये जाने वाले

माल पर बुरा असर पड़ा है, विशेष रूप से जूट के माल पर और क्या नकद सहायता से इस दिशा में मदद मिलेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह सच है कि पाकिस्तान ने अपने बोनस बाउचरों में वृद्धि कर दी है, लेकिन हम उसका ध्यान रखते हैं और प्रतियोगी बाजारों की स्थिति पर नजर रखते हैं ।

Shri Sitaram Kesri: May I know whether there is any scheme to increase the number of our export houses which we are having to increase our exports. So that there may be competition among them and we may be able to export maximum goods?

Shri K. C. Pant: Efforts are being made to increase the number of such export houses. Punjab has initiated in this direction and efforts will be made to increase such export houses in other states also.

Shri Ishaq Sambhali: May I know whether the Hon. Minister is aware that many times questions have been asked in this House about the malpractices and the ways, and means of the exporters; keeping this in view whether the Government will consider to take the export in its own hand and to investigate strictly into the facilities given to them so far?

Shri K. C. Pant: Wherever any case of malpractice comes to our notice we will take strong steps.

Shri Tulsidas Jadhav: May I know whether it is also one of the reasons of decrease in exports that the samples shown are better but the goods sent are not of that quality? If it is so, what is the percentage of decrease in export due to this reason?

Shri K. C. Pant: Where it is so, certainly there is decrease in export. About percentage I cannot say.

Agreement between India and Canada

*964. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an agreement between the Indian High Commissioner in Canada and the Finance Minister of Canada was signed at Ottawa according to which repayment of one crore dollars has been written off; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). Yes, Sir. An agreement for writing off a sum of Canadian dollars 10.176 million was signed on 20th December, 1967. This sum was due to Canada in 1966-67 and 1967-68 on account of principal and interest against two Wheat Loans extended by Canada to us in 1958.

Shri Hukam Chand Kachwai: I would like to know whether there is any difficulty in this connection before the Government? For what reason this sum was written off?

Shri Morarji Desai: We did not ask them for this, they themselves did so.

Shri Hukam Chand Kachwai: The amount which was due to us......

Shri Morarji Desai: It was not due to us but we had to pay it.

Shri Hukam Chand Kachwai: I want to know whether we will get something else in compensation?

Shri Morarji Desai: Hon. Member has not followed the question. We had to pay for the wheat which was supplied to us by Canada but they have written off that amount.

Shri Kanwar Lal Gupta: Will the Hon. Minister be pleased to state that how much amount has been given up by other countries in this way like Canada and whether any other concession have been given by other countries to us for our industries and investment?

Shri Morarji Desai: If notice of another question is given I will certainly reply.

Shri Y. S. Kushwah; Will the Hon. Minister be pleased to state that in the amount which has been written off what is the amount of principal and what is the amount of interest?

श्री मोरारजी देसाई: असल रकम 9.428 मिलियन रुपये है तथा ब्याज 0.748 मिलियन रुपये।

श्री शंकरानन्द: मंत्री महोदय ने कहा है कि करार के अनुसार अमुक राशि बट्टे खाते में डाल दी गयी है। वे कौन सी बातें थीं जिनसे दो देशों में करार हुआ?

श्री मोरारजी देसाई: यह फिर एक विचित्र प्रश्न है। जैसा कि मैंने बताया यह एक करार करने का प्रश्न नहीं है। कनाडा ने इस राशि को हमसे वसूल करने में छूट दे दी और इसे अनुदान रूप में दे दिया। क्या मुझे यह कहना चाहिए कि मैं अनुदान नहीं चाहता?

Shri O. P. Tyagi: I would like to know whether like Canada any other country has also written off its loan if it is so, which are those countries and what is the amount written off?

Shri Morarji Desai: We have not asked for it and I have not enquired if any other country has written off.

परिवार नियोजन कार्यक्रम

*965. **श्री श्रीचन्द गोयल**: क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के केवल बुद्धिजीवी वर्गों ने ही परिवार नियोजन को अपनाया है;

(ख) क्या इससे देश में बुद्धजीवी व्यक्तियों की संख्या घट जाने की संभावना है; और

(ग) परिवार नियोजन को समाज के सभी वर्गों के लिये स्वीकार्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिये स्थायी प्रयत्न किए गये हैं। समाज के सभी वर्गों में एक छोटे परिवार के नियम की जागरूकता पैदा करने, पहले ही चल रहे विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम में सम्मिलित है। सभी वर्गों के लोगों के लिए लूप लगवाने, नसबन्दी और प्रचलित गर्भ निरोधकों की सेवायें भी उपलब्ध हैं। नमूने के तौर पर किए गये अध्ययनों से साफ पता चलता है कि निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों के लोगों में यह कार्यक्रम तेजी से फैल रहा है।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या मंत्री महोदय यह बता सकेंगे कि समाज के अनपढ़ लोगों में से कितने प्रतिशत लोगों ने परिवार नियोजन को अपनाया है?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : मैंने बहुत से आंकड़े एकत्र किए हैं, यदि आप समय दें तो मैं बताऊं?

अध्यक्ष महोदय : यदि यह विवरण काफी लम्बा है तो इसे सभा-पटल पर रख दीजिये और यदि यह छोटा ही है तो अभी पढ़ दीजिये।

डा० श्री० चन्द्रशेखर : वर्ष 1964 में आर्थिक अनुसंधान संस्था, धारवाड़ द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया जिसके द्वारा बेलगांव जिले के उन लोगों के बारे में बताया गया था जिनकी नसबन्दी की गई थी, आंकड़े इस प्रकार हैं : अनपढ़ 301, प्रतिशत 39.2; मिडिल स्कूल तक—345, प्रतिशत 45.0; उच्चतर शिक्षा—47, प्रतिशत 6.1। यदि आप और अधिक आंकड़े चाहते हैं तो मैं उन्हें सभा-पटल पर रख सकता हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं जानना चाहता हूं कि इसे समाज के सभी वर्गों को स्वीकार कराने में कितना समय लगेगा चाहे वे गांवों में रह रहे हों अथवा शहरों में अर्थात् किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : यह बताना बड़ा कठिन है। हम अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Shiv Charan Lal : May I know whether the Hon. Minister is aware that 75% of Loop insertions proved a failure and whether have you got information about such cases who have undergone operation and are lying ill? May I know whether the Hon. Minister has got any simple scheme so that the family planning may be achieved successfully?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : यदि मैं प्रश्न को ठीक-ठीक समझ रहा हूं तो जिनका आपरेशन हुआ है उनमें 99.9 प्रतिशत सफल हुए हैं और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार जो लूपों का उपयोग कर रहे हैं उनमें 75 प्रतिशत इस दृष्टि से सफल हुए हैं कि उन्होंने अभी तक लूप पहने हुए हैं।

Shri Shiv Charan Lal: I will give you the application signed by the persons who went for operation and are lying ill. They were compelled to undergo operation. Will you curb this?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कार्यक्रम में कोई जबर्दस्ती नहीं की गई है। यह ऐच्छिक है। जिन्होंने यह साधारण आपरेशन करवाया है उनमें से 35 लाख व्यक्तियों में से केवल 2 व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है और मन्त्रालय इन दो मामलों की जांच कर रहा है।

Shri Shiv Charan Lal: Mr. Speaker, I want to raise a point of order......

Mr. Speaker: No point of order can be raised in the Question Hour.

Shri Shiv Charan Lal: My question has not been replied to. The people who were forced to undergo operation are still ill at Agra.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपा करके बैठ जांय। यह बहस नहीं है।

Shri Shiv Charan Lal: I can give you the application signed by them.

Minister of Health, Family Planning and Urban Development (Shri Satya Naryana Sinha): If you have any such case before you which you are referring time and again, you may please intimate me and I shall surely investigate the case.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

धनबाद के खनन इन्जीनियरी छात्रों द्वारा अपना डिप्लोमा लेने से इन्कार

अ०सू०प्र०सं० 14. श्री समर गुह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनन इंजीनियरी तथा व्यावहारिक भू-विज्ञान के 200 छात्रों ने 17 मार्च, 1968 को धनबाद दीक्षान्त समारोह के समय अपने डिप्लोमें लेने से इन्कार कर दिया था ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन इस दीक्षान्त समारोह के मुख्य अतिथि थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन छात्रों ने खनन इंजीनियरी तथा व्यावहारिक भू-विज्ञान में 7 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त किया था ;

(घ) यदि हां, तो इन छात्रों द्वारा डिप्लोमा लेने से इन्कार किये जाने के क्या कारण थे ; और

(ङ) इन खनन छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्रवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 17-3-68 को हुए दीक्षान्त समारोह में शुरू में 123 खनन स्नातकों और 8 अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान स्नातकों ने इन्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के एसोशिएटशिप के डिप्लोमा लेने से इन्कार किया था किन्तु बाद में उसी दिन उन्हीं के निवेदन पर उन्हें डिप्लोमा दे दिये गये थे।

(ख) जी हां।

(ग) खनन इंजीनियरी और अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान के जिन पाठ्यक्रमों के लिए इन क्षेत्रों में स्कूल की ओर से एसोशिएटशिप के डिप्लोमा दिये जाते हैं उनकी अवधि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र पाने के बाद सात वर्ष न होकर पांच वर्ष है।

(घ) शुरू में डिप्लोमा लेने से इन्कार करने के लिये विद्यार्थियों ने मुख्य कारण यह बताया कि काम की दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं क्योंकि मात्र डिप्लोमा प्राप्त कर लेने से विद्यार्थी को खानों में नौकरी पाने का हक प्राप्त नहीं होता।

(ङ) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

श्री समर गुह : हमारे बेकार इंजीनियरों का प्रश्न एक बड़े कार्यक्रम का अंश है। खनन इंजीनियरी और व्यावहारिक भू-विज्ञान इंजीनियरी की विशेष शाखाएं हैं। हम सब कभी विद्यार्थी थे। दीक्षान्त समारोह का दिन सभी विद्यार्थियों के लिये सुन्दर स्वप्नों का दिन होता है और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसकी योग्यता, मान और गरिमा के लिये उसे डिग्री या डिप्लोमा के रूप में कुछ दिया जा रहा है। इसलिये जब तक विद्यार्थियों के मन में घनीभूत निराशा न हो यह नहीं हो सकता कि विद्यार्थी अपना स्वर्ण पदक और डिप्लोमा स्वीकार ही न करे। समाचार-पत्रों में बताया गया है कि विद्यार्थियों ने डिप्लोमा अस्वीकार करते हुए यह भी कहा कि इंजी-नियरिंग की दूसरी शाखाओं की तरह उन्हें खनन उद्योग में काम ढूंढने का मूलभूत अधिकार भी नहीं है क्योंकि कोई काम मिलने से पहले उन्हें कई परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि 7 साल की शिक्षा और कठोर प्रशिक्षण किस काम का है......

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये ?

श्री समर गुह : महोदय मैं अब प्रश्न ही पूछ रहा हूं। धनबाद के खनन और भू-विज्ञान के विद्यार्थियों को डिग्री और 5 वर्ष के जोरदार प्रशिक्षण के बाद भी जहां कहीं वे चाहें नौकरी ढूंढने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता ? क्या इस्पात, खान और धातु मंत्रालय के मंत्री कोई समिति नियुक्त करेंगे जो देश की खनन और भू-विज्ञान तकनीशनों की वार्षिक आवश्यकता का अनुमान लगा सके ताकि शिक्षा-संस्थाओं के दाखिले और नौकरी की संभाव्यता के बीच ठोस रूप से तालमेल बिठाया जा सके ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं पहली बात से सहमत हूं कि विद्यार्थियों में निराशा की भावना है। जहां तक खनन इंजीनियरों के रोजगार का सम्बन्ध है, इस समय खनन उद्योग में 700 स्नातकों को काम देना बाकी है। इन 700 में से 309 विद्यार्थियों ने दो वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण

पूरा कर लिया है और अब उन्हें सैकेन्ड क्लास माइनिंग मैनेजर सर्टिफिकेट परीक्षा देनी है। अभी सभी पास नहीं हुए हैं, दूसरे 391 विद्यार्थी व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जिसे पास करने के बाद उन्हें परीक्षा में बैठना है, इन 700 विद्यार्थियों को काम दिलाना है, यह चिंता हमें सता रही है। लेकिन खनन इन्जीनियर यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें सैकेन्ड क्लास माइनिंग इन्जीनियर्स सर्टिफिकेट परीक्षा में बैठना आवश्यक न हो जिसके बाद उन्हें नौकरी दी जा सकती है, इस प्रश्न पर मेरे मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय और खानों के महानिदेशक के साथ कई वर्षों तक विचार-विमर्श किया था। वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं क्योंकि खानों के महानिदेशक का कहना है कि खान प्रबन्धक बनने के लिये विशेष अर्हता का होना अनिवार्य है।

Shri Madhu Limaye : Even after taking education for seven years.

डा० त्रिगुण सेन : यही कारण है कि कई विद्यार्थी पास नहीं हो सके। हाल ही में मैंने अपने सहकर्मी श्री हाथी से विचार-विमर्श किया था। वे इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं और हम इस पर विचार कर रहे हैं। कठिनाई यह है कि इस समय सात संस्थाएं इस डिग्री की शिक्षा दे रहे हैं और इन सब संस्थाओं का स्तर एक सा नहीं है, मैं समझता हूं कि सभी संस्थाओं को इस परीक्षा से छूट देने और उन्हें पूरी मान्यता देने में कठिनाई है। यह प्रत्येक संस्था के स्तर पर निर्भर करता है और इस प्रश्न पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं।

जहां तक पेट्रोलियम इंजीनियरी कोर्स का सम्बन्ध है, केवल 20 विद्यार्थी ही लिये जाते हैं और नियोजक सामान्यत: तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, आयल इण्डिया, आसाम आयल और इण्डियन आयल कम्पनी हैं। परीक्षा पास करते ही किसी विद्यार्थी को एकदम नौकरी नहीं मिलती, 3 या 4 माह का व्यवधान होता है, मुझे सदन को सूचित करने में हर्ष होता है कि इस साल 16 विद्यार्थियों में से 14 विद्यार्थियों को इन संस्थाओं में रोजगार मिल चुका है और शेष 2 को भी एक या दो सप्ताह में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम पेट्रोलियम मंत्रालय और योजना आयोग से मालूम कर रहे हैं कि क्या हम प्रतिवर्ष 20 छात्रों को ही दाखिला दें या आगामी 5 या 7 वर्षों की आवश्यकताओं को देखते हुए छात्रों की संख्या कम कर दें।

जहां तक व्यावहारिक भू-विज्ञान का सम्बन्ध है उनकी समस्या रोजगार की नहीं है। उन्हें रोजगार मिल जाता है लेकिन वे कुछ सुविधाओं की मांग कर रहे हैं जो विश्वविद्यालयों में भू-विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को दी जाती हैं। वे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये छात्रवृत्ति चाहते हैं और उन्होंने एम० एस० सी० करने के बाद, जैसा कि दूसरे स्थानों पर दिया जाता है, 250 रु० की प्रशिक्षण वृत्ति की मांग की है। डा० कोठारी ने स्वयं इन मांगों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया है और वे इससे सहमत हैं कि इस संस्था के विद्यार्थियों को दूसरे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के समान समझा जाय। एक बात यह भी है कि उनके लिये रोजगार के और भी क्षेत्र हैं और मैं मानता हूं कि प्रोफेसरों और विभागाध्यक्षों को नियोजकों के साथ सम्पर्क बनाए रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अब मंत्री महोदय ने सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। क्या अब हम आगे चलें ?

श्री समर गुह : मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसे व्यापक उत्तर के बाद भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री नम्बियार : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री समर गुह : मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। सरकार ने स्वीकार किया है कि इस समय 80,000 इंजीनियर और डिप्लोमाधारी तकनीशन बेकार हैं। हमारे जैसे अविकसित देश में जहां इंजीनियरों और तकनीशनों के लिए बहुत अवसर हैं, विशेषतः.........

अध्यक्ष महोदय : क्या आप एक प्रति-व्याख्यान दे रहे हैं ?

श्री समर गुह : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है.........

अध्यक्ष महोदय : यदि हरेक प्रश्न की भूमिका होगी तो काम कैसे होगा ? जब कभी मैं आपको बुलाता हूं मुझे डर रहता है कि आप हर प्रश्न पर एक लम्बी भूमिका बांधेंगे। कम से कम प्रश्नोत्तर के समय आपको सीधा प्रश्न पूछने की आदत डालनी चाहिए। क्या अब आप सीधा सवाल पूछेंगे ?

श्री समर गुह : मै मतलब की बात पर आ रहा हूं। यह बड़े दुख की बात है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा होने पर भी आज 80,000 इंजीनियर बेकार हैं। इन्जीनियरों और तकनीशनों की आवश्यकता का अनुमान लगाने का काम योजना आयोग के बजाय परमाणु शक्ति आयोग, रक्षा मंत्रालय, सिंचाई और बिजली मंत्रालय, निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय, परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, संचार विभाग, असैनिक उड्डयन विभाग और रेलवे मंत्रालय को अलग-अलग सौंपा जाय ताकि उतने ही विद्यार्थियों को दाखिला दिया जा सके, जितनों के नौकरी लगने की सम्भावना हो। दूसरे, क्या उद्योग मंत्रालय एक ऐसी समिति का गठन करेगा जो उद्योगों में इंजीनियरों और तकनीशनों के रोजगार के लिए सम्पर्क स्थापित करे ? तीसरे, क्या सरकार इंजीनियरों और टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमाधारियों को और विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्रीधारियों और मेडिकल डिग्रीधारियों को बेकारी भत्ता देना शुरू करेगी ?

डा० त्रिगुण सेन : मुख्य प्रश्न खान स्कूल धनबाद से सम्बन्धित था और मैंने सविस्तार उसका उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य ने अब सामान्य प्रश्न उठाया है जिस पर इस सदन में एक बार बहस हो चुकी है और सदन को पहले ही सब आयोजनाओं और योजनाओं का पता है और कि हम उन पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार किया है, मैंने सोचा था कि मंत्री महोदय और प्रश्नकर्ता सदस्य के बीच कुछ समझौता हुआ होगा। अतः मैंने इस प्रश्न की स्वीकृति दी थी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

थाना जिले में सोना पकड़ा जाना

*963. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 मार्च, 1968 को सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों ने थाना जिले के जयी गांव में 1.3 करोड़ रुपये का सोना पकड़ा था ;

(ख) क्या तस्कर गिरफ्तार कर लिये गये हैं और यदि हां, तो कितने और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कि क्या इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों का कोई हाथ है सरकार ने जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) बम्बई के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय के अधिकारियों ने 3/4 मार्च, 1968 को जई गांव के निकट सकरी खाड़ी की तलहटी से खोजकर विदेशी मार्का का सोना बरामद किया था जिसका अन्तर्राष्ट्रीय दर से मूल्य 58,07,960 रुपए था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

मध्य प्रदेश में सतनामी हरिजन

*966. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्या और छतीसगढ़ प्रदेश में हरिजनों की सतनामी जाति की धार्मिक नेत्री (होली मदर) (श्रीमती मिनिमाता) द्वारा हाल में दी गई इस धमकी की सरकार को जानकारी है कि यदि सतनामियों की जान और सम्पत्ति का संरक्षण करने के लिये अनुचित कार्यवाही न की गई तो वह अपने 35 लाख अनुयायियों के साथ इस्लाम को अपना लेगी ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) सतनामी हरिजनों की जान और सम्पत्ति को किस प्रकार का खतरा अथवा संकट है ; और

(घ) उन क्षेत्रों में हरिजनों की दशा को उन्नत करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बिलासपुर जिले में हाल की घटनाओं में कुछ जानी तथा माली हानि हुई है। इससे स्थानीय लोगों के मनों में आशंका पैदा हो गई है ।

(घ) निम्नलिखित योजनायें चल रही हैं :

(1) शिक्षा सम्बन्धी रियायतें तथा छात्रवृत्तियां ।

(2) छात्रावास ।

(3) सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों में प्राथमिकता ।

(4) कृषि तथा लघु उद्योगों के लिये उपदान ।

(5) सिंचाई के कुएं ।

नया वेतन आयोग

*967. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेतन-वृद्धि की वर्तमान दरों तथा दूसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन की शर्तों के अन्तर्गत 1959 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-निर्धारण के बाद से अब तक रुपये के वास्तविक मूल्य में कमी पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-ढांचे पर विचार करने के लिये एक तीसरा वेतन आयोग नियुक्त करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ काय-चिकित्सक का पद

*968. **श्री एस० एम० जोशी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) सफदरजंग अस्पताल (2) लेडी हार्डिंग अस्पताल और (3) जी० बी० पन्त अस्पताल सहित इर्विन अस्पताल में 1300-1800 के ग्रेड में कितने वरिष्ठ काय-चिकित्सक, शल्य चिकित्सक आदि हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस ग्रेड में नई दिल्ली के विलिंग्डन अस्पताल में कोई वरिष्ठ काय-चिकित्सक नहीं है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विलिंग्डन अस्पताल को उपरोक्त अस्पतालों के बराबर नहीं माना जाता और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) तीन; एक सफदरजंग अस्पताल में, एक इर्विन अस्पताल तथा एक गोविन्द वल्लभ पंत अस्पताल में ।

(ख) क्योंकि विलिंग्डन अस्पताल में मेडिकल सुपरिंटेंडेन्ट 1800-2250 रुपये के उच्च वेतनमान में हैं और वह चिकित्सा परामर्शदाता हैं । इसलिए वहां एक अतिरिक्त वरिष्ठ चिकित्सक की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(ग) जी नहीं । विलिंग्डन अस्पताल तथा उपचर्या गृह में 1800-2250 रुपये के वेतनमान में एक काय-चिकित्सक तथा एक शल्य चिकित्सक हैं

रेडियो सेटों और ट्रांजिस्टरों पर उत्पादन-शुल्क में छूट

*969. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो और ट्रांजिस्टरों के निर्माण पर उत्पादन-शुल्क की पाबन्दियां लगाये जाने के कारण रेडियो और ट्राजिस्टरों के छोटे निर्माताओं और कुटीर स्तर के निर्माताओं को अपना कारोबार चलाना कठिन हो गया है ;

(ख) रेडियो के पुर्जों के मूल्यों में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए रेडियो और ट्रांजिस्टरों के निर्माण पर उत्पादन-शुल्क में और छूट देने का क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) छोटे और कुटीर स्तर के निर्माताओं द्वारा रेडियो और ट्रांजिस्टरों के निर्माण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, पर उनको केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 और सम्बद्ध केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम 1944 के उपबन्धों का, अर्थात् निर्माता-लाइसेंस प्राप्त करने, हिसाब-किताब रखने, बन्ध पत्र भरने और सेटों को स्टोर में रखने सम्बन्धी नियमों का पालन करना होता है । परन्तु इन मामलों में भी छोटे-छोटे निर्माताओं को कुछ सहूलियतें दी हुई हैं जिससे उत्पादन-शुल्क नियंत्रण सम्बन्धी दिक्कतों का उन्हें कम से कम सामना करना पड़े ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बरौनी तेल कारखाना

*970. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल कारखाने के किन्हीं तेलाशयों में गलत ढंग से तेल भरे जाने के कारण उनको साफ करना पड़ा था ;

(ख) क्या इस सफाई में तेल को पम्पों द्वारा तेलाशयों से बाहर निकालना पड़ा था; और

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में तेल बाहर निकाला गया था और उसका मूल्य कितना है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग). सरकार के पास इस समय कोई ऐसी सूचना नहीं है ।

हल्के तेल की संग्रह टँकियां वार्षिक नेमी सफाई के लिये निकाली जाती हैं और इस सफाई के परिणामस्वरूप, यदि कुछ तेल की हानि होती है, तो वह अनुमत तथ्य के अनुसार है ।

आया संग्रह टँकियों से कुछ और तेल निकाला गया था, खासतौर पर इस साल फरवरी के अन्तिम सप्ताह में, इस मामले की जांच नियुक्त जांच आयोग द्वारा करनी होगी ।

उत्तरी क्षेत्र के राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों की बैठक

*971. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 20 लाख किलोवाट बिजली की कमी रह जाने के बारे में बातचीत करने के उद्देश्य से उत्तरी क्षेत्र के राज्य की बिजली बोर्डों के अध्यक्षों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य इंजीनियरों और सचिवों की बैठक चौथी योजना के अन्त तक 20 लाख किलोवाट पावर की कमी के बारे में विचार करने के लिये हाल में नई दिल्ली में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिये उत्तरी क्षेत्र के राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों और राज्य सरकारों तथा संघीय प्रदेशों के बिजली विभाग के सचिवों की एक बैठक 5 मार्च, 1966 को हुई थी :

(1) बिजली की सप्लाई व्यवस्था ।

(2) पारेषण पथों और अन्तर्राज्यीय सम्पर्क पथों का निर्माण कार्यक्रम ।

(3) ग्राम-विद्युतीकरण की प्रगति ।

(4) बिजली के विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के लिये समान दरों को लागू करने में प्रगति ।

(5) बिजली की अन्तर्राज्यीय बिक्री के लिये दरों को निर्धारित करने के निमित्त सिद्धान्त बनाने के हेतु सिंचाई व बिजली मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई समिति के सुझाव ।

कार्यान्वित हो रही स्कीमों को शिघ्राति-शीघ्र पूरा करने के उपायों तथा नई स्कीमों पर की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया ताकि 1970-71 तक 5 लाख, 1973-74 तक 6 लाख और 1975-76 तक 15 लाख किलोवाट बिजली की अनुमित कमी को पूरा किया जा सके। यह भी निर्णय किया गया था कि अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय संपर्क-पथों को, जिनसे इस क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में बिजली का विनिमय आसान हो जायेगा, शीघ्र पूरा किया जाये और इस क्षेत्र की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों, विशेषतः पम्पों को ऊर्जित करने के काम में तेजी लाई जाए। यह भी फैसला किया गया था कि इस क्षेत्र में समान दरें लागू करने की ओर प्रथम पग के तौर पर प्रत्येक राज्य/संघीय प्रदेश में हर प्रकार की बिजली की सप्लाई के लिये समान दरों को लागू करने के उपाय अपनाए जाएं। मोटे रूप से सब सहमत थे कि बिजली की अन्तर्राज्यीय बिक्री के सम्बन्ध में सिंचाई व बिजली मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई समिति की सिफारिशों को मान लिया जाये।

कोयना बांध सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की प्रारम्भिक रिपोर्ट

*972. **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री रमानी :**
श्री नायनार : **श्री वि० कु० मोडक :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 19 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 947 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयना बांध पर हाल के भूकम्प के प्रभाव का अध्ययन करने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक रिपोर्ट का ब्योरा क्या है ;

(ख) उस रिपोर्ट पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) प्राथमिक रिपोर्ट में उस समय तक के उपलब्ध आंकड़ों को काम में लाया गया है जिस समय इनका संकलन किया गया था और इस सम्बन्ध में और अनुसंधान तथा सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। इस प्राथमिक रिपोर्ट में और अनुसंधानों के बारे में निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिये गये हैं :

(1) पश्चिमी भारत के कुछ भागों की हवाई फोटोग्राफी की जाये और स्थलाकृतिक तथा भू-पृष्ठीय अध्ययनों के लिये इस क्षेत्र में प्रथम श्रेणी का त्रिभुजन व समतलन सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जाए।

(2) लावा के प्रवाहों के भू-विज्ञान सम्बन्धी नक्शे बनाए जाएं और पश्चिमी तट के साथ-साथ गर्म चश्मों के ताप और प्रवाह का आवधिक अध्ययन किया जाये।

(3) भौकाम्पिक वक्रीभाव सम्बन्धी अध्ययनों को जारी रखा जाए और साथ ही इस प्रकार के अध्ययन पश्चिमी तट से लेकर दक्कन भूमि के पूर्वी कोने तक के क्षेत्र में भी किये जाएं।

(4) जापान में हो रहे अध्ययनों का अनुकरण करते हुए भू-चुम्बकीय अध्ययन किये जाएं।

(5) भूतकाल में आये भूकम्पों के ऐतिहासिक आंकड़े एकत्रित किये जाएं।

(6) ज्वार-भाटों को मापने का काम किया जाये।

(7) अतिरिक्त नति-मापी और शक्तिशाली भूकम्पलेखी संयन्त्र लगाए जाएं।

(8) टोकियो में जापान की औद्योगिक विज्ञानशाला में प्रारूप अध्ययन किये जाएं।

(9) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, पूना द्वारा स्थल पर हो रहे अभियान्त्रिक अध्ययनों को जारी रखा जाए और उनमें तेजी ला दी जाए।

(10) समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि बांध की मरम्मत के सम्बन्ध में उन अभियन्ताओं से सलाह की जाए जो ग्रौटिंग और ऐंकरिंग कार्य में कुशल हैं। इस उद्देश्य के लिये युनेस्को के जरिये विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं।

(ख) और (ग). सम्बद्ध मंत्रालयों और विभागों, नामशः भारतीय भू-विज्ञान संस्था, भारतीय सर्वेक्षण संस्था, भारतीय ऋतुविज्ञान संस्था और तेल व प्राकृतिक गैस आयोग से प्रार्थना की गयी है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा बताये गये आधारों पर और सर्वेक्षण व अनुसंधान कार्यों को करने के लिये आवश्यक पग उठाएं।

इस बीच जो अनुसंधान कार्य पूरे हो गए हैं अथवा पूरे होने को हैं, वे निम्नलिखित हैं :

(1) भारतीय हवाई सेना ने समिति द्वारा बताए गये क्षेत्रों की हवाई फोटोग्राफी पूरी कर ली है और छायाचित्रों की प्रतियां सम्बद्ध अधिकारियों से जांच कराने के लिये भेज दी गई हैं।

(2) टोकियो में जापान की औद्योगिक विज्ञानशाला में कोयना बांध के प्रारूप अध्ययन हो रहे हैं। यह अध्ययन रुड़की में स्थित भौकाम्पिक अभियन्त्रण स्कूल में भी हो रहे हैं। इन अध्ययनों के शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है।

(3) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसंधानशाला, पूना में हो रहे अभियान्त्रिक अध्ययन काफी हद तक पूरे हो चुके हैं।

(4) बांध को पक्का करने से सम्बद्ध समस्याओं का अध्ययन करने के लिये युनेस्को के तत्वावधान में ग्रौटिंग व ऐंकरिंग कार्य में कुशल तीन विदेशियों की सेवाएं प्राप्त की गईं।

दिल्ली की वृहद् योजना में रिहायशी घनत्व

*973. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रति एकड़ 20-25 व्यक्तियों का वर्तमान सकल रिहायशी घनत्व अथवा वृहद् योजना में उपबन्धित 1981 में इस घनत्व का अनुमान भी बम्बई तथा कलकत्ता की तुलना में अत्यधिक आबादी का सूचक नहीं है ; और

(ख) क्या इसे दृष्टि में रखते हुए दूर-दूर बस्तियां बसाने की नीति का कोई औचित्य है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) राजधानी के मध्यवर्ती क्षेत्रों, नामशः चांदनी चौक और कनाट प्लेस पार्लियामेण्ट स्ट्रीट क्षेत्रों का वर्तमान सकल आवासिक घनत्व क्रमशः 350 व्यक्ति प्रति एकड़ और 75 व्यक्ति प्रति एकड़ है। मास्टर प्लान के अनुसार चांदनी चौक क्षेत्र का घनत्व घटाकर 250 व्यक्ति प्रति एकड़ करने तथा पार्लियामेण्ट स्ट्रीट का सकल घनत्व बढ़ाकर 150 व्यक्ति प्रति एकड़ किया जाना है। बम्बई और कलकत्ता की तुलना में ये घनत्व कम हैं।

(ख) जी हां, दिल्ली की आकृति में सुधार करने, यातायात की हालत सुधारने और सन्तुलित घनत्व का आदर्श प्राप्त करने के लिये दूर-दूर बस्तियां बसाना आवश्यक है।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा रिहायशी मकानों की बिक्री

*974. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने बहुत से रिहायशी मकान आम जनता को बेचने के लिये बनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने मकान हैं तथा वे जनता को किन शर्तों पर बेचे जायेंगे ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1346 रिहायशी मकानों का निर्माण हो रहा है तथा 1220 मकानों के निर्माण की योजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है। 1000 और मकानों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। ये मकान निम्न आय वर्ग (यानी जिनकी वार्षिक आय 6000 रुपए तक है) तथा मध्य आय वर्ग (यानी जिनकी वार्षिक आय 6001 रुपए से 15000 रुपए तक है) को अलाट करने का प्रस्ताव है, जिनका दिल्ली, नई दिल्ली तथा दिल्ली छावनी में अपने नाम या उनके आश्रित

रिश्तेदारों के नाम जिनमें विवाहित बच्चे भी सम्मिलित हैं, मकान या प्लाट नहीं हैं तथा जो पिछले पांच वर्षों से लगातार दिल्ली में रह रहे हैं। इनमें से कुछ मकानों को नकद कीमत लेकर बेचने का प्रस्ताव है। इन मकानों में से बहुत से मकानों को किराया-खरीद आधार पर बेचने का प्रस्ताव है।

नर्मदा घाटी परियोजना सम्बन्धी खोसला आयोग

*975. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खोसला आयोग ने कुछ सुझाव दिये हैं जिनके अनुसार नर्मदा योजना के पूरा होने पर राजस्थान में जालौर और बाड़मेर जिलों में लगभग 8,50,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी जिसके परिणामस्वरूप 100 करोड़ रुपये के मूल्य के अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या खोसला आयोग की पूरी सिफारिशें स्वीकार की जायेंगी अथवा कोई परिवर्तन करने का विचार है ;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार से इस बारे में कोई सिफारिश प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो ये सिफारिशें क्या हैं और सरकार की इनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां। खोसला समिति ने नर्मदा परियोजना के पूर्ण होने के बाद राजस्थान के जलोर और बारमेढ़ जिलों में सिंचाई के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट किए हैं।

(ख) से (घ). केन्द्रीय सरकार, खोसला समिति के सुझावों/टिप्पणियों और राज्य सरकारों के विचारों का ध्यान रखते हुए नर्मदा जल संसाधनों के विकास के सम्बन्ध में विचार कर रही है। संबद्ध राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है ताकि इसका संतोषजनक हल निकाला जा सके।

Investment in Public Sector

*976. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any Committee has been set up to enquire into the losses suffered by the industries in the public sector ; and

(b) if so, the details thereof and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). No Committee has been set up to enquire into the losses suffered by the Public Enterprises as a whole. The working of the Public Enterprises is, however, kept under constant review for improving profitability.

पैट्रोलियम की कमी

*977. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 710 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि असैनिक डिपुओं में पिछले पांच वर्षों में पैट्रोलियम, मिट्टी का तेल, अधिक रफ्तार वाले डीजल तेल, लाइट डीजल तेल, भट्टी का तेल, मोबाइल तेल और एम० टी० ओ० की कमी दिखाई गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन डिपुओं ने इन तेलों को चोर बाजार में बेचा ; और

(ग) यदि हां, तो इन डिपुओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) जी हां।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

अमरीका से सहायता

*978. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि और अधिक अमरीकी सहायता के सम्बन्ध में अमरीका ने हाल में कुछ विशेष शर्तें रखी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विशिष्ट पूर्व-निर्धारित स्तरों के ऊपर अतिरिक्त सहायता का दिया जाना, नयी अतिरिक्त शर्तों के पूरा किये जाने पर निर्भर है। यदि ऐसी बात है तो इसका उत्तर है 'नहीं'।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

बृहत्तर कलकत्ता में महिलाओं का अनैतिक पण्य

*979. **श्री समर गुह :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बृहत्तर कलकत्ता के क्षेत्रों में महिलाओं के अनैतिक पण्य में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी रिपोर्टों के बारे में कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) महिलाओं के अनैतिक पण्य को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से इस मामले के तथ्य मांगे गए हैं । उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

भूतपूर्व कांग्रेस प्रधान, श्री कामराज के आयकर का निर्धारण

*980. **श्री कंवरलाल गुप्त :**
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या वित्त मंत्री भूतपूर्व कांग्रेस प्रधान श्री कामराज के आयकर के निर्धारण के बारे में 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2588 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को किस प्राधिकारी ने यह परामर्श दिया है कि परिलब्धियों की कीमत पर जिनको धन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कर नहीं लगाया जा सकता ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने प्राधिकारी की किन विषयों पर राय मांगी थी और प्राधिकारी द्वारा दी गई राय का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विधि मंत्रालय ।

(ख) **प्रश्न जिस पर सलाह मांगी गई थी :**

क्या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा श्री कामराज को दी गई कार तथा फर्नीचर सहित बिना भाड़े के बंगले की सुविधा के मूल्य पर कर लग सकता था ?

विधि मंत्रालय की राय का ब्योरा :

(1) धारा 17 के खंड (2) और (3) के उपबन्धों में, वेतन के बदले सुविधा और लाभों की परिभाषाएं स्पष्ट बताती हैं कि लाभ वेतन की ही भांति कर लगने योग्य हैं यदि इनकी व्यवस्था अथवा अदायगी निर्धारिती के लिये नियोजक द्वारा की गई हो । श्री कामराज कर्मचारी नहीं थे । अतएव श्री कामराज को दी गई सुविधा वेतन की भांति आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15 और 17 के अनुसार, कर लगने योग्य नहीं है ।

(2) चूंकि ये सुविधाएं तथा बिना भाड़े का आवास ऐसे अनुलाभ नहीं है जिनका रुपये में विनिमय किया जा सके, इसलिए ये आय के रूप में कर लगने योग्य नहीं हैं ।

Assistance to States for Welfare of Tribals and Harijans

*981. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the basis on which assistance is given by the Central Government to the various States under centrally sponsored programmes for Tribal and Harijan welfare; and

(b) the assistance given by Government to the various States in 1967-68 for the said programme and the assistance proposed to be given in 1968-69 and the propriety thereof in each case?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b). This information was supplied to the House in answer to Unstarred Question No. 2772 on the 4th March, 1968.

कैंसर का उपचार

*982. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैन्सर के 1800 क्यूरी कोवाल्ट 60 उपचार से अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सेठ वाडी लाल साराभाई अस्पताल, अहमदाबाद के अतिरिक्त इस सुविधा को देश के अन्य अस्पतालों में भी उपलब्ध किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो किस समय तक तथा किन-किन स्थानों पर ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) कोवाल्ट बीम थेरापी के प्रयोग से सन्तोषजनक परिणाम निकले हैं ।

(ख) और (ग). देश के विभिन्न भागों में बाईस कोवाल्ट 60 एकक हैं । जैसे-जैसे और एकक उपलब्ध होंगे उन्हें आवश्यकता के अनुसार विभिन्न स्थानों पर लगा दिया जाएगा ।

गण्डक परियोजना

*983. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा धन न दिये जाने के कारण गण्डक परियोजना का काम रुक गया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस परियोजना का काम स्थगित किये जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित धन कब उपलब्ध किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) गण्डक परियोजना पर कार्य बिल्कुल नहीं रुक गया किन्तु अपर्याप्त धन के कारण कार्य गति उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए थी।

(ख) जी, हां।

(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में परियोजना की कार्यगति में तेजी लाने के लिए इस वर्ष और धन दिया जा रहा है।

अपंजीकृत चिकित्सक

*984. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपंजीकृत चिकित्सकों को एलोपैथिक डाक्टरों के रूप में मान्यता देने और उनका नाम पंजीकृत करने और उन्हें रोगियों का इलाज करने के लिए कुछ छोटा-मोटा चिकित्सा कार्य करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव के प्रति अपनी सहमति दे दी है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा यह प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जायगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) अभी नहीं।

(ख) बहुत सी राज्य सरकारों से उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) इस विषय में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की कार्यकारिणी समिति की 19 अप्रैल, 1968 को होने वाली बैठक में विचार किए जाने का प्रस्ताव है। आगे कार्यवाही वहां हुए निर्णय को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

गंगा नदी की घाटी में छिद्रण कार्य

*985. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गंगा नदी घाटी में 34 महीनों में 3 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से 5,000 मीटर के 5 कुएं खोदने का अनुमान तैयार किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वास्तव में लगभग 27 महीनों में 2 करोड़ 37 लाख रुपये की लागत से दो कुएं खोदे गये थे जो अनुमानित लागत से दुगुनी लागत थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ठेके का काम न किये जाने के कारण ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां।

(ख) 2.73 करोड़ रुपये की लागत से दो कुएं व्यधित किये गये।

(ग) इन क्षेत्रों में अवभूमि, भूगर्भीय और व्यधन परिस्थितियों के सूक्ष्म ज्ञान के बिना, व्यधन-अवधि के प्रारम्भिक कल्पित अनुमान बहुत कम पाये गये। ठेकेदारों की ओर से कोई मुख्य अपराध नहीं था। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। परन्तु पहले कुएं की खुदाई में कुछ देरी और रिग आदि के यातायात में भी देरी करने के कारण ठेकेदार से 50,000 अमरीकी डालर तथा 4,30,000 रुपये वापिस लिये गये।

बिजली की समान दरें

*986. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री शम्भू नाथ:

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में औद्योगिक और कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली की समान दरें करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय कर लिये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-680/68]

गोआ में उर्वरक कारखाना

*987. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन तथा अमरीका के सहयोग से गोआ में एक उर्वरक उद्योग समूह स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस समय इस मामले की क्या स्थिति है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). प्रतिवर्ष 340,000 मीटरी टन यूरिया के उत्पादन के लिए अमरीका के मेसर्स अमीर

एण्ड कम्पनी के सहयोग से गोआ में एक उर्वरक संयन्त्र की स्थापना के लिए मेसर्स **बिरला** ग्वालियर प्राइवेट लि० के पास एक औद्योगिक लाइसेन्स है ।

कुल परियोजना लागत 66 मिलियन डालर अनुमानित है; (जिसमें से विदेशी मुद्रा का अंश 35.5 मिलियन डालर और रुपयों का 32.5 मिलियन डालर है) ।

(ग) फर्म ने एक पुनरीक्षत वित्तीय योजना भेजी है ; जो सरकार के परीक्षाधीन है ।

सरकारी उपक्रमों में तकनीकी व्यक्तियों की भर्ती

5798. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों में तकनीकी व्यक्तियों को भर्ती करने का माध्यम क्या है; और

(ख) यदि इसके लिये संघ लोक सेवा आयोग को छोड़कर कोई और चयन बोर्ड बना हुआ है तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सरकारी प्रतिष्ठानों के लिये, प्रबन्ध-सम्बन्धी सर्वोच्च पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों से भिन्न तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा स्वयं अपने भर्ती के नियमों के अनुसार की जाती है । लेकिन, कुछ निर्दिष्ट सीमाओं से ज्यादा वेतन वाले तकनीकी पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है ।

केन्द्रीय मंत्रियों पर पानी और बिजली का खर्च

5799. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर, 1967 को समाप्त होने वाले छः महीनों में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के प्रत्येक मन्त्री पर नामवार पानी और बिजली के शुल्क के रूप में कितना-कितना धन व्यय किया गया ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मंत्रीमंडल के मंत्रियों (केबिनेट मिनिस्टर्स) के निवास स्थानों में 30 सितम्बर, 1967 को समाप्त हुए छः माही में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पानी तथा बिजली के ठीक-ठीक प्रभार के रूप में किये गये प्रभार का निकटतम रुपये की राशि का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-681/68]

सम्पदा शुल्क

5800. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी मृत्यु 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले दस वर्षों में हुई है और जिन पर सम्पदा शुल्क लगाना चाहिये और जिनमें से प्रत्येक ने एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक रुपये सम्पदा शुल्क के रूप में दिये हैं;

(ख) कितनी राशि बकाया है और उनके नाम क्या हैं जिन्होंने राशि नहीं दी तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

मध्य प्रदेश में छोटी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

5801. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई की उन बड़ी तथा छोटी योजनाओं का विशेषता मध्य प्रदेश में जिनके लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति अभी नहीं मिली है ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मध्य प्रदेश की कोई भी बड़ी सिंचाई स्कीम स्वीकृति के लिये नहीं पड़ी है । जिन मध्यम स्कीमों को अभी स्वीकृति नहीं दी गई है उनका विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-682/68]

गोदावरी बांध परियोजना

5802. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी बांध परियोजना के बारे में आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा जून, 1967 में भेजे गये परियोजना प्रतिवेदन पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) इस परियोजना को मंजूर करने में और कितना समय लगेगा; और

(ग) आगामी वार्षिक योजना में तथा प्रस्तावित चौथी योजना में केन्द्रीय सहायता के रूप में इस परियोजना के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तकनीकी जांच पूरी हो चुकी है । कृषि विशेषज्ञों के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग). अगली वार्षिक योजना में किसी राशि का बन्दोबस्त नहीं किया गया है । स्कीम की स्वीकृति और चौथी योजना में दी जाने वाली धनराशि चौथी योजना पर निर्भर करती है जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

आन्ध्र प्रदेश में गांवों में बिजली की व्यवस्था

5803. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में 1967-68 में गांवों में बिजली लगाने के बारे में आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया योजना प्रतिवेदन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना को कब तक मंजूर किए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश में 1967-68 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी स्कीम आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से मई, 1967 में प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने बोर्ड से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् स्कीम की जांच कर ली है। अब इस स्कीम पर तदर्थ समिति की अगली बैठक में विचार किया जाएगा। यह तदर्थ समिति इस समय तकनीकी सलाहकार समिति के कार्य की देखभाल करती है।

अनुसूचित आदिम जातीय क्षेत्रों का विकास

5804. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अनुसूचित आदिम जातीय क्षेत्रों का अधिक विकास करने के बारे में केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) अनुसूचित आदिम जातियों के लोग वास्तव में कितनी भूमि पर खेती करते हैं;

(ग) क्या खेती योग्य भूमि का व्यापक सर्वेक्षण करने तथा उन्हें उस भूमि के पट्टे देने जिसके वे स्वामी हैं अथवा जिसे उन्होंने खेती योग्य बनाया है, का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) अनुसूचित आदिम जातियां तथा अनुसूचित क्षेत्र के आयोग की सिफारिश के अनुसार नीति यह है कि आदिम जातीय विकास खण्ड कार्यक्रम के जरिए अनुसूचित तथा आदिम जातीय क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज किया जाय।

(ख) से (घ). अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जातियां आयोग की रिपोर्ट की अध्याय 11 में संगत सूचना उपलब्ध है। भूमि का नियतन राज्य विषय होने के कारण, अखिल

भारतीय सर्वेक्षण किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । स्थानीय कानूनों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य सरकारें समय-समय पर पट्टे देती हैं ।

उड़ीसा में परिवार नियोजन केन्द्र

5805. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में इस समय कितने परिवार नियोजन केन्द्र चल रहे हैं ; और

(ख) वर्ष 1968-69 में इस राज्य में ऐसे कितने केन्द्र खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर): (क) उड़ीसा के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इस समय क्रमशः 231 और 53 परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र चल रहे हैं ।

(ख) कोई नहीं ।

उड़ीसा में आदिम जातीय खण्ड

5806. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य में इस समय आदिम जातीय खण्डों की संख्या कितनी है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : 75

उड़ीसा का भूकम्पीय सर्वेक्षण

5807. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हाल ही में कोई भूकम्पीय सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में राज सहायता प्राप्त गृह-निर्माण योजना के लिये धन का नियतन

5808. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1966 से अब तक राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

के अन्तर्गत उड़ीसा में कुल कितने मकान बनाये गये;

(ख) गत तीन वर्षों में इस प्रयोजन के लिये उड़ीसा के लिये कुल कितने धन का नियतन किया गया;

(ग) क्या 1968-69 में इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में ऐसे और मकान बनाने की योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) उड़ीसा में 1 अप्रैल, 1966 से लेकर 31 दिसम्बर, 1967 तक इस योजना के अन्तर्गत (अब औद्योगिक कर्मचारियों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर समुदाय के लिये एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के नाम से जानी जाती है) 164 मकान बने थे ।

(ख) उड़ीसा सरकार को पिछले तीन वर्षों में (1965-66 से लेकर 1967-68 तक) इस योजना के अन्तर्गत 15.49 लाख रुपये की राशि दी गयी है ।

(ग) और (घ). सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना एक अनवरत योजना है तथा इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की परियोजनायें स्वीकृत करने का प्राधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया है । 1968-69 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में 9.00 लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । इस योजना के अन्तर्गत 1968-69 के दौरान स्वीकृत हुई परियोजनाओं का ब्योरा राज्य सरकार से इस वर्ष की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपलब्ध हो जायेगा ।

जिला न्यायाधीश, दिल्ली के कार्यालय से रिकार्ड गुम हो जाना

5809. **श्री द० रा० परमार** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4198 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) क्या गैर-कानूनी बेदखली और जिला न्यायाधीश, दिल्ली के कार्यालय से आदेशों और निर्णय के रिकार्ड गुम होने के बारे में जांच की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-** 683/68]

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली में ठेकेदारों द्वारा निष्पादित कार्य

5812. **श्री द० रा० परमार : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली में ठेकेदारों द्वारा किये गये काम को पूरा न दिखाये जाने के बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1962 से लेकर आज तक, वर्ष-वार, उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कलकत्ता में प्रेसीडेंसी सर्जनों की सूची में चर्म विशेषज्ञों (चिकित्सकों) का शामिल किया जाना

5813. **श्रीमती उमा राय : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में प्रेसीडेन्सी सर्जनों की सूची में कौन-कौन चर्म विशेषज्ञ चिकित्सक हैं;

(ख) क्या कलकत्ता के प्रेसीडेन्सी सर्जनों की सूची में एक भी ऐसा गणमान्य चर्म विशेषज्ञ नहीं जो कलकत्ता स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसन अथवा एस० एस० एम० अस्पताल, कलकत्ता से सम्बन्धित हो ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा गया है तथा उससे प्राप्त होने पर सूचना सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

विदेशी पूंजी

5814. **श्री किरुतिनन : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में भारत में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कुल कितनी विदेशी पूंजी लगाई गई है;

(ख) सरकारी क्षेत्र में कितनी पूंजी लगाई गई है तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी; और

(ग) सम्बद्ध देशों द्वारा कितनी-कितनी विदेशी पूंजी लगाई गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). जितनी सूचना उपलब्ध है उतनी सूचना देने वाला एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-684/68**]

ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल जनित्र सेट

5815. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरस्थ क्षेत्र में डीजल जनित्र सेट स्थापित करने के लिये निजी पूंजी को आकर्षित करने और इस प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के किसी प्रस्ताव की सरकार ने जांच की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्वामित्व वाले डीजल बिजलीघर लगाने तथा बिजली की निजी वितरण व्यवस्था उचित समझती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). डीजल सैटों से उत्पन्न बिजली की लागत के अधिक होने, लम्बे-लम्बे वितरण पथों और उन पर कम भार होने तथा कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिये कम दरों पर बिजली देने के कारण ग्राम विद्युतीकरण के लिए गैर-सरकारी डीजल जनित्रों और पारेषण/वितरण प्रणालियों का प्रचालन लाभकारी नहीं होता। गैर-सरकारी लाइसेंसधारियों का तो सामान्यतः एक ही सिद्धान्त होता है कि उनको लाभ पहुंचे, अतः वे डीजल सेटों से प्रचालित ग्राम-विद्युतीकरण स्कीमों को अपने हाथ में लेने के लिये रुचि नहीं दिखाएंगे क्योंकि व्यापार के मानकों को यदि ध्यान में रखा जाये तो ऐसी स्कीमें लाभकारी नहीं होतीं। ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं और धन की उपलब्धता के अनुसार इन स्कीमों की प्रगति में तेजी लाई जा सकती है।

गोल मार्केट, नई दिल्ली के इलाके में सरकारी क्वार्टर

5816. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्केट के इलाके में ऐसे शेष सरकारी क्वार्टरों के भी गिराये जाने की सम्भावना है जिन्हें अभी रहने के लिये सुरक्षित समझा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) क्या वहां निकट भविष्य में टाईप 4 के दुमंजिले सरकारी फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां उनमें से कुछ।

(ख) और (ग). इस क्षेत्र में दो मंजिले फ्लैट नहीं बनाए जा सकते क्योंकि मास्टर प्लान में निर्धारित घनत्व को प्राप्त करने के लिये बहुमंजिला निर्माण आवश्यक होगा। 1968-69 के वित्तीय वर्ष के दौरान, कम से कम गिराये जाने की आवश्यकता वाले सुविधाजनक स्थानों में बहुमंजिले फ्लैट जिनमें टाईप IV शामिल हैं, का निर्माण करने के लिए प्लान विचाराधीन हैं।

श्री आर० के० रुइया के शेयर

5817. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री आर० के० रुइया के कितने शेयरों का धनकर हेतु बाजार भाव पर इस आधार पर निर्धारण किया गया कि वे शेयर, शेयर बाजार में बेचे जा सकते थे तथा कितने शेयरों का निर्धारण उनके कम्पनीवार मूल्य के आधार पर किया गया था ;

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि इनके प्रबन्धक अभिकर्ता, मैसर्स रामनारायण एण्ड सन्स के शेयरों का मूल्य बाजार में नहीं बताया जाता था, जबकि रुइया फर्मों के शेयरों का, जो मैसर्स रामनारायण एण्ड सन्स के पास थे, और जिनका मूल्य बाजार में बताया जाता था, तथा जो बाद में परिवार के सदस्यों में बांट दिये गये थे ;

(ग) जिन शेयरों का मूल्य बाजार में बताया जाता था और जिनका मूल्य नहीं बताया जाता था, अर्थात् जो प्रबन्धक अभिकर्ता फर्म के पास थे, उनका ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या एक संसद सदस्य द्वारा सरकार को भेजे गये पत्र में लगाये गये आरोपों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन निर्धारणों पर पुनर्विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पुनर्विचार का क्या परिणाम रहा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) श्री आर० के० रुइया का कर-निर्धारण दोनों प्रकार से किया जाता है। व्यक्ति के रूप में तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता के रूप में।

दोनों मामलों में, कर-निर्धारण वर्ष 1962-63 के कर-निर्धारण के सम्बन्ध में बाजार मूल्य पर कर-निर्धारण किये गये शेयरों का विघटित मूल्य पर कर-निर्धारण किये गये शेयरों के साथ जो अनुपात था वह नीचे दिया गया है :

	बाजार मूल्य पर कर-निर्धारण	**विघटित-मूल्य पर कर-निर्धारण**
एक व्यक्ति की हैसियत में	44	56
हिन्दू अविभाजित परिवार	33	67

(ख) जी, हां।

(ग) प्रबन्धक एजेन्टों के पास 37 कम्पनियों के हिस्से थे। इनमें से 32 कंम्पनियों के हिस्सों के भाव बाजार में लगते थे और 5 कम्पनियों के हिस्सों के भाव बाजार में नहीं लगते थे। बाजार में भाव लगने वाले हिस्सों के अधिग्रहण का मूल्य 32.65 लाख रुपये था तथा 31-12-1962 को बाजार में लागू मूल्य 49.54 लाख रुपये। जिन हिस्सों का बाजार में मूल्य नहीं लगता था उनके अधिग्रहण का मूल्य 8.90 लाख रुपये था तथा 31-12-1962 को उनका विघटित मूल्य 9,68,030 रुपए था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) श्री आर० के० रुइया के मामले में निर्धारण सही है, और कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य मामलों पर विचार किया जा रहा है और ऐसे निर्धारणों में कार्यवाही की जायेगी जिनमें शेयरों का मूल्य बाजार भाव अथवा विघटित मूल्य से कम लगाया गया है।

श्री रुइया की ओर बकाया धन कर की राशि

5818. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के श्री आर० के रुइया ने धन कर लागू होने के वर्ष में अपने जेवरात का मूल्य घोषित किया था और प्रति तीन वर्षों में समय-समय पर उसमें परिवर्तन किया ;

(ख) यदि हां, तो प्रारम्भिक वर्ष में यह मूल्य कितना था और उसके बाद जब-जब उसमें परिवर्तन किया गया, तो उसका मूल्य कितना-कितना था ;

(ग) क्या प्रारम्भिक वर्ष में घोषित किये गये मूल्य और अन्तिम वर्ष में घोषित किये गये मूल्य में 1.16 लाख रुपए का अन्तर है और आयकर आयुक्त द्वारा नियुक्त किए गए मूल्यांकक ने उसका कितना मूल्य आंका है ;

(घ) क्या गलत घोषणा करना और समय-समय पर मूल्य में परिवर्तन न करना अपराध है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके विरुद्ध कार्यवाही न की जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). धन-कर निर्धारण लागू किये जाने के प्रारम्भिक वर्ष, अर्थात् 1957-58 में बम्बई के श्री आर० के० रुइया ने हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता की हैसियत से धन-कर विवरणी दाखिल की थी जिसमें उन्होंने अपने समस्त परिवार के जवाहिरातों का मूल्य 15 लाख रुपए घोषित किया था। उसके बाद, उनके परिवार में आंशिक विभाजन हो गया और कर-निर्धारण वर्ष 1958-59 से श्री रुइया ने दो अलग-अलग विवरणियां दाखिल करनी शुरू कर दीं—पहली एक व्यक्ति की हैसियत में और दूसरी हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता के रूप में। श्री रुइया ने एक व्यक्ति की हैसियत में

1958-59 से धन-कर की जो विवरणियां दाखिल कीं उनमें उनके जवाहिरात का मूल्य निम्न प्रकार से घोषित किया गया है :

कर-निर्धारण वर्ष	जवाहिरात का मूल्य
1958-59	2,50,000 रुपये
1959-60	2,18,000 ,,
1960-61	2,50,000 ,,
1961-62	2,50,000 ,,
1962-63	2,50,000 ,,
1963-64	2,50,000 ,,
1964-65	2,50,000 ,,
1965-66	3,09,000 ,,
1966-67	2,89,000 ,,
1967-68	2,89,000 ,,

(ग) जवाहिरात की जो विभिन्न वस्तुएं श्री रुइया द्वारा एक व्यक्ति की हैसियत से दाखिल की गई धन-कर की विवरणियों में नहीं दिखाई गई थीं, उनका मूल्य 1.16 लाख रुपये होता है। यह मूल्यांकन आयकर आयुक्त द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा किया गया था।

(घ) यदि कोई व्यक्ति धारा 14 अथवा धारा 23, अथवा धारा 26 में उल्लिखित तसदीक में जान बूझकर झूठी तसदीक करता है अथवा उसकी सत्यता जाने बगैर ही तसदीक कर देता है तो उस पर धन-कर अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है।

(ङ) धन की कर लगने से बची रकम का कर-निर्धारण करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। कानून की व्यवस्था के अनुसार दाण्डिक कार्यवाही भी की जायगी।

Purchase of Defence Equipment from France

5819. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it has been brought to the notice of Government that Air Marshal Engineer had deposited a huge sum in foreign currency in a foreign country in the name of one of his relatives some time back, when he went to France for the purchase of defence equipments from the Government of France ; and

(b) if so, the action taken in the matter?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai); (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Utilisation of Funds Allocated to Maharashtra During 1967-68

5820. **Shri Deorao Patil.** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the funds allocated to Maharashtra State for the year 1967-68 in the Plan have been fully utilized ; and

(b) if not, the extent of shortfall with the break-up thereof under different heads?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) From the figures of likely expenditure reported by the Government of Maharashtra it appears that, except for a small shortfall of about Rs 21 lakhs, the entire Central assistance of Rs 33 crores allocated to the State for the Annual Plan of 1967-68 is expected to be fully utilized.

(b) The shortfall in expenditure is in respect of Koyna and Bagh Projects to the extent of about Rs 40 lakhs.

Prices of Commodities

5821. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that different prices are charged for same articles in various markets of the Capital and thus the customers are cheated ; and

(b) if so, the steps taken by Government to solve this problem?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : Some variation in prices is bound to be there on account of the transport and other distribution costs. Insofar as essential commodities are concerned, powers for fixing maximum prices etc. have been delegated under the Essential Commodities Act, to the State Governments and local administrations. Prices of some articles of common consumption are regulated informally with the co-operation of manufacturers. In order to keep the public at large informed of prevailing prices in various markets, prices of important consumer goods are broadcast by the All India Radio daily.

इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड

5822. **श्री भगवान दास :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री पी० राममूर्ति : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड में 1967 में कुल कितने यूरोप के देशों के निवासी नियुक्त किये गये और उन्हें कुल कितनी राशि वेतन आदि के रूप में दी गई ;

(ख) भुगतान किस प्रकार किया जाता है ;

(ग) क्या स्टर्लिंग के अवमूल्यन के बाद उन कर्मचारियों के वेतन में कमी हो गई थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) स्टर्लिंग के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप उनको कुल कितनी अतिरिक्त राशि दी गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड में 1967 में नियुक्त, यूरोप के देशों के निवासियों की संख्या 16 थी। उन्हें वेतन आदि के रूप में दी गई राशि 9.29 लाख रुपये थी।

(ख) रुपयों में बैंक ड्राफ्ट के रूप में।

(ग) जी हां, इन कर्मचारियों के वेतन में कमी की गई थी।

(घ) स्टर्लिंग के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप उनको कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी गई।

Amjhore Pyrites Project

5823. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the detailed project report in respect of Amjhore Pyrites Project was ready in 1960-61 but Government accorded approval only in January, 1965 and whether production has started there and if not, the reasons therefor ;

(b) whether it is also a fact that the management of the project was changed many times ; and

(c) whether there has been an annual loss of foreign exchange to the tune of 5 crores of rupees as there was no production even after many years due to mis-management and if so, the steps being taken by Government to improve the management there ?

The Minister of state in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) The detailed project report was first prepared in May 1961, but it had to undergo two revisions, once for reducing the production capacity and for the second time for changing the mining method. The revisions were considered necessary as this was the first project of its kind in the country involving heavy financial outlay with very few parallels in the world. The project is scheduled to commence commercial production during the fourth quarter of the current year (1968).

(b) No. Since the creation of the whole-time post of Managing Director in 1964, there has been one change only in the incumbent. The change was made in the exigencies of service.

(c) Pyrites are intended to substitute sulphur for the manufacture of sulphuric acid. As such, the question of any loss of foreign exchange does not arise. The project has not yet gone into commercial production in view of the peculiar and difficult mining conditions and the delay in the procurement of suitable mining machinery from abroad. A proposal to strengthen the management of the Company in view of the expanding operations is under the consideration of the Government.

द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन

5824. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के दौरान विदेशी मुद्रा गलत व्यक्तियों के पास न पहुंचे इसके लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को विदेशी मुद्रा की चोर-बाजारी के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाए गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास संघ-11 के प्रसंग में विदेशी मुद्रा की चोर-बाजारी के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। विदेशी मुद्रा को गलत व्यक्तियों के हाथ में जाने से रोकने के सम्बन्ध में जो सामान्य उपाय अपनाए गये हैं, उनके अलावा दलालों (टाउट्स) और विदेशी मुद्रा का जाल-चक्र चलाने वाले ज्ञात व्यक्तियों पर अधिक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा, दलालों द्वारा अवैध रूप से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की कोशिशों को विफल करने के लिए और संयुक्त-राष्ट्र व्यापार विकास संघ के प्रतिनिधियों को विदेशी मुद्रा विनिमय की पर्याप्त सुविधाएं देने के लिये सम्मेलन-स्थल पर तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर मुद्रा-विनिमय के काउंटर खोल दिये गये थे।

Municipal Limits of Ghaziabad

5825. **Shri Prakash vir Shastri :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the time by which the part of the city across the Railway line in Ghaziabad which is called Bhood, would be included in the Municipal limits ;

(b) whether it is a fact that the said part of the city has not been developed so far and that place remains very unhygienic, as it does not come under the municipality ; and

(c) when a final decision is likely to be taken in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B.S. Murthy) : (a) and (c). The area is proposed to be developed by the Ghaziabad Improvement Trust. It is likely to take at least 2-3 years before the land required for the purpose is acquired and connected by roads etc. to the existing municipal area. Thereafter the question of including the area in the Municipal limits of Ghaziabad will be considered by the State Govt.

(b) Yes. Due to non-availability of pucca roads, drainage and sewerage services, the existing arrangements for sanitation are inadequate.

Village Panchayat and Municipal Election in U.P

5826. **Shri Prakash vir Shastri :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any date has been fixed for holding municipal and village panchayat elections in U. P.;

(b) if so, whether all the necessary arrangements have been completed ; and

(c) when a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). No date has been fixed for village panchayat and municipal elections which are not due to be held in summer this year. Elections to Municipal Corporations will, however, be held in April-May, 1968, and all arrangements required for that purpose have been completed.

आय की अधिकतम सीमा नियत करना

5827. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि यदि एक से दस के अनुपात से आय की अधिकतम सीमा नियत कर दी जाती है तो सरकार को कितनी आय होगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Smuggling of Pulses etc. to Pakistan

5828. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that thousands of maunds of foodgrains, gram, pulse, maize, baisan were smuggled to Pakistan from border districts of Rajasthan and Gujarat after the removal of all the border check-posts on orders issued by Rajasthan Government ;

(b) if so, the reasons therefor and the period for which these check-posts were removed ; and

(c) whether Government have investigated into the matter and if so, the details thereof?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) As far as the Government are aware there is hardly any smuggling of foodgrains, grams, pulses, maize or baisan to Pakistan from the border districts of Rajasthan and Gujarat and no border check-post has been removed by the Rajasthan Government.

(b) and (c). Do not arise.

Dental Treatment

5829. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that neither the targets fixed for dental treatment in the three Five Year Plans have been achieved nor the amount allotted has been fully utilised ; and

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the schemes which are being formulated by Government to make arrangements for dental treatment in this connection and for providing employment to the dentists ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). There was no provision for dental

treatment in the First Plan. In the Second Plan a sum of Rs. 1·5 crore was provided for the opening of 340 Dental Clinics, as a Centrally Sponsored scheme with 75% Central assistance. In the absence of matching provision by the States, only 70 such clinics could be opened. During the Third Plan, the scheme was purely in State Sector and very few clinics were opened.

(c) The Fourth Plan for the Health Section is under formulation.

पश्चिम जर्मनी को केरल से भेजी गई युवतियां

5831. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964 में निर्मला सेवक दल नामक संस्था ने केरल से 240 युवतियों का एक जत्था पश्चिम जर्मनी में भेजा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे सब लड़कियां नाबालिग थीं तथा उनकी वर्तमान दशा बहुत ही खराब है और वे सब वापिस घर आना चाहती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा पटल-पर रख दी जायेगी ।

River Valley Schemes in Madhya Pradesh

5832. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work of River Valley schemes which was in progress in Indore, Bhopal and Devas Districts of Madhya Pradesh by the Central Government, would now be started in Mandsour District ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Irregularities Committed by District Boards in Uttar Pradesh in Purchase of Materials

5833. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received complaints regarding the irregularities committed by the Distriet Boards in Uttar Pradesh in purchasing material for various programmes ;

(b) if so, the details thereof, district-wise ;

(c) whether it is also a fact that the Accounts of District Boards are being audited by Special Auditors in the State; and

(d) if so, the number of District Boards whose Accounts have been audited and names of such Districts?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

Memo from Delhi Village Welfare Association Badli (Delhi)

5834. **Shri Nihal Singh:**
Shri Balraj Madhok:

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum recently from the Delhi Village Welfare Association, Badli, Delhi-42;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the action taken by Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) A letter dated 2nd March, 1968 has been received from the Delhi Dehat Kalyan Samiti Badli, Delhi-42.

(b) The Delhi Dehat Kalyan Samiti has demanded that:—

(1) Fertile land lying acquired and un-utilised in Delhi villages may be given to villagers for cultivation.

(2) All Gram Sabha cultivable land lying idle may be given to villagers for cultivation.

(3) The Harijans, labourers and land-less persons of villages may be allotted Gram Sabha land or acquired land for houses or 'Gher and Gitwar'.

(4) The above demands may be accepted by the Government by the 2nd week of April, otherwise all un-utilised acquired land/Gram Sabha land would be forcibly occupied by the villagers in the 2nd week of May.

(c) The land finally acquired upto 31-12-1967 has already been allotted/allocated to various Government Departments/Semi Government Departments/Institutions etc. and the question of its allotment for cultivation to villagers does not arise. For obtaining Gram Sabha land the Samiti should approach village-Panchayats under whose control it vests.

Under the scheme of 'Large Scale Acquisition, Development and Disposal of land' in Delhi, 15% of the plots, released under the low income residential schemes of the Delhi Development Authority are reserved for allotment to Scheduled Castes/Tribes at reserve price. They are also free to participate in draw of lots or auction for the plots exceeding 125 sq. yds. in area.

Government cannot allow any one to forcibly occupy any Government land and action under the law will be taken against those who try to do so.

नई दिल्ली में सब्जी विक्रेता

5835. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदरसा, सफदरजंग, नई दिल्ली में बहुत से सब्जी तथा फल विक्रेताओं को, जो वर्ष 1957 से यह कारोबार कर रहे हैं, वहां पर अपना कारोबार जारी रखने से रोक दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के अधिकारी उन्हें यदाकदा तंग करते रहते हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें कहीं अन्यत्र जगह देने का है, ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). मदरसा सफदरजंग पर सब्जी और फल विक्रेता वहां 1957 से नहीं अपितु पिछले तीन या चार वर्ष से ही अपना व्यापार कर रहे हैं। क्योंकि वे अनधिकृत रूप से बैठे हुए हैं। इसलिये वे जब भी वहां बैठे मिलते हैं नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारी उन्हें उठा देते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ये अनधिकृत बैठने वाले वैकल्पिक स्थान पाने के अधिकारी नहीं हैं।

दिल्ली में अतिथि गृह

5836. **श्री स० कुण्डू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सहित सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के दिल्ली में कितने अतिथि गृह हैं और उनमें कितने बिस्तर हैं ;

(ख) वर्तमान बिस्तरों और वर्षवार ब्योरे सहित गत तीन वित्तीय वर्षों में बिस्तरों का अनुपात क्या है ; और

(ग) इन अतिथि गृहों के निर्माण पर कितना धन व्यय किया गया था और वर्षवार ब्योरे सहित गत तीन वित्तीय वर्षों में भोजन पर व्यय सहित इन अतिथि गृहों के देखभाल पर कितना व्यय हुआ ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

Opening of Medical College in Bilaspur (Madhya Pradesh)

5837. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a proposal to open a Medical College in Bilaspur District (Madhya Pradesh) in the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the location thereof; and

(c) when it will be opened?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) and (b). The Government of Madhya Pradesh propose to start a Medical College at Bilaspur.

(c) There is no indication yet as to when the College will start functioning.

Loan by Calcutta Banks to a firm

5838. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two Indian Banks located in Calcutta have given financial help or loan to a firm (party) for a residential multi-storeyed building constructed at Middleton Road, Calcutta in which the Regional Managers of the said Banks have been given luxurious accommodation in the said building on a nominal rent;

(b) if so, whether the permission of Reserve Bank is required for sanctioning loans for residential buildings in the said manner by Banks; and

(c) if so, whether the permission was granted therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai): (a) According to practices and usages customary among bankers, information relating to the accounts of individual constituents is not divulged.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Narmada Water Project

5839. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have requested the Central Government to give financial assistance for the expansion of Narmada Water Project;

(b) if so, the nature thereof and the extent of assistance sought; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The Government of Madhya Pradesh had asked for special financial assistance of about Rs. 200 crores for some major and medium irrigation projects, including projects in the Narmada basin.

(b) and (c). The request will be kept in view while formulating the Fourth Five Year Plan.

Expenditure on Water and Electricity in respect of Ministers

5840. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state the amount incurred on water and electricity charges in respect of each Minister in the Central Government since November, 1967 till date?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): Bills for water and electricity charges are received from the Local Body concerned generally 2—3 months late. Information upto 31st March, 1968 will be collected and will be laid on the Table of the House in due course.

हरियाणा और पंजाब सरकारों के कब्जे में चंडीगढ़ के भवनों का देय किराया

5841. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को पंजाब और हरियाना सरकारों की ओर से, उन सरकारों को किराये पर दी गई सरकारी इमारतों का कितना-कितना किराया दिया जाना शेष है;

(ख) उस धनराशि को प्राप्त करने के लिए उस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने क्या प्रयास किये हैं ; और

(ग) अनुमानतः किस तारीख तक वह धनराशि वसूल हो जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) हरियाणा तथा पंजाब सरकार को सुलभ किये गये भवनों के लिए मूल नियमावली 45-वी के अन्तर्गत उनसे विभागीय प्रभार सहित किराये की वसूली की जा सकती है।

(ख) और (ग). इन सरकारों से भवनों के सम्बन्ध में किराया मुख्य आयुक्त, चंडीगढ़ के द्वारा निकाला जायेगा तथा वसूल किया जायेगा। उनसे सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

व्यास-सतलुज सम्पर्क परियोजना

5842. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यास-सतलुज सम्पर्क परियोजना के कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) मूल अनुमानों से अधिक परियोजना व्यय में कितनी वृद्धि हो जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) व्यास-सतलुज सम्पर्क परियोजना को 1973-74 तक पूर्ण होना अनुसूचित है, किन्तु धन की कमी के कारण इसमें देरी हो सकती है।

(ख) पहले यह अनुमान था कि ब्यास-सतलुज सम्पर्क परियोजना की लागत 96.67 करोड़ रुपए होगी। अब रुपए के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप इस पर 110 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हो सकता है कि मजदूरी और निर्माण सामग्री के मूल्यों के सामान्यतः बढ़ जाने से और अर्जित भूमि के आवर्द्धित मुआवजे के कारण इसकी लागत और बढ़ जाए।

स्वर्गीय डा० लोहिया की चिकित्सा

5843. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय डा० लोहिया का आपरेशन करने के लिए कनिष्ठ सर्जन लगाए गए जबकि वरिष्ठ सर्जन पास खड़े देखते रहे ; और

(ख) एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ की चिकित्सा कनिष्ठ सर्जनों के हाथ में देने के क्या कारण थे।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) यह आपरेशन वरिष्ठ स्टाफ सर्जन और स्टाफ सर्जन ने मिलकर किया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में बिड़ला बन्धुओं को रियायती दरों पर बिजली का दिया जाना

5844. **श्री रवि राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 7 मार्च, 1968 को 'पेट्रियाट' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को सप्लाई किए जाने वाले डीजल से उत्पादन शुल्क हटाने के लिए सहमत हो गई, ताकि बिजली बोर्ड बिड़ला बन्धुओं को रियायती दरों पर बिजली सप्लाई कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को उत्पादन शुल्क सम्बन्धी रियायत इसलिए दी गई थी कि बिड़लाओं की मदद की जा सके। वस्तुस्थिति यह है कि लगातार तीन वर्ष तक राजस्थान में वर्षा न होने के कारण गांधी सागर बांध पानी से भरा नहीं था, जिसका विद्युत पैदा करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और एक आपात स्थिति आ खड़ी हुई। दैनिक मांग 20 लाख यूनिट थी, जबकि बिजली की सप्लाई केवल 8 लाख यूनिट तक सीमित थी। राजस्थान सरकार ने बिजली की सप्लाई को बढ़ाने के लिए गैस टरबाइन जनरेटर चालू करने का सोचा, जिससे राजस्थान में उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

परिशोधित डीजल तेल की अधिक लागत (शुल्क के 482.85 रु० मिलाकर 690 रु० प्रतिकिलोलीटर) के कारण जनरेटर चलाना लाभकर नहीं था, इसलिए राजस्थान सरकार ने आठ महीनों की उस अवधि के लिए काम में आए परिशोधित डीजल तेल पर शुल्क की छूट पाने के लिए निवेदन किया, जिस अवधि में बिजली की सप्लाई में सुधार होने की आशा थी। भारत सरकार के कहने पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा गैस टरबाइन जनरेटर चलाने में प्रयुक्त परिशोधित डीजल तेल पर अप्रैल से जुलाई 1967 तक की चार महीनों की अवधि के लिए उस पर लगने वाले मूल उत्पादन-शुल्क में 55 प्रतिशत की रियायत मंजूर की। यह रियायत उन सभी उद्योगों को बिजली की अस्थायी कमी की स्थिति से पार पाने के उद्देश्य से दी गई थी जिन्हें राजस्थान बिजली बोर्ड द्वारा बिजली सप्लाई की जाती थी।

गंगा के दूषित जल का प्रभाव

5845. **श्री रवि राय :**

श्री सीताराम केसरी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 मार्च, 1968 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिहार के मुंगेर नगर में गंगा जल के दूषित होने के घातक परिणामों के कारण छः व्यक्ति मारे गए तथा 12 अन्य व्यक्ति दस्त, वमन तथा पेट की पीड़ा से पीड़ित हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से इसके कारणों की जांच करवाई है ; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले और उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। वैसे राज्य सरकार ने बाद में इस समाचार का खण्डन कर दिया था।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

बम्बई में सोने का पकड़ा जाना

5846. **श्री रविराय :**

श्री राम चरण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मार्च, 1968 के "पैट्रियाट" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिमी तट में निरोधक एजेन्सी द्वारा लगभग 1.05 करोड़ रुपये का सोना बम्बई के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने पकड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या तस्कर व्यापारियों का पता लगा लिया गया है और उनका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। समाचार में विदेशी मार्का का 59,000 तोला (न कि 50,000 तोला) सोना पकड़े जाने का उल्लेख है जो बम्बई केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता-कार्यालय के अधिकारियों ने 3/4 मार्च 1968 को थाना जिले में जई गांव के निकट सकरी खाड़ी की तलहटी से खोज निकाला था। इस सोने का अन्त-र्राष्ट्रीय दर से मूल्य 58,07,960 रु० था।

(ख) अभी तक कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है। मामले की जांच-पड़ताल जारी है।

Meeting of the Committee of National Buildings Organisation

5847. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the Committee of the National Buildings Organisation was held in Delhi on the 6th March, 1968 for the utilisation of plastic products in the building industry ; and

(b) if so, the points discussed in the said meeting and decision taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes:

(b) The following points were discussed :—

(i) Introduction of new plastic products in building construction on an experimental basis.

(ii) Formulation of standard specifications for the plastic building materials which are manufactured in the country and have scope for economic use in buildings.

(iii) Drawing up a curriculum to be adopted for the training of artisans in the proper utilisation of plastic plumbing and other sanitary fixtures.

The following decisions were taken :—

(i) In order to identify the problems—administrative and technical—which stand in the way of the wide use of plastics in plumbing and to determine the steps needed to obviate such problems, it was decided to hold a 'get-together' meeting of all concerned interests in Delhi, in the first instance.

(ii) To draw up a suitable programme for the training of artisans so that proper installation of plastics plumbing and other sanitary fittings is assured.

(iii) To instal plastic of plumbing fittings on an 'experimental' basis in a few buildings.

(iv) In order to ensure the manufacture and use of only quality goods, the Indian Standards Institution would prescribe standards for the plastic products which are being accepted for use in the construction industry.

अधिक आयकर देने वाले करदाता

5848. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रयोजन का कोई प्रस्ताव मिला है कि आय-कर अधिकारियों को ऐसे करदाताओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिनका अधिकांशत: आयकर राजस्व में अंशदान होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। सरकारी लेखा समिति की सत्रहवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में यह भी एक है।

(ख) आय कर आयुक्तों को इस सम्बन्ध में पहले से ही आदेश जारी किये जा चुके हैं कि कम्पनी तथा वर्ग के कम्पनी-भिन्न सभी मामलों में (अर्थात् 25,000 रुपये से अधिक की आय वाले व्यवसायिक मामलों में) 31 मार्च, 1969 तक के सारे कर-निर्धारण उस तारीख तक पूरे हो जाने चाहिए।

मद्रास में कैंसर निरोध प्रायोगिक परियोजना

5849. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से मद्रास में कैंसर निरोध प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर कितना व्यय होगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) . विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से मद्रास में एक कैंसर नियंत्रण मार्ग-दर्शी परियोजना आरम्भ करने का एक समझौता विचाराधीन है। इसके ब्योरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

मिट्टी का तेल

5850. **श्री राम चरण** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966-67 और 1967-68 में पृथक-पृथक प्रत्येक राज्य के लिये मिट्टी के तेल के व्यापारी मैसर्स राधा कृष्ण विमल कुमार को मिट्टी के तेल के कितने टैंक दिये गये थे ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Kerosene Oil for West Bengal

5851. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the monthly quota of kerosene oil in tonnes allotted to West Bengal and Madras during 1966-67 ;

(b) the actual quantity of kerosene oil supplied to West Bengal, Madras and Uttar Pradesh during 1966-67 ; and

(c) whether Government propose to supply to Uttar Pradesh on the same basis quantity of kerosene oil in 1967-68 as is proposed to be supplied to West Bengal and Madras ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) :

	M. Tonnes
(a) West Bengal	23,000 per month from April, 66 to September, 66. 23,400 per month from October, 66 to March, 67.
Madras including Pondicherry	20,200 per month from April, 66 to September 66. 21,700 per month from October, 66 to March, 67.

(b) The figures below indicate the actual sales of kerosene in the States of West Bengal, Madras and Uttar Pradesh during the year 1966-67. The supplies, particularly from July, 66 onwards, were regulated in accordance with the seasonal fluctuations in demand, which was met in full :

	M. Tonnes
West Bengal	217,586
Madras	235,205
Uttar Pradesh	207,320

(c) Till the end of February, 1968 no changes were made in the State-wise kerosene allocations which were last revised in October, 1966. A uniform increase for all States has been made in the kerosene allocations effective from 1.3.68.

सालाल पन-बिजली परियोजना

5852. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जम्मू और काश्मीर राज्य में सालाल पन-बिजली परियोजना आरम्भ करने के बारे में कार्यक्रम तैयार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना धन व्यय होगा ; और

(ग) इससे कुल कितनी बिजली पैदा होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सलाल पन-बिजली परियोजना के निर्माण के कार्यक्रम पर इस परियोजना के कार्यान्विनार्थ स्वीकार होने के पश्चात् ही विचार किया जायेगा ।

(ख) और (ग). अनुमानित लागत और उत्पन्न की जाने वाली कुल बिजली के ब्योरे का पता तब चलेगा जब स्कीम रिपोर्ट तैयार हो जायेगी ।

सरकारी कर्मचारियों को बारी के बिना क्वार्टरों का दिया जाना

5853. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को बारी के बिना क्वार्टरों का आवंटन किये जाने पर भूतपूर्व निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री ने जो प्रतिबन्ध लगाये थे, उनको वर्तमान मंत्री ने हटा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने ऐसे मामलों पर विचार किया है, जिनमें क्वार्टर आवंटित करने की मंजूरी दे दी गई थी परन्तु बारी के बिना क्वार्टर आवंटन करने पर भूतपूर्व मंत्री द्वारा रोक लगा दिये जाने के कारण वे लोग क्वार्टरों से वंचित कर दिये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले थे और अब तक उनमें से कितने मामलों में क्वार्टरों का आवंटन किया जा चुका है और क्या आवंटन के मामले में उनको नये आवेदकों से कोई प्राथमिकता दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जो पहिले आवंटन किये जा चुके हैं उनमें से किसी का भी पुनरीक्षण अथवा रद्द नहीं किया गया । कदाचित् सदस्य महोदय उन मामलों का हवाला दे रहे हैं जिन्हें बगैर पारी के आवंटन स्वीकार कर दिया गया था किन्तु जब रोक लगी हुई थी तब उन्हें पूरा नहीं किया जा सका । ऐसे मामलों का पुनरीक्षण नहीं किया गया क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी जिसे अभी भी बगैर पारी के आवंटन की आवश्यकता है वे निर्धारित रीति से विचारार्थ अपना आवेदन भेज सकते हैं ।

(ग) और (घ). (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

Import of Kerosene Oil

5854. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the names of countries other than U.S.S.R. with whom the Indian Oil Corporation has concluded or propose to conclude agreements for the import of Kerosene oil and the terms of those agreements ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : No contract has been concluded with any country other than U.S.S.R. for import of kerosene by Indian oil Corporation during 1968.

बरौनी तेल शोधक कारखाना

5855. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने की बीस लाख टन की वार्षिक क्षमता को बढ़ाकर 30 लाख टन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रूस के तेल तथा उद्योग उपमंत्री बरौनी तेल शोधक कारखाने की क्षमता 30 लाख टन से अधिक बढ़ाने की सम्भावना का अध्ययन करने के लिये फरवरी, 1968 के अन्तिम सप्ताह में बरौनी गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान सुविधाओं में अनुवर्ती विस्तार, जिनमें चार नये संग्रह टैंक शामिल हैं, के सहित प्रतिवर्ष एक मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल परिष्कृत करने की क्षमता वाला एक अतिरिक्त वायुमण्डलीय आसवन यूनिट (Atmospheric Distillation Unit) स्थापित किया जा रहा है । स्कीम के चालू वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की आशा है और इस पर 2.76 करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

(ग) जी नहीं । रूस के उपमंत्री का दौरा बरौनी शोधनशाला के विस्तार से सम्बन्धित नहीं था ।

(घ) (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

जोर बाग, नई दिल्ली के निकट कर्बला अलीगंज बस्ती

5856. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जोर बाग, नयी दिल्ली के निकट कर्बला अलीगंज बस्ती में वर्षा ऋतु में बरसाती नालियों में पानी रुका रहने के कारण उनमें मच्छर पैदा होते हैं और अन्य बीमारियां फैलती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं । बरसाती नालियों में वहां पानी रुका हुआ नहीं रहता है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

भूतलिंगम समिति का प्रतिवेदन

5857. **श्री म० ला० सोंधी :**

श्री वेणी शंकर शर्मा :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कर ढांचे को सरल तथा युक्तियुक्त बनाने के बारे में भूतलिंगम समिति ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ख) इनको क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). प्रत्यक्ष कर कानूनों के युक्ति-संगत तथा सरल बनाने के बारे में श्री भूतलिंगम् की प्रथम अन्तरिम रिपोर्ट के सम्बन्ध में, अतारांकित प्रश्न संख्या 3320 के उत्तर में 7-12-1967 को सदन की मेज पर एक विवरण-पत्र रखा गया था, जिसमें रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की सूची दी गयी थी तथा, उन पर की गई कार्यवाही का भी उल्लेख किया गया था। तब से, वार्षिकी जमाओं की समाप्ति सार्वजनिक भविष्य निधि की स्थापना तथा अर्जित और अनर्जित आमदनियों के बीच के भेद को हटाने के साथ-साथ (उक्त विवरण-पत्र की मद I और II में उल्लिखित) उच्चतर खण्डों में आय तथा धन पर आयकर तथा धन कर की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में रिपोर्ट की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं तथा, 1968-69 के बजट भाषण में बताये अनुसार उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्री भूतलिंगम् की अन्तिम रिपोर्ट पर सरकार द्वारा ध्यानपूर्वक विचार तथा पूर्ण अध्ययन किये जाने तथा माननीय सदस्यों, विशेषज्ञ निकायों एवं जनता की राय जानने के बाद निर्णय किये जाएंगे।

तथापि, अन्तिम रिपोर्ट में उन मामलों पर दिये गये कुछ सुझावों को जिन पर सरकार पहले ही विचार कर रही थी तथा जिनसे कर के ढांचे में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत नहीं थी, कुछ यथावश्यक परिवर्तनों के साथ वित्त विधेयक 1968 द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ये सुझाव, साधारण लाभांशों के अधि-वितरण के संदर्भ में देशी कम्पनियों पर 'लाभांश कर' की समाप्ति, वेतन भोगी कर-दाताओं की मालिकी की सवारी गाड़ियों के रख-रखाव तथा टूट-फूट पर होने वाले व्यय के लिये मानक कटौतियों के निर्धारण, तथा किराये पर चढ़ाये गये मकान के वार्षिक मूल्य का हिसाब लगाने के सभी मामलों में, सम्पत्ति के सम्बन्ध में लगने वाले सभी स्थानीय करों की कटौती के बारे में है।

इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि रिपोर्ट में दी गयी अन्य सिफारिशों को किस हद तक तथा कब कार्यान्वित किया जा सकेगा।

खाई जाने वाली गर्भनिरोधक औषधियों का प्रचार

5858. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खाई जाने वाली गर्भनिरोधक औषधियों का राज्यों

में प्रचार करने के लिये अग्रिम परियोजनाओं की क्रियान्विति सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) इस परियोजना का ब्योरा क्या है और इस नये कार्य के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) क्या इस वर्तमान योजना से लूप कार्यक्रम को समाप्त किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर): (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। क्योंकि ये परियोजनाएं वर्तमान लूप कार्यक्रम के साथ-साथ ही चलाई गई हैं और ऐसे केन्द्रों में स्थापित की गई हैं जहां लूप सेवाएं और उसके बाद की आवश्यक देख-भाल की सेवाएं उपलब्ध हैं, इसलिए उनके लिए अलग धन-राशि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) जी नहीं। लूप कार्यक्रम का पहले की तरह ही प्रचार किया जा रहा है। ऐसी प्रेरित स्त्रियों को जो किसी कारण से लूप को स्वीकार करने में असमर्थ है, उन्हें प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शन के आधार पर खाने वाली गोलियां दी जा रही हैं।

विवरण

खाने वाली गर्भरोधक औषधियों की मार्गदर्शी परियोजनाएं

कुछ नगर और ग्रामीण केन्द्रों में, जहां इस समय लूप कार्यक्रम चल रहा है, सहायक कार्यक्रम के रूप में और परीक्षात्मक और प्रदर्शनात्मक आधार पर, खाने वाली गर्भरोधक औषधियों का प्रचार किया गया है। इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं, जैसे :

(1) इन औषधियों को खाने वाली महिलायें भली प्रकार प्रेरित महिलायें होंगी जो किसी एक या दूसरे कारण से लूप स्वीकार न कर सकी हों।

(2) अन्य भली प्रकार से प्रोत्साहित महिलाएं, जो गर्भरोधक के साधन के रूप में खाने वाली गोलियों को ही सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहती हों।

मार्गदर्शी परियोजनाओं का उद्देश्य यह है कि समानता, शिक्षा और आर्थिक स्थिति के अनुसार, विभिन्न वर्गों की महिलाओं पर खाने वाली औषधियों को अपनाने और प्रयोग के परिणाम का मूल्यांकन किया जाए।

जहां-जहां मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू की गई हैं, वे स्थान निम्नलिखित में से चुने गये हैं :

(1) राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों के अधीन वे परिवार कल्याण नियोजन क्लीनिक जिनके अधीन ग्रामीण और नगरीय क्लीनिक हैं।

(2) क्लीनिक और अन्य मेडिकल संस्थान जिनमें परिवार नियोजन क्लीनिक कार्य कर रहे हैं और जिनमें देख-भाल के लिये कर्मचारी नियुक्त हैं।

(3) वे जिला अस्पताल जिनमें ऐसे परिवार नियोजन क्लीनिक काम कर रहे हैं जिनके पास प्रसार शिक्षक सहित सभी कर्मचारी नियुक्त हो चुके हैं ।

(4) नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र जिनमें पूरे समय काम करने वाले परिवार नियोजन कर्मचारी नियुक्त हो चुके हैं ।

(5) ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र जिनमें एक महिला डाक्टर सहित अच्छे परा-चिकित्सा कर्मचारी नियुक्त हैं और जिनमें देखभाल की पूरी सेवाएं उपलब्ध हैं ।

विद्युत जनन संयंत्र, दुर्गापुर

5859. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर के छटे विद्युत जनन एकक के न बनने से पश्चिमी बंगाल को बिजली की भारी कमी का सामना करना होगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि मन्दी के पश्चात् बिजली की कमी के कारण राज्य के औद्योगिक विकास में बाधा न पड़े क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). इस समय पश्चिम बंगाल राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं । पश्चिम बंगाल राज्य की भावी मांगों को पूरा करने के लिए, चन्द्रपुरा में 120 मैगावाट के दूसरे यूनिट, संतालडीह में 120-120 मैगावाट के दो यूनिट तथा दुर्गापुर में 120 मैगावाट के एक और यूनिट के प्रतिष्ठापन के लिये स्कीमों की आवश्यकता है । उपर्युक्त परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के उद्देश्य से वित्तीय संसाधनों को ढूंढ़ने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । इसकी स्पष्ट तसवीर चौथी योजना के तैयार हो जाने के बाद ही सामने आयेगी ।

आय-कर की बकाया राशि

5860. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 तक आयकर की कुल कितनी राशि वसूल करनी शेष थी ;

(ख) सहायक अपीलीय आयुक्त तथा न्यायाधिकरण के समक्ष कितनी राशि के सम्बन्ध में अपीलें दायर की गई हैं ;

(ग) संरक्षणात्मक निर्धारण (प्रोटेक्टिव असैसमेंट) के रूप में कितनी राशि निर्धारित की की गई है ;

(घ) अपीलों में दी गई छूट के फलस्वरूप कितनी राशि का समायोजन करना बाकी है ;

(ङ) कितनी राशि को बट्टे खाते में डालने का निर्णय किया गया है ;

(च) कितनी राशि तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया है ; और

(छ) उपरोक्त भाग (घ) से (च) के उत्तर में बताई गई राशि को छोड़ देने के बाद कितनी शुद्ध राशि वसूल की जानी शेष है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 566.96 करोड़ रुपये। चालू वर्ष में की गई 155.71 करोड़ रुपये की मांग भी इस रकम में शामिल है जिसमें से 75.46 करोड़ रुपये की मांग 31-12-67 को अदायगी योग्य नहीं हुई थी।

(ख) अपीलीय सहायक आयुक्तों तथा न्यायाधिकरण के पास पेश अपीलों में विवादग्रस्त रकम के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि अपीलों के निर्णय होने तक कुल 31.62 करोड़ रुपये की रकम की वसूली स्थगित रखी गई है।

(ग) एहतियातन कर-निर्धारण के तौर पर किये गये कर-निर्धारणों की जो रकम 31-12-1967 को बकाया रकम में शामिल की गई है, वह 5.49 करोड़ रुपया है।

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, अपीलों में दी गई राहत के कारण जिस रकम का समायोजन होना बाकी है, वह संभवता अधिक नहीं होगी।

(ङ) बट्टेखाते में डालने के लिए कोई निर्णय नहीं किया गया है। किन्तु, अनुमान है कि जो लोग भारत छोड़ कर चले गये हैं उनसे वसूल होनी बाकी रकम (5.56 करोड़ रु०), समाप्त हो रही कम्पनियों से प्राप्य रकम (4.95 करोड़), कर की रकम को कम करने के सम्बन्ध में दायर अनिर्णीत याचिकाओं में 1.40 करोड़ रुपये की रकम ग्रस्त है और अन्य वसूल नहीं होने योग्य रकमें, अनुमानतः 26.06 करोड़ रुपये की हैं। कुल मिलाकर ये रकमें 37.97 करोड़ रुपये की है जिन्हें अन्ततः बट्टेखाते में डालना पड़ सकता है।

(च) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(छ) भाग (क) में दर्शाई गई 566.96 करोड़ रु० की कुल बकाया में से, 31-12-67 तक अदायगी-योग्य नहीं हुई रकम को घटा देने के बाद वसूल होने योग्य रही शुद्ध रकम और ऊपर (ख), (ग) और (ङ) में दर्शाई गई रकम 416.42 करोड़ रुपये होगी।

आय-कर अपीलें

5861. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 तथा 1966-67 में कलकत्ता, बम्बई, बिहार तथा आसाम में आयकर सहायक अपीलीय आयुक्तों के समक्ष की गई अपीलों में कुल कितनी राशि विवाद-ग्रस्त थी ;

(ख) उक्त अवधि में इन मामलों में सहायक अपीलीय आयुक्तों द्वारा सहायता के रूप में कितनी राशि की अनुमति दी गई ; और

(ग) न्यायाधिकरणों के समक्ष की गई अपीलों में कितनी राशि विवाद-ग्रस्त थी और उक्त अवधि में उपरोक्त स्थानों के लिये कितनी सहायता मंजूर की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) 1965-66 और 1966-67 के दौरान पूरे किये कर-निर्धारणों और अपीलीय सहायक आयकर आयुक्तों के समक्ष दायर की गई और उनके द्वारा निपटाई गई अपीलों की स्थिति इस प्रकार है :

	कलकत्ता		**बम्बई**	
	65-66	66-67	65-66	66-67
पूरे किये गये कर-निर्धारणों की संख्या	3,04,103	3,24,743	4,95,054	3,55,077
अपीलीय सहायक आयुक्तों के समक्ष दाखिल की गई अपीलों की संख्या	25,466	30,081	16,440	16,547
अपीलीय सहायक आयुक्तों द्वारा निपटाई गई अपीलों की संख्या	18,637	24,431	13,009	19,337

	बिहार और उड़ीसा		**आसाम**	
	65-66	66-67	65-66	66-67
पूरे किये गये कर-निर्धारणों की संख्या	91,712	1,01,672	34,284	45,374
अपीलीय सहायक आयुक्तों के समक्ष दाखिल की गई अपीलों की संख्या	13,167	14,876	2,745	4,213
अपीलीय सहायक आयुक्तों द्वारा निपटाई गई अपीलों की संख्या।	11,206	15,482	1,852	3,016

अपीलीय सहायक आयुक्तों द्वारा निर्णीत अपीलों में विवादग्रस्त आय/कर की कुल रकम के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। इस सूचना को एकत्रित करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा और एक बड़ी संख्या में, अर्थात् कोई एक लाख से भी ऊपर फाइलों की, छान-बीन करनी पड़ेगी। प्राप्त परिणाम, लगने वाले समय और श्रम के अनुरूप नहीं होंगे।

(ख) अपीलीय सहायक आयुक्तों द्वारा कर में दी गई राहत की रकम के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। सूचना एकत्र करके सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ग) सन् 1965-66 और 1966-67 के दौरान उल्लिखित स्थानों में न्यायाधिकरण के समक्ष जो अपीलें की गई थीं उनमें दायर ग्रस्त आय/कर की रकम के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। इस सूचना को एकत्रित करने में काफी समय और श्रम लगेगा और 15 हजार से अधिक फाइलों की छान-बीन करनी पड़ेगी। परिणाम लगने वाले श्रम के अनुरूप होने की आशा नहीं है। तथापि, उल्लिखित स्थानों पर उपर्युक्त अवधि में न्यायाधिकरण द्वारा कर में दी गई राहत की रकम के बारे में सूचना सम्बन्धित आयुक्तों से इकट्ठी करके सदन की मेज पर रख दी जायगी।

सिनेमागृहों का आय-कर निर्धारण

5862. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग के जी० आई० आर० में कुल कितने सिनेमागृह हैं तथा उन्होंने निर्धारण वर्ष 1965-66 और 1966-67 में कितना-कितना आयकर, अधिकर तथा निगम कर आदि दिया था ;

(ख) क्या उपर्युक्त वर्षों सम्बन्धी कर-निर्धारण अभी पूरा नहीं हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कितने सिनेमाघर निजी व्यक्तियों और फर्मों के हैं और कितने पब्लिक अथवा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्र करने के परिणाम इस कार्य में लगने वाले समय और श्रम के अनुरूप नहीं होंगे।

India's Sterling Balances

5863. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the position of our sterling balances in foreign countries on 15th August, 1947; and

(b) the names of those countries and the present position of those balances ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). On the 15th August, 1947, the foreign balances of the Reserve Bank of India amounted to about Rs. 1,019.78 crores after excluding Pakistan's share of these assets and the payment due

to the U. K. Government on account of Sterling pensions liability and for the purchase of defence stores. On 29.2.68, India's foreign exchange reserves abroad amounted to Rs. 363.7 crores and were held in U.S.A., U.K., West Germany and other countries.

Social Welfare Organisation

5864. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the names of prominent social welfare organisations in the country to which grants are paid and the amount paid during the last two years to each with full particulars ; and

(b) whether Government have received complaints about the misuse of these grants ; and

(c) if so, the details thereof and action taken thereon ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guba) : (a) A statement showing the names of prominent Social Welfare Organisations and the amount of grants paid to each by the department of Social Welfare during the last two years, **viz,** 1966-67 and 1967-68, is laid on the Table **[Placed in Library. See No. LT-685/68.]**

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Expenditure on Major Irrigation Schemes

5865. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred so far on the Major Irrigation Schemes in the various States and the details of areas brought under irrigation thereby ;

(b) the return on the expenditure incurred on these projects and whether any profit is being earned from these projects and if so, the details thereof ; and

(c) whether the State Governments have a common policy or separate policies in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The total expenditure on major irrigation projects to end of 1967-68 is anticipated to be of the order of Rs. 1,170 crores. Area brought under irrigation by these projects is of the order of 12.6 million acres.

(b) Statement of financial returns for the year 1963-64 compiled by the Central Water and Power Commission from the data received from the State Governments and the project authorities have been placed in the Parliament Library.

(c) The State Governments have a common policy of charging for water supply for irrigation. The water rates, however, are different in different States.

Family Planning Devices

5866. **Shri Onkar Lal Bohra ;** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the annual expenditure incured on the purchase of family planning devices and the names of countries from which they are being purchased and the terms thereof; and

(b) whether any scheme for the manufacture of family planning devices under the Indian system of medicine is under consideration of Government?

Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrashekhar): (a) A statement indicating the required information is enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-686/68]**

(b) No such scheme is under consideration of the Government for the present. Certain recipes for family planning under the Indian systems of Medicine are, however, being investigated.

गुरुद्वारों, मस्जिदों और मन्दिरों को करों से छूट

5867. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों को कोई कर नहीं देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार को उनसे प्रतिवर्ष कितना कर मिलता है तथा इन मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों की भारत में अस्तियां कितनी-कितनी हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी हां। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार, ट्रस्ट के कब्जे में पूर्णतया धर्मार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखी गई सम्पत्ति से होने वाली आय के जिस अंश का उपयोग इन प्रयोजनों के लिए किया जाता है, वह अंश कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है और इस तरह उस पर कर नहीं लगाया जाता। यही नहीं किसी धार्मिक संस्थान द्वारा प्राप्त दान की वे रकमें जिनका उपयोग एकमात्र धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिये ही किया जाता है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 के अन्तर्गत कुल आय में शामिल नहीं की जाती है और इस तरह उन पर कर नहीं लगता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

समुत्थानोद्दीपन (पम्प प्रिमिंग)

5868. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना से सरकार की वित्तीय नीति "समुत्थानोद्दीपन" (पम्प प्रिमिंग) की रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस नीति को समाप्त करने का है और यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

घटिया किस्म के कोयले से इंधन तेल

5869. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में भारी मात्रा में पाए जाने वाले घटिया किस्म के कोयले से हाइड्रोजनीकरण की प्रणाली द्वारा ईंधन तेल तैयार करने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है तथा इसका क्रियान्विति सम्बन्धी कार्य-क्रम क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रक्रिया ईंधन तेल के उत्पादन के लिए बहुत मंहगी बताई जाती है किन्तु फिर भी इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है।

Rehabilitation of Jhuggi-Dwellers in Delhi

5870. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of jhuggi-jhopris proposed to be shifted outside Delhi and New Delhi ;

(b) the number of jhuggi-jhopri dwellers removed from their old places and shifted to new places so far ;

(c) the amount of total assistance per family or per head provided by Government ; and

(d) the special facilities provided to the jhuggi-jhopri dwellers at new places ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) About one lakh families. The eligibles amongst them i. e. those who had squatted on Government and public lands prior to the 31st July, 1960, are to be taken to regular colonies planned for them in Delhi and the ineligibles (post-july, 1960 squatters) are to be taken to areas on the periphery of Delhi.

(b) About 46,000 squatter families. Out of these, ahout 23,000 families have been shifted to regular colonies. The remaining 23,000 ineligible families were either dispersed or shifted to sites at Nangloi, Hastsal and Seema Puri.

(c) Families shifted to regular colonies have either been allotted plots of 80 square yards or 25 square yards each, estimated to cost Rs. 2,200/- and 1,000/- respectively. According to the existing policy ineligible squatter families are not entitled to alternative accommodation under the Jhuggi Jhopri Removal Scheme. However, some cost on shifting such families to Nangloi, Hastsal and Seema Puri has been incurred but has not yet been worked out.

(d) The regular colonies are provided with basic amenities such as roads, water supply, community latrines and street lighting. In addition, school and medical facilities are also provided in these colonies. The areas, to which the ineligibles are shifted, are generally to be provided with drinking water and community latrines.

Shifting of Factories from Motia Khan, Delhi

5871. **Shri Shashibhushan Bajpai:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the site to which the factories from Motia Khan, Delhi are being shifted;

(b) whether facilities would be provided to the persons shifting their factories to other new sites; and

(c) the expenditure likely to be incurred on the development of Motia Khan and the amount allocated therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) Most of the industries functioning in the Motia Khan area are such as can be regrouped and accommodated under flatted factories. Others, which cannot be so accommodated have to be shifted to developed industrial estates. According to the draft zonal development plan for the Motia Khan zone, an area of about 14 acres is to be developed for flatted factories.

(b) Services like roads and lanes, water supply, sewerage and storm water drainage, street lighting and other community facilities and amenities are provided in the industrial estates where developed land is made available for shifting the factories.

(c) The draft zonal development plan for Motia Khan is still under consideration and the work on preparation of estimate and provision of funds therefor will be undertaken after the plan has been finalised.

Factories on Najafgarh Road, Delhi

5872. **Shri Shashibhushan Bajpai:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of factories on Najafgarh Road, Delhi proposed to be demolished by Government for which licences have already been issued as service industries under Delhi Development Authority's Plan, but whose demolition has been stopped on the intervention of the Lt. Governor; and

(b) the details thereof with the reasons for proposed demolition?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) It is understood from the Delhi Administration, the Delhi Development Authority and the Municipal Corporation of Delhi that there is no case of any licensed factory on Najafgarh Road, the proposed demolition of which may have been stopped on the intervention of the Lt. Governor.

(b) Does not arise.

Plan to set up Industries on Mathura Road

5873. **Shri Shashibuhushan Bajpai:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state the reasons for accepting the scheme to set up industries by Sardar Mohan Singh Industrial Colony on Mathura road by the side of Railway line?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): The area has been prescribed for industrial use 'Light Manufacturing' in the Delhi Master Plan. The Delhi Development Authority have therefore declared the land use of the 100 acre strip of land between the Mathura Road and the Railway line as Industrial.

प्रधान मंत्री द्वारा प्राप्त प्रतिलिप्यधिकार को रायल्टी

5874. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **वित्त** मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2544 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रधान मंत्री द्वारा प्राप्त प्रतिलिप्यधिकार की रायल्टी के निर्धारण सम्बन्धी मामलों के बारे में विधि मंत्रालय की राय इस बीच प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) प्रधान मंत्री को प्रतिलिप्यधिकार के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि प्राप्त होती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) विधि मंत्रालय का यह मत है कि प्रधान मंत्री को अपने मृत पिता से वारिसी-हक के तौर पर कापीराइट के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों पर कानूनन कोई धन-कर देय नहीं है ।

(ग) प्रधान मंत्री को, कापी राइट के तौर पर 28-5-64 से 31-3-65, 1-4-65 से 31-3-66 और 1-4-66 से 31-3-67 तक की अवधियों के लिए, क्रमशः, 4,869 रुपए, 24,282 रुपए और 41,201 रुपए मिले हैं ।

Committee on Removal of Foreigners' Statues in Delhi

5875. **Shri Kanwar Lal Gupta:**
Shri Shri Gopal Saboo:
Shri Rabi Ray:

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had appointed a Committee on the removal of statues of foreigners in Delhi;

(b) if so, when the Committee submitted its report and the nature of the recommendations made therein;

(c) the action taken by Government thereon; and

(d) the reasons for the delay in removing the remaining statues of foreigners?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

(d) In pursuance of Government's policy of gradual removal of statues of Britishers in Delhi, 11 out of 12 statues have already been removed and only the statue of King George V at India Gate remains, which will also be removed shortly.

स्वास्थ्य के लिये गर्भपात

5876. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गर्भपात सम्बन्धी वर्तमान विधि को उदार बनाने वाले विधेयक को संसद में पुरःस्थापित करने से पहले उसका प्रारूप जनमत जानने के लिए परिचालित करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर): (क) और (ख). गर्भपात के वैधीकरण के प्रश्न के अध्ययन के लिए गठित शांतिलाल शाह समिति ने सभी प्रकार के जनमतों की जानकारी प्राप्त की थी और उन पर विचार किया था, इसलिए वर्तमान गर्भपात कानून को उदार बनाने के प्रस्तावित विधेयक के मसौदे को, संसद में प्रस्तुत करने से पहले, इसे जनता के विचार जानने के लिए परिचालित करने का विचार नहीं है।

विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली के लिये जांच समिति

5877. **श्री मधु लिमये** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली के प्रबन्ध की जांच के लिए डा० के० एन० राव की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में जिनमें विलिंग्डन अस्पताल भी सम्मिलित है, चिकित्सा सुविधाओं की जांच पड़ताल करने के लिए जिस जांच समिति की नियुक्ति की गई थी उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

कम्पाला में भारतीय उद्भव के लोगों का अभ्यावेदन

5878. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक, 14/18 ग्रेशम स्ट्रीट, लण्डन, के प्रबन्धक को पूर्वी अफ्रीका में उगांडा में कम्पाला में रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन में क्या लिखा गया है ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए स्टेट बैंक ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). जी, हां। वस्तु स्थिति इस प्रकार है :

कम्पाला में रहने वाला एक व्यक्ति राज्य बैंक के लंदन-स्थित कार्यालय की मार्फत 25,000रु० (1191 पौण्ड) की रकम नई दिल्ली भेजना चाहता था। अक्टूबर, 1967 में जिस दिन यह अनुरोध प्राप्त हुआ, उसी दिन इसका प्रबन्ध कर दिया गया। लेकिन नई दिल्ली से अन्तिम रसीद जारी करने में कुछ देर हुई, क्योंकि इस रकम के उपयोग के सम्बन्ध में ठीक-ठीक हिदायतें नहीं दी गई थीं। चूंकि इस बीच पौण्ड-स्टर्लिंग का अवमूल्यन हो गया, इसलिए रुपया भेजने वाले व्यक्ति ने सोचा कि 'प्रेषण में देरी' होने के कारण उसे कुछ हानि हो गई है और इसलिए उसने लंदन और नई दिल्ली में राज्य बैंक के पास अभ्यावेदन भेजा। चूंकि भेजी गई रकम भारत में, पौण्ड-स्टर्लिंग के अवमूल्यन से पहले ही, उचित रूप से प्राप्त हो गई थी, इसलिए प्रेषक को कोई हानि नहीं हुई और यह बात उन्हें उचित रूप से बता दी गई है।

Hire Purchase Housing Scheme

5879. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Development Authority have finalised the hire-purchase scheme for houses;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the number of houses to be sold under this scheme during 1968-69;

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) The Scheme envisages that the allotment of the houses will be made to those persons who belong to the Low Income Group (i.e. whose annual income is upto Rs. 6,000/-) and Middle Income Group (i.e. whose annual income ranges between Rs. 6,001 to Rs. 15,000) and who have been residing in Delhi for the last five years and who do not own any other house/plot in Delhi, New Delhi or Delhi Cantonment. It is proposed to recover 30% of the cost of the house from the applicants along with the application and the remaining 70% in 180 monthly instalments.

(c) About 1,558 houses.

Installation of Statues of National Leaders

5880. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Works, Honsing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Committee was appointed to select suitable places for installing the statues of National leaders;

(b) if so, when report of the Committee was received and the action taken thereon so far; and

(c) the reasons for the delay to implement the recommendations of the Committee?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) to (c): In August, 1965, a Committee to consider matters relating to the installation of statues of national leaders in Delhi, was constituted by the Ministry under the chairmanship of the Minister of Works, Housing and Urban Development. Among others, there are three Members of Parliament, the Mayor of the Municipal Corporation of Delhi and the Lt. Governor of Delhi on the Committee.

Government do not initiate proposals for the erection of statues at public expense. Such proposals have to be sponsored by municipal bodies, non-Government organisations and individuals who have to bear all expenses in this regard. All Proposals for statues in Delhi are considered by the above Committee. The Committee held three meetings and recommended sites for the installation of statues of some leaders. The recommendations are still under the consideration of Government.

दामोदर घाटी निगम का नया चेयरमैन

5881. **डा० रानेन सेन :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जब वह पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक थे तो उनके विरुद्ध कई आरोप लगाए गए थे और उन्होंने अभी तक उन आरोपों से स्वयं को मुक्त नहीं कराया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या आरोप हैं?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। श्री एन० ई० एस० राघवाचारी ने 7 जुलाई, 1967 को दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन का पद संभाला।

(ख) अब तक श्री राघवाचारी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय स्वास्थ्य संघ की स्थापना

5882. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्वास्थ्य संघ किस काम को करने के लिए बनाया गया है ;

(ख) यह संघ जिस प्रयोजन के लिए बनाया गया है क्या उस प्रयोजन के लिए काफी धन नियत किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति): (क) भारतीय स्वास्थ्य संघ एक गैर-सरकारी संस्था है जिसे सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत किया गया है। इस संघ के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा

(1) सामुदायिक कल्याण कार्य के किसी भी रूप में स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यों की व्यवस्था करना तथा उस कार्य के करने में सहायता देना ;

(2) स्कूल पाठ्यचर्या में स्वास्थ्य शिक्षा को लागू करना ;

(3) स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा उनका ज्ञान बढ़ाना और उनका सहयोग प्राप्त करना ;

(4) स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार करना तथा पाठ्यचर्या तैयार करने, क्षेत्र प्रशिक्षण, शिक्षावृत्तियों आदि में सहायता करके अन्य कार्मिकों को शिक्षित करना ;

(5) शिशुओं तथा माताओं, स्कूल जाने वाले बच्चों तथा कालेज के छात्रों, खेतों तथा कारखानों के कार्यकर्ताओं, सेना के कार्मिकों तथा अन्य व्यक्तियों में अच्छे स्वास्थ्य की शिक्षा की आवश्यकता पर बल देना ;

(6) स्वास्थ्य शिक्षा विषयक सामग्री के वितरण तथा प्रचार के लिये फिल्मों, फिल्म स्ट्राइपों, स्लाइडों, प्रदर्शनों, कठपुतलियों, फ्लेनलग्राफ सचल प्रदर्शनियों, मुद्रित सामग्री जैसी वस्तुओं का उत्पादन करना तथा बढ़ाना ;

(7) श्रव्य-दृश्य उपकरणों के देश में ही निर्माण तथा पूर्ति करने में सहायता देना, उनकी मरम्मत और देखभाल की सुविधाएं देना ;

(8) विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों तथा स्वास्थ्य और कल्याण कार्य में लगे कार्मिकों के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाओं एवं अन्य उपयुक्त साहित्य का प्रकाशन करना ;

अनुसंधान

(9) स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान सर्वेक्षण तथा प्रदर्शन कार्य को बढ़ावा देना ;

(10) प्रत्येक समुदाय में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का मूल्यांकन करना और जन-स्वास्थ्य कार्य से सम्बन्धित सभी प्रकार के कर्मचारियों का विकास करना तथा विकास कार्यों के लिए उत्साहित करना ;

कर्मचारियों का प्रशिक्षण

(11) गैर-चिकित्सा प्रशासनिक स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य शिक्षा में सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण देना, चिकित्सा कालेजों, जन स्वास्थ्य और उपचर्या स्कूलों की पाठ्यचर्या में उन्हें सम्मिलित कर उनको निम्नलिखित कार्य सौंपने के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सुझाव देना :

(क) देश में स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता का विश्लेषण करना ;

(ख) कर्मचारियों को भरती करना, उनका चयन करना तथा उनको प्रशिक्षित करना ;

(ग) छात्रवृत्तियों, शिक्षावृत्तियों तथा अन्य प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करना ।

(12) जनता तथा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी एजेन्सियों के बीच अच्छा ताल-मेल बिठाने के लिए स्थानीय, नेताओं को उत्साहित करना, तैयार करना और प्रशि-क्षण देना ;

योजना कार्यक्रम

(13) जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, जिनमें चिकित्सीय कार्य, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण, पोषण, शिक्षा, शारीरिक स्वस्थता, मातृ एवं शिशु कल्याण भी सम्मिलित हैं, विस्तृत योजना तैयार करना ;

(14) राष्ट्र, राज्य तथा तथा जिला स्तरों पर स्वास्थ्य समितियों के आयोजन तथा गठन में सहायता पहुंचाना तथा आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन की व्यवस्था करना ;

(15) स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों को आरम्भ करना, उन्हें गतिशील करना तथा उनके लिए योजना तैयार करना और क्रियान्वयन की व्यवस्था करना ;

(16) स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य शिक्षा से सम्बन्धित राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय एजेन्सियों के साथ सहयोग बढ़ाना ;

(17) अभिभावक-शिक्षक संघों का सहयोग प्राप्त करना, स्कूलों को ग्राम एवं नगर सफाई और अन्य स्वास्थ्य अभियानों को प्रारम्भ करने अथवा उनमें भाग लेने के लिए उत्साहित करना, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य को निरन्तर

बनाए रखने के लिए निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था करना, अध्यापकों के स्वयं अपने तथा उनकी देख-रेख में रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा संरक्षण के सम्बन्ध में प्रारम्भिक तथा व्यावहारिक अनुदेश देने की व्यवस्था करना।

(ख) सरकार ने इस संघ के लिए कोई धन नियत नहीं किया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत लाना

5883. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय को दिल्ली/नई दिल्ली में काम करने वाले उत्तर रेलवे के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं देने के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ देने के लिये रेलवे बोर्ड की ओर से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) रेलवे कर्मचारी केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत नहीं आते। तथापि यह सुझाया गया था कि उन 14 केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी क्षेत्रों में रहने वाले रेलवे कर्मचारी, जहां आम जनता के लिये भी केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई हैं, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं से लाभ उसी आधार पर उठा सकते हैं जैसे कि आम जनता उठाती है।

दिल्ली तथा नई दिल्ली क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

5884. **रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे क्वार्टरों के आवंटन के लिये प्रतीक्षा सूची में दिल्ली तथा नई दिल्ली क्षेत्र के 15,000 से अधिक रेलवे कर्मचारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार क्वार्टर आवंटित करने के लिए इन रेलवे कर्मचारियों को सामान्य पुंज में शामिल करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार की यह सामान्य नीति है कि जहां पर विभाग का अपने वास का पूल है वहां उस विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी सामान्य पूल वास के आवंटन के लिए पात्र नहीं बनाए जाते। और फिर दिल्ली/नई दिल्ली में पात्र कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल वास में पहले ही से अत्यधिक कमी है। भविष्य में बड़े पैमाने पर सामान्य पूल वास के निर्माण की आशा वित्तीय कठिनाई के कारण धूमिल है।

उत्तर प्रदेश में उत्पादन-शुल्क सलाहकार समितियां और ग्राम्य एवं नगरीय लाइसेंस बोर्ड

5885. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन-शुल्क सलाहकार समितियों और ग्राम्य एवं नगरीय लाइसेंस बोर्डों को तोड़ दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस बात के लिए क्या वैकल्पिक तरीका अपनाया गया है कि भविष्य में काम संतोषजनक ढंग से हो ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार, उत्पादन-शुल्क सलाहकार समितियों और देहाती तथा शहरी लाइसेंस बोर्डों के काम से सन्तुष्ट नहीं थी। जिन लोगों को लाइसेंस देने होंगे उनका चुनाव, कलक्टर द्वारा उस क्षेत्र के सहायक उत्पादन-शुल्क-आयुक्त की सलाह से किया जायेगा।

Electrification of Tube-wells and Pumping Sets in U.P.

5886. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the number of fresh applications received for tube-well and pumping set connections in U.P. from 1st April to 15th December, 1967, district-wise ;

(b) the number of connections out of them sanctioned ; and

(c) the reasons for not according sanction to the rest ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पोंग बांध के निर्माण के सम्बन्ध में निकाले गये व्यक्ति

5887. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध के निर्माण के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश से अब तक कितने परिवार हटाए गए हैं और कितने परिवारों को हटाया जाएगा ;

(ख) उन्हें बसाने के लिए किन राज्यों में व्यवस्था की गई है, अब तक कितने परिवारों को बसाया जा चुका है और उन्हें क्या सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा केन्द्रीय सरकारों के बीच कौन-कौन सी समस्याएं अभी निपटाई जानी हैं और इन मामलों का निपटारा होने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) ऐसी समस्याओं का ब्योरा क्या है और उनके बारे में कहां तक समझौता हो गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पोंग बांध क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश के कुल लगभग 36,000 परिवारों के विस्थापित होने का अनुमान था, जिनमें से अब तक 387 परिवार विस्थापित हो चुके हैं।

(ख) विस्थापितों को राजस्थान में राजस्थान नहर परियोजना के क्षेत्र में बसाया जाएगा। अभी तक 203 परिवार बसाए गए हैं। विस्थापितों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं :

(1) पोंग बांध क्षेत्र से राजस्थान में ले आए गये विस्थापितों, उनके परिवारों और पशुओं के परिवहन का खर्च ;

(2) राजस्थान में स्थानान्तरित होने वाले प्रत्येक परिवार के लिए 425 रुपए का पुनर्स्थापन अनुदान और राजस्थान में न आने का फैसला करने वाले प्रत्येक परिवार के लिए 250 रुपये का अनुदान।

(3) आवास के लिए झोपड़ी अथवा अस्थाई स्थान, घर बनाने के लिए ऋण, पेय जल की पक्की डिग्गियां, चिकित्सालय, स्कूल, सम्पर्क सड़कें, ऊंटों/बैलों, बीजों, ट्रैक्टरों आदि के खरीदने के लिए तकावी ऋण जैसी सुविधाएं।

(ग) और (घ). विस्थापितों के लिए राजस्थान में कुल क्षेत्र के आरक्षण, प्रत्येक व्यक्ति के लिये अधिकतम दी जाने वाली भूमि, विभिन्न श्रेणियों की भूमि की कीमत, और राजस्थान नहर क्षेत्र में विस्थापितों की बहाली के सम्बन्ध में दी जाने वाली लाभकारी सेवाओं जैसी मुख्य बातों पर समझौता हो गया है। विस्थापितों की बहाली से सम्बद्ध समय-समय पर उठने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सम्बद्ध सरकारों के सचिवों की एक समिति स्थापित की जा रही है।

उर्वरक कारखाने

5888. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने उर्वरक कारखाने हैं ? उनमें से कितने कारखाने सरकारी क्षेत्र में हैं तथा कितने कारखाने गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं और प्रत्येक कारखाने का वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(ख) प्रत्येक कारखाने के वर्तमान वार्षिक उत्पादन की तुलना में उसकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). एक विवरण पत्र संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-687/68]**

अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा पेश किया गया ज्ञापन

5889. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल के कर्मचारियों ने अगस्त, 1967 में एक ज्ञापन पेश किया था जिसमें प्रबन्ध के कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाया गया था कि वे निजी होटल वालों से मिले हुये हैं जिससे होटल के व्यापार में कमी आती है तथा जो कर्मचारी उनके भेद खोलते हैं, उन्हें अनुचित रूप से सताया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आरोपों की कोई जांच की गई थी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). अशोक होटल एम्पलाईज यूनियन के द्वारा 'आन दि एफेयर्स आफ दि अशोक होटल, नई दिल्ली' शीर्षक से एक ज्ञापन तैयार किया गया था किन्तु होटल के प्रबन्धकों के पास औपचारिक रूप से नहीं भेजा गया। ज्ञापन में दिये गये आरोप कोई विशिष्ट नहीं हैं तथा वे इस युक्ति पर आधारित हैं कि अशोक होटल के हितों को गैर-सरकारी क्षेत्र के हित क्षति पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस युक्ति को प्रमाणित करने के लिए प्रबन्धक के नोटिस में कोई तथ्य नहीं आये हैं।

दिल्ली अस्पताल कर्मचारी संघ की मांगें

5890. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री द० रा० परमार :
श्री मोहन स्वरूप
श्री राम सेवक यादव :
श्री श्रीकान्तन नायर :
श्री किकर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के सभी कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में दिल्ली अस्पताल कर्मचारी संघ से कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को दिल्ली अस्पताल कर्मचारी संघ से मांगों की एक सूची प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-688/68]

औद्योगिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये परिवार पेंशन

5891. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा उत्पादन कारखानों में काम करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों के परिवारों को परिवार पेंशन नहीं मिलती, जबकि अन्य प्रतिरक्षा कर्मचारियों को परिवार पेंशन मिलती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं। वेतन आयोग की सिफारिशों पर स्थायी औद्योगिक कर्मचारियों के लिये एक पेंशन योजना शुरू की गई थी, जिसमें परिवार पेंशन योजना भी शामिल है ; जो व्यक्ति 14 फरवरी, 1962 को नौकरी में थे और स्थायी थे अथवा बाद में स्थायी हुये उन्हें एक विकल्प दिया गया था जिसके अनुसार वे या तो विकल्प स्वीकार करने की तारीख को लागू अंशदायी भविष्य निधि योजना से अधिशासित हो सकें अथवा पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकें।

जिन औद्योगिक कर्मचारियों ने 14 फरवरी, 1962 के बाद सेवा आरम्भ की हो उनके सेवा में स्थायी होते ही पेंशन योजना अपने-आप ही उन पर लागू हो जाती है।

अस्थायी औद्योगिक कर्मचारी पेंशन के हकदार नहीं हैं। परन्तु उन्हें अंशदायी भविष्य निधि के लाभ प्राप्त हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम के क्षेत्र अधिकारियों का मांग पत्र

5893. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हाल ही में हुए सम्मेलन के पश्चात् जीवन बीमा निगम के क्षेत्र अधिकारियों ने अपने संगठन द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). राष्ट्रीय बीमा-क्षेत्र-कर्मचारी संघ, भारत ने 12 से 15 फरवरी, 1968 तक नई दिल्ली में हुए अपने सातवें अखिल भारतीय सम्मेलन में मंहगाई भत्ते को जीवन निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ने, मंहगाई भत्ते में अन्तरिम वृद्धि करने, सवारी भत्ते में वृद्धि और प्रोत्साहनों तथा प्रशासन द्वारा प्रोत्साहन को रोक लेने जैसी मांगों के सम्बन्ध में पास किये प्रस्ताव को जीवन बीमा निगम के पास भेज दिया है ।

(ग) इन मांगों पर विचार करने का काम निगम का है ।

महाराष्ट्र में मध्यम आकार की सिंचाई योजनायें

5894. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम आकार की ऐसी उन सिंचाई योजनाओं के नाम क्या हैं जो महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को अब तक भेजी हैं ;

(ख) उनमें से किन-किन योजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने अब तक मंजूरी दे दी है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास अनिर्णीत पड़ी योजनाओं की मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). दो विवरण (विवरण 1 और 2) संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-**689/68]

(ग) (1) स्वीकृत निर्भरता के आधार पर पानी की उपलब्धता जैसी कुछ तकनीकी बातों का स्पष्टीकरण ।

(2) पहले से स्वीकृत स्कीमों से सम्बद्ध अवशिष्ट व्यय राशियों की अधिकता ।

(3) नई स्कीमों के लिये धन सम्बन्धी प्रबन्धों की अनिश्चितता ।

महाराष्ट्र में मध्यम दर्जे की परियोजनायें

5895. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में मध्यम दर्जे की प्रत्येक मंजूरशुदा परियोजना पर मार्च, 1967 तक अनुमानतः कितना धन व्यय किया गया ;

(ख) प्रत्येक योजना को पूरा करने के लिये कितने धन की आवश्यकता है ; और

(ग) उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-690/68]

(ग) वार्षिक योजना सम्बन्धी विचार-विमर्श में इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त खर्च का सुझाव दिया जाता है।

मेडिकल स्टोर्स आर्गेनाइजेशन

5896. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की मेडिकल स्टोर्स आर्गेनाइजेशन के डिपो घाटे में चल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

फ्रांस से ऋण

5897. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री दीवीकन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या फ्रांस ने वर्ष 1967-68 के लिए 3 करोड़ डालर के ऋण के अतिरिक्त, वर्ष 1968-69 के लिए 40 करोड़ डालर की और ऋण देने की भी पेशकश की है तथा इस ऋण की कितनी राशि गैर-योजना सहायता के रूप में होगी ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : भारत की विदेशी सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं पर भारत सहायता संघ वार्षिक आधार पर विचार करता है और तब उसके विभिन्न सदस्य सहायता के वचन देते हैं। फ्रांस भी भारत सहायता संघ का एक सदस्य है। 1967-68 के लिए फ्रांस से 3 करोड़ डालर का ऋण मिलने की आशा है। भारत सहायता संघ ने 1968-69 की आवश्यकताओं पर अभी तक विचार नहीं किया है और इसलिए फ्रांस ने अभी तक इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया है कि वह 1968-69 में कितनी सहायता देगा।

पैंसिलीन का टीका

5898. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पैंसिलीन का टीका लगवाने के पश्चात् केन्द्रीय

स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पेंसरी में एक युवा लड़की की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप सरकार ने दिल्ली तथा नई दिल्ली में पैंसिलीन की उस विशेष बैंच की हजारों शीशियां वापिस ले ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो पैंसिलीन के टीकों का यह बैंच कहां बनाया गया था और क्या इस बैंच की औपचारिक जांच के बावजूद यह टीका लगाने के अनुपयुक्त पाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में और देश में पैंसिलीन निर्माताओं की जांच प्रक्रिया में क्या परिवर्तन किये गये हैं या किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां । जब तक जांच के परिणाम नहीं निकलते तब तक इस बैंच की 3714 शीशियों का उपयोग रोक दिया गया है ।

(ख) इस बैंच के पैंसिलीन इन्जेक्शन का निर्माण पूना के निकट पिम्परी के मैसर्स हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० ने किया था तथा उन्होंने ही इसकी सप्लाई की थी । इस बैंच में से नमूने रासायनिक विश्लेषण के लिये भेज दिये गये हैं और जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) पैंसिलीन इन्जेक्शन की पहचान, शुद्धता और तीव्रता के मानक तथा निर्माताओं द्वारा पालन किये जाने वाली जांच प्रणालियां भारतीय भेषज संहिता, 1966 और औषध एवं अंगराग नियम, 1945 में दी गई हैं । ये कठोर और पर्याप्त हैं तथा इनमें किसी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है ।

कास्टिक सोडे का निर्यात

5900. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कास्टिक सोडे की उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में कितनी अधिक है अथवा कम ; और

(ख) कास्टिक सोडे का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से नगद सहायता और शुल्कों में छूट समेत क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) भारत में कास्टिक सोडे के उत्पादन की लागत वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से अनुमानतया दुगुनी है ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा धन एकत्रित किया जाना

5901. **श्री सेझियान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65, 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया ने कुल कितनी राशि एकत्रित की ;

(ख) (एक) यूनिट ट्रस्ट द्वारा प्रत्यक्षतः (दो) इस ट्रस्ट के प्रशासन तथा प्रचार के लिये सरकार अथवा रिजर्व बैंक द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से और (तीन) इस ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री अथवा पुनः खरीद के कारण हुई अथवा इसके सिलसिले में अपेक्षित घाटे को पूरा करने के लिये यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया एक्ट की धारा 25 का (1) के अन्तर्गत भारत के रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता की राशियों की वसूली करने में वर्षवार कितना व्यय हुआ ;

(ग) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया एक्ट की धारा 32 के अन्तर्गत दी गई कर की छूट के परिणामस्वरूप सरकार को अनुमानतः कितने कर-राजस्व का घाटा हुआ ; और

(घ) राज सहायता की राशि को छोड़कर इन यूनिटों के वास्तविक मूल्य बताने में क्या सरकार को कोई आपत्ति है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

		(लाख रुपयों में)
(क)	1964-65	1881
	1965-66	111
	1966-67	736
	1 जुलाई, 67 से 31 दिसम्बर, 67 तक	1168

(ख) (1), (ii) और (ग). सूचना प्राप्त की जा रही है और उसे यथासमय सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

(ख) (iii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 20 क के अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये विशेष अंशदान, इस प्रकार हैं :

	(लाख रुपयों में)
1964-65	शून्य
1965-66	2.55
1966-67	2.50

(घ) चूंकि बेचे गये और बकाया यूनिटों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सहायता नगण्य है, इसलिये इससे यूनिटों के मूल्य पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता।

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए धन का उपयोग

5902. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में मध्य प्रदेश में बस्तर, बेतूल और पूर्वी निमाड़ जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा कोई धनराशि नियत की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि इन क्षेत्रों के विकास पर खर्च की गई है ; और

(ग) क्या वर्ष 1968-69 में उन क्षेत्रों के विकास के लिये अधिक धनराशि नियत करने का सरकार का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) छात्रवृतियां तथा सहकारिता जैसे केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों के, जो राज्यवार आधार पर चलाए जाते हैं; अतिरिक्त निम्नलिखित आदिम जातीय विकास खण्ड चल रहे हैं :

जिला	**आदिम जातीय विकास खंडों की संख्या**
बस्तर	28
बेतूल	4
पूर्वी निमाड़	2

प्रथम स्तर पर के प्रत्येक खण्ड को एक लाख रुपए तथा जो द्वितीय स्तर पर हैं उन्हें सत्तर-सत्तर हजार रुपए नियत किये जाते हैं ।

(ख) वित्तीय वर्ष समाप्ति तक सारा विनिधान खर्च किये जाने की सम्भावना है ।

(ग) हां ।

मध्य प्रदेश की बिजली की आवश्यकता

5903. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की बिजली की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) गुजरात और बिहार की तुलना में मध्य प्रदेश को इस समय प्रतिवर्ष कितनी बिजली मिल रही है;

(ग) मध्य प्रदेश में बिजली की कमी के कारण खेती और उद्योगों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार के राज्यों में 1966-67 और 1967-68 के वर्षों के दौरान बिजली ऊर्जा की उपलब्धता और खपत का ब्योरा नीचे दिया जाता है ।

राज्य	1966-67		1967-68	
	उपलब्ध बिजली	उपभुक्त बिजली	उपलब्ध बिजली	उपभुक्त बिजली
		लाख यूनिटों में		
मध्य प्रदेश	15140	11640	19760	15250
गुजरात	24950	20130	27480	22250
बिहार	15590	12750	15360	12520

(ग) और (घ). मध्य प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश में कृषि और उद्योगों पर बिजली की कमी के प्रभाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल सम्भरण और सफाई योजना

5904. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश को तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य के देहाती और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल सम्भरण और सफाई योजना के अन्तर्गत कितनी और क्या सहायता दी गई; और

(ख) कितने शहरों और देहातों में यह योजना लागू की गई है अथवा की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1966-67 तक प्रचलित प्रणाली के अनुसार राज्यों को सभी केन्द्र सहाय्यित 'स्वास्थ्य' योजनाओं के लिए जिनमें ग्राम जलपूर्ति योजनाएं भी सम्मिलित हैं, केन्द्रीय सहायता एक मुश्त नियत की जाती है/दी जाती थी। इसलिए किसी राज्य विशेष को किसी विशेष केन्द्र सहाय्यित 'स्वास्थ्य' योजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई यह बतलाना संभव नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश सरकार को सभी 'स्वास्थ्य' योजनाओं, जिनमें ग्राम जलपूर्ति योजनाएं भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित धनराशि का नियतन किया गया :

वर्ष	रुपये लाखों में
1961-62	101.81
1962-63	148.28
1963-64	151.94
1964-65	136.06
1965-66	172.82

जहां तक 'नगर जल पूर्ति योजनाओं' का सम्बन्ध है तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में मध्य प्रदेश सरकार को ऋण के रूप में दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्योरा इस प्रकार है :

वर्ष	रुपये लाखों में
1961-62	74.96
1962-63	70.00
1963-64	48.00
1964-65	69.50
1965-66	125.50

राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जा रही केन्द्रीय सहायता का स्वरूप इस प्रकार है :

नगर जलपूर्ति योजना	100 प्रतिशत ऋण के रूप में
ग्राम जलपूर्ति योजना	50 प्रतिशत सहाय्यानुदान के रूप में

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जलपूर्ति योजनाएं 30 नगरों तथा 326 ग्रामों में क्रियान्वित की जा चुकी थीं। 33 नगरों में मौजूदा जलकलों का सुधार/नये जलकलों का निर्माण-कार्य भी प्रगति पर था।

मुंगेली तहसील, मध्य प्रदेश में हरिजनों के साथ झगड़े

5905. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर जिले की मुंगेली तहसील में सवर्ण हिन्दुओं और हरिजनों के बीच हुए झगड़ों के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ब्योरा बताना जनहित में नहीं होगा क्योंकि अदालती जांच की जा रही है।

Grants to Bharat Sewak Samaj

5906. **Shri Ram Charan :**
Shri Lakhan Lal Kapoor :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an amount of Rs. 3,37,000 was given by his Ministry to the Bharat Sewak Samaj during the years 1956-57 ; 1957-58 and 1958-59 ;

(b) if so, the purpose for which this amount was granted to the Bharat Sewak Samaj ;

(c) whether the Bharat Sewak Samaj has submitted the accounts for this amount ; and

(d) whether it is also a fact that the said amount was granted without obtaining the prior approval of the Ministry of Finance ; and if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) Grants-in-aid amounting to Rs. 3,37,080 were sanctioned to the Bharat Sewak Samaj during the years 1956-57 and 1957-58. No grant-in-aid was given during 1958-59.

(b) The grants-in-aid were given for organising training Centres at Delhi, Kotah, Nagarjunasagar and Kosi to train supervisory, accounts and organising staff in the execution of Irrigation and Power projects and to mobilise public co-operation in construction work.

(c) Yes. The unspent balance of Rs. 1,28,230.09 was refunded by the Samaj.

(d) The grants-in-aid were sanctioned with the prior approval of the Ministry of Finance.

छोटे कागज मिलें

5907. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वित्तीय वर्ष में सभी छोटे-बड़े कागज मिलों को उत्पादन शुल्क में छूट नहीं दी गई थी ;

(ख) क्या लुगदी, कागज तथा उससे सम्बद्ध उद्योगों संबंधी विकास परिषद् ने एक मत से यह सिफारिश की है कि सभी छोटे कागज मिलों को यह छूट दी जाये;

(ग) यदि हां, तो क्या विकास परिषद् की सिफारिशों को दृष्टि में रखकर सरकार का विचार अपनी सहायता नीति पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। वास्तविकता यह नहीं है। ये रियायतें निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली छोटी-बड़ी सभी मिलों को प्राप्त थीं।

(ख) लुगदी, कागज और सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद् से ऐसी कोई सिफारिश इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

Doctors for Lunatics

5908. **Shri O.P. Tyagi** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement given by Dr. J.H. Walton, Advisor to the World Health Organisation that there is dearth of doctors in India for the treatment of lunatics ;

(b) if so, the total number of mental hospitals in India, the number of male and female patients in them and the number of doctors doing their treatment ;

(c) whether it is also a fact that the treatment of lunacy is not being given importance in Medical Colleges in India ; and

(d) if so, the steps being taken by Government to remedy this situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B.S. Murthy) : (a) No.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) No. The present Under-graduate medical curriculum lays sufficient stress on the teaching of Psychiatry to medical students.

(d) Does not arise.

Houses for Harijans

5909. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the housing conditions of Harijans in the Country are not satisfactory ;

(b) if so, whether Government propose to construct houses and to make them available to the Harijans on long term instalments ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) to (c) . The position varies from State to State and area to area. For improvement of the living conditions of Harijans, two schemes are already in operation : (i) subsidies for construction of houses and (ii) grants-in-aid for housing of sweepers and scavengers. These measures are supplementary to the Slum Clearance Scheme and the Low Income Group Housing Scheme of the Ministry of Works and Housing.

देशी चिकित्सा प्रणाली के अप्रशिक्षित चिकित्सकों के लिये पाठ्यक्रम

5910. **श्री वेदव्रत बरुआ :**

श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देशी चिकित्सा प्रणालियों के अप्रशिक्षित चिकित्सकों के लिये पुनश्चर्या तथा पूर्व ज्ञान को ताजा करने के पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के अप्रशिक्षित चिकित्सकों के लिये अभिनवन तथा अनुस्थिति ज्ञान के पाठ्यक्रमों को चलाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

विदेशी सहायता

5911. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस्पात, कोयला, बिजली, मशीनों और एण्टीबाइटिक्स के उत्पादन के लिये स्थापित किये गये उद्योगों के विकास के लिये विभिन्न देशों से सहायता अथवा ऋण के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सरकार को इस्पात, कोयला, तेल, बिजली, मशीनों और प्रतिजैविक पदार्थों (ऐंटी-बायोटिक्स) के उत्पादन के लिए स्थापित किये गये उद्योगों के विकास के लिए स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से दिसम्बर, 1967 के अन्त तक

की अवधि में विभिन्न देशों से कुल 2100.85 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हुई, जिसका ब्योरा इस प्रकार है :

	(करोड़ रुपयों में)
इस्पात	705.85
कोयला	159.25
तेल	126.99
बिजली	840.46
मशीनें	253.31
प्रतिजैविक पदार्थ	14.99
	2100.85

नोट : 1. इसमें पी० एल० 480 निधियों और प्रतिरूप निधियों आदि से प्राप्त रुपया ऋण शामिल नहीं है ।

2. इसमें संभरक ऋणों या विकास बैंकों को दिये गये ऋणों या गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को सीधे दिये गये ऋणों के अन्तर्गत किये गये आयात शामिल नहीं हैं । इसके अलावा, मशीनों की विभिन्न मदों को या लोहे तथा इस्पात की विभिन्न मदों आदि को, जिन्हें ऊपर उल्लिखित किसी न किसी खास उद्योग के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया है ।

विदेशी ऋण

5912. **श्री हेमराज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1967 से अभी तक भारत को विदेशों से कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) इसमें से कितनी राशि उत्पादक कार्यों पर खर्च की गई है और कितनी गैर-उत्पादक कार्यों पर ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 15 अगस्त, 1947 से 31 दिसम्बर, 1967 तक भारत सरकार को कुल 8685.86 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता (अर्थात् किये गये करारों की रकम) प्राप्त हुई ।

(ख) जितने भी ऋण प्राप्त हुए हैं वे आर्थिक विकास की आयोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए थे और वे कई रूपों में अर्थात् प्रायोजना-आयात के लिए, उत्पादन के लिए गैर-प्रायोजना आयात के लिए, अन्न के आयात के लिए और ऋणों के परिशोधन के कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण के रूप में थे । इस प्रकार इन ऋणों से उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग उत्पादनकारी प्रयोजनों के लिये किया गया है ।

राजस्थान में कुओं का बिजली से चलाया जाना

5913. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में छोटी सिंचाई को बढ़ावा देने के हेतु कुओं को बिजली से चलाये जाने के लिये राज्य सरकार को परामर्श दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य में बिजली से चलाये जा सकने वाले छः लाख कुओं में से केवल 11,000 कुओं के लिये बिजली की व्यवस्था अभी तक की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1966-67 से राजस्थान सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों को यह कह दिया गया है कि खाद्यान्नों की उत्पत्ति में वृद्धि करने के लिये ग्राम विद्युतन स्कीमों को इस प्रकार से बनाया जाय जिनमें सिंचाई पम्पों/नलकूपों को ऊर्जित करने पर बल दिया गया हो ।

(ख) राजस्थान राज्य में लगभग 6 लाख कूपों/नलकूपों में से, नवम्बर, 1967 तक 12637 सिंचाई पम्पों/नलकूपों को ऊर्जित किया गया ।

(ग) उन ग्राम विद्युतन स्कीमों के लिये केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही है जिनमें पम्पों/नलकूपों के ऊर्जन पर बल दिया गया हो । राजस्थान में ऐसी स्कीमों के लिये अप्रैल, 1966 से मार्च, 1968 तक 492.30 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है । राजस्थान में तीसरी योजना के अन्त तक ऊर्जित 6962 सिंचाई पम्पों/नलकूपों की तुलना में अप्रैल, 1966 से नवम्बर, 1967 तक की अवधि में 5675 पम्पों/नलकूपों को ऊर्जित किया गया है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में वरिष्ठ चिकित्सक

5914. **श्री काशीनाथ पाण्डे :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना में 1300-1800 के ग्रेड में वरिष्ठ चिकित्सकों और अन्य चिकित्सकों के निर्दिष्ट और अनिर्दिष्ट पदों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है ;

(ग) ऐसे कितने पद अभी भी रिक्त पड़े हैं ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में 1300-1800 रु० के वेतनक्रम में वरिष्ठ चिकित्सकों और शल्य चिकित्सकों के कोई पद नहीं हैं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

Octane Content of Petrol

5915. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the production of petrol is more than its consumption in the country at present and the country is not able to export it as the purity (octane content) of our petrol is 79 per cent as against 96 per cent in foreign countries ;

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ; and

(c) the reasons for which this standard of purity has been fixed ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) Petrol as produced to meet internal market requirements is in excess of local demands. Lower octane rating for internal consumption is no handicap for exports. Refineries in India can and are producing high octane Motor Spirit for export, but petrol is at present surplus on a world-wide basis.

(b) Production of light distillates is restricted to the minimum extent technologically permissible. The inevitable surplus is exported.

(c) The octane number is fixed according to local requirements.

Fertilizer Complex by Tatas in Gujarat

5916. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Manubhai Patel :
Shri Mayavan :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1082 on the 19th February, 1968 and state :

(a) the details of the proposals submitted by the Tatas for a fertilizer-cum-chemical complex in Gujarat ;

(b) whether the proposal has since been considered ; and

(c) if so, the decision taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) M/s. Tata Chemicals Ltd. have submitted a proposal for establishing a fertilizer-cum-chemical complex at Mithapur. On full implementation of the proposal, in six phases extending over a period of 8 years, the production of over 2·2 million tonnes per year of finished, concentrated and balanced fertilizers is expected to be achieved. In terms of plant nutrients, this production will amount to about 460,000 tonnes Nitrogen, 370,000 tonnes P_2O_5 , 279,000 tonnes K_2O.

Arising out of operations connected with fertilizer production, salt, cement, bromine, potash and gypsum in sizeable quantities are expected to be produced in a phased manner.

As an integral part of the fertilizer complex fully machanized, captive, deep-sea water jetty is included.

(b) and (c) : The proposal is under examination.

राज्यों की प्रति व्यक्ति आय

5917. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी-कितनी है; और

(ख) राज्यों में, राज्य-वार, रिजर्व बैंक तथा बैंकों द्वारा प्रति व्यक्ति कितनी पूंजी का निवेश किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सम्बद्ध राज्य अंक-संकलन कार्यालयों द्वारा तैयार किये गये प्रति-व्यक्ति आय के राज्यवार अनुमानों का एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०**-691/68] लेकिन इन राज्य-वार अनुमानों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि विभिन्न कार्यालयों द्वारा उपयोग में लायी गयी धारणाओं (कान्सेप्ट्स), कार्य प्रणालियों और आधारभूत सामग्री में अन्तर है।

(ख) वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये प्रतिव्यक्ति अग्रिमों का राज्य-वार विवरण भी सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-691/68] इसमें वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के जरिये रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सहायता शामिल है। इसके अलावा, बैंक सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में रुपया लगाते हैं, लेकिन इस प्रकार के पूंजी-निवेशों का राज्य-वार ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है।

बैंकों में हिन्दी का प्रयोग

5918. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग आरम्भ करने तथा इसको प्रोत्साहन देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). कुछ बैंकों ने अपने कुछ प्रपत्रों (फार्म) और साहित्य आदि को अंग्रेजी के अलावा हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी पहले ही छापा है। भारतीय बैंक संघ (इंडियन बैंक्स एसोसिएशन) ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उन बैंकों से, जिन्होंने अभी ऐसा नहीं किया है, अपने फार्मों आदि को इन भाषाओं में छापने की वांछनीयता पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

उड़ीसा के फूलबनी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी

5919. **श्री अ० दीपा** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के फूलबनी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों की दशा के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या उस क्षेत्र के प्रभावित लोगों ने प्रधानमंत्री को उनकी दशा का स्वयं पता लगाने के लिये वहां आने की प्रार्थना की है क्योंकि वहां उन्हें कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो प्रधानमंत्री का उस क्षेत्र का कब दौरा करने का विचार है?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) सरकार को इस बात का पता है कि देश के बहुत से भागों में ऐसे आदिम जातीय क्षेत्र हैं, जिन पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

(ख) हाल में इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) यदि इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त हुआ तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मंहगाई भत्ते की दरें

5920. **श्री सेझियान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर को लागू किया है ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों ने केन्द्रीय मंहगाई भत्ते की दरों को लागू नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जायगी और उसे, जितनी जल्दी हो सकेगा, सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

उर्वरक कारखाना

5921. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले पर आधारित, नेफ्था पर आधारित और लिग्नाईट पर आधारित उर्वरक कारखानों में कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है तथा उनकी संचालन लागत कितनी-है ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि संयुक्त राज्य अमरीका में तेल और गैस के भारी भण्डारों के बावजूद उर्वरक के लिये कोयले का कच्चे माल के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) प्रारम्भिक अध्ययन से पता लगा है कि नेफ्था पर आधारित, कोयले पर आधारित और

लिगनाइट पर आधारित उर्वरक कारखानों की तुलनात्मक अर्थ-व्यवस्था, प्रक्रिया-तरीकों, प्रारम्भिक पूंजी, सन्यन्त्र का आकार, इसके स्थान के साथ-साथ विपणन, कच्चे माल की लागत एवं प्रयोग तथा उत्पाद-मिश्र एवं विक्रय मूल्य जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर है। अतः तुलनात्मक मूल्यों का सूक्ष्म रूप से निर्धारण करने के लिए, किसी विशेष स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा।

(ख) जी नहीं।

कोचीन के समुद्र से प्राप्त खाद्य पदार्थों के निर्यातक

5922. **श्री जु० कि० मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री कोचीन के समुद्र से प्राप्त खाद्य पदार्थों के निर्यातकों के सम्बन्ध में 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2651 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने जिन पार्टियों को निकासी की अनुमति दी, उनका ब्योरा तथा उनके पूरे पते क्या हैं ; और

(ख) क्या इस बीच जांच पूरी हो चुकी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मेसर्स इंडिया सी-फूड्स (रजिस्टर्ड) कोचीन।

(ख) विशेष पुलिस विभाग, केरल, ने प्रारम्भिक जांच के लिये मामला दर्ज कर लिया है और जांच-पड़ताल अभी चल रही है।

Amendment of Pension Act, 1871

5923. **Shri Shiv Kumar Shastri**
Dr. Surya Prakash Puri

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to amend the Pension Act, 1871 ;

(b) if so, when ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Act contains certain salutary provisions for the protection of pensioners' interests and there is no occasion to alter these provisions.

बरेली में पकड़ा गया सोना

5924. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** बरेली में छीने गये सोने के सम्बन्ध में 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2617 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों/पार्टियों के नाम तथा

उनके पूरे पते क्या हैं ; और

(ख) जांच कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) गिरफ्तार किये गये दो व्यक्तियों के नाम ये हैं :

(एक) श्री गोपाल शरण सुपुत्र श्री ब्रिज बासी लाल निवासी महल्ला केसरी सिंह, पीलीभीत

(दो) श्री माधो शरण, सुपुत्र, श्री ब्रिज बासीलाल, निवासी मोहल्ला केसरी सिंह, पीलीभीत

(ख) जांच पूरी हो गई है ।

आर्थिक प्रगति

5925. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक 10 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हालांकि सरकार ने औपचारिक रूप से 10 सूत्रों वाला कोई आर्थिक कार्यक्रम तैयार नहीं किया है, फिर भी जो 10 सूत्रों वाला आर्थिक कार्यक्रम कहा जाने लगा है, उसमें ऐसी बातें शामिल हैं जो सरकार की आर्थिक नीति के दीर्घकालीन उद्देश्यों से मेल खाती हैं ।

(ख) इस कार्यक्रम में ये बातें शामिल हैं : बैंक सम्बन्धी कारबार करने वाली संस्थाओं और सामान्य बीमे का सामाजिक नियंत्रण, राज्य व्यापार में वृद्धि, सहकारी संस्थाओं का विस्तार, एकाधिकारवादी गतिविधियों का विनियमन, रहन-सहन के स्तर में सुधार आदि । इन नीतियों के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू कर दी गयी है, शेष पहलुओं के बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लगातार कार्रवाई की जानी है ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के संगठन और कार्य-चालन में सुधार करने के प्रश्न पर सरकार लगातार विचार करती रहती है ; इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है ।

बैंक दर कम करने में स्टेट बैंक की असफलता

5926. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने की

प्रतिक्रिया स्वरूप स्टेट बैंक आफ इंडिया ने अपनी ब्याज की दरें अभी तक कम नहीं की हैं और वह गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों का नेतृत्व नहीं कर सका है ; और

(ख) यदि हां, तो (1) देश की आर्थिक नीतियों के अनुरूप स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा तुरन्त कार्यवाही किये जाने, (2) इसके कार्य-संचालन को सुव्यवस्थित करने तथा (3) इसके कार्य-निष्पादन में सुधार करने और इसके प्रबन्ध अधिकारियों की कुशलता बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राज्य बैंक ने अपने पास जमा रकमों और दिये गये अग्रिमों के ब्याज की दरों में 11 मार्च, 1968 को कमी करने की घोषणा की थी ।

(ख) कुल मिलाकर, राज्य बैंक सन्तोषजनक रूप से काम कर रहा है और ऊपर दिये गये सुझावों के अनुसार कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में विदेशी लोग

5927. **डा० रानेन सेन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधीन कुछ निदेशालयों के मुख्याधिकारियों के रूप में कुछ विदेशी लोग नियुक्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन निदेशालयों के नाम क्या हैं जहां वह कार्य कर रहे हैं और उसके कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हां ।

(ख) 1. व्यधन निदेशालय

2. उत्पादन निदेशालय

3. हिण्डायल डिजाइन इन्स्टीट्यूट

अपेक्षित अनुभव युक्त भारतीयों के उपलब्ध न होने पर; इन निदेशालयों में विदेशियों की मुख्याधिकारियों में रूप में नियुक्ति की गई हैं ।

तेल की तटागत लागत

5928. **श्री रा० की० अमीन :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से आयातित तेल की तटागत लागत कितनी है ;

(ख) अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में तेल की उत्पादन लागत कितनी है ; और

(ग) सरकार ने उत्पादन लागत कम करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) तेल शोधनशालाओं द्वारा आयातित कच्चे तेल की कई किस्मों की तटागत लागत, लाइट इरानियन कच्चे तेल के लिए 93.57 रुपये प्रति मीटरी टन से खुरासनिय कच्चे तेल के लिए 109.702 रुपये प्रति मीटरी टन तक है।

(ख) निवेश-विवरण को शामिल न करते हुए ; 1966-67 में शोधनशाला केन्द्र पर अंकलेश्वर के कच्चे तेल की लागत 58.08 रुपये प्रति मीटरी टन थी।

(ग) द्वितीय उपलब्धि को वसूल करने तथा पहली उपलब्धि में सुधार लाने की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इस प्रकार कच्चे तेल की कुल उपलब्धि बढ़ने से उत्पादन लागत प्रति मीटरी टन कम होगी।

गर्भ निरोध के लिये आयुर्वेदिक औषधियों का अध्ययन

5929. **श्री नाथूराम अहिरवार :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री 19 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1108 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 56 आयुर्वेदिक औषधियों का अध्ययन इस बीच पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) उपरोक्त 56 औषधियां भेजने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जिन व्यक्तियों से 56 औषधियां प्राप्त हुई थीं, उनके नाम की एक सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-692/68]**

आर्यनगर, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों को आवंटित मकान

5930. **श्री शिव नारायण :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय दलितोद्धार सभा द्वारा बनाई गई एक योजना के अनुसार वर्ष 1929 में किसी समय आर्यनगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों को प्लाट आवंटित किये गये थे ;

(ख) क्या संबंधित पट्टापत्रों में एक ऐसे खण्ड का उपबंध था, जिसके अन्तर्गत सरकार की अनुमति के बिना पट्टेधारी इस भूमि को हस्तान्तरित अथवा बेच नहीं सकते थे ;

(ग) क्या यह सच है कि यह उपबन्ध यह सुनिश्चित करने के लिये रखा गया था कि वे प्लाट अथवा मकान अनुसूचित जातियों से भिन्न व्यक्तियों के हाथों में न जा सकें ; और

(घ) मूल पट्टाधारियों ने अब तक कितने प्लाट अथवा मकान (एक) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों और (दो) अनुसूचित जातियों से भिन्न लोगों को बेचे हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) दिल्ली विकास प्राधिकार के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड और पट्टे के कागजातों से मालूम होता है कि 1928 या उसके आस-पास दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ने अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को पहाड़गंज में कुल 108 प्लाट अलाट किये थे ।

(ख) और (ग). हस्तांतरण के संबंध में पट्टे के कागज में निम्नलिखित व्यवस्था है :

कोई भी पट्टेदार हिन्दू दलित वर्ग मिशन की सिफारिश पर डिप्टी कमिश्नर की लिखित मन्जूरी के बिना उस जगह को अथवा उसके किसी भाग को किसी और के नाम नहीं कर सकता या उप-पट्टे पर नहीं दे सकता या हस्तांतरित नहीं कर सकता ।

पट्टेदार के सभी अधिन्यायी, उप-पट्टेदार और वे व्यक्ति जिनको भूमि हस्तान्तरित की गई है तथा उनके वारिस इसमें लिखित सभी प्रतिज्ञाओं और शर्तों से प्रतिबद्ध होंगे तथा हर प्रकार से इसके लिए उत्तरदायी होंगे ।

(घ) स्थानान्तरण के कुल 52 सौदे हुए हैं । इनमें से 47 मामलों में बिक्री अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के पक्ष में हुई है जबकि दूसरे 5 मामलों में यह हस्तांतरण इतर अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के पक्ष में हुआ ।

तम्बाकू के बारे में बीमा नियम

5931. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री गार्डिलिंगन गौड :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीमा नियमों तथा विनियमों के नियम संख्या 12वें में हाल में किये गये परिवर्तनों के कारण तम्बाकू व्यापारियों के लिये बहुत कठिनाई पैदा हो गई है ;

(ख) क्या सरकार को व्यापारियों से इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तम्बाकू अथवा अन्य

किसी वस्तु के बीमा के सम्बन्ध में बीमा अधिनियम, 1938, के अधीन बनाये गये बीमानियम, 1939 लागू नहीं होते।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Sinking and Electrification of Wells in U. P.

5932. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of Government tube-wells sunk and the number of wells provided with electricity connections in U. P. during the last 20 years ;

(b) the number of tube-wells sunk and the number of wells provided with electricity connections during the rule of the former S.V.D. Government of U. P. ; and

(c) the amount provided by the Central Government during the above period for the said work separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) From April, 1947 to March, 1967, 6640 State tube-wells were drilled in U. P. and 6271 State tube-wells were provided with electric connections.

(b) During the period April, 1967 to February, 1968. 68 State tube-wells were drilled and 275 State tube-wells were provided with electric connections.

(c) The assistance provided by Central Government for the above programme was about Rs. 5,127 lakhs for the period April, 1951 to March, 1967 and approximately Rs. 262·5 lakhs for the period April, 1967 to February, 1968.

नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड

5933. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या वित्त मंत्री 30 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 371 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एण्ड ग्रिंडले बैंक लिमिटेड ने इस बीच अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक ने अपने असामियों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नयी दिल्ली में स्थिति अपनी मुख्य शाखाओं में निर्गम केन्द्र विभाग (इश्युइंग हाउस डिपार्टमेंट) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है :

(1) कम्पनियों के पूंजी ढांचे के बारे में और जारी किये जाने वाले पूंजीनिर्गम के ब्योरे के सम्बन्ध में विशेषज्ञ-परामर्श।

(2) विवरण-पत्र सहित सभी सम्बद्ध दस्तावेजों का कुशल कर्मचारियों द्वारा तैयारकिया जाना और पुंजी-निर्गम नियंत्रक के साथ उस पर विचार-विमर्श।

(3) सम्बद्ध प्राधिकरणों (भारत सरकार या अन्य सरकारों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं) के साथ आवश्यक बातचीत के सम्बन्ध में सहायता और समन्वय।

(4) शेयरों आदि की खरीद का जिम्मा लेने का प्रबन्ध और इस सम्बन्ध में तालमेल।

(5) कम्पनी-रजिस्ट्रार की सेवाएं

(ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी बैंक द्वारा निर्गम केन्द्र के कार्य किये जाने की अनुमति है।

Scholarships to Students in Mysore State

5934. **Shri Ramachandra Veerappa :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) the total number of students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes offered scholarships in the Mysore State during the period from March, 1962 to February, 1967 and

(b) the number of boys among them ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. Smt. Phulrenu Guha): (a) The relevant figures in respect of Post-matric scholarships are given below:—

Year	Sch. Castes	Sch. Tribes
1962-63	2,950	28
1963-64	3,396	39
1964-65	3,180	47
1965-66	3,230	45
1966-67	4,016	68
Total :	16,772	227

(b) Specific data is not available, but approximately 90% of the scholarships go to boys.

Irrigated and Cultivated Land

5935. **Shri Ramachandra Veerappa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the acreage of land under cultivation and the acreage of land being irrigated at present ;

(b) the acreage of irrigated land under cultivation at present, State-wise ; and

(c) whether Government propose to increase the acreage in the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Land utilisation statistics are availabe for 1964-65 only. According to that the

total cropped area in the country 1964-65 was 158 million hectares and the gross irrigated area was 31 million hectares.

(b) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-693/68]**

(c) Yes, Sir.

भारत को डेनमार्क से ऋण

5936. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री दीवीकन : **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री वेदव्रत बरुआ : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेनमार्क की सरकार ने हाल ही में भारत को ऋण देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस ऋण को किन कार्यों के लिये प्रयोग में लाने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). 3 करोड़ डेनिश क्रोनर (3 करोड़ रुपये) के अन्न-ऋण सम्बन्धी एक करार पर 25 मार्च, 1968 को हस्ताक्षर किये गये थे। इस ऋण पर ब्याज नहीं लगेगा और इसे 25 वर्ष की अवधि में चुकाया जाना है जिसमें 7 वर्ष की प्रारम्भिक रियायती अवधि भी शामिल है। इस ऋण का उपयोग डेनमार्क में बने दुग्ध-चूर्ण का आयात करने के लिए किया जाना है।

नेत्र बैंक तथा नेत्र दान

5937. **श्री दुरायरासु :** **श्री कमलनाथन् :**
श्री दीवीकन : **श्री सुब्रावेलू :**
श्री मयाबन :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दस नेत्र बैंकों को एक वर्ष में औसतन कुल कितने नेत्र दान किये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव है कि अधिक लोग नेत्रदान करने के लिये आगे आयें ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जहां तक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र स्थिति राष्ट्रीय नेत्र बैंक का सम्बन्ध है वहां पर प्रतिवर्ष औसतन करीब 150-200 नेत्र दान रूप में प्राप्त होते हैं। देश में दूसरे नेत्र बैंकों के सम्बन्ध में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) दिल्ली तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्वेच्छा से नेत्र दान करने के हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय नेत्र बैंक तथा अंधापन निवारण की राष्ट्रीय सोसाइटी पहले से ही प्रचार कार्य कर रहे हैं।

आसाम में यमुना सिंचाई योजना

5938. **श्री रा० बरुआ : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में यमुना सिंचाई परियोजना इस वर्ष पूरी हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो नवगांग और मिकरहिल्स के चावल उपजाने वाले क्षेत्रों में इस परियोजना से किस हद तक सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध होंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) परियोजना के 1968-69 में पूर्ण होने की संभावना है।

(ख) पूर्ण होने पर, इस परियोजना से 84310 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

विदेशी ऋण

5939. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962-67 में भारत को मिले विदेशी ऋणों में से अभी 1413.5 करोड़ रुपये प्रयोग में नहीं लाए गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). 1962 से 1967 तक की अवधि में भारत सरकार द्वारा प्राप्त किये गये 3882.2 करोड़ रुपये के विदेशी ऋणों में से निकाली न गयी रकम पहली जनवरी, 1968 को 1413.5 करोड़ रुपये थी। विदेशी ऋणों की निकासी की प्रगति कई बातों पर निर्भर रहती है। यद्यपि ऋणों के आधार पर वचन उसी समय दिये जा सकते हैं जब विभिन्न निर्धारित शर्तें पूरी हो जायें, तथापि रकमों की निकासी तभी हो सकती है, जब माल का आयात वस्तुतः हो जाए और उसके लिए रकमों की अदायगी की जानी हो। इसलिए, रकमों की निकासी की गति ऋणदाताओं द्वारा निर्धारित विभिन्न शर्तों के पूरा किये जाने में लगनेवाले समय से ही जुड़ी हुई नहीं हैं, बल्कि उसका सम्बन्ध, ब्योरे को अन्तिम रूप दिये जाने, टेंडर मांगे जाने, करार किये जाने, माल की सिपुर्दगी का समय निश्चित किये जाने और विभिन्न करारों के अन्तर्गत अदायगियों का क्रम निर्धारित किये जाने में लगने वाले समय से भी है। प्रायोजना-सम्बन्धी ऋणों की रकमों की निकासी में, गैर-प्रायोजना ऋणों की रकमों की निकासी के मुकाबले ज्यादा समय लगता है, क्योंकि उनकी निकासी की गति विभिन्न प्रायोजनाओं के निर्माण-कार्यक्रमों से सम्बन्धित है। 1413.5 करोड़ रुपये की रकम में से, जो पहली जनवरी, 1968 तक निकाली नहीं गयी थी, 955.56 करोड़ रुपये की रकम ऐसी है जिसके सम्बन्ध में 1966 और 1967 में ऋण करार किये गये थे।

Number of Employees in Central Government Offices

5940. **Shri P. L. Barupal**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of employees, Class I, Class II, Class III and Class IV, working in Central Government offices in March, 1950 and their number in March, 1966;

(b) the percentage of increase in administrative expenditure in 1966 as compared to 1950; and

(c) the steps taken to curtail the administrative expenditure?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Information regarding the number of employees, class-wise, for all Central Government Establishments as in March, 1950 is not available and it is doubtful whether, even if an effort were to be made now, correct and complete information would be available at this distance of time. According to the earliest available information, the total number of Central Government employees as on 1st December, 1951 was 15,29,199 (gazetted: 14,349 and non-gazetted: 15,14,850). Class-wise break-up is not available.

The figures as in March, 1966, are in the process of collection and compilation by the Director General, Employment and Training, who conducts the annual census of Central Government employees. The published figures showing the position as on 31st March, 1965, are as follows:—

Class I	..	19,022
Class II	..	33,195
Class III	..	11,43,857
Class IV	..	12,09,457
	Total :—	24,05,531

(b) 313%—on tax collection charges and administrative services (Police, General Administration, Audit, External Affairs, etc.) in respect of departments other than Railways and Defence. The main increase (14 times) has been under 'Police'.

(c) There is little scope for reduction in expenditure under heads like Tax Collection, Police, Audit, External Affairs, etc. Efforts are, however, constantly being made to keep down the expenditure on "General Administration" which is a small part of the total administrative expenditure. Some of the more important measures taken recently towards this end include ban on revision of pay scales, restriction on deputation allowance in certain kinds of cases, reduction in rates of travelling allowance, suspension of routine transfers, adoption of austerity standards in respect of items of contingent expenditure and intensification of staff inspection studies of Government offices.

केरल में एडामलयार परियोजना

5941. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में एडामलयार परियोजना के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को इड्डिकी परियोजना के साथ क्रियान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्रार्थना की गई है कि वे दो या तीन वैकल्पिक स्थलों पर विस्तृत अनुसंधान कार्य करें ताकि परियोजनाओं के लिये अत्यधिक मितव्ययी बांध का चयन सुनिश्चित हो जाए। जब अनुसंधानों के परिणामों का पता लग जाएगा, तभी एड्मलियार परियोजना पर विचार किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी

5943. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांवों में अस्पतालों और औषधालयों में डाक्टर की कमी है जबकि नगरों में डाक्टर बेरोजगार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है जिसके अन्तर्गत स्वेच्छा से बेरोजगार डाक्टरों को गांवों के अस्पतालों में भेजा जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ग). दिसम्बर, 1967 के अन्त तक ब्लाकों से चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और बिना डाक्टर वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या का एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-694/68]

जीवन की कठिन स्थितियों तथा संचार, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक जीवन जैसी सुविधाओं की कमी के कारण डाक्टर प्राय: ग्राम क्षेत्रों में काम करना पसन्द नहीं करते हैं। अनेक अवसरों पर विभिन्न समितियों ने केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर जिसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद भी सम्मिलित है, इस विषय पर विचार किया। इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप अधिकांश राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र ग्राम क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिये उपाय कर रहे हैं। इस दिशा में राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों द्वारा वरते गये तथा बरते जाने वाले उपायों का ब्योरा इस प्रकार है :

(क) ग्राम क्षेत्रों तथा नगर क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों के लिए एक ही काडर का निर्माण करना।

(ख) ग्राम भत्ता, परिवहन सुविधाएं, निःशुल्क सुसज्जित मकान, सुरक्षित जलपूर्ति आदि जैसे सभी प्रकार के प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करना।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषतया भवनों, आवासिक मकानों, आवश्यक मैदानिक सुविधाओं में जिनमें प्रयोगशाला सेवाएं तथा चिकित्सा भण्डार भी सम्मिलित हैं, संरचनात्मक सुधार करना।

(घ) सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा अधिकारियों को पुनः रोजगार देने की व्यवस्था करना ।

ग्राम क्षेत्रों में कुछ वर्षों तक काम करने का बौण्ड भर कर देने वाले चिकित्सा छात्रों के लिए कुछ राज्यों ने छात्रवृत्तियां/वजीफे देने की भी व्यवस्था की है । चिकित्सा कालेजों को भी ग्राम स्वास्थ्य सेवाओं के निकट सम्पर्क में लाया जा रहा है ।

लोक-सभा में प्रश्नों के बारे में सूचना प्राप्त करने पर व्यय

5944. **श्री रा० कृ० बिडला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि लोक-सभा में एक तारांकित प्रश्न संख्या और अतारांकित प्रश्न का उत्तर देने के बारे में जानकारी एकत्र करने पर औसतन कितना धन व्यय होता है ;

(ख) यदि हां, तो एक तारांकित प्रश्न और एक अतारांकित प्रश्न पर अलग-अलग सरकार को औसतन कितना व्यय करना पड़ता है ;

(ग) क्या इन प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र करने में सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को कोई समयोपरि भत्ता दिया जाता है अथवा क्या यह काम ड्यूटी के सामान्य घंटों में ही किया जाता है ; और

(घ) यदि समयोपरि भत्ता दिया जाता है, तो इस शीर्ष के अन्तर्गत पिछले एक वर्ष में कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं । संसद के तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी करने में होने वाले व्यय का कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है । संसद के प्रश्न का उत्तर देने के लिये सूचना इकट्ठी करने में जो प्रयास करना होता है वह उस प्रश्न के स्वरूप तथा जिन स्रोतों से वह जानकारी एकत्र की जानी होती है उनकी संख्या के अनुसार अलग-अलग होता है । 1959 में एक ऐसे ही विषय पर पूछे गये प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बताया गया था कि एक प्रश्न का उत्तर देने में मोटे तौर पर 60 रुपया खर्च आता है लेकिन वेतनों में आम-वृद्धि हो जाने से, कार्यालयों की संख्या बहुत बढ़ जाने से, प्रश्नोत्तरों की अधिक प्रतियां देने और अनुवाद आदि के कारण खर्च की इस राशि को अब सही नहीं कहा जा सकता ।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) जहां तक संभव होता है, काम सामान्य कार्यालय-समय में ही किया जाता है ; अतिरिक्त-समय भत्ता देना प्रायः अपरिहार्य हो जाता है, खासकर अनुवाद, स्टेंसिल काटने, प्रतियां निकालने, आदि के काम में लगे कर्मचारियों को ।

(घ) लोक-सभा के प्रश्नों के सम्बन्ध में दिये गये अतिरिक्त समय भत्ते का अलग से हिसाब नहीं रखा जाता, इसलिये रिकार्डों से यह सूचना इकट्ठी करना संभव नहीं होगा ।

झुनझुनू जिले में अल्प बचत

5945. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि अल्प बचत योजना के अन्तर्गत राजस्थान में झुनझुनू जिले में इकट्ठी की गई धनराशि सर्वाधिक है ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में, वर्ष-वार इस योजना के अन्तर्गत झुनझुनू जिले में कुल कितनी धनराशि इकट्ठी की गई तथा उसी अवधि में उस राज्य में इकट्ठी की गई कुल धनराशि की तुलना में यह धनराशि कितने प्रतिशत है ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत इकट्ठी की गई धनराशि में से कितने प्रतिशत राशि उस जिले के विकास कार्यों के लिये, जहां से वह इकट्ठी की गई थी खर्च की जा रही है ; और

(घ) गत पांच वर्षों में, वर्षवार इस प्रकार विनियोजित की गई कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है तथा उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। राजस्थान में संग्रह की गयी रकमों के जिलेवार आंकड़ों के मामले में, केवल 1965-66 को छोड़ कर, 1962-63 से लेकर अब तक झुनझुनू जिला आमतौर पर सबसे आगे रहा है।

(ख) आंकड़े इस प्रकार हैं :

वर्ष	झुंझुनू जिले में शुद्ध संग्रह	राजस्थान में शुद्ध संग्रह	कुल संग्रह का प्रतिशत अनुपात
		(लाख रुपयों में)	
1962-63	26.00	38.19	68.08
1963-64	42.01	150.81	27.86
1964-65	52.51	152.09	34.52
1965-66	85.79	313.50	27.36
1966-67	76.84	213.32	36.01
		(अनन्तिम)	

(ग) और (घ) छोटी बचत योजना के अन्तर्गत इकट्ठी होने वाली रकम केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा की जाती है। लेकिन राज्य-सरकारों को, प्रत्येक राज्य में किये गये शुद्ध संग्रह के दो तिहाई की सीमा तक काल्पनिक आधार (नोशनल बेसिस) पर ऋणों की स्वीकृति दी जाती है। ये ऋण पृथक रूप से किसी खास प्रयोजन के लिये निर्धारित नहीं किये जाते लेकिन आशा की जाती है कि इन्हें विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाया जायगा। किसी भी मामले में, राज्यों के लिये यह जरूरी नहीं है कि वे किन्हीं विशेष जिलों में संग्रह की गयी छोटी बचतों की रकमों के आधार पर, ऋणों का कोई प्रतिशत उन्हीं जिलों के लिये निर्धारित करें। इस बात का निश्चय करना नितांत रूप से राज्य-सरकारों का काम है।

दिल्ली में नवनिर्मित क्वार्टरों का अलाट किया जाना

5946. **श्री म० ला० सोंधी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है सरकार 1 मार्च, 1968 से नवनिर्मित क्वार्टरों को अलाट करने के लिये सहमत हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कोई क्वार्टर अलाट क्यों नहीं किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है क्वार्टरों के दूसरे बैच को अलाट किये जाने की तारीख 15 मार्च, 1968 है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस तारीख को क्वार्टरों का अलाट किया जाना आरम्भ करने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). रामकृष्णपुरम सेक्टर XII में बने नये क्वार्टरों की मार्च, 1968 के मध्य से तीन किस्तों (लोट्स) में आवंटन के लिये उपलब्ध होने की संभावना थी। इस सम्बन्ध में लोक-सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1027 तथा 3548 क्रमशः 19 फरवरी, 1968 तथा 11 मार्च, 1968 की ओर ध्यान दें। कार्य के कार्यक्रम में थोड़ी सी बाधा आ जाने के कारण, क्वार्टरों की पहली किस्त अप्रैल, 1968 के प्रथम सप्ताह में अब उपलब्ध होने की संभावना है। उसके लगभग तुरन्त बाद क्वार्टरों का आवंटन कर दिया जायेगा।

विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली के होस्टल में बेहोश पाई गई नर्सें

5947. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री निहाल सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 मार्च, 1968 की रात को विलिंग्डन अस्पताल नई दिल्ली की दो युवा नर्सों को उनके होस्टल से बेहोशी की हालत में एमर्जेन्सी वार्ड में ले जाया गया था तो उनमें से एक नर्स की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है।

भारतीयों के विदेशों में बैंकों में खाते

5948. **श्री काशीनाथ पाण्डे :** क्या **वित्त** मंत्री 8 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1799 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भारतीयों के बारे में अब जानकारी इकट्ठी कर ली गई है जिनके विदेशों में बैंकों में खाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों तथा बैंकों के नाम क्या हैं और ये खाते किन देशों में रखे गये हैं ;

(ग) ये व्यक्ति भारत से धनराशि किस प्रकार भेजते हैं ; और

(घ) उन भूतपूर्व राजाओं के नाम क्या हैं जिनके ऐसे खाते हैं और वे कहां-कहां हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (घ). सभा की मेज पर एक विवरण रखा गया है, जिसमें 1220 खातेदारों के नाम दिये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-695/68] इनमें से, 827 नाम व्यक्तियों के (जिनमें भूतपूर्व शासक भी शामिल हैं) और बाकी 393 नाम कम्पनियों के हैं । जिन देशों में खाते खोले गये हैं, उनके नाम भी बताये गये हैं । जिन विदेशी बैंकों में खाते खुले हुए हैं, उनके नाम बताना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है ।

(ग) आम तौर पर, केवल विदेशों में खाते खोलने या खातों में रकमें जमा कराने के लिये रकमें बाहर भेजने की इजाजत नहीं दी जाती । ये अधिकांशतः विदेशों में हुई आमदनियों से खोले गये हैं या उनके द्योतक हैं ।

तीस्ता घाटी योजना

5949. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने तीस्ता घाटी योजना नामक बांध योजना जिसमें महानदी तीस्ता तथा अन्य नदियां शामिल हैं, प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं । किन्तु गत पंद्रह वर्षों के दौरान तीस्ता बराज परियोजना पर काफी अनुसंधान कार्य हो चुका है । परियोजना को चरणों में कार्यान्वित करने का कार्यक्रम बनाया गया है और इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार अनुसंधान कार्य कर रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

बम्बई जल सम्भरण योजना के लिये वित्तीय सहायता

5951. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वृहत्तर बम्बई के लिये जल सम्भरण को बढ़ाने के लिये नई योजनाएं आरम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने के लिये महाराष्ट्र सरकार तथा/अथवा बम्बई नगर निगम से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने बम्बई के लिये जल सम्भरण को बढ़ाने हेतु स्वयं अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). वृहद् बम्बई में जलपूर्ति में वृद्धि करने के लिये बम्बई नगर निगम की भटसाई परियोजना नामक एक योजना है। यह प्रस्ताव किया गया है कि सहायता के लिये विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से कहा जाये। महाराष्ट्र सरकार ने अनुरोध किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से यदि सहायता प्राप्त हो तो वह राज्य की योजना सीमा के अतिरिक्त राज्य सरकार को दे दी जाये। इस योजना को पूरा करने के लिये आवश्यक रुपये वाले स्रोत राज्य योजना आवण्टनों में से ही ढूंढने होंगे। विदेशी सहायता से भारत सरकार परियोजना के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा ही दे सकती है। इस योजना के विभिन्न पहलुओं की तकनीकी और आर्थिक व्यावहारिकता का अध्ययन करने और उससे सम्बन्धित रिपोर्ट देने के लिये महाराष्ट्र सरकार ने सलाहकार नियुक्त किये हैं। रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने पर ही अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से सहायता पाने के लिये विशिष्ट योजना तैयार करने का निर्णय किया जा सकता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय का स्वतंत्र स्तर

5952. **श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय को स्वतंत्र स्तर प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्यालय को स्वतंत्र स्तर नहीं प्रदान करने के क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) आयुक्त को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये पहले से ही आजादी, प्राधिकार तथा स्वाधीनता प्राप्त हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Scholarship to Physically Handicapped Students

5953. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) the number of physically handicapped students who were granted scholarships by Government during 1967-68, State-wise ;

(b) whether there has been undue delay in the payment of scholarships to the students of Indian Institute of Technology, Kharagpur ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the action proposed to be taken by Government for early payment and scholarships to them ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. Smt. Phulrenu Guha) : (a) A State-wise list showing the number of scholarships awarded to physically handicapped students during the year 1967-68 is laid on the Table. **[Placed in Library. See No. LT-696/68]**

(b) to (d). There was delay in the payment of scholarship to one student.

The Institute authorities failed to supply requisite documents in spite of repeated reminders. The amount has been released and the Institute advised to submit documents in time.

निर्यात व्यापार के लिये विदेशी मुद्रा

5954. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात व्यापार के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन और उदार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस उदारता के कारण परम्परागत और गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में कितनी सहायता मिलेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). जहां तक निर्यात सम्बन्धी उत्पादन में सहायता पहुंचाने के लिये किये जाने वाले आयात के लिए विदेशी मुद्रा देने का सम्बन्ध है, 1968-69 सम्बन्धी नीति अलग से घोषित की जायगी । निर्यातकों को, निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की जाने वाली विदेश-यात्राओं के लिए, विदेशी मुद्रा देने की सामान्य सुविधा को और उदार बना दिया गया है । इस सुविधा से लाभ उठाने की पात्रता के लिए, गैर-परम्परागत वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्यात की आवश्यक न्यूनतम रकम को 20 लाख रुपए से घटाकर 5 लाख रुपया और परम्परागत वस्तुओं के सम्बन्ध में इस रकम को 50 लाख रुपए से (चाय और जूट की वस्तुओं के लिए 100 लाख रुपए से) घटाकर 25 लाख रुपया कर दिया गया है । अब इस सुविधा के अन्तर्गत, बाजार-सम्बन्धी अध्ययन, विदेशों में किए जाने वाले विज्ञापनों, व्यापारिक मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने और निर्यात के सम्बन्ध

में नमूने और तकनीकी सूचना प्राप्त करने के लिए भी वित्त व्यवस्था की जा सकती है। इस काम को आसान बनाने के लिए, उन लोगों द्वारा आवेदनपत्र दिए जाने पर, जिनके पास पर्मिट हों, पर्मिटों के मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। हालांकि इस बात की आशा है कि इन उपायों से निर्यात व्यापार में काफी सहायता मिलेगी, फिर भी यह बताना कठिन है कि कितनी सहायता मिलेगी।

अशोधित तेल पर बिक्री-कर

5955. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम से बरौनी ले जाये जाने वाले अशोधित तेल पर आसाम में राज्य बिक्री-कर लग सकता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इससे आसाम को प्रति-वर्ष राजस्व की कितनी हानि होगी ;

(ग) क्या बरौनी आने वाले इस अशोधित तेल से बिहार को बिक्री कर मिलता है और यदि हां, तो प्रति-वर्ष कितना ; और

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार को इससे राजस्व में होने वाली हानि को पूरा करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). असम से बिहार में बरौनी को ले जाये जाने वाले अशोधित तेल पर बिक्री-कर असम में लगाया जाय अथवा बिहार में, इस प्रश्न को लेकर इन दोनों राज्यों में सम्बन्धित अपीलीय अधिकारियों के समक्ष अपीलें दायर की गयी हैं जिनका निर्णय अभी होना है। राजस्व की हानि का सवाल केवल उस हालत में उठता है जब कानूनी तौर पर लगाया जाने वाला बिक्री-कर वसूल नहीं किया जाय। प्रस्तुत मामले में सारा मसला न्याय के विचाराधीन है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

अनुर्वरीकरण और नसबन्दी आपरेशन

5956. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यवार अनुर्वरीकरण कार्य-क्रम पर कितना-कितना व्यय हुआ ;

(ख) इस अवधि में राज्यवार कुल कितने व्यक्तियों का अनुर्वरीकरण किया गया ;

(ग) नसबन्दी के जबरन कितने आपरेशन किये गये और ऐसे आपरेशनों के बारे में राज्य सरकारों को अब तक कितनी शिकायतें की गईं ; और

(घ) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) नसबन्दी कार्यक्रम पर किये गये खर्च का राज्यों और संघ शासन द्वारा अलग आंकड़ों का हिसाब नहीं रखा जाता है ।

(ख) 1967-68 में राज्यवार नसबन्दी किये गये कुल लोगों की संख्या का एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-697/68]

(ग) इस प्रकार के कुछ इक्के दुक्के मामलों की रिपोर्ट मिली है ।

(घ) शिकायतों की सावधानी से जांच-पड़ताल की जाती है । ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये आवश्यक उपाय बरतने के लिये राज्य सरकारों को सख्त आदेश भी भेजे गये हैं ।

नसबन्दी

5957. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रजनन क्रिया को पुनः सक्रिय बनाने तथा नसबन्दी के कारण उत्पन्न हुई खराबी को दूर करने के लिये कुछ अस्पतालों में एकक स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (**डा० श्री० चन्द्रशेखर**): (क) और (ख). जी हां। भारत में अनेकों अस्पतालों/संस्थाओं में प्रजनन क्रिया को पुनः सक्रिय बनाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो नसबन्दी किए गए व्यक्ति आगे बच्चे पैदा करना चाहते हैं, इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं । ऐसे अस्पतालों/संस्थाओं की एक सूची संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-698/68]

नई दिल्ली में इर्विन रोड पर स्थित हनुमान मन्दिर का बन्द किया जाना

5958. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 1968 के टाइम्स आफ इन्डिया में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि नई दिल्ली में इर्विन रोड पर स्थित हनुमान मन्दिर के महन्तों ने मन्दिर में भक्तों का प्रवेश बन्द कर दिया है और मन्दिर के द्वार बन्द कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने इस स्थान पर जबर्दस्ती और गैर-कानूनी ढंग से कब्जा कर रखा है ; और

(घ) यदि हां, तो महन्तों और भक्तों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). जी हां। संक्षेप में स्थिति यह है कि श्री हनुमान मन्दिर के साथ की भूमि पर खोंमचे वालों ने अनधिकृत खोखे बना लिये थे उन्हें भूमि और भवन विभाग तथा नई दिल्ली नगरपालिका ने जो जून, 1967 में अनधिकृत निर्माण गिराने के अपने एक अभियान के दौरान गिरा दिया। मन्दिर के एक पुजारी श्री कृष्ण लाल ने नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष, उप-राज्यपाल, डिप्टी कमिश्नर और अनेक दूसरे अधिकारियों को यह नोटिस दे दिया कि यदि वह भूमि, जो उनके अनुसार मन्दिर की थी, वापिस न दी गई तो मन्दिर जनता के लिए 15 मार्च, 1968 से बन्द कर दिया जाएगा। इस क्षेत्र के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने पुजारियों को बुलाया तथा उन्हें कहा कि यदि वह भूमि मन्दिर की है तो उन्हें नई दिल्ली नगरपालिका के विरुद्ध दीवानी मुकदमा दायर करना चाहिए। उन्होंने उनसे आगे कहा कि उन्हें मन्दिर बन्द नहीं करना चाहिए क्योंकि नई दिल्ली नगरपालिका के विरुद्ध उनकी शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इस आश्वासन से पुजारियों ने मन्दिर को जनता के लिए खुला रखना स्वीकार कर लिया। तदनुसार मन्दिर का दरवाजा जो 17 मार्च, से थोड़ा बन्द कर दिया गया था, 18 मार्च, 1968 को खोल दिया गया। मन्दिर अब आम जनता के लिए खुला है।

केरल में समाज कल्याण विभाग

5959. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2769 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच केरल सरकार से वहां राज्य समाज कल्याण विभाग की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि उसे वित्तीय सहायता देना जारी रखा जाय ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) यह विषय विचाराधीन है।

पोर्ट ब्लेयर अस्पताल में गर्भावस्था में रक्त-क्षीणता के कारण मृत्यु

5960. **श्री गणेश :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त से दिसम्बर, 1967 तक की अवधि में असैनिक अस्पताल पोर्ट ब्लेयर, अन्दमान द्वीप समूह में, गर्भावस्था में रक्त-क्षीणता के कारण कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई ;

(ख) वर्ष 1966 में कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई थी ; और

(ग) गर्भावस्था में रक्त-क्षीणता के कारण महिलाओं की मृत्यु कम से कम हो, इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दो।

(ख) दो।

(ग) प्राक-प्रसव चिकित्सा इस अस्पताल में सप्ताह में दो बार होती है और रुधिरवर्णिका की प्रतिशतता के लिए रक्त की जांच की जाती है तथा तदनुसार लोहस्व गोलियों अथवा मिश्रण और मल्टी-विटामिन गोलियों से रोगियों का उपचार किया जाता है।

प्राक-प्रसव तथा प्रसव के बाद के मामलों की देख-रेख महिला स्वास्थ्य-चारिकाओं तथा दाईयों द्वारा घर-घर जाकर की जाती है। महिला स्वास्थ्य-चारिकाओं द्वारा अपने दौरों के समय दवायें भी वितरित की जाती हैं।

क्षीण रक्त प्राक-प्रसव के गम्भीर मामलों में रोगियों को समुचित देख-रेख तथा उपचार के लिए हस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है।

Recommendations of Patel Commission Re: Development of Eastern Districts of U. P.

5961. **Shri Jharkhande Rai**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the recommendations made by the Patel Commission in regard to Irrigation and Power Works for the development of eastern districts of Uttar Pradesh; and

(b) the recommendations which have not been implemented so far and the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Accelerated development of irrigation and expansion of rural electrification by providing additional funds to the extent of Rs. 2.17 crores in Third Plan and Rs. 11.46 crores in Fourth Plan.

The programme recommended is being implemented by provision of additional funds during the last two years of Third Plan and specific outlays for eastern districts in the Annual Plans of 1966-67 and 1967-68.

(b) Does not arise.

क्रिश्चियन एजेन्सी फार सोशल ऐक्शन

5962. **श्री दामानी** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में क्रिश्चियन एजेन्सी फार सोशल ऐक्शन नामक एक नया समाज कल्याण संगठन बना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या है और वह क्या कार्य करता है ; और

(ग) क्या उसे सरकार की ओर से कोई अनुदान मिला है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) क्रिश्चियन एजेन्सी फार सोशल ऐक्शन नेशनल क्रिश्चियन कौंसल रिलीफ कमेटी का, जो मई, 1947 में पहले पहल स्थापित की गई थी और उसी नाम से 11 मार्च, 1968 तक चलती रही, नया नाम है ।

(ख) क्रिश्चियन एजेन्सी फार सोशल ऐक्शन के निदेशक के अनुसार यह संस्था खाद्य उत्पादन बढ़ाने, शरणार्थियों के पुनर्वास, सामुदायिक विकास तथा स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक कार्य सम्बन्धी कार्यक्रमों में बिना भेद-भाव से काम करती है, जिससे गरीबों तथा जरूरतमंदों के प्रति ईसाइयों की चिन्ता प्रकट हो तथा उनका कष्ट कुछ दूर हो और वे यथासम्भव स्वावलम्बी बन सकें ।

(ग) इस संस्था को सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता है ।

पिछड़े क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय

5963. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 289 जिलों सम्बन्धी अन्तर्जिला तथा अन्तर्राज्यीय भिन्नकों के बारे में 1955-56 में किये गये अध्ययन में व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने यह पता लगाया था कि 29 जिले सबसे अधिक पिछड़े हुए थे, जिनकी प्रति व्यक्ति आय 146 रुपए से कम थी ;

(ख) क्या 147 रुपये से 173 रुपये के बीच प्रति व्यक्ति आय के दूसरे वर्ग में 29 अन्य जिले पाये गये ;

(ग) यदि हां, तो इन दो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वर्गों वाले 58 जिलों के बारे में, राज्यवार आंकड़े क्या-क्या हैं ;

(घ) उन जिलों को अन्य जिलों के बराबर के स्तर तक लाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) तीन पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो जाने के बाद अब उन जिलों की विकास संबंधी स्थिति क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) में जिन जिलों का उल्लेख किया गया है, उनकी सूची (प्रति व्यक्ति आय और उन राज्यों के नामों सहित, जहां वे जिले स्थित हैं), राष्ट्रीय

व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के "अन्तर्जिला तथा अन्तर्राज्यीय आय भिन्नक-1955-56" नामक अध्ययन की सारिणी 24 और सारणी 25 में दी गई है। यह पुराना अध्ययन है। हाल में सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके कुछ जिलों को पिछड़े हुये जिले निर्धारित किया है ; इन जिलों की सूची साथ दी जा रही है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-699/68]

(घ) विभिन्न प्रदेशों के बीच विकास के स्थर में जो अन्तर है उसे धीरे-धीरे कम करना, हमारी आर्थिक नीति का एक उद्देश्य है और अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सहायता के निर्धारण और जहां तक हो सकता है, केन्द्रीय प्रायोजनाओं की स्थापना जैसे उपायों द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयत्न किया जाता है। राज्यों की सीमाओं के अन्दर जो इलाके विशेषरूप से पिछड़े हुये हैं, उनका तेजी से विकास करना, राज्यों की चौथी पंचवर्षीय आयोजनाओं का अभिन्न अंग होगा।

(ङ) सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे विभिन्न जिलों की विकास सम्बन्धी मौजूदा स्थिति का ताजा मूल्यांकन करें।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

5964. **डा० सुशीला नायर** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के विभिन्न भागों से समाचार मिले हैं कि वहां पर मलेरिया बड़े पैमाने पर भीषण रूप में फैला हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को असफल होने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी हां, मुख्यतया गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और महाराष्ट्र राज्यों से ऐसे समाचार मिले हैं।

(ख) इसके मुख्य कारण ये हैं : निगरानी कार्यों की अपर्याप्तता, रसद की कमी और कुछ स्थानों में वेक्टर की प्रतिरोधिता बढ़ जाना।

(ग) रोग ग्रस्त क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को पुनर्गठित किया जा रहा है और वहां पर गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है।

दिल्ली में टाउन हाल के सामने राष्ट्रीय महापुरुष की मूर्ति लगाना

5965. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चांदनी चौक में टाउन हाल के सामने महारानी विक्टोरिया की मूर्ति

के स्थान पर, जो अब हटा ली गई है, एक राष्ट्रीय महापुरुष की मूर्ति लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयकर की राशि का बट्टे खाते में डाला जाना

5966. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1963-64 और 1964-65 में आयकर की **क्रमशः** 1,60,37,681 रुपये और 97,47,072 रुपये की राशि बट्टे खाते में डाली गई थी ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी आयकर की 5,000 रुपए से अधिक **राशि** बट्टे खाते में डाली गई थी ; और

(ग) किस निर्धारण वर्ष में आयकर की यह धनराशि बट्टे खाते में डाली गई तथा आयकर का निर्धारण कब किया गया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जिन व्यक्तियों की तरफ 5000 रुपये से अधिक की आयकर की बाकी रही रकमें बट्टे खाते में डाल दी गई हैं उनके नाम और जिस कर-निर्धारण वर्ष की वे रकमें थीं, इस बारे में सूचना अनुबन्ध में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-** 700/68] इन मामलों में कर-निर्धारण कब किये गये थे, यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाना

5967. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966-67 में ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में 3608 **टन** यूरिया और 5632 टन नाइट्रो-फास्फेट की कमी के कारण लगभग 38 लाख रुपये की हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बट्टे खाते में डाल दी गई थी ;

(ग) क्या इस कमी के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच करायी गई है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी कमी न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). इस मामले की जांच के लिए कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई एक समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कमी केवल आभासी (apparent) थीं और उत्पादन आंकड़ों के अधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप थी ; जो (आंकड़े) वास्तविक तोल पर आधारित न होकर कई अनुमानों पर आधारित थे। समिति की सिफारिशों पर, बैंगिग प्लांट (Bagging Plant) पर वास्तविक तोल द्वारा उत्पादन आंकड़ों की जांच दर जांच पद्धति ट्राम्बे में चालू की गई है।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाना

5968. **श्री कृ० मा० कौशिक : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 में ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में एक विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो मशीनों और उत्पादन की कितनी हानि हुई ; और

(ग) इसका क्या कारण था और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) मशीनों की हानि	लगभग 1.25 लाख रुपये
उत्पादन की हानि	लगभग 42 लाख रुपये

(ग) नेपथा के साथ रिएक्टरों में पानी के दाखले के कारण विस्फोट हुआ। ऐसे विस्फोट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाना

5969. **श्री कृ० मा० कौशिक : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में उर्वरकों के उत्पादन के लिए किस-किस कच्चे माल की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह कच्चा माल स्थानीय रूप से खरीदा जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कहां से खरीदा जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) शोधनशाला गैस, नेपथा, फास्फेट राक और गन्धक।

(ख) और (ग). आंशिक स्थानीय तथा आंशिक आयातित/शोधनशाला गैस और नेपथा, संलग्न स्थानीय पैट्रोलियम शोधनशालाओं से खरीदा जाता है। गन्धक और राक-फास्फेट, सीधा या राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित किया जाता है।

Burning of a Transformer in Kota (Rajasthan)

5970. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to the recent burning of the transformer installed at Kota in Rajasthan, the work of electrification has been discontinued ;

(b) whether it is also a fact that the said transformer was installed only a month ago; and

(c) if so, the causes thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). A transformer installed by the Rajasthan State Electricity Board on 28-2-1968 for making available construction power for Rajasthan Atomic Power Projeet got burnt on the 7th March, 1968 due to a cable fault. This however, did not result in any failure in supply of electricity.

मंत्रियों के लिये आवास

5971. **श्री मुद्रिका सिंह :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले सामान्य निर्वाचन के बाद निवासस्थान दिये गये हैं और उनके द्वारा शपथग्रहण किये जाने के कितने दिन पश्चात् दिये गये हैं ;

(ख) उन मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्हें अभी तक निवास स्थान नहीं दिए गए हैं और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अप्रैल, 1967 से मार्च, 1968 तक कितने बंगले खाली किये गये, वे बंगले किस टाइप के थे, वे बंगले किस-किस को अलाट किये गये हैं तथा किस आधार पर अलाट किये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जिस तारीख को नए मंत्रीमंडल ने शपथ ली थी, 55 मंत्रियों/उप-मंत्रियों में से 27 अपने पदों पर आसीन थे तथा उनके पास सरकारी वास था। 13 मार्च, 1967 को अथवा उसके बाद 28 मंत्रियों/उप-मंत्रियों ने पद संभाला तथा 27 को सरकारी वास आवंटित कर दिया गया था क्योंकि सरकारी वास के आवंटन में एक मंत्री की कोई रुचि नहीं थी तथा उन्होंने अपने निवास स्थान में रहने का निर्णय किया था।

एक विवरण संलग्न है जिसमें जिन मंत्रियों/उप-मंत्रियों को सरकारी वास आवंटित कर दिया गया है उनके नाम, तारीख जिस पर कि उन्होंने अपने कार्य की शपथ ली तथा आवंटन की तारीख आदि दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 701/68]

(ग) अप्रैल, 1967 से मार्च, 1968 तक टाईप VIII के 55 बंगले तथा टाइप VII के 35 बंगले खाली हुए थे तथा मंत्रियों/उप-मंत्रियों, संसद सदस्यों, योजना आयोग के

सदस्यों, सर्वोच्च/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, आयोगों/समितियों के अध्यक्षों तथा सामान्य पूल वास के अधिकारियों को आवंटित कर दिए गए। एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-701/68]

फरक्का बांध परियोजना को पूरा करने के लिये मेसर्स तारापुर एण्ड कम्पनी मद्रास को ठेका

5972. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स तारापुरवाला एन्ड कम्पनी, मद्रास को फरक्का बांध परियोजना को पूरा करने के लिये ठेका दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस फर्म ने इस कार्य के लिये रूस से मशीनों का आयात किया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या आयात की गई मशीनें विशिष्ट विवरण के अनुसार नहीं थीं ; और

(घ) क्या ठेके का काम समय के अन्दर पूरा हो गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। फर्म ने परियोजना पर अपना काम करने के लिए, कुछ रूसी उपस्कर का आयात किया और इसके लिए सरकार ने विदेशी मुद्रा दी।

(ग) इस सम्बन्ध में फर्म को कुछ शिकायतें थीं।

(घ) मेसर्स तारापुर एण्ड कम्पनी को समझौते के अनुसार, जून 1968 तक कार्य पूरा करना था। किन्तु उनकी प्रार्थना पर कार्य पूर्ण होने की तिथि जून, 1969 कर दी गई है।

फिल्मों कलाकारों द्वारा कर अपवंचन

5973. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में निम्नलिखित फिल्म निर्माताओं तथा निदेशकों ने आयकर तथा धनकर का अपवंचन किया है ;

(1) श्री बी० आर० चोपड़ा (2) श्री एल० बी० प्रसाद (3) श्री पी० एस० बी० वीरप्पा (4) श्री नाजिर हुसैन (5) फिल्म युग के श्री ओम प्रकाश (6) राजकमल स्टूडियो के श्री वी० शान्ताराम (7) श्री नागी रेड्डी (8) श्री सुबोध मुकर्जी (9) फिल्मालय के श्री एस० मुकर्जी (10) श्री ए० भीम सिंह (11) श्री बोगू मेनन (12) श्री ए० बी० मेयापन (13) श्री देवेन्द्र गोयल (14) श्री विजय आनन्द फिल्म निदेशक (15) श्री एच० एस० रवेल ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने उपरोक्त अवधि में कितना मुनाफा दिखाया है और उन्होंने वर्ष-वार कितना आयकर तथा धनकर दिया है ; कितना आयकर उनसे वसूल किया गया है ; और

(ग) उनसे बकाया राशि वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

मूलभूत नियम

5974. **श्री महादेवप्पा रामपुरे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चूंकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले मूलभूत नियमों में उन व्यक्तियों के जो तृतीय वर्ग (नि:संवर्ग) पद से द्वितीय वर्ग के पद पर पदोन्नत किये जाते हैं वेतन निर्धारित करने के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है, इसलिए केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों ने अपने कर्मचारियों को उदाहरणार्थ तृतीय वर्ग के सहायक से द्वितीय वर्ग के सहायक, तृतीय वर्ग के अनुवादक से द्वितीय वर्ग के सहायक और तृतीय वर्ग के आशुलिपिक से द्वितीय वर्ग के आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति होने पर मूलभूत नियम 22-ग के अन्तर्गत लाभ दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सहायकों/आशुलिपिकों की संख्या कितनी है जिन्हें 1963 से 1 जनवरी, 1966 तक की अवधि में उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों में मूलभूत नियम 22-ग के अन्तर्गत लाभ दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार तृतीय वर्ग के पद से द्वितीय वर्ग के पद पर पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों के वेतन निर्धारित करने के संबंध में मूलभूत नियमों में संशोधन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). मूलभूत नियमों में श्रेणी-1 के स्तर तक की पदोन्नति के लिए वेतन-निर्धारण की व्यवस्था है। मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मूलभूत नियम 22-ग के अन्तर्गत वेतन-निर्धारण का लाभ दो पदों की जिम्मेदारियों की सापेक्ष्य मात्रा को ध्यान में रखकर दिया जाता है, उनके श्रेणी-III, श्रेणी-II आदि में वर्गीकरण के आधार पर नहीं।

मजदूरी और वेतन की दरें

5975. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या वित्त मंत्री 18 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 680 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह आदेश जिसके द्वारा तुलनात्मक मजूरी और वेतन की दरों की असमानता को दूर करने के लिये मजूरी और वेतन की दरों को ठीक करने से रोका गया है, न्याय की

भावना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा को अनुमोदित करते हुए इस विषय पर किये गये निर्णय के विरुद्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत न्याय के अनुसार तुलनात्मक मजूरी अथवा वेतन की स्पष्ट विषमता को, विशेषकर आपातकाल की स्थिति समाप्त हो जाने के पश्चात्, ठीक करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो वह आदेश चतुर्थ योजना के प्रारूप पर किये गये निर्णय से कैसे मेल खाता है ;

(ग) इस आदेश के जारी होने के पश्चात् कतिपय पदों के वेतनमानों में किये गये संशोधनों का ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस रोक की अवधि के दौरान वेतनमानों की स्पष्ट असमानताओं को दूर करने के न्यायोचित तथा लम्बित पड़े मामलों पर जिनको ठीक करने पर खर्च में बहुत थोड़ी वृद्धि होती है, विचार करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). खर्च में कमी करने के एक उपाय के रूप में सरकार द्वारा यह फैसला किया गया था कि वेतन ढांचों में किसी भी स्तर पर कोई संशोधन न किया जाय, और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा 20-21/8/66 को चौथी पंचवर्षीय आयोजना की रूप रेखा के प्रारूप पर विचार किये जाने से पहले यह फैसला किया गया था। आपात स्थिति अब हटा दी गयी है परन्तु उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं था।

(ग) उक्त रोक में ढिलाई करके वेतनमानों में जो संशोधन किए गए उनके सम्बन्ध में विस्तृत सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(घ) और (ङ). खास किस्म के मामलों पर गुण-दोष के आधार पर सदा विचार किया जा सकता है, किन्तु असंगतियां दूर करने में सामान्यतया वर्गोन्नति हो जाती है और इसी से बचने के लिये यह रोक लगाई गई है।

Co-operative Housing Societies

5976. **Shri Brij Bhushan Lal**: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of group IV Housing Co-operative Societies in Delhi which have been allotted land;

(b) the number out of them which have deposited the amount; and

(c) if so, the reasons as to why occupation of land has not so far been given to them and when it is proposed to be given?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) Ninety-six group IV Housing Co-operative Societies in Delhi have been offered land. The names of these Societies are being ascertained and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) Thirty three have deposited the full amount of premium. Thirty seven more Societies have made part payments.

(c) In certain areas, it was not possible to acquire the land speedily due to legal and constitutional difficulties arising out of the Supreme Court Judgement in Madhya Pradesh land acquisition case. The Land Acquisition Act was subsequently amended and the amendment itself was challenged in the Supreme Court. The Supreme Court upheld the validity of the amendment on the 6th February, 1968 and the acquisition proceedings have now nearly been completed in the Pitampura and Rohtak Road areas and allotment of land to the societies which have asked for allotment in these areas, would be finalized in a month or so. In Shahdara, the acquisition proceedings would take about six months and allotment would be finalized in this area within 8 to 9 months.

ब्रिटेन का आवव्ययक

5977. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की संसद में दो वर्षों का संकट काल का आयव्ययक पेश किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत की अर्थ-व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) सरकार का विचार इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का कैसे मुकाबला करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1968-69 का बजट पेश करते समय, ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने कहा था, "थोड़े समय के लिए हमारा बजट कड़ा होना जरूरी है और उसके बाद, दो वर्ष तक हमें लगातार कठिन परिश्रम करना पड़ेगा।"

(ख) ब्रिटेन के बजट का उद्देश्य उपभोक्ता वस्तुओं की घरेलू मांग में 2 प्रतिशत की कमी करना है। भारतीय निर्यात पर भी उसका असर पड़ सकता है। पर सामूहिक रूप से, इससे भारत के कुल निर्यात पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

रोगों के उपचार के लिए योगासन

5978. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योगाश्रम के निदेशक ने यह दावा किया है कि क्षय रोग समेत रोग आसनों से दूर किये जा सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अस्पतालों में रोगियों के लिये योगासनों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पेंसरियों में योगासन आरम्भ कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) यह बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के हितग्राहियों में स्वास्थ्य सम्बन्धी आदतें डालने, बीमारी से बचने और अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के प्रति रुचि पैदा कराने के उद्देश्य से 1961-62 में योग की दस कक्षाएं चलाई गई थीं । प्रारम्भ में काफी लोगों ने इन कक्षाओं में रुचि ली किन्तु बाद में उनकी रुचि कम होती गई और 1 जुलाई, 1967 से इन कक्षाओं को बन्द कर दिया गया ।

मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी सम्बन्धी परियोजनाएं

5981. **श्री नाथूराम अहिरवार :**
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3490 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि परियोजना प्रतिवेदन तकनीकी रूप में स्वीकार्य हो, तो क्या उसी आधार पर गुजरात सरकार से परामर्श किये बिना मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर पुनासा और वार्गी परियोजनाओं के बारे में मंजूरी देने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जब पुनासा और वार्गी परियोजनाओं से सम्बन्धित स्कीम रिपोर्टें प्राप्त हो जाएंगी और तकनीकी रूप से विचार कर लिया जायेगा, उन पर उनकी पात्रता के आधार पर विचार किया जायेगा ।

नासिक सिक्योरिटी प्रेस से नोटों की चोरी

5983. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा नासिक स्थित इण्डियन सिक्योरिटी प्रेस में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि उसमें नोटों की चोरी की पुनरावृति न होने पाये ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : हाल में हुई चोरियों के मामलों की जांच खुफिया पुलिस विभाग द्वारा अभी की जा रही है । करेंसी प्रेस के भीतर पेनों, सिगरेट केसों आदि को ले जाने की मनाही जैसे कुछ उपाय किये जा चुके हैं । यदि पुलिस की जांच से कोई त्रुटि प्रकट हुई, तो उसके आधार पर अन्य आवश्यक उपाय, यदि हों तो, किये जायेंगे ।

गंडक परियोजना के अन्तर्गत खजूरिया नहर

5984. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गंडक परियोजना के अन्तर्गत खजूरिया

नहर निकालने के लिये अतिरिक्त धन मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी अतिरिक्त राशि मांगी है ;

(ग) उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा अब तक कितनी राशि की सहायता दी गई है ; और

(घ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सहायता देना स्वीकार कर लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क), (ख) और (घ). उत्तर प्रदेश सरकार ने गंडक परियोजना पर कार्य गति में तेजी लाने तथा खजूरिया शाखा नहर में पानी देने के लिये 1968-69 और 1969-70 के वर्षों के लिये 3-3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि के लिये कहा है । इस प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) राज्य योजना की स्कीमों के लिये विविध विकास ऋणों के जरिये दी जा रही सहायता के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को 2162.33 लाख रुपये के कुल निर्धारित ऋण सहायता के रूप में दिये हैं, जिसमें 1075.33 लाख रुपये गंडक परियोजना के लिये हैं और 1087 लाख रुपये रामगंगा परियोजना के लिये ।

उर्वरकों की लागत

5985. **श्री लोबो प्रभु :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में आयातित उर्वरकों की लागत देशी उर्वरकों की उत्पादन लागत से प्रायः आधी होगी ;

(ख) देशी उर्वरकों की उत्पादन लागत गत छः महीनों के आयात किये गये उर्वरकों की लागत की तुलना में कितनी है ;

(ग) आयातित उर्वरकों का बिक्री मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया जाता है ; तथा गत छः महीनों में आयात किये गये उर्वरकों की बिक्री से कितना लाभ होने की सम्भावना है ;

(घ) इस प्रकार होने वाले लाभ की राशि का क्या उपयोग किया जायेगा ; और

(ङ) जापान तथा अन्य पश्चिमी देशों में उर्वरकों की उत्पादन लागत की तुलना में भारत में उत्पादन लागत कितनी कम अथवा अधिक है तथा उत्पादन लागत में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1966-67 के दौरान सिन्दरी में अमोनियम सल्फेट, यूरिया और डब्ल साल्ट, नांगल में सी० ए० एन० और फैक्ट में अमोनियम फास्फेट के उत्पादन की लागत और अक्तूबर, 1967 से मार्च, 1968 तक ठेके पर आयातित उर्वरकों की लागत निम्न प्रकार है :

(प्रति मीटरी टन रुपयों में)

	उत्पादन की लागत	**आयातित उर्वरक जिनका अक्तूबर, 1967 से मार्च, 1968 तक की अवधि के लिये ठेका था ।**
अमोनिया सल्फेट	308	398
यूरिया	510	646
डब्ल साल्ट	435	461
सी० ए० एन० (20.5 प्रतिशत)	229	—
सी० ए० एन० (25 प्रतिशत)	—	336
अमोनिया फास्फेट	609	715

(ग) देशीय स्रोतों से उपलब्ध उर्वरकों और विदेशों से आयातित उर्वरकों को परस्पर एकत्रित किया जाता है तथा सप्लाई के संसाधनों का ध्यान न रखते हुए ; इन्हें एक रूप मूल्यों पर देश के अन्दर बेचा जाता है । इन पूल (Pool) विक्रय मूल्यों का बिना लाभ तथा बिना हानि के आधार पर निर्धारण किया जाता है । अनिश्चित तथा परिवर्तनशील भाड़े जैसे तथ्यों के कारण, 1967-68 के बजट अनुमानों को तैयार करते समय यह पूर्वानुमानित था कि पूल में 15 करोड़ रुपये की हानि होगी । यह अब, मालूम होता है कि आयातित उर्वरकों के लागत एवं भाड़ा मूल्यों में कमी के परिणामस्वरूप अनुमानित हानि पर्याप्त कम हो जायेगी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) भारत में उत्पादन का मूल्य उक्त प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दिया गया है । जापान तथा अन्य पश्चिमी देशों में उर्वरकों की उत्पादन लागत के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

बरौनी-हल्दिया पाइप लाइन से तेल का रिसना

5986. **श्री गणेश घोष :**
श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री दण्डपाणि :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी-हल्दिया पाइपलाइन से पूर्व रेलवे में मथुरपुर रेलवे स्टेशन के निकट तेल रिसने लगा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे बरौनी तेल शोधक कारखाने को बहुत हानि हुई ;

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई ; और

(घ) क्या सरकार ने तेल के रिसने के कारणों की जांच की है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह अनुमान लगाया गया है कि पाइपलाइन से 50 से 60 किलो-लीटर मोटर स्पिरिट की (जिसका मूल्य 50,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच है) हानि हुई ।

(घ) पाइपलाइन अधिकारियों को इसमें शरारत प्रतीत हुई और उन्होंने राज्य पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी, जिसकी वे जांच कर रहे हैं ।

Auction of Liquor Shops in Delhi

5987. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri S. Kundu :
Shri Manubhai Patel:

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that contracts for liquor shops in Delhi for 1968-1969 were auctioned for nearly Rs. 75 lakhs ;

(b) the Impact of the auction on the price of country liquor ; and

(c) the steps Government propose to take to prevent bootlegging in liquor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Yes, Sir.

(b) It is likely that the price may increase to some extent.

(c) Intensification of enforcement measures as circumstances warrant.

संकटग्रस्त कपड़ा मिल

5988. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने संकटग्रस्त कपड़ा मिलों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिये एक दल बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) ऐसी मिलों को कितनी सहायता देने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कपड़े की मिलों को कार्यचालन पूंजी के लिये या मिलों के आधुनिकीकरण के लिए धन प्राप्त करने में, इस कारण जो कठिनाइयां अनुभव होती हैं कि वे बैंकों को पर्याप्त "मार्जिन" नहीं दे सकते, हालांकि अन्यथा

उन कारखानों की वित्तीय स्थिति अच्छी होती है, उनका अध्ययन करने के लिये एक छोटा-सा कार्यकारी दल नियुक्त करने का फैसला किया गया है, जिसके अध्यक्ष कपड़ा-आयुक्त होंगे। कार्यकारी दल नियुक्त किया जा रहा है।

(ख) इसका पता तभी चलेगा जब यह दल अपने अध्ययन-कार्य में कुछ प्रगति कर लेगा।

(ग) कपड़ा उद्योग के पुन: संस्थापन और आधुनिकीकरण में सहायता पहुंचाने के लिए औद्योगिक विकास बैंक ने कुछ विशेष ऋण सुविधाएं प्रस्तुत की हैं। सूती कपड़ा कम्पनी (प्रतिष्ठानों का प्रबन्ध और समापन,अथवा पुनर्निर्माण) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार द्वारा अपने हाथ में ली जाने वाली कपड़े की मिलों का प्रबन्ध करने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड की स्थापना भी की जा रही है।

मिलावटी सरसों के तेल के प्रयोग से पक्षाघात

5989. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कान किनारा में 25 व्यक्ति मिलावटी या विषैले सरसों के तेल का प्रयोग करने के कारण गम्भीर किस्म के पक्षाघात के रोगी हो गये हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग तथा ट्रापिकल स्कूल आफ मेडिसन के निष्कर्षों के अनुसार कुछ फास्फैटिक किस्म के रसायनों से रंगे हुए ढोलों में रखा गया तेल विषैला हो जाता है जिसका उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाने से गम्भीर किस्म का पक्षाघात हो जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में ऐसे विषैले या मिलावटी सरसों के तेल की बिक्री को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां। कलकत्ता चिकित्सा कालेज अस्पताल में एक रोगी के भरती होने पर कांकीनारा क्षेत्र में परिसरीय नाड़ी शोथ के फैलने का पता चला। राज्य स्वास्थ्य निदेशालय ने स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसन के सहयोग से क्षेत्रीय जांच पड़ताल की। पता लगाये गये सभी 25 रोगियों में संवेदनात्मक परिवर्तनों के बिना पक्षाघात अथवा टांगों या हाथों की पेशियों के आंशिक पक्षाघात के लक्षण थोड़ी बहुत मात्रा में मौजूद थे। सरसों के तेल के चार विश्लेषित नमूनों में से दो में ट्रिकेसाइल फोस्फेट पाया गया। यह एक आकस्मिक घटना थी जो ट्रिकेसाइल फोस्फेट के खाली पात्रों में सरसों के तेल के रखे रहने के कारण हो गई।

(ग) राज्य सरकार ने भातपाड़ा नगरपालिका को विभिन्न स्थानीय दुकानों से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन नमूने एकत्र करने और दूषित तेल को जब्त कर लेने की

सलाह दी है। राज्य सरकार ने ट्रिकेसाइल फास्फेट का उपयोग करने वाले उद्योगपतियों से एक प्रेस नोट जारी करके अनुरोध किया है कि वे जनसाधारण को खाली पात्रों का बेचना बन्द कर दें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उच्च अधिकारी दल की आसाम, नागालैंड और मनीपुर की यात्रा

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह उस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्फोटक स्थिति का अध्ययन करने के लिये भारत सरकार के उच्च अधिकारी दल की आसाम, नागालैण्ड और मनीपुर की कथित यात्रा और उसके परिणाम।"

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा घटनाओं का मौके पर अध्ययन करने और उनसे सम्पर्क बनाये रखने की सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का एक अंग है। इसलिये, वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल, जिसमें गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सचिव और रक्षा मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव थे, 24 से 26 मार्च, 1968 तक शिलांग, कोहिमा और इम्फाल के दौरे पर गया। अपने इस दौरे में, उन्होंने आसाम और नागालैण्ड के राज्यपाल, नागालैण्ड की राज्य सरकार, मणिपुर के चीफ कमिश्नर और मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्शों के परिणामों की जानकारी देने वाली एक रिपोर्ट इन अधिकारियों ने सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

इस अवसर पर मैं यह भी बतलाना चाहूंगी कि नागालैण्ड राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थापना के तंत्र को अधिक सशक्त बनाने के लिये, वहां की राज्य सरकार के साथ सलाह करके-कार्यवाई की जा रही है। अधिकारियों को इस दौरे में सभी सम्बन्धित पक्षों से इस बात का पुनः दृढ़ आग्रह करने का अवसर मिला कि कार्यवाई बन्द रखने के समझौते के भाव और भाषा का सम्मान किया जाना चाहिये और उसके उल्लंघनों को रोका जाना चाहिये। भारत सरकार अपनी ओर से इस समझौते को अमल में लाना चाहती है और वह छिपे नागाओं से भी वैसा ही करने की अपेक्षा करती है। मैं यह भी बतलाना चाहूंगी कि कुछ छिपे नागाओं के सैनिक प्रशिक्षण के लिये चीन चले जाने और हथियारों का आयात करने की रिपोर्ट कार्यवाई बन्द रखने के समझौते का गम्भीर उल्लंघन है। यह स्वाभाविक ही है कि समझौते के इस प्रकार के उल्लंघनों को रोकने के लिये हम सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। इस उल्लंघन की ओर शांति प्रेक्षक दल का भी ध्यान आकर्षित किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को देखने में पता चलता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्फोटक स्थिति विद्यमान है परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि जबकि वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने का काम गृह-कार्य मंत्रालय का है तो इस विशिष्ट मामले में उत्तर वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की ओर से आने का क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री किसी भी मंत्री की ओर से उत्तर दे सकती हैं। वह सभा की नेता हैं। अतः प्रधान मंत्री उत्तर दे सकती हैं।

दूसरे, ध्यान दिलाने वाली सूचना की ओर वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया गया था।

Shri George Fernandes (Bombay South) : How can Assam come under the Ministry of External Affairs ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि यह गलत भी हो तो बाद में इसको ठीक कर दिया जायेगा। प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देने की अनुमति नहीं दी जायेगी क्योंकि व्यवस्था का प्रश्न अध्यक्ष से पूछा जाता है न कि प्रधान मंत्री से।

श्री हेम बरुआ : समस्त पूर्वी सीमान्त क्षेत्र में, जिसमें आसाम, नागालैण्ड और मनीपुर शामिल हैं, भारत-विरोधी भावना पनप रही है। वहां पर बेरोजगारी पांच गुना बढ़ गई है। वहां के लोग यह महसूस करते हैं कि वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं।

जहां तक नागालैण्ड का सम्बन्ध है विद्रोही नागाओं को चीन से शस्त्रास्त्र मिल रहे हैं।

मनीपुर के लोग यह समझ रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार उनकी अवहेलना कर रही है। वहां पर विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है। राष्ट्र-विरोधी और समाज-विरोधी लोग इस स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। उन्हें चीन के लोगों से समर्थन प्राप्त हो रहा है। वामपंथी साम्यवादी दल के नेताओं ने भी इस स्थिति का लाभ उठाया है। जिस सरकारी दल ने आसाम, नागालैण्ड और मनीपुर की यात्रा की थी उसने यह सुझाव दिया था कि देश के उस भाग की आर्थिक स्थिति सुधारी जानी चाहिये। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उस सरकारी दल ने स्थिति में सुधार करने के कुछ सुझाव भी दिये हैं। क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि उस दल ने इन लोगों का चीन और पाकिस्तान के साथ सम्पर्क समाप्त करने के लिये भी कोई सुझाव दिया है ? क्या उस दल ने उन लोगों को, जो चीन के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, रोकने के लिये भी कोई सुझाव दिये हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसाकि मैं अपने वक्तव्य में बता चुकी हूं सचिवों के दल के प्रतिवेदन का अध्ययन किया जा रहा है। रूस ने आसाम के लिये तो नहीं अपितु नागालैण्ड और मनीपुर के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं।

वहां की स्थिति निश्चय ही गम्भीर है परन्तु हम उसके प्रति अवगत हैं। ऐसे सभी तत्वों को समाप्त करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री हेम बरुआ : मैंने वहां की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक उपायों के बारे में प्रश्न पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विशेष रूप से सरकारी दल के सम्बन्ध में है न कि सभी आर्थिक और राजनीतिक मामलों के बारे में ।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : In view of the pact that the people in Nagaland have now lost faith in the Government there may I know whether Government propose to send there a team consisting of Members of Parliament ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह सुझाव कार्य रूप दिये जाने योग्य है । मैं इस बात से सहमत हूं कि उन क्षेत्रों का अवश्य ही विकास किया जाना चाहिये ।

Shri Kanwar Lal Gupta : (Delhi Sadar) Sir, Assam, Manipur and Nagaland have become the centres of anti-national activities and the anti-national elements are endeavouring to create trouble in this portion of India. The situation there is becoming from bad to worse and it appears that in case there is no improvement in the situation it will be out of control. May I know whether the Government propose to give free hand to the Security Forces to curb the rebels ? Does Government also propose to stop talking with the Nagas till they agree that they like to live in India ? I would also like to know whether Government propose to remove the complaint of the people that this matter should be transferred to the concerned Ministry i.e. Home Affairs ?

Shrimati Indira Gandhi : The Defence Forces there cannot be ignored. Nothing can be done without their consent. The question of giving free hand to troops has never arisen. It is not in public interest to disclose what steps would be taken.

Shri Kanwar Lal Gupta : Firstly, I wanted to know whether a free hand will be given to the army or not and secondly I wanted to know whether you would stop discussing anything with the Nagas till they agree to abide by the provisions of the constitution of India ?

Shrimati Indira Gandhi : No doubt one Group wants to be separated but most of the people don't want to be separated. The question of discussing anything at this time does not arise ? We don't want to make our friends as foes. According to the agreement reached with Naga Government this matter was brought under the Ministry of External Affairs. But now as many Members have raised objections we will try to bring this matter under the Home Ministry.

हरिजनों सम्बन्धी घटनाओं के बारे में
RE. INCIDENTS CONCERNING HARIJANS

अध्यक्ष महोदय : आंध्र प्रदेश में हुई घटनाओं के बारे में पिछली बार दी गई सूचनाओं के अतिरिक्त हरिजनों सम्बन्धी कुछ अन्य घटनाओं के बारे में मुझे कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं । ये घटनायें रनपुर में बच्चों के जलाये जाने के बारे में हैं । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जैसे ही गृह-कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित कर लेंगे, मैं उस पर चर्चा करने की अनुमति दे दूंगा । निश्चय ही यह एक बहुत लज्जा की बात है कि बालकों को जिन्दा जलाया जा रहा है ।

यदि माननीय गृह-कार्य मंत्री कल या परसों तक जानकारी इकट्ठा कर लेंगे तो मैं चर्चा के लिये तारीख निश्चित कर दूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न स्थगन प्रस्ताव के बारे में है तथा वह नियम 56 के अन्तर्गत आता है। नियम 56 में लिखा है कि इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा के प्रयोजन से सभा के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : तब भी अध्यक्ष की अनुमति लिये बिना इस प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरी आपत्ति वक्तव्य के बारे में है। मुझे पता लगा है कि रेलवे मंत्री वक्तव्य देने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस नियम के अनुसार भी यहां पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा-शुल्क अधिनियम तथा आय-कर (दूसरा संशोधन) नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 512 जो दिनांक 16 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 513 जो दिनांक 16 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) सीमा-शुल्क (युनाइटेड किंगडम को परेषण खाते में चाय का निर्यात) मूल्यांकन निगम, 1968 जो दिनांक 12 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 518 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) जी० एस० आर० 519 जो दिनांक 14 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-673/68]।

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256 के अन्तर्गत आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 18 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1112 में प्रकाशित हुए थे। सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-** 674/68]

भारतीय वन सेवा (वरीयता का विनियमन) नियम

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं अखिल भारतीय सेवाओं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (वरीयता का विनियमन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 16 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 481 में प्रकाशित हुए थे सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-675/68]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNT COMMITTEE

बाइसवां प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं रेलवे की तीसरी पंचवर्षीय योजना—लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (रेलवे), 1967 के अध्याय 1 और पैरा 16 और 17--के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का 22वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

उत्तर रेलवे के भरवारी स्टेशन पर रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. RAILWAY ACCIDENT AT BHARWARI STATION ON THE NORTHERN RAILWAY

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मुझे बड़े दुःख के साथ सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि 30-3-68 को 22-21 बजे के थोड़ी ही देर बाद बिजली इंजन द्वारा चालित 460 डाउन मालगाड़ी जब उत्तर रेलवे के बड़ी लाइन के बिजली युक्त फतेहपुर-इलाहाबाद खण्ड के भरवारी स्टेशन पर डाउन मुख्य लाइन में दाखिल हुई, तो वह 2 ए० जी० ए० डाउन आगरा-इलाहाबाद सवारी गाड़ी के पिछले भाग से टकरा गयी जो इससे पहले लगभग 22-11 बजे उसी लाइन पर ली गयी थी।

इसके परिणामस्वरूप, मालगाड़ी का बिजली रेल इंजन अपने पीछे वाले 4 माल डिब्बों के साथ पटरी से उतर गया और उलट गया और आगरा-इलाहाबाद सवारी गाड़ी के सबसे पीछे वाले दो डिब्बों—एक पहले दर्जे का डिब्बा और एक तीसरे दर्जे का सामान तथा ब्रेकयान—को भारी क्षति पहुंची। 460 डाउन माल गाड़ी के ड्राइवर सहित 17 व्यक्ति मारे गये और 30 अन्य व्यक्ति घायल हो गये जिनमें से 11 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें पहुंचने की आशंका है। बाद में गहरे घावों के कारण दो व्यक्ति और मर गये और मृतकों की संख्या 19 हो गयी।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही इलाहाबाद से तुरन्त चिकित्सा यान भेजा गया जो घटना स्थल पर 31-3-68 को 00.08 बजे पहुंच गया। घायल व्यक्तियों की मरहम-पट्टी घटना स्थल पर करने के बाद उन्हें इलाहाबाद लाया गया और मोतीलाल नेहरू अस्पताल और रेलवे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। इलाहाबाद से दुर्घटना सहायता गाड़ी 00.10 बजे दुर्घटना स्थल पर पहुंच गयी। मंडल अधिकारियों को साथ लेकर मंडल अधीक्षक सड़क के रास्ते दुर्घटना-स्थल के लिये रवाना हो गये। विभागीय अध्यक्षों को साथ लेकर उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक एक स्पेशल गाड़ी से दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हो गये। रेल उपमंत्री और रेलवे बोर्ड के इंजीनियरिंग सदस्य हवाई जहाज से दुर्घटनास्थल पर पहुंच गये और उन्होंने अस्पतालों में घायल व्यक्तियों को देखा।

भरवारी स्टेशन पर दोनों अप और डाउन मुख्य लाइनों पर ट्रैक सर्किट की व्यवस्था है जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि जब तक लाइन क्लीयर न हो तब तक मुख्य लाइन से आनेवाली गाड़ी के लिए आदान सिगनल नहीं दिये जा सकते।

घायल व्यक्तियों और मृत व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को अनुग्रह के रूप में भुगतान की व्यवस्था की जा चुकी है।

रेल संरक्षा के अपर आयुक्त आज दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं।

मुझे ऐसी घटनाओं की हाल की प्रवृत्ति पर, जिनके फलस्वरूप दुर्भाग्यवश कुछ मामलों में भारी जानी नुक्सान हुआ है, माननीय सदस्यों की चिन्ता से पूरी सहमति है। इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिये, विशेष रूप से श्री एच० एन० कुंजरू की अध्यक्षता में 1962 की रेलवे दुर्घटना समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के संदर्भ में एक उच्च सत्ता प्राप्त निकाय बनाने की आवश्यकता है। भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश, श्री के० एन० वांचू इस समिति के अध्यक्ष बनने के लिये राजी हो गये हैं। सर्वश्री मी० रु० मसानी, संसत्सदस्य बसावडा, एफ० सी० बधवार और पी० वी० ऐवारी, रेलवे सुरक्षा आयुक्त इस समिति के सदस्य होंगे।

श्री हम बरुआ (मंगलदायी) : हमने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रेलवे मंत्री ने इस बारे में कुछ नहीं किया है। मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि मंत्री महोदय ने त्यागपत्र दिया था परन्तु वह नामंजूर कर दिया गया है। श्री पुनाचा को ईमानदार होने के नाते त्यागपत्र दे देना चाहिये और अपने रेलवे बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जब भी माननीय मंत्री वक्तव्य देते हैं तो उनपर चर्चा की जाती है जिस पर बहुत समय लग जाता है। अतः मैं सभा में सभी गुटों के नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि वह बतायें कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहियें।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : जहां तक इस मामले का संबंध है अध्यक्ष

महोदय को इसकी अनुमति दे देनी चाहिए थी । यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । लगातार कई रेल दुर्घटनायें हुई हैं । इनसे पता चलता है कि हमारी रेलवे व्यवस्था में कितना कुप्रबन्ध है । मंत्री द्वारा केवल यह कह देने से कि जांच की जायेगी, सभा संतुष्ट नहीं हो सकती । अतः मेरा सुझाव है कि आपको स्थगन प्रस्ताव के लिये कोई समय निश्चित कर देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु कठिनाई यह है कि स्थगन प्रस्ताव बहुत होते हैं । अतः मैं चाहता हूं कि जब बजट की मांगों पर चर्चा होनी ही है तो फिर इन स्थगन प्रस्तावों पर इतना समय क्यों लिया जाये । मुझे चर्चा की अनुमति देने के लिये कोई आपत्ति नहीं है परन्तु फिर मुझे मांगों में से समय काटना पड़ेगा ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I support the demand made to accept Adjournment motion. I have come to know that the Hon. Minister is not going to tender his resignation now hence the proposal of raising adjournment motion has become evident. I may also add that this is not only the responsibility of the Minister alone, it is the responsibility of the Railway Board also.

Shri Balraj Madhok (Delhi-South) : There is something basically wrong in the Railway system. The committee which has been appointed to submit a report in this connection may take six months to submit its report. By that time more accident might take place. May I know whether anybody responsible for these in each case have been punished.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मेरा सुझाव है कि हमें इस विषय पर चर्चा करने के लिये 7 बजे के बाद एक दो घंटे और बैठ जाना चाहिये ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जब कभी ऐसी दुर्घटना हो तो रेलवे से सम्बन्धित सभी लोगों को शोक प्रकट करने के लिये काले बिल्ले बांधने चाहिए ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : सभा मंत्री महोदय के वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हुई है । रेल दुर्घटनायें दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं । डा० कुंजरू की अध्यक्षता में बनाई गई रेल दुर्घटना जांच समिति के प्रतिवेदन के बावजूद भी दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है । यदि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि वह कठोर कार्यवाही करेंगे तो हमें इस पर चर्चा करने के लिये समय नष्ट नहीं करना चाहिये क्योंकि बजट पर चर्चा भी होने वाली है । रेलवे बोर्ड को भी बर्खास्त किया जाना चाहिये ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरा निवेदन यह है कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए क्योंकि अब जो आयोग बनाया गया है हम उसके सदस्य और निर्देश-पदों के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे । यह बिजली से चलनेवाली लाइन है और वहां पर दोहरी लाइन की व्यवस्था है । एक गाड़ी एक लाइन पर चलती है और दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी दूसरी लाइन पर चलती है । परन्तु इस मामले में वह गाड़ी उसी पटरी पर चल रही थी जहां दूसरी गाड़ी खड़ी थी और इसलिये टक्कर हो गई । अतः इस बारे में विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है । इस समय दिये गये निर्देश-पद काफी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री की इस बारे में क्या राय है ।

डा० रामसुभग सिंह : मैं इस बात से सहमत हूं कि चर्चा होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाऊंगा और तब समय निश्चित किया जायेगा ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, you had asked Shri Madhu Limaye to make a statement under Direction 115. I have a point of order in that regard. In this Direction there are two words of importance—'mistake' and 'inaccuracy'. But in the matter being raised by Shri Madhu Limaye there is neither 'mistake' nor 'inaccuracy' but it is 'deliberately' misleading the House.

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैंने इन सभी पहलुओं पर विचार करके उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी है ।

Shri George Fernandes : It is a question of privilege. It cannot come under Direction 115.

अध्यक्ष महोदय : बाद में आप विशेषाधिकार का प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं । अब श्री मधु लिमये अपना वक्तव्य दें ।

निदेश 115 के अन्तर्गत कच्चाटीवू द्वीप के बारे में वक्तव्य

STATEMENT UNDER DIRECTION 115 RE. KACHCHATIVU ISLAND

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, with your permission I want to raise the matter re. Kachchativu under Direction 115. On a supplementary question asked in regard to a Calling Attention Notice the Minister of State in the Ministry of External Affairs had said that Kachchativu Island is unhabited and without water and is under the control of none. It is neither under India nor under Ceylon.

After the reply given by the Prime Minister we have received information that Ceylon has occupied that area by sending police and other officers. The aeroplanes are also flying on that area.

We have also received news that the Raja of Ramnad has sent documents to Government which prove that till amalgamation of Ramnad i. e. upto 1947 that Raja had full control over that Island. After that amalgamation the responsibility of that Island fell on the Government of India. But the Government did not feel its responsibility and gave an opportunity to Ceylon to have claim over it. As it is a question to defend a part of our motherland, we should not tolerate a statement which is misleading.

Shri George Fernandes : Now the whole thing has been made clear by the statement of Shri Madhu Limaye. Hence this matter should be taken on a point of order.

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : माननीय सदस्य श्री मधु लिमये द्वारा लगाया गया यह आरोप निराधार है कि मेरे सहयोगी श्री ब० रा० भगत अथवा मैंने सभा को गलत जानकारी दी थी ।

1 मार्च, 1968 को श्री भगत ने कहा था "जहां तक इस द्वीप पर कब्जे का सम्बन्ध है, यह द्वीप बिल्कुल निर्जन है; वहां पर कोई नहीं रहता। वहां पर पानी तक भी नहीं है। इसलिये वह किसी के कब्जे में नहीं है।" लेकिन अन्तर्बाधाओं के कारण मंत्री महोदय अपना उत्तर पूरा नहीं कर सके थे।

बाद में मैंने कहा था :

"जैसाकि मंत्री महोदय ने पहले स्पष्ट करने का प्रयत्न किया, इस समय हमारे पास पूर्ण जानकारी नहीं है।.........अच्छा होगा कि पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाये, जिसके लिये मंत्री महोदय ने वचन दिया है। कब्जे के बारे में यदि आपका तात्पर्य सेना से है, तो मंत्री महोदय कह चुके हैं कि किसी का कब्जा नहीं है.........।"

27 मार्च, 1968 को जब श्री मधु लिमये ने कहा कि श्री भगत ने पहले आश्वासन दिया था कि इस द्वीप पर भारत अथवा श्रीलंका किसी का भी कब्जा नहीं है, तो मैंने उत्तर दिया था :

"When this question was put by the Hon. Member. I had replied to it. That possession meant that nobody was in physical possession there. I had also stated that since illegal smuggling or immigration is going on......, we send our immigration officer."

श्री लिमये के पूछने पर कि क्या श्रीलंका की नौसेना के जहाज और पुलिस वहां पर है, मैंने कहा था :

"जहां तक समुद्र में गश्त लगाने का सम्बन्ध है, दोनों देश उस क्षेत्र में गश्त लगाते हैं। लेकिन उत्सव विशेष के अवसर पर श्रीलंका के सामने गैर-कानूनी आप्रवास की समस्या होती है। इस गैर-कानूनी आप्रवास को रोकने के लिये उसने कुछ कदम उठाये और हमें आश्वासन दिया कि वह इस वर्ष कोई ऐसी बात नहीं करेगी, जो वह पहले नहीं करती थीं।"

जहां तक समाचार पत्र में इस वर्ष के बारे में समाचार का सम्बन्ध है, मैंने कहा था :

"हमने अपने उच्चायुक्त से पूछ-ताछ की है। स्वाभाविक है, वे श्रीलंका सरकार से बात करेंगे। हम उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

गलत वक्तव्य देने अथवा सभा को गुमराह करने का कोई प्रश्न नहीं है। यह कहने से कि द्वीप पर किसी का कब्जा नहीं था, श्री भगत का क्या अभिप्राय था, वह स्पष्ट कर चुके हैं मैंने भी स्पष्ट कर दिया है।

हम सारे मामले की जांच कर रहे हैं और साथ ही रामनाड के राजा के दस्तावेजों का भी अध्ययन कर रहे हैं। मैंने पहले अवसर पर यह अनुरोध किया था कि हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी अथवा करनी चाहिए जिससे हमारे और श्रीलंका के वर्तमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मैंने विरोधी पक्ष के सदस्यों से बातचीत भी की थी। मुझे दुख है कि श्री लिमये ने इस प्रकार इस बात को फिर उठाया है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, she has accepted that enquiries are being made about the presence of naval crafts. Therefore, we may be allowed to raise the question of privilege.

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । आप बैठ जाइये ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

MOTION RE: EXTENSION OF TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

श्री र० के० खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 293 के उपनियम (2) का गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी वर्तमान समिति की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलंबित करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 293 के उपनियम (2) का गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी वर्तमान समिति की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलंबित करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री र० के० खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

MOTION RE: EXTENSION OF TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

श्री र० के० खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 318 के उपनियम (2) का अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 318 के उप-नियम (2) का अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री र० के० खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

MOTION RE. EXTENSION OF TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

श्री र० के० खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 324 के उपनियम (2) का सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 324 के उपनियम (2) का सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री र० के० खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

MOTION RE: EXTENSION OF TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

श्री र० के० खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 325 के सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलंबित करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 325 के सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलंबित करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री र० के० खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक

CENTRAL SILK BOARD (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : श्रीमन्, मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1968 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें, 1968-69

DEMANDS FOR GRANTS, 1968-69

अध्यक्ष महोदय : इन मांगों पर चर्चा का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाता है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then Adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

---

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० को पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : जबकि योजना सम्बन्धी व्यय कम होता जा रहा है, इस वर्ष प्रतिरक्षा बजट 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री एच० वी० आर० आयोग ने 13 फरवरी को कलकत्ता में एक सभा में अपना मत व्यक्त किया है कि वर्तमान तथाकथित आर्थिक 'मन्दी का कारण प्रतिरक्षा पर भारी व्यय है। तथापि

कोई यह नहीं कह सकता है कि प्रतिरक्षा तैयारी में कोई ढील देनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्ध क्षोभजनक ही चल रहे हैं, इसलिये हमें अच्छा मैत्री-पूर्ण वातावरण बनाने तथा अपने विवादों का शान्तिपूर्ण हल ढूंढने के प्रयासों के साथ तैयार भी रहना है। इस बीच हमें प्रतिरक्षा बजट के नाम पर हो रहे अपव्यय को रोकना होगा।

प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी संसद् का नियंत्रण बहुत सीमित और असन्तोषजनक है, सार्वजनिक हित के नाम पर बहुत सी बातें हमें बताई ही नहीं जाती हैं। अन्य मंत्रालयों के समान इस व्यय की पूर्ण जानकारी हमें नहीं दी जाती है, और हमारे लिये चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है।

यदि हम प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यय के बारे में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा लेखा परीक्षा के प्रतिवेदनों को देखें, तो हमें बहुत सी चिन्ताजनक बातें पता लगेंगी। उनमें सामान और फालतू पुर्जों की आवश्यकता का गलत अनुमान लगाये जाने, एयरो इंजनों आदि के रखने की उचित व्यवस्था नहीं किये जाने और परियोजनाओं की क्रियान्विति में अत्यधिक विलम्ब आदि के कारण लाखों रुपयों के अपव्यय का उल्लेख होता है। उनमें उल्लेख होता है कि सैनिक डेरी फार्मों को 28 अथवा 30 लाख रुपयों की हानि हो रही है।

आज दिन तक हमें इस बात का कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि ऐसा क्यों किया गया था। सैन्य सामग्री कारखानों के निकट स्थित प्रयोगशाला को भारी खर्च पर हैदराबाद ले जाया गया और हमें कहा गया कि इस प्रयोगशाला का एक छोटा अनुभाग ईशापुर में कार्य करेगा और अब बताया गया है कि उस अनुभाग को भी हैदराबाद ले जाने का विचार है। लगता है कि इस स्थानान्तरण के पीछे कोई राजनीतिक कारण है। किन्तु हमें इस तरह किये गये खर्च की चिन्ता है और मैं जानना चाहता हूं कि हमारे साधनों को ऐसे बरबाद करने वालों के खिलाफ क्या कभी कोई कार्यवाही की गई है। बड़ी खुशी की बात है कि इस बार जवानों को रियायतें तथा भत्ते देने के लिए कामत समिति की सिफारिशों के अनुसार लगभग 16 करोड़ रुपये या 17 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। लेकिन यह अच्छी बात नहीं है कि इसे फील्ड राशन में कटौती करके पूरा किया जाये। ऐसी किफायत अदूरदर्शितापूर्ण है और अन्ततोगत्वा इसके परिणाम खराब होंगे। हमें ऐसी कटौती नहीं करनी चाहिये, भले ही इससे असैनिक लोगों को थोड़ी परेशानी ही क्यों न हो।

अग्रिम क्षेत्रों में सेना इंजीनियरिंग सेवाओं के कर्मचारियों को जो भत्ते तथा रियायतें हमेशा से मिलती रही हैं उनको समाप्त कर देना भी उचित नहीं है।

सैन्य सामग्री कारखानों में प्रशिक्षित शिशिक्षुओं का प्रश्न भी है। इन कारखानों में अपने-अपने कामों का प्रशिक्षण जिन 6000 शिशिक्षुओं को दिया गया है उन्हें प्रशिक्षण-काल समाप्त होने पर नौकरी में नहीं रखा जा रहा है। यह किफायत करने का कोई तरीका नहीं है।

सेना सामग्री कारखानों और प्रतिरक्षा संस्थानों के असैनिक कर्मचारी मजूरी बोर्ड की मांग करते रहे हैं। इन प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये एक व्यापक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाना चाहिये। वह बोर्ड प्रश्न पर समग्र रूप से विचार करेगा और निर्णय देगा।

प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में यद्यपि पर्याप्त प्रगति हुई है तथापि यह प्रगति काफी धीमी है और इसका मुख्य कारण विगत से चली आ रही कुछ रुकावटें हैं। इतना अधिक अनुभव प्राप्त करने के बाद भी वे प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों में, हमारे चारों ओर जो हो रहा है उसके बावजूद ब्रिटेन और अमरीका के प्रति नरमी के पुराने रवैये को नहीं बदल सके हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान इस सभा को और देश को यह आश्वासन दिया गया था कि हमारे सेनाध्यक्ष और अन्य अधिकारी राष्ट्रमण्डल प्रतिरक्षा शिक्षा अभ्यासों में भाग लेने के लिये हर साल इंग्लैंड जाने की पुरानी प्रथा छोड़ देंगे। 1966 और 1967 में ऐसा ही हुआ किन्तु अब वे उस प्रथा को पुनः अपना रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसकी कौन इजाजत दे रहा है ?

आजकल ब्रिटेन द्वारा सिंगापुर और सुदूरपूर्व स्थानों से अपनी सेनायें हटा लेने की घोषणा के कारण हिन्द महासागर क्षेत्र में जो एक नवीन रिक्त स्थान बन रहा है उसके बारे में काफी चर्चा है। अमरीकियों की प्रवृत्ति यह होगी कि हिन्द महासागर के इस क्षेत्र को अपने प्रभाव में लाया जाये क्योंकि उनको बहुत जल्दी ही वियतनाम से अपने सैनिकों को हटाना होगा। इस रिक्त स्थान में हमें न्यूनतम नौसेना रखनी चाहिए जो एक पहरेदार के रूप में काम करे। हम एक बड़ा नौसैनिक राष्ट्र बनने की आकांक्षा नहीं कर सकते। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 1962 से लेकर अब तक ब्रिटेन और अमरीका ने प्रतिरक्षा सम्बन्धी कितने वायदे किये, कितने पूरे किये जा चुके हैं और कितने अभी पूरे करने बाकी हैं। मैं जानना चाहता हूं आप श्री ब्रेग नामक गैर-सरकारी अमरीकी नागरिक पर, जो शिमला में भारतीय वायु सेना के लिये हैलीकाप्टर का डिजाइन तैयार कर रहे हैं, उन पर लाखों रुपये क्यों खर्च कर रहे हैं ? मैं शिमला गया था और मैंने देखा है कि जो नमूना उन्होंने तैयार किया है वह जमीन से उठ नहीं सका है और वह स्थिर है। फिर भी उन पर लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं।

आधुनिक हथियारों के मामले में हम बहुत पीछे हैं। हमारे देश में अणु अस्त्र तैयार करने की बात करना पागलपन है। यह हमारी सामर्थ्य से परे की बात है। यदि हम किसी के आणविक संरक्षण पर निर्भर रहते हैं तो यह हमारी स्वतंत्रता से हाथ धोने के बराबर है। अतः अणु-अस्त्र प्रसार रोकने सम्बन्धी संधि के लिये भारत सरकार ने जो शर्तें रखी हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। हमें यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहिये कि हम इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे वर्ना हमारे ऊपर सन्देह किया जायेगा।

श्री मुहम्मद शरीफ (रामनाथपुरम) : हमारी सरकार को देश की प्रतिरक्षा, हमारी स्वतंत्रता और हमारे राज्य क्षेत्रों की अखण्डता को और अधिक महत्व देना होगा। हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के आक्रामक एवं शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण इसका महत्व और भी अधिक

बढ़ जाता है। हमें अपनी रक्षा के लिए काफी स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना रखनी होगी। हमारे जवानों का मनोबल सदैव ऊंचा रहा है। हमें अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं को आधुनिक ढंग से संगठित करना चाहिये और सभी साधनों से नवीनतम उपकरण, नवीनतम लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में हमारे आयुध कारखानों का और अधिक विकास करना भी बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय को नौसेना के विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। कच्चाटीवू द्वीप पर श्रीलंका के तथा नारकुंडम द्वीप पर बर्मा के नवीनतम दावों के कारण पूर्वी तट तथा इसके आस-पास के इलाकों पर सतर्कता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस समय नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिये अधिक धनराशि का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

श्रीलंका की सरकार का कच्चाटीवू द्वीप की प्रभुसत्ता पर कोई भी दावा एकदम गलत है। यह द्वीप सदैव हमारा ही क्षेत्र रहा है। यह कहना गलत है कि यह एक निर्जन क्षेत्र है। रामेश्वरम् तथा भारत से मछवे वहां जाते हैं और वे वहां सप्ताह में पांच या छः दिन तक रहते हैं। यह द्वीप रायनाड जमींदारी का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस सम्बन्ध में रिकार्ड भी मौजूद हैं और यदि आप कहें तो उस रिकार्ड की प्रतियां मैं सभा-पटल पर भी रख सकता हूं।

इस द्वीप की सुरक्षा दृढ़तापूर्वक की जानी चाहिये।

हाल ही में बड़ी संख्या में एमरजेंसी-कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को सेवामुक्त किया गया है। इन अधिकारियों की वहां पर नौकरियां ढूंढने में सहायता की जानी चाहिये और इन प्रशिक्षित अधिकारियों की क्षमता को बेकार नहीं जाने देना चाहिये।

सरकार को हमारी प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में सुधार करने में ढील नहीं करनी चाहिये। आज के युग में कमजोरी से कोई लाभ नहीं होता।

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाला) : किसी भी लोकतंत्री देश की सशस्त्र सेनायें राष्ट्रीय हित की दृष्टि से विदेश नीति तथा घरेलू नीति के निदेशों के अनुसार कार्य करती है। किन्तु हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का उल्लंघन किया जा रहा है और हम दुनिया में अकेले पड़ गये हैं। अतः हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति की असफलता हमारी विदेश नीति की असफलता के परिणामस्वरूप है। चीन के आक्रमण से पहले हमारी विदेश नीति पंचशील पर आधारित थी, जिसके फलस्वरूप हमारी सशस्त्र सेनाओं की उपेक्षा की गई।

हमारे यहां स्पष्ट उद्देश्यों को निर्धारित नहीं किया गया है। हमें अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना होगा वर्ना हम चीन या पाकिस्तान के या दोनों के ही इकट्ठे हमले का मुकाबला नहीं कर सकेंगे।

जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है, जनता, संसद् और देश सरकार की दीर्घकालीन युद्ध-सम्बन्धी नीति के विषय में अनभिज्ञ है। जब कभी भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमें टालने की कोशिश की जाती है।

बेचने लायक कुल फालतू सामान का मूल्य 204.70 करोड़ रुपये है। यदि हमारे सामने सही उद्देश्य होते और हम सही दृष्टिकोण अपनाते तो आज हमारे सामने इतना सामान फालतू न पड़ा होता।

आपात कार्य प्रक्रिया के अधीन विभिन्न सक्षम वित्तीय अधिकारियों द्वारा मंजूर किये गये 45 करोड़ रुपये से 1219 कार्य परियोजनायें चालू की गई हैं जबकि 17 परियोजनायें सामान्य कार्य प्रक्रिया के अधीन मंजूर किये गये 2 करोड़ रुपये की लागत से चालू की गई हैं। क्या इस आपात कार्य प्रक्रिया की जांच की जा सकती है अन्यथा 45.27 रुपये के इस व्यय के सम्बन्ध में सन्देह ही रहेगा।

हमारे राज्य-मंत्री ने गत सप्ताह बताया था कि हमारी दो-तिहाई सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण हो चुका है। उन्होंने हमारे सुरक्षा सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया। किन्तु सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति ने एच० एस०-748 परियोजना आरम्भ करने के औचित्य पर सन्देह व्यक्त किया और समिति की राय है कि चूंकि इस सम्बन्ध में बहुत धन खर्च किया गया है इसलिये इससे फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिये। समिति ने हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में भी बिना आर्डरों के ही वायुयानों के बनाये जाने के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की।

मैं प्रतिवेदन में से कुछ उद्धरण देना चाहता हूं। उत्पादन लागत शीर्षक में कहा गया है कि यह आश्चर्यजनक बात है कि परियोजना प्रतिवेदन में उत्पादन लागत का उल्लेख नहीं है जिसके परिणामस्वरूप एच० ए० एल० को उत्पादन लागत के बारे में कुछ पता नहीं था। मंत्रालय ने बताया है कि तीनों मिग कारखानों में भी उत्पादन लागत नहीं निकाली गई है। यह एक गंभीर मामला है। हैदराबाद में इलेक्ट्रानिक्स कारखाने में भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन नहीं हो सका। मैं समझता हूं कि इन कारखानों के लिए हमें आयातित उपकरणों पर निर्भर न कर देश के संसाधनों पर ही अधिक निर्भर करना चाहिए।

यद्यपि हमें इस बात का गर्व है कि हमारे इंजीनियर एच० एस०-24 मार्क I ध्वनि की गति से तेज चलने वाला पहला विमान बना रहे हैं, यह विमान मिराज विमान, जो प्रायः इसी किस्म का विमान है, की तुलना में निम्न स्तर का है। यदि हम अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहते हैं, तो हमें एच० एफ०-24 मार्क II के बारे में फिर से विचार करना चाहिए और इस विमान को मिराज की गति और शक्ति से समतुल्य विमान बनाया जाना चाहिए। नासिक स्थित एच० ए० एल० कारखाने के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने कमियों का उल्लेख किया है। बार-बार कहे जाने पर भी ये कमियां दूर नहीं की गई हैं।

उड़ीसा में कोरापुर की एअरो इंजन फैक्टरी के बारे में उड़ीसा सरकार ने 1963 में भारत सरकार से इस आशय का समझौता किया था कि इस परियोजना के लिए सभी सैनिक, असैनिक और इलेक्ट्रिकल वर्क्स को उड़ीसा सरकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित 17 प्रतिशत की रायल्टी के स्थान पर 10 प्रतिशत रायल्टी पर करेगी। अब तक उड़ीसा सरकार ने 9 करोड़

रुपये का कार्य किया है। किन्तु सरकार ने उस समझौते का उल्लंघन करके इस कार्य के लिए खुले टेंडर मांगे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उड़ीसा के साथ इस प्रकार पक्षपातपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया है।

वायु सेना की 35वीं वर्ष गांठ के अवसर पर वायुसेनाध्यक्ष ने वायुसेना के महत्व का उल्लेख किया है। किन्तु सरकार का इस सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण रहा। वाइस एयर मार्शल हरजिन्दर सिंह ने भारतीय वायु सेना को संयुक्त राष्ट्र संघ की वायुसेना बताया है। जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की वायुसेना में सभी देशों के विमान हैं उसी प्रकार भारतीय वायुसेना के पास भी रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा अन्य देशों से खरीदे गये विमान हैं। इतने पुराने तथा इतने किस्म के विमान रखना वर्तमान समय के अनुकूल नहीं है।

सेना के उच्च अधिकारियों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं किन्तु जवानों के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है। बड़े अफसरों को परिवारों से अलग रहने पर 75 रुपये भत्ते के रूप में दिये जाते हैं किन्तु जवानों को इस प्रकार का कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। जवानों को छुट्टी में घर जाने पर अपनी भूमि सम्बन्धी विवादों के मामलों में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। सरकार को इन बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

अब मैं सैनिकों के बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण के कारण उनके बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार को अधिक संख्या में केन्द्रीय स्कूल खोलने चाहिए ताकि सैनिकों के बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न पड़े।

चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमणों के समय देश के नौजवान देश की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में गये। किन्तु अब एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अफसरों को सेवामुक्त कर दिया गया है और उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि उन्हें फिर से नौकरी पर रखा जायेगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है। युद्ध क्षेत्र में घायल हुए सैनिकों की पेंशन के बारे में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। गृह-कार्य मंत्रालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को उपर्युक्त अफसरों को फिर से नौकरी देने तथा अन्य मामलों के बारे में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद सिक्किम और भूटान को हमारी शक्ति के बारे में संदेह होने लगा है तथा नेपाल भारत की तुलना में चीन की ओर अधिक झुक रहा है। अंग्रेजों ने चीन के आक्रमण की आशंका से दूर रहने के लिए ही तिब्बत को एक 'बफर स्टेट' के रूप में रखा था। किन्तु हमने तिब्बत चीन को सौंपकर अपनी सुरक्षा की शक्ति कम कर दी। आज अन्य शक्तिशाली देश हमारे आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अमेरिका और रूस दोनों देश पाकिस्तान को सैनिक सामान देकर उसकी सहायता कर रहे हैं। इससे हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमें अपनी सैनिक शक्ति सुदृढ़ बनानी चाहिए।

विश्व के प्रजातंत्र देशों में हमारा देश सबसे बड़ा है। दक्षिण-पूर्व एशिया में हम अपने को नेता मानते हैं। अतः यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटिश नौसैनिक बेड़े के हट जाने के कारण हमें दक्षिण-पूर्व एशिया संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के बारे में पहल करनी चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी प्रादेशिक सेना में जिसे सुरक्षा की दूसरी पंक्ति समझा जाता है, हमारे युवक नहीं जाना चाहते हैं। उसमें प्रायः वही लोग हैं जो कुछ ही समय में सेवा निवृत्त होने वाले हैं।

श्री सुब्रह्मण्यिम, जो एक पराजित कांग्रेसी हैं, को एरोनॉटिकल समिति का प्रधान बनाना उचित नहीं है।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : गत वर्ष प्रतिरक्षा बजट पर वाद-विवाद के उत्तर से प्रतिरक्षा मंत्री माननीय सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाये थे। माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नों की बौछार होने पर मंत्री महोदय को कहना पड़ा था कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का भार संभाले हुए उन्हें थोड़ा ही समय हुआ है। किन्तु आज स्थिति यह नहीं है। अब वह दीर्घ अवधि से इस कार्य भार को संभाले हुए हैं। अतः हम आशा करते हैं कि वह वाद-विवाद का संतोषजनक उत्तर देंगे।

कोई देश बाहरी आक्रमणों से अपनी रक्षा के लिए ही सुरक्षा सेनाएं रखता है। अपने देश की सुरक्षा के लिए आक्रमणकारी शत्रु को आक्रामक कार्यवाही करने के लिए सुरक्षा सेनाओं को तैयार रहना चाहिए। आक्रामक कार्यवाही का अर्थ युद्ध होता है। गत पाकिस्तानी आक्रमण के समय यह बात अच्छी तरह प्रमाणित हो चुकी है कि कोई देश बाहरी आक्रमणों से अपनी रक्षा तभी कर सकता है जब कि उसमें आक्रामक कार्यवाही करने की क्षमता हो और अवसर पड़ने पर वह इस क्षमता का समुचित उपयोग करे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में हमारी स्थिति क्या है।

युद्ध के मुख्यतः चार अवस्थान होते हैं। पहले अवस्थान में सीमाओं पर सेनाएं आमने-सामने लड़ती हैं। दूसरे में सीमाओं में घुसपैठ की जाती है। तीसरे में सीमाओं का अतिक्रमण आता है और चौथे में किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से किस स्थिति में सरकार आक्रामक कार्यवाही करेगी। पिछली बार प्रतिरक्षा बजट पर वाद-विवाद के समय यह प्रश्न उठाया गया था कि हमारी प्रतिरक्षा की नीति ठीक नहीं है और हमने अपने देश को बचाने के लिये कोई युद्ध सम्बन्धी तैयारी नहीं की है तो मंत्री महोदय द्वारा कहा गया था हमारा उद्देश्य युद्ध करना नहीं है। मैं मानता हूं हम किसी देश के साथ युद्ध करना नहीं चाहते हैं किन्तु जब हम पर कोई आक्रमण करेगा तो हमें युद्ध का उत्तर युद्ध से ही देना पड़ता है।

सैनिक शक्ति के अन्तर्गत सैनिकों की कुल संख्या, मार करने की शक्ति, गतिशीलता, दक्षता आदि अनेक बातें आती हैं किन्तु इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है सैनिकों का उत्साह।

जहां तक सेना की संख्या का सम्बन्ध है, हमारी सेना में देश की कुल जनसंख्या के केवल 0.2 प्रतिशत सैनिक हैं जो कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कम हैं किन्तु इतनी संख्या का भी हमारी अर्थ-व्यवस्था पर भार पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार हमारे देश का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। यदि हम इस मामले में अन्य देशों को देखें, तो ज्ञात होगा कि उन देशों ने अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार ही सभी क्षेत्रों में विकास किया है। इसराइल, जर्मनी आदि देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। इसराइल रेगिस्तान को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर अनाज का निर्यात करता है। द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी और जापान की कमर बिल्कुल टूट चुकी थी किन्तु आज ये दोनों देश सभी दृष्टियों से समृद्ध देश कहे जाते हैं।

वास्तव में सैनिक शक्ति के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान हमारी सेना में उतने ही डिवीजन थे जितने कि पाकिस्तान के पास थे। हमारे सात इन्फेन्टरी डिवीजनों और चार माउन्टेन डिवीजनों को जब युद्ध में जाना पड़ा तो प्रत्येक डिवीजन में केवल दो ब्रिगेड थे जब कि कम से कम तीन ब्रिगेड होने चाहिये थे। इन चार ब्रिगेडों में से प्रत्येक ब्रिगेड में केवल दो बटालियन थीं जब कि होनी चाहिए थीं प्रत्येक में तीन बटालियन। डेरा बाबा नानक से लेकर गदरा तक सबसे आगे के मोर्चे पर लड़ने वाली सेना के लिए किसी प्रकार से वायु सेना के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे एक डिवीजन और एक बख्तरबन्द डिवीजन के विरुद्ध पाकिस्तान के दो बख्तरबन्द डिवीजन लड़े थे। यह स्थिति अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम इस कमी को अपनी टैंक भेदी क्षमता बढ़ाकर पूरी कर सकते हैं। किन्तु अपने रुढ़िवादी विचारों के कारण हम अपने सैनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, जब तक रूस, अमरीका आदि में से कोई हमें इस प्रकार का कोई सुझाव न दे। सरकार को जीपों वाला आर० सी० एल० रेजीमेंट बनाने पर विचार करना चाहिए। इसराइल के पास यही रेजीमेंट थी जो अरब देशों के साथ युद्ध में काफी सफल रही। सरकार को समय-समय पर अनेक सुझाव दिये जाते हैं किन्तु सरकार उनकी ओर ध्यान ही नहीं देती है, इसीलिए हम इस सम्बन्ध में एक स्थायी समिति बनाने की मांग करते हैं।

जवाबी हमले के मामले में हमारी सेना में गतिशीलता की कमी है। हमारे पास आवश्यक साज-समान की कमी है यही कारण था कि वर्ष 1965 में हमारी सेना के एक डिवीजन को मोर्चे पर पहुंचने के बाद तैयार होने में चार दिन लग गये थे और यातायात के साधन पर्याप्त न होने के कारण अपने गन्तव्य स्थानों पर नहीं पहुंच सकीं। सरकार ने परिवहन सम्बन्धी बाधा को दूर करने के लिये अन्तर्विभागीय समन्वय पर विचार नहीं किया है। यह कार्य सभी मंत्रालयों को मिलकर करना चाहिए। देश की रक्षा करना सभी का उत्तरदायित्व है। इस प्रश्न को हल करने के लिये एक आयोग स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि हों।

अब मैं राष्ट्रीय छात्र सेना में सुधार की आवश्यकता के बारे में कुछ कहूंगा। इस सम्बन्ध में विशेष रूप से लड़कियों की राष्ट्रीय छात्र सेना दल में सुधार किया जाना चाहिए, इस योजना

में अनेक राज्यों में पुरुष प्रशिक्षक और कमांडर होने के कारण कुछ त्रुटियां हैं। अनेक मामलों में पुरुष कमांडरों में चरित्र का अभाव पाया गया है। लड़कियों की यूनिटों में अविवाहित पुरुष कमांडर नियुक्त नहीं किये जाने चाहिए।

यह खेद की बात है कि कुछ समय पहले जवानों के राशन में कटौती कर दी गई थी। कुछ शहरों में फील्ड सर्विस रियायतें समाप्त कर दी गई हैं। इसका एम० ई० एस० में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त यह भी खेद की बात है सेना में रसोइयों और भिश्तियों की संख्या भी कम कर दी गई है जिससे बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

हमारी सैनिक तैयारी की स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ वर्ष, 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय सीमाओं पर तैनात हमारी सेनाओं के पास गोला बारूद की कमी थी। सेनाओं की गतिशीलता के लिए सड़क परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त थी। मोर्चों पर कई दिन तक घायल सैनिकों के लिए अस्पताल नहीं थे। हमारी सेनाओं को पहले कुछ दिनों तक राशन ही नहीं मिला था। ऐसी स्थिति में इन मोर्चों के निकट के रहने वाले नागरिकों ने इन सब सुविधाओं की व्यवस्था करके अपने साहस और देशभक्ति का परिचय दिया था। हमारी सेना की गुप्तचर व्यवस्था प्रभावशाली तथा सफल साबित नहीं हुई। वर्ष 1965 में उसे तब तक पाकिस्तान के बख्तरबन्द डिवीजन का पता नहीं चल सका जब तक उसने हमारे माउन्टेन डिवीजन पर आक्रमण ही नहीं कर दिया। दस वर्ष पहले हमें यह पता नहीं चल सका कि आक्साईचिन में क्या-क्या हो रहा था। पांच वर्ष पहले हमें यह पता नहीं था छम्ब में क्या कुछ हो रहा है, तीन महीने पहले तक हम यह नहीं जानते थे कि कच्चातीवू में क्या कुछ हो रहा था। एक महीने पहले हमें यह पता नहीं था कि नरकुंडम में क्या कुछ हो रहा है और आज हमें यह पता नहीं है कि लाठीटीला और डूमाबाड़ी में क्या कुछ हो रहा है। सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ठोस उपाय करने चाहिए।

यदि सरकार प्रतिरक्षा बजट में कुछ बचत करना चाहती है तो उसे एच० एफ०-24 को समाप्त कर देना चाहिए। और पदोन्नतियों पर रोक लगा देनी चाहिए। गत युद्ध में ब्रिगेडियरों और मेजर जनरलों के अधीन 30 लाख सेना कार्य करती थी। अतः इन पदों की तरक्की करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कमांड की संख्या के आधार पर पदोन्नति की जाती है तो राष्ट्रीय छात्र सेना दल के महानिदेशक को ही क्यों छोड़ा जाये। हम इस समय अधिक संख्या में नौसेना रखने की स्थिति में नहीं हैं। वर्ष 1964 में नौसेनाध्यक्ष ने कहा था कि पूर्वी और पश्चिमी तट पर कुछ गश्ती अड्डे होने चाहिए और नौसेना के संरक्षण के लिए वायुसेना का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि इसे कार्य रूप दिया जाये तो प्रतिरक्षा बजट में पर्याप्त बचत हो सकती है।

वर्ष 1887 के नियमों में संशोधन करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए, जो भर्ती संस्थान जैसी मूल बातों पर विचार करे। हमारी सेना में बड़ी संख्या में भर्ती-अधिकारी

नियुक्त किये जाते हैं जब कि कभी-कभी भर्ती की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। मैं समझता हूं कि इन अधिकारियों को राष्ट्रीय छात्र सेना दल तथा प्रादेशिक सेना की यूनिटों में भेजा जाना चाहिए। भर्ती की आवश्यकता होने पर उन्हें उनके पूर्व पदों पर भेजा जा सकता है। सेना में भर्ती के लिए ऊंचाई का कोई बंधन नहीं होना चाहिए।

संतुष्टि नहीं अपितु निरंतर सतर्कता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। यदि हम इसकी उपेक्षा करेंगे तो हमें इसके लिए भारी हानि उठानी पड़ेगी।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों पर तीन दिन के वाद-विवाद के दौरान माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। विचारों में भिन्नता होने के बावजूद भी एक मामले में प्रायः सभी ने यह विचार व्यक्त किये कि हमें चीन और पाकिस्तान अपने दो पड़ोसी देशों की ओर से खतरे का सामना करना पड़ रहा है इससे हमारी सशस्त्र सेनाओं पर देश की अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह,सुझाव भी दिया है कि हमारी ओर कुछ राजनीतिक कार्यवाही करने से तनाव कुछ कम हो सकता है। हमने पड़ोसियों के साथ संबंध अपनी ओर से जानबूझ कर नहीं बिगाड़े हैं। पड़ोसी देशों की नीतियों के कारण ये संबंध बिगड़े हैं। वास्तविकता यह है कि इन दोनों देशों के बीच सांठ-गांठ होने के कारण हमें इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह एक तथ्य है कि चीन और पाकिस्तान में सांठ-गांठ है। इस बात से स्वयं चीन और पाकिस्तान भी इन्कार नहीं करते हैं। चीन न केवल भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के दावों का समर्थन करके राजनीतिक दृष्टि से ही पाकिस्तान की सहायता करता है अपितु वह पाकिस्तान को टैंक, विमान आदि सैनिक साज-सामान देकर भी उसकी सहायता कर रहा है।

इन दोनों देशों में आपस में गठ-जोड़ या सहयोग तो है ही परन्तु अधिक आश्चर्य की बात यह है कि वैसे तो ये देश चीन के विस्तारवादी हथकण्डों को असफल करना चाहते हैं परन्तु पाकिस्तान और चीन की साठ-गांठ को जानते हुए भी, पाकिस्तान को विमान। टैंक आदि युद्ध-सामग्री देने में हिचक नहीं करते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उन देशों का नाम लेते क्यों हिचकते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : रिकार्ड बढ़ाने का क्या लाभ, सब जानते हैं ? उदाहरण के लिये, नाटो के देशों से पाकिस्तान को 100 टैंक मिलने की सम्भावना है जो कि अमरीकी अनुमोदन से ही मिल सकते हैं क्योंकि अमरीका ही इन देशों को ये माल देता है। यह समझने की बात है। ईरान के रास्ते भी पाकिस्तान को जैट विमान चालाकी से भेजे जा रहे हैं। इस तथ्य को हम यूँहीं नहीं टाल सकते और यही कारण है कि हमें देखना है कि जिस भांति पर हम चल रहे हैं वह ठीक है या नहीं क्यों कि दायें-बांये से अनेक सुझाव आते हैं। ऐसे ही बिना सोचे-समझे विचार देने वालों की असीम सादगी पर मुझे आश्चर्य होता है वह समझते हैं कि आपत्ति के समय दूसरे हमें बचायेंगे। ऐसी विचार धारा की मैं निन्दा करता हूं क्योंकि हमारे इतने बड़े देश में जिसकी भौगोलिक-राजनैतिक स्थिति ऐसी है कि हमें अपनी स्वतंत्र-नीति रखनी चाहिए तथा अपने पैरों पर खड़ा होना

चाहिए; क्या हम यह स्वप्न देखें कि जब हम पर आपत्ति आयेगी तो दूसरे देशों के सैनिक आकर हमारे देश, हमारी अखण्डता तथा हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे ? हम इस स्वप्न से जितना शीघ्र जागेंगे उतना ही हमारे लिये तथा देश के लिए अच्छा होगा ?

श्री समर गुह : अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये क्या आप परमाणु अस्त्र बनायेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम यह सोच भी नहीं सकते कि विपत्ति के समय कोई दूसरा हमारी रक्षा करेगा। मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता जब कि कुछ लोग मुझे देश का कार्य सम्भालने में अस्मर्थ बताते हैं। मैं जानता हूं कि मैंने काफी कुछ किया है। इस पर भी बहस न करके देश की सुरक्षा-तैयारी के बारे में सभा को जानकारी देने की मेरी मन्शा है। सभा को मैं सेना के तीनों अंगों की प्रगति के बारे में बताना चाहूंगा। हम यह न भूलें कि हमारे दोनों पड़ौसी देशों में वस्तुतः हमारी जैसी संसद् नहीं है और यह हमारे लिये तो अच्छा ही है क्योंकि संसदीय कार्यों से देश में विश्वास और हौसला बढ़ता है तथा सब को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है।

श्री स० मो० बनर्जी : उन देशों में हमारे देश के जैसे मंत्रिगण भी तो नहीं हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : वहां श्री बनर्जी जैसे विपक्षी सदस्य भी नहीं हैं। मेरी तमन्ना है कि वहां अनेक बनर्जी हों।

श्री पीलु मोडी : हम इन्हें वहां भेजने को तैयार हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : युद्ध-मंत्री अथवा रक्षा मंत्री के कार्य के बारे में वहां कोई प्रश्न नहीं करता। मुझे इससे ईर्षा नहीं है मैं तो केवल यही रियायत चाहता हूं कि सुरक्षा के सम्बन्ध में मैं सदन को जानकारी दूं तथा इसे विश्वास में रखूं। संक्षेप में, मैं यह जानकारी देना इसलिये चाहता हूं क्योंकि कहीं यह बात अखण्डित न रहे कि हम यथेष्ट सुरक्षा प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं, विशेष रूप से सेना के तीनों अंगों का आपत्ति के समय के लिये संगठित और हथियार बन्द करने में ?

अपनी सेना में हमने अपने तोपखाने, वायु-रक्षा, बंदूकों, छोटे हथियारों तथा परिवहन व प्रशिक्षण का नवीनीकरण किया है। इसके साथ ही भारतीय माल का भी उत्पादन किया है। विजयन्त कार्यक्रम के बारे में तो सदन को मालूम है ही।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : क्या यह सच है कि इन टैंकों के लिये चैंने बनाने में हमें कठिनाई अनुभव हो रही। क्या आप इसके लिये किसी से सहायता लेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयां थीं परन्तु अब इन पर काबू पा लिया गया है तथा अब किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह कोई कठिन काम नहीं है।

हम अपनी बख्तरबन्द सेना का भी विकास कर रहे हैं। हमारे पास अब राडार लगी विमान-भेदी तोपें भी हैं तथा हमारे तोपखाने ने दूर तक मार करने तथा सशक्त होने में भी प्रगति की है। हम अब मिसाइल-अस्त्रों का निर्माण भी कर रहे हैं। इस बारे में अनुसन्धान तथा उत्पादन पर भी काम हो रहा है। बहुत जल्दी ही हम इन्हें बनाने लगेंगे। गोला-बारूद के बारे में हमारी कुछ जटिल चीजों की कठिनाइयां है फिर भी सन् 1965 से तो क्या पिछले वर्ष के मुकाबले में भी हमारे पास अधिक सामग्री है।

हमारी सैन्य-संख्या वही 8.25 लाख है। यह संख्या बढ़ाये बिना ही हमारी कारगर शक्ति का अनुपात 62:38 से बढ़कर 57:43 हो गया है। मैं समझता हूं मैंने इस प्रकार संक्षेप में अपने साज-सामान तथा उत्पादन कार्यक्रमों का ब्यौरा दे दिया है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Hon. Minister may please state why does not he produce Atom bom when China has nuclear weapons?

Shri Swaran Singh : This is the difficulty. You only ask about what I am stating now. About nuclear weapons you should ask when nuclear is discussed here.

जो जानकारी मैंने सभा को दी है मैं समझता हूं वह विश्वास उत्पन्न करने वाली है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : संयुक्त अरब गणराज्य तथा इसरायल के मध्य हुई जून 1967 की लड़ाई से कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिये एक समिति बनाई गई थी। इस समिति की रिपोर्ट क्या आ गई है, यदि नहीं, तो कब तक मिलेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने प्रश्नों को नोट कर रखें तथा मेरा वक्तव्य पूरा होने पर पूछ लें ?

अब मैं सदन को अपनी वायु-सेना के बारे में बताता हूं। आज वायु-सेना दिवस भी है। रक्षा योजना के अन्तर्गत 45 स्क्वाड्रनों की वायु-सेना बनाने की योजना जारी है। इसके लिये पुराने तूफानी, वैम्पायर आदि विमानों के स्थान पर आधुनिक विमान लिये जा रहे हैं। इसके साथ-साथ, 1965 के अभियान में अभूतपूर्व कुशलता प्रदर्शित करने वाले नैट, मिग विमान तथा HF-24 (भारत निर्मित) भी वायु-सेना स्क्वाड्रन में आ गये हैं। भारत में ही निर्मित एवरो विमान भी संचार कार्य के लिये बढ़ाये जा रहे हैं तथा माल ढोने आदि के लिये कारिबौ विमान प्राप्त करने के लिये भी कदम उठाए गये हैं। हैलिकाप्टर-एकक को सशक्त बनाया गया है। पुराने लिबरेटर के स्थान पर पुनर्निमित सुपर-कान्स्टलेशन विमान भी आ गये हैं।

इस प्रकार पुराने विमानों को छोड़ कर नये विमान लाने का कार्य जारी है।

वायु सेना के दस्तों में लड़ाकू बमवर्षक निश्चय ही अब अधिकतया है। हमने सुपर सैनिक दस्ते में संख्या और स्तर दोनों की वृद्धि की है और कर रहे हैं। वर्ष 1965 की तुलना में, हम मिसाइल तथा रेडार क्षेत्रों में कई गुना आगे बढ़े हैं।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

आग्नेयास्त्रों में हम तोपखाने, बम और मिसाइलों से सुसज्जित हैं तथा तिलपत में हमने कल ही इसका किसी सीमा तक प्रदर्शन भी किया है।

श्री रणधीर सिंह : कल तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। हम बड़े प्रभावित हुए थे।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्यों का पाकिस्तान की तैयारी को देख कर चिन्तित होना

स्वभाविक है। परन्तु हमारे विमान वर्ष 1965 में अपना जौहर दिखा चुके हैं और अब तो हम अपनी पुनर्गठन की योजना से और भी अधिक मार करने, तेज उड़ने तथा दूर तक जाने में समर्थ हो गये हैं। हमारे हवाबाजों की योग्यता और प्रशिक्षण को देख कर मुझे संदेह नहीं कि हमारी वायु सेना किसी भी संकट के समय सराहनीय कार्य कर दिखायेगी।

श्री रणजीत सिंह : मिस्र में एच. एफ. 24 का इंजन संयंत्र कैसा कार्य कर रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : युवक मेजर का मष्तिस्क संयुक्त अरब गणराज्य की ओर बहुत जाता है ?

श्री बलराज मधोक : आप ऐसी आलोचना नहीं कर सकते। क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे विमान में यू० ए० आर० का बना इंजन लगा होगा, फिर यह प्रश्न पूछने में क्या गलती की है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। विवाद बढ़ाने की मेरी आदत नहीं है। यदि आपको उसके बारे में जानने की रुचि है तो मैं निर्भीकता से कहूंगा कि इस बारे में समुचित प्रगति नहीं हुई है तथा हम केवल यू० ए० आर० में बने इंजन पर आश्रित नहीं हैं। हमारे पास अन्य प्रबन्ध हैं। उस बारे में कुछ प्रगति तो हुई है परन्तु हमारी आवश्यकता अनुसार नहीं।

श्री बलराज मधोक : मिग विमान संयंत्र की क्या प्रगति है ?

श्री स्वर्ण सिंह : योजना के अनुसार हो रही है। भारत में ही निर्मित कुछ पुर्जों वाले मिग विमान तो हम पहले से ही उड़ा रहे हैं।

अनेक सदस्यों ने हमारी जल सेना की आवश्यकताओं के बारे में भी कुछ कहा है। मैं इस मत से सहमत हूं कि हमारी विशाल जल-सीमा की दृष्टि से तथा अन्डमान, निकोबार तथा लक्कदीव द्वीप समूहों की सुरक्षा की दृष्टि से, और हिन्द महासागर में स्वेज नहर के मार्ग से (जब वह खुलेगी) सुरक्षित ढंग से व्यापार करने के लिये, जल-सेना के महत्व को बहुत ध्यान में रखा जाना है। यह सत्य है कि उत्तर, पश्चिम तथा पूर्व में पड़ौसी देशों के खतरे की समस्या के हिसाब से शुरू-शुरू में सेना के तीनों अंगों के महत्व को उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई। परन्तु 1962 तथा 1965 के अनुभव के बाद, जल सेना की शक्ति को बढ़ाने में हमने वास्तव में विचारपूर्ण कदम उठाये हैं। अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए अभी हाल ही में, जल-सेना को सशक्त तथा नये उपकरणों से लैस करने के बारे में मैं संक्षिप्त ब्योरा देना चाहूंगा। जल-सेना को समर्थ बनाने के लिये सरकार ने संभरण के स्रोतों तथा भारत में ही निर्माण के कार्य की ओर कदम उठाये हैं। मैंने सभा को बताया था कि जल-सेना को सशक्त करने के लिये हम पनडुब्बियां तथा अन्य जल-उपकरण प्राप्त कर रहे हैं। काफी समय से जिसकी आवश्यकता थी, वह पनडुब्बियां अब हमारी जल-सेना में हैं।

जल-सेना के लिये भारत में ही जहाज बनाने के बारे में हम समय-समय पर बताते रहे हैं। लीडर श्रेणी का पहला फ्रिगेट मजगांव डाक लिमिटेड में तैयार हो रहा है तथा वर्ष 1968

में उसे समुद्र में उतारा जायेगा और वर्ष 1971 के अन्त तक वह भारतीय जल-सेना में कार्य करने लगेगा। ऐसे ही दो और फ्रिगेटों के लिये क्रय-आदेश दे दिये गये हैं। फ्रिगेट के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में और भी कई तरह के जहाज बनाये जा रहे हैं। पहला उतपट माइन स्वीपर भी जल में उतारा जा चुका है तथा उसको जल्दी ही कार्य में लगा लिया जायेगा। आई० एन० एस० दीपक के काम में लगने से भी जलयानों के दस्ते में वृद्धि हो गई है। माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपनी समुद्री सीमाओं के कमजोर स्थानों की जरुरतों को हम ध्यान में रखे हुए हैं तथा वहां जल सैन्य-शक्ति को प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं। अन्डमान, निकोबार आदि द्वीपों की सुरक्षा पर भी हमारा विशेष ध्यान है। वहां जल सेना द्वारा गश्त लगाई जाती है।

अभी हाल ही में उन गश्ती दस्तों ने पाकिस्तानी जलयानों को पकड़कर अपनी बहादुरी का परिचय दिया था तथा फिर वहां सीमोल्लघंन नहीं हुआ। विभिन्न आवश्कयताओं को देखकर हमने विशाखापत्तनम में एक बड़ा मुख्य-अड्डा तथा एक पोत-प्रांगण बनाने का निर्णय किया है। गोआ को भी जल-सेना अड्डा बनाने का प्रस्ताव है। जल-सेना पोत-प्रांगण विस्तार योजना, बम्बई, का प्रथम चरण पूरा हो गया है तथा दूसरे चरण के सम्बन्ध में भी ठेके देने का कार्य पूरा हो गया है। यह तो मानना पड़ता है कि जल-सेना का कार्यक्रम बड़ा लम्बा होता है परन्तु मुझे संतोष है कि इस सम्बन्ध में भारतीय साज-सामान के उत्पादन तथा देश के विभिन्न भागों में जल-सैन्य सुविधाओं की उपलब्धि का कार्य तथा इस प्रकार जल-सैन्य दस्ते को नये-नये उपकरण प्रदान करने का कार्य बड़े संतोषजनक ढंग से चल रहा है हम इसे बहुत महत्व देते हैं।

अपनी सशस्त्र सेनाओं के बारे में इतना कुछ बताकर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर भी संक्षेप में दे दूंगा।

एन० सी० सी० के बारे में, कि हमने क्यों इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी है, मैं याद दिला दूं कि 1962 के चीनी आक्रमण के समय इसे चलाया गया था तथा इसके प्रशासन, वित्त आदि का भार राज्य सरकारों पर था। परन्तु मैं साफ-साफ कहूं कि मद्रास राज्य में एन० सी० सी० को सबसे अधिक कठिनाई हुई। मैंने तथा मेरे उप-मंत्री ने वहां के मुख्य-मंत्री से सम्पर्क किया तथा मेरे उप-मंत्री ने वहां जाकर उनसे बात भी की। झगड़ा आदेशों में हिन्दुस्तानी भाषा का है। मैं बहस में तो नहीं पड़ता परन्तु आप मानेंगे कि सेना में सबके लिये एक से शब्द होने चाहिये। इस बारे में काफी चर्चा हुई थी तथा गृह-कार्य मंत्री ने सरकार का दृष्टिकोण बताया था। भाषा के प्रश्न पर चाहे जो झगड़े हों वह तो आपसी बात-चीत से सुलझने चाहिये ही परन्तु मैं केवल मद्रास ही नहीं सब राज्य-सरकारों से जोरदार अपील करता हूं कि एन० सी० सी० को भाषा के आम प्रश्न से सम्बन्धित न किया जाये।

अंग्रेजी से हिन्दुस्तानी भाषा में निर्देश देना कोई आजकल से नहीं प्रत्युत कोई 10-11 वर्ष पहले शुरू हुआ था। यह तो केवल सिपाही की भाषा है जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, हिन्दी तथा अन्य अनेक प्रादेशिक भाषाओं के शब्द हैं। तथा प्रायः समस्त राज्यों के सिपाही तथा एन० सी०

सी० के लोग इन्हें खूब समझ चुके हैं। मद्रास की ही एन० सी० सी० टुकड़ी ने पिछले वर्ष दिल्ली में सबसे अच्छे काम का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। 10 वर्ष से ज्यादा से चली आ रही इस पद्धति को मद्रास यदि स्वीकार न करे तो यह दुख की बात होगी।

श्री कण्डप्पन : क्योंकि यह एक गम्भीर मामला है अतः क्या मैं स्पष्ट करूं कि मद्रास सरकार सेना में तामिल भाषा की मांग नहीं कर रही बल्कि यह तो उसने उन कठिनाइयों को देखकर केन्द्र सरकार से प्रार्थना की है जोकि भाषा कानून के कारण उत्पन्न हुई है। मंत्री महोदय इस कोण से देखें।

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसे सहायक दृष्टिकोण के लिये मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं

Shri Madhu Limaye : Please finish this topic here and now.

श्री स्वर्ण सिंह : इस सुन्दर सुझाव के लिये धन्यवाद। एन० सी० सी० के बारे में केवल दो बातें और कहनी हैं।

श्री नम्बियार : आप कुछ शब्द तमिल, मलयालय तथा अन्य सब भारतीय भाषाओं से थोड़ा-थोड़ा शब्द क्यों नहीं ले लेते ?

श्री स्वर्ण सिंह : शिक्षा मंत्रालय "राष्ट्रीय समाज सेवा योजना" नाम से तथा "राष्ट्रीय खेल-कूद" के नाम से एक अन्य योजना बना रही है। उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी इन तीनों में से कोई एक अपना लें। जो एक में रुचि न रखते हों वे दूसरी में शामिल हो जायें।

जहां सशस्त्र सेनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था का सम्बन्ध है, हमने इस प्रयोजन के लिये 116 केन्द्रीय स्कूल स्थापित किये हैं जिनमें से 64 स्कूल तो रेजिमेन्टल केन्द्रों में स्थित हैं जिनमें पूर्णतः या अधिकतर इन्हीं कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं, इसके अलावा 15 सैनिक स्कूल हैं ,5 मिलिटरी स्कूल हैं , 2 लारेन्स स्कूल हैं और देहरादून में राष्ट्रीय मिलिटरी कालेज है जो अधिकांशतः इन्हीं कर्मचारियों के बच्चों के लिये है। सशस्त्र सेनाओं में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को कई राज्य सरकारों ने हमारे आग्रह पर फीस तथा छात्रवृत्ति में विभिन्न किस्म की रियायतें दी हैं।

जहां तक इन कर्मचारियों के लिये आवास का प्रश्न है, इस बारे में कुछ त्रुटियां जरूर हैं इसलिये मकानों के निर्माण कार्यक्रम में काफी तेजी लाई जा रही है, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के लिये मैं गत दो-तीन वर्षों के आंकड़े देना चाहूंगा। वर्ष 1966-67 में केवल 6,608 यूनिट (क्वार्टर) बनाये गये थे जबकि इस अवधि में 9,165 यूनिट बनाने की मंजूरी दी गई थी, वर्ष 1967-68 में निर्माण के लिये मंजूर किये गये यूनिटों की संख्या 19,000 से अधिक है और इस संख्या के वर्ष 1968-69 में बढ़कर 29,000 हो जाने की संभावना है। वर्ष 1964-65 में तीनों सेवाओं के लिये केवल 4.85 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे, 1965-66 में 6.19 करोड़ रुपये और 1966-67 में 10.37 करोड़ रुपये खर्च किये गये। वर्ष 1967-68 में 17 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है और वर्ष 1968-69 के बजट में तीनों सेवाओं

के लिये 24.11 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, इस प्रकार हम आवास के लिये प्रतिवर्ष बजट में अधिक धनराशि की व्यवस्था करते जा रहे हैं और यूनिटों का निर्माण बढ़ाते जा रहे हैं ।

जहां तक रेजीमेन्टों में जिनके नामों के पीछे ऐतिहासिक महत्व अथवा कारण हैं अथवा लड़ाकू यूनिटों में किसी जाति विशेष के सदस्यों की भर्ती का प्रश्न है, मैं इस गलत-फहमी को दूर करना चाहता हूं कि उनमें भर्ती के बारे में कोई जातीय भेद-भाव बरता जाता है । हमारी सेना के किसी भी यूनिट में किसी भी जाति का सदस्य भर्ती हो सकता है और इस बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इसके साथ-साथ हमने यह निर्णय किया है कि भविष्य में किसी भी नये रेजीमेन्ट का नाम किसी जाति के नाम पर नहीं रखा जायेगा ।

एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के सेवा-विमुक्त किये जाने के बारे में माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उससे मैं सहमत हूं । किन्तु इन सेवा-विमुक्त अधिकारियों के पहले जत्थे (बैच) में से बहुत लोगों को या तो स्थायी कमीशन दे दिया गया है अथवा सिविल में अन्यत्र नौकरियां दी गई हैं या एन० सी० सी० में अथवा सीमा सुरक्षा दल आदि में नियुक्त किये गये हैं । उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी दिलाने में जरूरी काफी कुछ किया जा सकता है, हम इस बारे में गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम इन अधिकारियों को, केन्द्रीय सरकारी विभागों, राज्य सरकारी विभागों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में, जहां कहीं भी संभव हो, नौकरी देने-दिलाने के सम्बन्ध में प्रयत्नशील हैं, इसलिये हमने इन मामलों के लिये एक विशेष अनुभाग भी स्थापित किया है । इस सम्बन्ध में मैं, जैसा कि श्री बलराज मधोक ने सुझाव दिया है, रेलवे से भी, जो देश में सबसे बड़ा नियोजक है, नौकरियों में इन अधिकारियों को वरीयता देने के प्रश्न पर बातचीत करूंगा ।

ऐसा कहा गया है कि मंत्रालय में सिविल कर्मचारियों तथा सशस्त्र सेना के कर्मचारियों की पेंशन को अन्तिम रूप देने में विलम्ब किया जाता है, मैंने इस मामले की जांच की है । जहां तक सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों का सम्बन्ध है, पेंशन सम्बन्धी कागजों को अन्तिम रूप से तैयार करने के मामले में स्थिति काफी सन्तोषजनक है, तथापि सिविल साइड में स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है और पिछले सात वर्षों की अवधि में, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार 1798 मामले अर्थात् 12.3 प्रतिशत मामले अभी शेष हैं ; इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये की गई काफी सक्रिय कार्यवाही के बाद 300 मामले अब भी अनिर्णीत हैं । हमने इस सम्बन्ध में कड़ी हिदायतें जारी की हैं कि पेंशन सम्बन्धी मामलों को अन्तिम रूप से तय करने में विलम्ब सहन नहीं किया जायेगा और कर्मचारियों के, चाहे वे सिविल साइड में हों अथवा सशस्त्र सेवाओं में, सेवा निवृत्त तक उनके पेंशन सम्बन्धी सभी कागजात तैयार हो जाने चाहिये ताकि उन्हें यथाशीघ्र पेंशनें मंजूर की जा सकें ।

यह कहा गया है कि सैनिक फार्मों ने संतोषजनक प्रगति नहीं की है और यह मामला लोक लेखा समिति के समक्ष भी आया है, लेकिन अब स्थिति काफी सुधर गई है । पिछले दो

वर्षों में इन्होंने अच्छी प्रगति की है और इन वर्षों में उन्हें लाभ हुआ है । फिर भी जानकारी के हेतु मैं यह बताना चाहूंगा कि यह मुनाफा कमाने वाला संगठन नहीं है ।

ऐसा कहा गया है कि हम प्रतिरक्षा पर बहुत खर्च कर रहे हैं । यद्यपि मैं भी महसूस करता हूं कि यह काफी भारी बोझ है लेकिन विश्व की राजनैतिक स्थिति को देखते हुए तथा हमारे पड़ोसियों से बराबर खतरा होने के कारण सुरक्षा व्यय में ढील देना देश की सुरक्षा के हित में नहीं होगा। यद्यपि कुल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता को दृष्टि में रखकर यह व्यय काफी अधिक है किन्तु फिर भी वह अन्य देशों की तुलना में काफी कम है ।

जहां तक मांस के राशन में कटौती करने के सुझाव का सम्बन्ध है, इस बारे में स्थिति यह है कि जिन स्थानों अथवा क्षेत्रों में जलवायु के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहां पर सैनिक कर्मचारियों और दूसरे सिविल कर्मचारियों को अतिरिक्त राशन दिया जाता है । उनके भत्तों में वृद्धि के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त समिति ने सिफारिश की थी कि जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर तथा दार्जिलिंग में तैनात सैनिकों को अतिरिक्त राशन नहीं दिया जाना चाहिए अतः उन्हें दिया जाने वाला अतिरिक्त राशन बन्द कर दिया गया है । उन्हें आमतौर पर दिये जाने वाले राशन में कोई कटौती नहीं की गई है । केवल अतिरिक्त राशन ही बन्द किया गया है । इस समिति द्वारा की गई सिफारिश के परिणामस्वरूप हमने उनके भत्तों में वृद्धि की घोषणा कर दी है जिसकी क्रियान्विति पर लगभग 16 या 17 करोड़ रुपये खर्च आयेगा और मुझे इन मामलों पर विस्तारपूर्वक बताने की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि इस बारे में सभा में पहले ही एक वक्तव्य दिया जा चुका है ।

जहां तक वस्तुओं को बेचने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में एक दृष्टिकोण तो लोक लेखा समिति का है और दूसरा सुझाव जिसमें काफी वजन है, श्री मधु लिमये का है कि निकासी नीति क्रियान्विति करने में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि किसी वस्तु का प्रयोग अन्यत्र किया जा सकता है तो उसका वहां प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि हमारा देश गरीब है और हमें चीजों को केवल नई वस्तुओं के आवेश में नहीं फैंक देना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि किसी भी वस्तु के बेचने से पहले भारत सरकार के प्रत्येक विभाग, विभिन्न स्कन्धों तथा सशस्त्र सेनाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्या उस वस्तु का किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग तो नहीं किया जा सकता और यदि कोई विभाग उसका दूसरे कामों के लिये प्रयोग कर सकता है, तो वह वस्तु उसे दी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 50 तथा 94 सभा के मतदान के लिये अलग से प्रस्तुत किये जायें ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 50 तथा 94 सभा के मतदान के लिये रखे गये

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 43; विपक्ष में 92

Ayes 43; Noes 92

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए

All other cut motions were put and negatived

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, I would like to invite your attention to the 20th Report of the Public Accounts Committee. The correspondence between the P.A.C and the Government reveals that some way out has evolved. The P.A.C. here, in the end, said:

"In the light of the difficulties mentioned in the letter and the assurance contained in the communication that the provision of funds for each of the services would in the current year be treated as separate and distinct and that no reappropriation of funds as between the services would be carried out and that from the following year the previous form of estimates would be restored, the committee consider that with this restoration of the **Status-quo** the matter may be regarded as satisfactorily settled."

They have further added:

"Although in the printed Budget papers that will be circulated on the 29th February, there will be only one composite revenue demand for all the three services, in the committee's view it is desirable that when the demands are put to the vote of the Lok Sabha, the demands in respect of each of the three services, that is, Army, Air Force and Navy should be put to the vote of the House, separately, as in previous years."

This is my demand. If they agree that they will not reappropriate from one to the other, then it's all right.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को इस मामले में क्या कहना है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि लोक लेखा समिति ने सुझाव दिया है और सदस्यों ने मांग भी की है, अगले वर्ष से हम तीनों सेवाओं की मांगें इकट्ठी पेश करने के बजाय, उनकी मांगों को अलग-अलग पेश करेंगे और जहां तक पुनर्विनियोग का सम्बन्ध है, हम इस वर्ष भी एक का दूसरे में पुनर्विनियोग नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिरक्षा मंत्रालय की वर्ष 1968-69 के लिये निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं और स्वीकृत हुईं :

The following Demands in respect of Ministry of Defence were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (हजार रुपयों में)
4	प्रतिरक्षा मंत्रालय	88,27
5	प्रतिरक्षा सेवाएं, सक्रिय	9,55,14,00
6	प्रतिरक्षा सेवाएं, निष्क्रिय	28,25,00
104	प्रतिरक्षा पूंजी परिव्यय	1,30,90,00

वाणिज्य मंत्रालय

Ministry of Commerce

अध्यक्ष महोदय : अब सभा वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर विचार-विमर्श आरम्भ करेगी।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय की मांगों को पेश करते हुए, इस मंत्रालय की कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ मोटे विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

सभा को आमतौर पर विदित है कि पिछले लगभग दो वर्षों में हमें अपने निर्यातों में कुछ कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, फिर भी सौभाग्यवश, जून, 1967 से स्थिति में कुछ सुधार मालूम पड़ा है। हमारे लिये यह खुशी की बात है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होते हुए काफी मूल्य के कुछ क्रयादेश प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 1968-69 के लिये हमारी नई आयात व्यापार नियंत्रण नीति में, जिसे मैं आपकी अनुमति से सभा-पटल पर रखना चाहूँगा, तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं जिन पर पिछले साल से अमल हो रहा है। अब से उन औद्योगिक कारखानों को, चाहे वे बड़े एकक हों अथवा छोटे, चाहे वे प्राथमिकता प्राप्त हों अथवा नहीं अर्थात् गैर-प्राथमिकता प्राप्त एकक हों, जो अपने उत्पादन का दस प्रतिशत अथवा उससे अधिक निर्यात करते हैं, अन्य औद्योगिक एककों की तुलना में तरजीह व्यवहार प्राप्त होगा। इसके विपरीत, 10 चुने हुए प्राथमिकता प्राप्त उन उद्योगों की, जो अपने उत्पादन का 5 प्रतिशत भी निर्यात नहीं कर सकेंगे आयात हक़दारी में कटौती की जा सकती है।

दूसरा मुख्य परिवर्तन प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के मामले में वस्तु-सूचियों, आयातित कल-पुर्जों आदि (इनपुट्स) की खपत तथा लाइसेंस देने की नीति के बीच तालमेल रखने के लिये किया गया है। अब से प्राथमिकता प्राप्त उद्योग केवल उतने ही माल के लिये आयात लाइसेंस

प्राप्त कर सकेंगे । जितने माल की वे आयात-आवेदन पत्र देने से पूर्व की अवधि में खपत कर चुके हों अर्थात् उन्हें केवल आयातित कल-पुर्जों आदि (इनपुट्स) के पुनर्भरण के लिये ही आयात लाइसेंस दिये जायेंगे ।

तीसरा परिवर्तन आयात-स्थानापन्न के क्षेत्र में किया गया है । हमने उन बहुत-सारी चीजों के नाम, जिनका पर्याप्त मात्रा में देश में उत्पादन अथवा निर्माण हो रहा है, केवल आयात सूची से हटा ही नहीं दिये हैं अपितु मद-वार नीति में परिवर्तन करने के लिये समय-समय पर प्राप्त सुझावों पर शीघ्रता से कार्यवाही करने के लिये संस्थानिक प्रबन्ध भी कर लिये हैं ।

अब मैं द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूँगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वक्तव्य लम्बा है, तो आप उसे सभा-पटल पर रख दीजिये ।

श्री दिनेश सिंह : मेरा विचार इसे सभा-पटल पर ही रखने का था, लेकिन यदि मैं इस सम्बन्ध में कुछ न कहूं, तो उन सदस्यों के लिये कुछ कठिनाई होगी जो तुरन्त मेरे बाद बोलेंगे क्योंकि उन्हें इसे पढ़ने का समय नहीं मिलेगा ।

Shri Madhu Limaye : Sir, it is very irregular and unfair to make a statement at this time. Why did he not do it immediately after 12 noon in order to give us at least three or four hours for the purpose?

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में बात यह है कि मंत्री महोदय ने उस समय वक्तव्य देने की अनुमति चाही थी लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस समय मांगें आ रहीं हैं । इसलिये उस समय अनुमति नहीं दी गई । अब वह उसे सभा-पटल पर रख रहे हैं, मैं उन्हें, इस समय उसकी केवल मोटी-मोटी बातें बताने की अनुमति दूंगा जिससे इसके तुरन्त बाद वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों को फायदा हो ।

Shri Madhu Limaye : My submission is that every Member should be given a copy of his statement.

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा । क्या माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री दिनेश सिंह : मैं अध्यक्षपीठ के निदेशों के अनुसार काम करता हूं । श्री मधु लिमये का हस्तक्षेप अनावश्यक था । यह निर्णय करना कि सभा का कार्य किस प्रकार चलाया जाये, अध्यक्ष का काम है, माननीय सदस्य का नहीं । आपकी अनुमति से मैं संयुक्त राष्ट्र विकास तथा व्यापार सम्मेलन-II के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखना चाहता हूं और उसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हमारे लिये यह बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश को एक ऐसा सम्मेलन आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के बाहर होने वाला सबसे बड़ा सम्मेलन था ।

यह सच है कि सम्मेलन में उन सब मामलों को स्पष्ट रूप से नहीं सुलझाया जा सका है, जो सम्मेलन के समक्ष थे तथा सम्मेलन के परिणामों पर हम सबने असंतोष प्रकट किया है। यद्यपि सम्मेलन विश्वव्यापी विकास का कोई व्यापक कार्यक्रम बनाने में सफल नहीं हो सका है, तथापि उसके कुछ लाभ हुये हैं। सभा इस बात से सहमत होगी कि यह एक ऐसा सम्मेलन था, जिसे हम अन्तिम सम्मेलन नहीं कह सकते और व्यापार तथा विकास के सम्बन्ध में ऐसे सम्मेलन भविष्य में लगातार होते रहेंगे। जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की एक बैठक से हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता अथवा असफलता का अनुमान नहीं लगा सकते, इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के केवल एक सम्मेलन से हम उसकी सफलता अथवा असफलता के बारे में भी नहीं बता सकते। हमारे समक्ष वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या हमें कुछ लाभ हुए हैं अथवा नहीं, क्या हमने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में कोई प्रगति की है अथवा नहीं तथा इन ही बातों के आधार पर इस सम्मेलन की सफलता और असफलता को आंका जा सकता है। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक सम्मेलन की उस प्रक्रिया का सम्बन्ध है, जो विकासशील देशों की उचित मांगों के बारे में अपनाई गई है, हमें उस सम्मेलन से काफी असंतोष हुआ है, परन्तु उस सम्मेलन से हमें सहायता, वस्तु प्रबन्ध, प्राथमिकता, जहाजरानी बीमा तथा विकासशील देशों और समाजवादी देशों अथवा अन्य देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों का विस्तार करने आदि के क्षेत्रों में कुछ लाभ भी प्राप्त हुये हैं। मुझे आशा है कि सम्मेलन में जो निर्णय किये गये हैं उनसे विकासशील देशों को अपनी निर्यात बढ़ाने, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अपनी कठिनाइयों को दूर करने तथा अपने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ढांचे में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार तथा विकास सम्मेलन-II में भारतीय शिष्टमंडल के प्रतिनिधियों का योगदान बहुत अच्छा रहा है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, उस सम्मेलन की अध्यक्षता करने का अवसर देकर मेरा बहुत सम्मान किया गया है तथा इसके लिये मैं इस सभा तथा देश के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिनसे सम्मेलन के दौरान हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। इन शब्दों के साथ में वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-676/68]

वाणिज्य मंत्रालय

वर्ष 1967-68 **के लिये वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :**

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	वाणिज्य मंत्रालय	38,92,000
2	विदेशी व्यापार	69,46,65,000
3	वाणिज्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	16,90,18,000
103	वाणिज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	57,48,000

श्री म० अमरसे (बनस्कंठा) : महोदय, हमें यह जानकर बड़ी राहत मिली हुई है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन-II समाप्त हो गया है। हमें यह राहत इसलिये महसूस हुई है कि जितनी अवधि के लिये यह सम्मेलन रहा, उतनी अवधि तक वाणिज्य की निर्णय लेने की व्यवस्था प्रायः खत्म हो गई थी, क्योंकि वाणिज्य मंत्री तथा मंत्रालय के उच्चाधिकारी सम्मेलन में व्यस्त थे। वास्तव में अनिर्णय की नीति इस मंत्रालय की कोई नीति बात नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अनिर्णय की नीति हमारे देश तथा हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिये घातक है।

भारत के लिये यह वर्ष बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है, क्योंकि इस वर्ष हमारी फसल बहुत अच्छी है। इस सुअवसर का ठीक ढंग से लाभ उठाया जाना चाहिये। यह बड़े खेद की बात है कि मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है कि अच्छी फसल का अत्यधिक लाभ उठाया जा सके। किसानों के हितों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य को ध्यान में रखते हुये एक उचित निर्यात नीति बनाई जानी चाहिये, ताकि इस वर्ष की फसल का अत्यधिक लाभ उठाया जा सके।

सट्टा बजारों की पूरी जानकारी न होने के कारण इस वर्ष हमारे उत्पाद की बिक्री में रुकावट आई है। तिलहन, तम्बाकू, कपास तथा अन्य बहुत सी व्यापारिक फसलों के लिये चयनात्मक प्रोत्साहनों की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में वाणिज्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में हमारे निर्यात व्यापार के विकास के लिये कुछ प्रोत्साहन दिये जायेंगे।

जहां तक कपड़ा उद्योग का सम्बन्ध है, इस उद्योग ने गत कई वर्षों से उपभोक्ता और किसान का शोषण किया है तथा यह उद्योग वाणिज्य मंत्रालय और कपड़ा आयुक्त के कार्यालय आदि से बहुत ही अनुकूल व्यवहार-प्राप्त करने की व्यवस्था करने में सफल रहा है। इस वर्ष इस उद्योग के समक्ष कुछ कठिनाइयां पेश आई हैं और वह उनका सामना करने में बिल्कुल विफल रहा है। इस उद्योग ने हाल ही में कपड़े के मूल्य में वृद्धि करने की मांग की है, जो बिल्कुल अनुचित है। जब वे आज वर्तमान नियंत्रित मूल्यों पर ही कपड़े की किसी किस्म को नहीं बेच सकते हैं, तो उनकी यह मांग कि कपड़े के मूल्य में वृद्धि की जाये, बिल्कुल तर्कहीन तथा अनुचित है। यह उद्योग उपभोक्ता को धोखा देना चाहता है। इसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। मंत्रालय ने, कपड़ा आयुक्त जैसे अपने अभिकरणों के माध्यम से, कपड़ा उद्योग को इस देश के काफी व्यापार तथा महत्वपूर्ण वर्गों पर विशेषाधिकार दे दिया है। इस स्थिति को अवश्य बदला जाना चाहिये।

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम का उल्लेख किये बिना वाणिज्य मंत्रालय की आलोचना पूरी नहीं हो सकती। राज्य व्यापार निगम तथा धातु तथा खनिज व्यापार निगम को, यद्यपि व्यापार का एकाधिकार दिया गया है, तथापि गैर-सरकारी व्यापार की तुलना में उनके कार्य संतोषजनक नहीं हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा मानव बाल का निर्यात करने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस संदर्भ में मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि, हांग कांग जैसा सबसे बड़ा बाजार थोड़े ही समय में हमारे हाथ से निकल जायेगा। इसका कारण यह है कि इन्डोनेशिया बहुत अच्छी शर्तों पर हमारे साथ होड़ कर रहा है। मैं सचेत करना चाहता हूं कि हम यह बाजार बिल्कुल खो बैठेंगे,

क्योंकि राज्य व्यापार निगम द्वारा गैर-सरकारी व्यापार की पेशकशों की बहुत कठोरता से जांच की जाती है।

नमक के व्यापार पर राज्य व्यापार निगम का एकाधिकार है तथा इस सम्बन्ध में भी राज्य व्यापार निगम द्वारा कोई निर्यात संवर्द्धक कार्यवाही नहीं की गई है। जापान जोकि हमारा नमक का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, बड़े पैमाने पर आस्ट्रेलिया के सहयोग से नमक बनाने की व्यवस्था कर रहा है। अत: यह आवश्यक है कि हमारे पुराने नमक उद्योग को पुनर्जीवित किया जाय तथा नमक निर्यात व्यापार से राज्य व्यापार निगम का एकाधिकार समाप्त किया जाये अन्यथा हमारा नमक व्यापार बिल्कुल समाप्त हो जायेगा और हम जापान जैसे अपने सबसे बड़े ग्राहक को भी खो बैठेंगे।

राज्य व्यापार निगम ने हाल ही में ऊन के व्यापार को अपने हाथ में लिया है। उसने आयातित ऊन के बटवारे में भारी गड़बड़ी की है। लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करके जो ऊन मंगाई गई थी, उसका कोई उपयोग नहीं किया गया है। राज्य व्यापार निगम का इस दुर्लभ कच्चे माल के आयात का वर्तमान तरीका उद्योग के लिये उपयोगी सिद्ध नहीं होगा और वास्तव में व्यापार तथा उद्योग में काफी असंतोष है और इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को कुछ करना चाहिये।

अब मैं खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मैंगनीज तथा फैरो मैंगनीज के काफी भण्डार जमा हो गये हैं। खानें बन्द हो रही हैं। गैर-सरकारी व्यापार के एक फलते फूलते उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और निर्यात को खनिज तथा धातु व्यापार निगम को सौंप दिया गया है जिससे हमारे निर्यात में कमी हुई है। इन चीजों पर से खनिज तथा धातु व्यापार निगम का एकाधिकार खतम करने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की असफलता एक पूर्व विदित निष्कर्ष था, क्योंकि समय खराब था। इसकी असफलता के लिये मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराता। वास्तव में हमारे वाणिज्य मंत्री ने, जिनको उस सम्मेलन की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ था, इस सम्मेलन को सफल बनाने का पूरा प्रयत्न किया था। परन्तु यह सम्मेलन असफल रहा है और इसका कारण यह है, जैसाकि मैंने पहले कहा था, कि समय खराब था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा पर संकट था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की असफलता के लिये समृद्ध राष्ट्रों के निहित स्वार्थ तथा साम्यवादी गुट का ढोंग काफी हद तक जिम्मेदार है।

जहां तक हमारी नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था में नियंत्रणों के निष्पादन का सम्बन्ध है, प्रशासन की नीति में लचीले दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जोकि मौजूदा नौकरशाही में बिल्कुल नहीं है। केन्द्रीयकरण बहुत अधिक हो गया है। नियंत्रणों की सफल कार्यान्विति के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपने प्रशासन का केन्द्रीयकरण करें।

गुजरात का सदस्य होने के नाते मैं कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। अब तक इस पर लगभग एक करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। वहां लगभग चार अथवा पांच नये कारखाने स्थापित किये गये हैं, जिन्होंने इस वर्ष कुल 15 लाख रुपये के माल का निर्यात किया है, जो बहुत असंतोषजनक है। इसलिये इस सम्बन्ध में जांच की

जानी चाहिये । नये आगन्तुकों को वहां पर जाने का अवसर दिया जाना चाहिये । उन्हें मुद्रा और बैंकिंग सम्बन्धी तथा अन्य सुविधायें दी जानी चाहिये और देश के हित में अधिकाधिक निर्यात करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

तस्करी का उल्लेख करना भी यहां समयानुकूल होगा । नकली रेशम के कपड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के मामले में बहुत ही घोटाला हुआ है । पिछले कई वर्षों में कोई निर्यात नहीं किया गया है । इसका मूल कारण यह है कि विस्कोज सूत पर लगातार ध्यान केन्द्रित रहा है, जिसका अब कोई प्रचलन नहीं है । विस्कोज सूत पर से ध्यान हटाया जाना चाहिये । इसके साथ-साथ नाइलोन के धागे की तस्करी बहुत बढ़ गई है इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे हथकरघा तथा विद्युतकरघा उद्योगों में नाइलोन के सूत की मांग बढ़ती जा रही है । राज्य व्यापार निगम को इसका अधिकाधिक आयात करने का अवसर दिया जाना चाहिये ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : आज के समाचार-पत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुआ है कि स्टाकहोम में स्वर्ण पूल वाले देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हो रही है । स्वर्ण संकट को देखते हुए यह एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसके परिणामों की हम बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं । यह एक अच्छी बात है कि उक्त बैठक में कहा गया है कि सोने के वर्तमान सरकारी भाव में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, ताकि स्वर्ण संकट को फिलहाल कुछ समय के लिये टाला जा सके । परन्तु इस सम्बन्ध में भविष्य उज्जवल प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि फ्रांस ने खुले रूप से सोने के भाव में वृद्धि करने की मांग की है । इसका अर्थ यह है कि फ्रांस और अमरीका में अभी संघर्ष जारी है । इसका कुछ और भी अर्थ है और वह यह है कि अमरीका की भुगतान-संतुलन स्थिति बहुत कठिन है । यदि वियतनाम युद्ध जारी रहा और अमरीकी भुगतान संतुलन की यही स्थिति बनी रही तो अमरीका को अपने सहायता कार्यक्रम में कटौती करनी पड़ेगी । हमें इस बात पर विचार करना है कि इसका हमारी अर्थ-व्यवस्था पर क्या-प्रभाव पड़ेगा और ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिये हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिये । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि इस अत्यन्त कठित स्थिति से बचने के लिये उनका क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सहायता की कमी और ऋण का भुगतान करने के दायित्व को पूरा करने का एक उपाय यह है कि हम अपने निर्यात व्यापार को बढ़ायें । निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा जो आंकड़े दिये गये हैं, वह बहुत देर से दिये गये हैं तथा सविस्तार उनका उल्लेख करना संभव नहीं है । मंत्रालय ने जो आंकड़े दिये हैं, वे केवल गत ग्यारह महीनों से सम्बन्धित हैं और उनसे मालूम होता है कि गत ग्यारह महीनों में हमें 752 करोड़ रुपये का घाटा रहा है, जो पूरे वर्ष में 806 करोड़ रुपये हो जाता है । इस बात को देखते हुए कि विदेशी सहायता की आशा कम है तथा हमारी अर्थ-व्यवस्था संकट में है, विदेशी व्यापार का महत्व और भी बढ़ जाता है । पिछले दस वर्षों में अन्य व्यापारिक देशों का व्यापार बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमारी स्थिति लगभग स्थिर है । हमारा पौंड-पावना कम होता जा रहा है । गत कुछ वर्षों में निर्यात को बढ़ाने के लिये बहुत से कदम उठाये गये हैं, जैसाकि विदेशी व्यापार संस्थान के स्थान पर निर्यात संवर्द्धन परिषद् का गठन किया गया, निर्यात की नीति को अधिक उदार बनाया गया, अवमूल्यन के पश्चात् निर्यातकों

को नकद प्रोत्साहन दिया गया तथा गत वर्ष निर्यात में कुछ छूटें दी गईं और इस वर्ष के बजट में भी निर्यात में कुछ छूटें दी गई हैं तथापि हमें जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, वे संतोषजनक नहीं हैं। यह सच है कि गत कुछ महीनों में हमारे निर्यात व्यापार में सुधार हुआ है, परन्तु यदि हम समूचे रूप से स्थिति को देखें तो उसे संतोषजनक नहीं कह सकते हैं।

सरकार द्वारा किये गये आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात को स्वीकार किया गया है कि वर्ष 1967-68 में समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में, हमारा निर्यात स्थिर रहा है, जब इससे पहले वर्षों में हमारे निर्यात में प्रगति हुई थी। इससे ज्ञात होता है कि हमारी स्थिति बहुत कठिन है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इस कठिन स्थिति का मुकाबला कैसे किया जाये और इसको किस प्रकार सुधारा जाये ? निर्यात संवर्द्धन नीति के लिये स्थिरता और निश्चय आवश्यक है। किन्तु इसके साथ-साथ कुछ गतिशीलता भी होनी चाहिए ताकि स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके और आवश्यक परिवर्तन किये जा सकें। समुचित निर्यात नीति की ही नहीं; अपितु उसके उचित कार्यान्वियन की भी आवश्यकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि सारे सचिवालय में अर्थात् सरकार के सभी विभागों में निर्णय लेने में विलम्ब होता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र में शीघ्रता मुख्य बात है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होड़ करनी होती है और इसके लिये शीघ्रता नितान्त आवश्यक है। अत: सरकार को कोई ऐसी निर्णयिक व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे विलम्ब के कारण मौका हाथ से न निकल जाये।

इसके पश्चात् मैं कहना चाहती हूं कि निर्यात शुल्क को और युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें राजस्व की आवश्यकता है। परन्तु इसके साथ-साथ हमें यह भी अवश्य देखना चाहिये कि निर्यात शुल्क के कारण हमारे किसी विशेष उद्योग की प्रगति तथा उसके विकास पर कुप्रभाव न पड़े। जहां कहीं भी हमें यह मालूम हो कि निर्यात शुल्क के कारण उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, हमें वहां निर्यात शुल्क को या तो कम कर देना चाहिये अथवा उसे हटा लिया जाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से हमें दीर्घकालीन लाभ होगा।

हमें अपने निर्यात उद्योग की प्रगति और विकास के लिये दुनिया की तकनीकी गतिविधियों से भी लाभ उठाना चाहिये। इसके साथ ही हमें मितव्ययिता भी बरतनी चाहिये। जब तक उत्पादन लागत नहीं घटती, तब तक हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला नहीं कर सकते तथा निर्यात को नहीं बढ़ा सकते हैं। मंत्रालय तथा उद्योग को उत्पादन लागत में कमी करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

निर्यात के साथ आयात का भी प्रश्न उत्पन्न होता है। आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। स्वदेशी आन्दोलन के समय विदेशी माल के बहिष्कार की जो जन-भावना पैदा की गई थी, उसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिये। आज निर्यात में कटौती किये जाने की बहुत अधिक आवश्यकता है और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि विदेशी माल का इस्तेमाल न करने के बारे में हमें कहां तक लोगों का सहयोग प्राप्त होता है।

मेरे से पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने राज्य व्यापार निगम का उल्लेख किया था तथा

उन्होंने नायलोन तथा ऊन आदि का उल्लेख करते हुए कहा था कि राज्य व्यापार निगम ने आशानुकूल काम नहीं किया है। मैं उनके इस कथन से सहमत हूं। राज्य व्यापार निगम को बड़ी-बड़ी मदों पर ही अपनी शक्ति लगानी चाहिये तथा हथकरघा तथा दस्तकारी जैसी मदों पर अपना अधिक समय नहीं लगाना चाहिये। छोटी-छोटी मदों को राज्य व्यापार निगम की अपेक्षा गैर-सरकारी उद्योग अच्छी तरह से संचालित कर सकते हैं। चूंकि राज्य व्यापार निगम व्यापार से सम्बन्धित है, इसलिये इसके वित्तीय तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम सरकारी विभागों से भिन्न होना चाहिये।

मेरे से पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन गलत समय पर हुआ है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह कथन कुछ हद तक सच है। एक रोचक बात यह है कि आरम्भिक अधिवेशन में विकसित देशों के प्रतिनिधियों ने—साम्यवादी तथा गैर-साम्यवादी दोनों गुटों के प्रतिनिधियों ने बहुत ही भावुक तथा सद्भावपूर्ण वक्तव्य दिये थे और हमें आशा हो गई थी कि विकासशील देशों को अधिक सहायता मिल सकेगी। परन्तु आरम्भिक अधिवेशन के बाद जो कार्यवाही हुई उससे यह सिद्ध हो गया कि विकसित देश विकासशील देशों की मांगों को मानने को सहमत नहीं थे।

समाजवादी की बातें और रवैया बड़ा सहानुभूतिपूर्ण था परन्तु वास्तविक सहायता देने के लिये कोई भी आगे नहीं आया। उदाहरण के लिये जब विकासशील देशों द्वारा एक प्रतिशत जी० एन० पी० की सहायता के बारे में संकल्प रखा गया, तो समाजवादी देशों ने इसके पक्ष में मत नहीं दिया। इसलिये विशेष सफलता नहीं मिली। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सफलता रही कि एक अन्तर्राष्ट्रीय बातचीत आरम्भ हो गई, जो आगे चलकर निश्चित समय में कुछ फल देगी। इसलिये हम यह नहीं कह सकते कि द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन असफल रहा। बहुत से विदेशियों को भारत के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था वे लोग यह समझकर और मानकर गये हैं कि हम तरक्की कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने सम्मेलन के लिये प्रबन्ध किये, उससे स्पष्ट हो गया कि हम अकुशल लोग नहीं हैं। हमें सहायता और व्यापार के जो अवसर मिलें हम उनका लाभ उठा सकेंगे।

इस सम्मेलन की मुख्य विशेषता यह रही कि 77 से भी अधिक देश, जिनमें कुछ कम विकसित और कुछ आंशिक रूप से विकसित थे मिलकर बैठे और एक दूसरे के विपरीत हित होते हुए भी, कुछ देशों ने अपने हितों का त्याग किया। राष्ट्रों की एकता को कायम रखने के लिये संकल्पों में परिवर्तन किये गये। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि में बहुत से द्विपक्षीय प्रबन्ध कर सकेंगे, जो देश के लिये लाभदायक होंगे।

हमारे देश में दो प्रमुख समस्यायें हैं, एक तो अप्रयुक्त क्षमता की और दूसरी सूती कपड़ा मिल उद्योग में संकट। 1964 में हमने 9650 लाख किलोग्राम धागा तैयार किया गया था परन्तु आज हम केवल 8960 लाख किलोग्राम धागा तैयार कर रहे हैं। 1964 में कपड़े का उत्पादन 4,6540 लाख मीटर था परन्तु आज केवल 4,0980 लाख मीटर कपड़ा तैयार हो रहा है। उद्योगपतियों की मांगों पर आपको उनके साथ बैठकर समस्या को हल करने की दृष्टि से

विचार करना होगा । मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये, जिससे एक महीने की अवधि में अपनी रिपोर्ट देने के लिये कहा जाये । एक समस्या अलाभकर कारखानों की है । मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है कि किस प्रकार अलाभकर चीनी और कपड़ा मिलें उद्योग तथा अर्थ-व्यवस्था के लिये संकट पैदा करते हैं । सरकार और उद्योगपतियों को एक दूसरे की बात को समझना चाहिए । ठीक प्रकार बातचीत से ही समस्या हल हो सकती है । हमें गैर-सरकारी उद्योग से यथासंभव उत्तम लाभ उठाना है । यह तभी संभव है जबकि दोनों में मेल हो ।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : The charge of this Ministry was entrusted to a youngman so that he could vigorously pursue the aim of making the country prosperous, which depended very much on trade and commerce. Last year it was said that our economy and industries suffered a serious set back on account of drought for two consecutive years and the Pakistani aggression. But this year there was no such thing. Some 300 years back India was considered to be a country full of natural resources and was known as a golden goose. Vascodegama has set upon the voyage to find out a shorter route to India so that his country could be made prosperous through trade with India. Similarly, the British had come to India to increase their trade. One British writer said, "we came here with a balance and found ourselves in power." The balance of trade of a country is the index of its prosperity. Inspite of a normal year with normal rain, our balance of trade position has deteriorated in 1967.

It was stated last year that we were eager to curtail our imports and increase exports. But the figures for 1967 tell a sorry tale. Our imports have increased from Rs. 1,554·29 crores to Rs. 1,856·64 crores. Our exports of tea have recorded an appreciable increase but reason is that the production of tea in Ceylon has not come up to their expectation. We should not be complacent in the matter and prepare ourselves to outline competition from Ceylon. We have to improve the quality of tea and explore new markets in the world.

Shri Dinesh Singh : Mr. Deputy Speaker, if the Hon. Member compares the figures of this year with those of the last year, he will find that our imports have gone down and exports have increased.

Shri Shri Chand Goel : I am quoting from your publication.

Shri Dinesh Singh : You have not taken into account devaluation.

Shri Shri Chand Goel : It is less according to dollar.

There are very good prospects for export of our fisheries products. We can find very good foreign markets for them. Same is the case with engineering goods. Our exports of leather goods, shoes, manganese ore and cotton textiles have declined during the current year. We should look into its causes and try to remove them. Our exports are mainly confined to U. S. A , Great Britain, Japan and U. S. S. R., from whom our imports account for 58 per cent. Therefore, I would urge upon the Government to explore new markets particularly in African and Asian countries.

I had suggested to the Hon. Minister to avail of the opportunity provided by UNCTAD to sign trade agreements with various countries. I will like to know the names of the countries with which they have signed agreement during UNCTAD which will benefit the country.

श्री न० कु० साल्वे (बेतुल) : एक विकासशील देश में वाणिज्य मंत्रालय का उत्तरदायित्व, जिस पर निर्यात व्यापार का भार है, बहुत अधिक है क्योंकि देश की सफल निर्यात व्यवस्था समूचे देश की अर्थ-व्यवस्था के सुदृढ़ और सफल होने की परिचायक है। यदि हम गत दस वर्षों में विदेशी व्यापार का आलोचनात्मक अध्ययन करें, तो स्थिति बहुत खराब मिलेगी, विश्व निर्यात की तुलना में परम्परागत वस्तुओं का हमारा निर्यात, जैसे चाय, पटसन, मैंगनीज अयस्क, चमड़ा, खालें, कपड़ा आदि, जिनमें से कुछ पर हमारा एकाधिकार अथवा वस्तुतः एकाधिकार ही था, यद्यपि मूल्य और मात्रा में कुछ बढ़ा है परन्तु प्रतिशतता की दृष्टि से तेजी से कम हुआ है। चाय का निर्यात जो कभी 65 अथवा 70 प्रतिशत होता था घटकर 47 प्रतिशत से भी कम हो गया है। अपने विदेशी व्यापार में इस खतरनाक रुख को रोकने के लिये दृढ़ मत होकर प्रयास करने होंगे।

[**श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए**
Shri C. K. Bhattacharya in the Chair]

व्यापार संतुलन में घाटा 1961-62 से निरन्तर बढ़कर 1964-65 में 500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। यह 1965-66 में 600 करोड़ रुपये और 1966-67 में 773 करोड़ रुपए हो गया। निर्यात व्यापार में इस असन्तोषजनक स्थिति के कारण हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की जो हमारी योजनाओं और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, निरन्तर कमी का सामना करना पड़ रहा है। यह संकट इतना गंभीर हो गया कि 6 जून, 1966 को हमें अपने रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। विदेशी ऋणों का भुगतान करने के लिये हमारे पास विदेशी मुद्रा लगभग रह ही नहीं गई थी और हमें उनकी अदायगी का समय बढ़ाने के लिये ऋण देने वाली एजेन्सियों से अनुरोध करना पड़ा। हमें यह अध्ययन करना चाहिए कि जिन देशों ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, उन्होंने अवमूल्यन से लाभ उठाने के लिये क्या कदम उठाये।

[**श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

इंग्लैंड ने 8 सितम्बर, 1949 को अपने पौण्ड का 31 प्रतिशत अवमूल्यन किया। अवमूल्यन के पश्चात् उसने विभिन्न तरीकों से उत्पादन लागत कम करने पर जोर दिया और अपना आयात की सीमा 1938 के आयात की 80 प्रतिशत सीमित कर दी। परिणाम यह हुआ कि स्टर्लिंग क्षेत्र के डालर के घाटे की त्रैमासिक दर, जो 1947 में 10,000 लाख डालर थी, 1950 की पहली तिमाही में 400 लाख बचत में बदल गई। इसके बाद उसने ढील छोड़ दी, जिसके परिणामस्वरूप 1951 में फिर घाटा हुआ और निर्यात कम हो गया। फ्रांस ने पहले 10 अगस्त, 1957 को फ्रैंक का 20 प्रतिशत अवमूल्यन किया परन्तु निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किये। लेकिन उसने फिर 28 दिसम्बर, 1958 को एक नया अवमूल्यित फ्रैंक चलाया और महत्वपूर्ण कदम उठाये जिनका उसकी वित्तीय और व्यापार सम्बन्धी नीतियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। निर्यात, जो 1958 में 12150 लाख फ्रैंक था, 1959 में बढ़कर

23190 लाख हो गया तथा अमरीका से आयात 230 करोड़ से घटकर 211.90 करोड़ हो गया। 109.20 करोड़ रुपए का भारी घाटा 20 करोड़ की बचत में बदल गया। भारतीय व्यापारी संघ द्वारा बम्बई में आयोजित एक विचार-गोष्ठी में एक लेख पढ़ा गया था, जिसमें फ्रांस द्वारा अवमूल्यन करने को सफल बनाने के लिये किये गये प्रयासों का उल्लेख विस्तृत उल्लेख है। मुद्रा का अवमूल्यन करने मात्र से ही निर्यात नहीं बढ़ जाता। अपनी मुद्रा व्यवस्था में अनुशासन तथा स्थिरता लाने के लिये उसे अपने सभी साधनों, देशीय तथा वैदेशिक का भरसक प्रयोग करने की आवश्यकता है। युगोस्लाविया ने 1952 में अपने दीनार का अवमूल्यन किया और 1961 में मुद्रा व्यवस्था सम्बन्धी अन्य सुधार किये। उसने एक चमत्कार कर दिखाया उसने अपनी जनता को उपभोक्ता वस्तुओं से वंचित रखा लेकिन निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्म और उत्पादन लागत में बहुत से सुधार किये। यदि युगोस्लाविया में आर्थिक हलचल का अध्ययन किया जाये, तो आश्चर्य होता है कि सरकार के सुनियोजित और भली प्रकार सोच विचार कर किये गये निर्णयों तथा बाजार व्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप द्वारा किस प्रकार आश्चर्यजनक लाभ उठाये जा सकते हैं।

अब भी स्थिति को सुधारने के लिये अधिक देर नहीं हुई है। अवमूल्यन के तुरन्द बाद निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत दी गई विभिन्न रियायतों को वापस लेना उचित नहीं था। निर्यात शुल्क पुनः लगाना कोई बुद्धिमानी नहीं थी। इसका अवमूल्यन से हुए लाभ से कहीं अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दोनों ही उपाय एक दूसरे के विपरीत थे। हमें फिर से उदारता से बड़े पैमाने पर निर्यातकों को प्रोत्साहन देना चाहिए और कम से कम चाय और घटिया किस्म के लौह अयस्क और काले (ब्लेक) अयस्क पर से निर्यात शुल्क बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। सरकारी विशेषज्ञों—जहां तक हो सके आई० सी० एस० अधिकारियों को छोड़कर—और व्यापारियों की सहायता से सम्पूर्ण निर्यात समस्या का अध्ययन किया जाना चाहिए तब एक दीर्घकालीन निर्यात नीति बनाई जा सके। इस प्रकार की एक समिति हमारे निर्यात व्यापार को विनियमित करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की सिफारिश करे।

गोआ से घटिया किस्म के लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है, जिसे बेचना एक कठिन कार्य है। अवमूल्यन के बाद इस पर एक अनुचित निर्यात शुल्क लगाया गया, जिसमें 1967 में मामूली छूट दी गई। इस निर्यात शुल्क को समाप्त किया जाना चाहिए अन्यथा शीघ्र ही इसका निर्यात बन्द हो जायेगा।

मैंगनीज व्यापार एक कठिन संकटमय स्थिति में है। विश्व में मैंगनीज की खपत बढ़ रही है। पहले हम जापान, अमरीका, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, नार्वे, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन और डेनमार्क को मैंगनीज का निर्यात करते थे परन्तु 1965-66 और 1966-67 में इन देशों को, विशेष रूप से स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क और फ्रांस को, हमारा निर्यात कम होता जा रहा है, 1965 में लगभग 75,000 टन निर्यात किया गया था परन्तु 1967 में यह बिल्कुल समाप्त हो गया। यही स्थिति फैरो-मैंगनीज व्यापार की है। इसका कारण यह है, कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम में नौकरशाह रखे गये हैं और निगम विदेशों में अच्छी बिक्री करने में असफल रहा है।

द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के लिये अच्छा प्रबन्ध करने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। अन्त में मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि विदेशों को निर्यात किये जाने वाले हमारे माल की किस्म पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए, जो भी वस्तु बाहर भेजी जायें वह अच्छी किस्म की होनी चाहिए।

सभापति महोदय : मुझे वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में निम्नलिखित कटौती प्रस्तावों के प्रस्तुत किये जाने की सदस्यों से सूचना मिली है :

कटौती प्रस्ताव संख्या 13, 17 से 19, 23, 43 से 47, 53, 56, 57, 62 से 70, 72 से 84।

वाणिज्य मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	13	श्री पी० विश्वम्भरन	विदेशी व्यापार में कमी	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
3	17	श्री पी० विश्वम्भरन	नारियल-जटा उद्योग के विकास के लिये प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता।	100 रुपये
3	18	श्री पी० विश्वम्भरन	कथकरघा उद्योग के विकास के लिये अधिक भावी कदम उठाने की आवश्यकता।	100 रुपये
3	19	श्री पी० विश्वम्भरन	राज्य व्यापार निगम में भ्रष्टाचार समाप्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये
103	23	श्री पी० विश्वम्भरन	काण्डला में निर्बाध व्यापार क्षेत्र की धीमी प्रगति।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
2	43	श्री के० रंमानी	अवमूल्यन के बाद अधिक विदेशी मुद्रा कमाने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	44	श्री के० रमानी	वस्त्रों के लिये निश्चित निर्यात लक्ष्य पूरा करने में असफलता और इसके परिणामस्वरूप वस्त्र उद्योग पर आया संकट ।	100 रुपये
2	45	श्री के० रमानी	जनता को दी गई यह गलत आशा कि अवमूल्यन से निर्यात बढ़ेगा और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी ।	100 रुपये
2	46	श्री के० रमानी	पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात में कमी और उसके फलस्वरूप पटसन उद्योगों में संकट ।	100 रुपये
2	47	श्री के० रमानी	जनता के हित में आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीय-करण करने और चोर-बाजारी रोकने में असफलता ।	100 रुपये
3	53	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	उड़ीसा में एक पटसन मिल स्थापित करने के लिये कार्यवाही न करना ।	100 रुपये
3	57	श्री के० रमानी	मिल मालिकों को अधिक रियायत देने और उपभोक्ताओं को रियायत न देने के लिये सरकार द्वारा गत वर्ष कपड़े और धागे के मूल्यों में कई बार वृद्धि करना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
103	62	श्री के० रमानी	मद्रास राज्य के कोयम्बटूर जिले में बन्द पड़ी रंग विलास मिल्स को अपने हाथ में न लेना।	100 रुपये
103	63	श्री के० रमानी	मद्रास राज्य के कोयम्बटूर जिले में बन्द पड़ी कलीस वरण मिल्स को अपने हाथ में न लेना।	100 रुपये
103	64	श्री के० रमानी	मद्रास राज्य के कोयम्बटूर जिले में बन्द पड़ी वासुदेव इंडस्ट्रीज मिल्स को अपने हाथ में न लेना।	100 रुपये
103	65	श्री के० रमानी	मद्रास राज्य के कोयम्बटूर जिले में, सिंगनल्लूर में बन्द पड़ी कम्बोदिया मिल्स को अपने हाथ में न लेना।	100 रुपये
103	66	श्री के० रमानी	मद्रास राज्य के कोयम्बटूर जिले में बन्द पड़ी पलम-लाई रंगनाथन मिल्स को अपने हाथ में न लेना।	100 रुपये
1	67	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	आत्म - निर्भरता तथा आयात के स्थान पर अन्य प्रबन्ध के बारे में दृढ़ नीति पर चलने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
1	68	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	सामाजिक गुट के देशों और अफ्रीकी एशियाई तथा लेटिन अमरीकी देशों के साथ हमारे व्यापार सम्बन्धों का सफलतापूर्वक विस्तार करने तथा उनमें नवीनता लाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	69	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	साम्राज्यवादी देशों की भेदभावपूर्ण व्यापार नीतियों का जिनका पता कि द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन से लगा है प्रभावी रूप से मुकाबला करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
1	70	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	राज्य व्यापार निगम का कार्यक्षेत्र तथा उसकी कार्य-वाहियां बढ़ाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
1	72	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	रबड़ उत्पादकों को प्राकृतिक रबड़ का अधिसूचित मूल्य भी न दिया जाना ।	100 रुपये
1	73	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	गत वर्ष प्राकृतिक रबड़ का बिना सोचे समझे किया गया आयात जिससे देश के उत्पादकों को बहुत कठिनाइयां सहनी पड़ रही हैं ।	100 रुपये
1	74	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	परमाश्वयक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का आयात पूर्णतया बन्द न करना ।	100 रुपये
1	75	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	बन्द तथा 'कमजोर' कपड़ा मिलों को अपने हाथ में न लेना ।	100 रुपये
1	76	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात बढ़ाने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	77	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	पौंड के अवमूल्यन के पश्चात् हमारी कई निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को जैसे नारियल जटा तथा इससे बनी वस्तुओं को, संरक्षण न देना ।	100 रुपये
1	78	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	काजू उद्योग के सामने आई समस्या ।	100 रुपये
1	79	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्यपदार्थों के उद्योग के सामने आई समस्या ।	100 रुपये
1	80	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	हथकरघा उद्योग में संकट का समाधान करने में असफलता ।	100 रुपये
1	81	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	नारियल-जटा उद्योग में संकट का समाधान करने में असफलता ।	100 रुपये
2	82	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	आयात - निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
2	83	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	बीजकों में कम राशि दिखाने तथा ज्यादा राशि दिखाने की कुप्रथा को रोकने और उसे समाप्त करने में असफलता ।	100 रुपये
2	84	श्री पी०के० वासुदेवन नायर	घटिया किस्म के माल का निर्यात रोकने में असफलता ।	100 रुपये

श्री कंडप्पन : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही हथकरघा उद्योग को देश में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने कुछ राहत देने का प्रस्ताव किया है किन्तु इससे कोई खास मदद नहीं मिली है। हथकरघा के जुलाहों की दशा यह है कि एक ओर तो विकासशील पावरलूम उद्योग हैं और दूसरी ओर सुस्थापित मिल उद्योग हैं। पावरलूम तथा मिलों दोनों के लिये बाजार में कच्चे माल के लिये काफी होड़ लगी हुई है। इसके अतिरिक्त सूत के मूल्य पर निर्भर नहीं किया जा सकता और सूत के ऊंचे मूल्य के कारण हथकरघे के जुलाहों को प्रायः कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

50 से 60 लाख तक लोग इस उद्योग पर निर्भर करते हैं। इस क्षेत्र में लोगों को काफी परिश्रम करना पड़ता है और प्रश्न यह है कि उन्हें कैसे बसाया जाये और उन्हें इस उद्योग में कैसे लाभप्रद आय हो। चौथे आम चुनाव से पहले हथकरघा क्षेत्र की जो कठिनाइयां थीं अब वे और बढ़ गई हैं।

बम्बई में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड स्थित है। मैं नहीं जानता कि सरकार ने इस बोर्ड की स्थापना बम्बई में क्यों की है। मद्रास में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में हथकरघा के जुलाहे काफी संख्या में हैं और वे यह महसूस करते हैं कि बम्बई के लोग हथकरघा उद्योग के हितों की ओर ध्यान देना पसन्द नहीं करते। यदि सरकार महसूस करती है कि इस बोर्ड को बम्बई से मद्रास ले जाने से बोर्ड के कामकाज में सुधार हो सकेगा और उद्योग का मनोबल बढेगा तो सरकार को यह कार्य इसी समय कर देना चाहिए। मद्रास में निर्यात संवर्धन परिषद् है। इस परिषद् को और अधिक शक्तियां तथा पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए तथा उसे और अधिक काम दिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि हमारी परम्परागत मंडियों में उपभोक्ताओं की प्रवृत्तियों पर ध्यान देने के लिए एक विभाग स्थापित किया जाना चाहिए। यदि हमारे हथकरघों के जुलाहों को पर्याप्त सुविधायें दी जायें तो वे विश्व मंडी की प्रतियोगिता में ठहर सकते हैं।

सूत के मूल्य का हथकरघे के जुलाहों पर प्रभाव पड़ता है। बाजार में सूत की भरमार है और मिलों में तथाकथित संकट इसी भरमार के कारण है। सूत खरीदने और इसका सुरक्षित भण्डार बनाने के लिए स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जब बाजार में कमी हो या मूल्य बढ़ जायें तो जुलाहों की सहायता की जा सके। इस प्रकार वे अपने उत्पादों के क्रय मूल्य को काफी कम कर सकेंगे।

सरकार को हमारे कपड़े के लिये परम्परागत मंडियों में प्रचार कार्य में तेजी लानी चाहिए क्योंकि इस समय विदेशों में हमारा प्रचार काफी असन्तोषजनक है। मद्रास में हथकरघा सप्ताह के दौरान एक सुझाव दिया गया था कि हथकरघा क्षेत्र के लोगों को हमारे कपड़े की बिक्री बढ़ाने के लिए विदेशों में भेजना चाहिए। सरकार को इस सुझाव पर विचार करना चाहिए और उन्हें आवश्यक सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए।

मद्रास में चाय के बागानों के लिए एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया है। उस राज्य में इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सभी सम्भव सहायता दी जानी चाहिए।

इस समय चाय बोर्ड का कार्यालय कलकत्ता में स्थित है। चाय बोर्ड के व्यापक कार्य को और विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए इसकी शाखायें विभिन्न क्षेत्रों में खोलना बेहतर होगा। एक शाखा दक्षिण में और एक उत्तर में खोली जा सकती है।

कहा गया था कि सरकार अण्डमान में रबड़ तथा चाय बागान सम्बन्धी मामले पर विचार कर रही है किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है।

मंत्री महोदय जानते हैं कि कपड़ा उद्योग संकटग्रस्त है। कोयम्बटूर और दूसरी जगह पर धुनाई की कई मिलों को बन्द करने का विचार है। सरकार को किसी भी मिल को बन्द नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि इससे श्रमिकों को भारी कठिनाई होगी। यदि मिलों की क्षमता से अधिक सूत इकट्ठा हो जाता है तो सरकार को इसे खरीद लेना चाहिए ताकि या तो इसे बाहर भेजा जा सके या संकट के समय के लिये इसका सुरक्षित भण्डार बनाया जा सके।

रुई का न्यूनतम समर्थनकारी मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। यह भी घोषणा की गई है कि सरकार इस मूल्य पर रुई खरीदने के लिए तैयार रहेगी। यह एक अच्छा निर्णय है किन्तु सरकार इसे कैसे कार्यान्वित करेगी ? किसान न्यूनतम मूल्य के बारे में नहीं जानते कि उन्हें अपना माल कहां बेचना है। अतः राज्यों को बता देना चाहिये कि यदि रुई का मूल्य एक निश्चित स्तर से नीचे गिरता है तो सरकार किसानों की मदद करेगी। अच्छी फसल होने पर भी यदि किसानों को निम्नतम मूल्य नहीं मिलता है तो सरकार को किसानों से उनके उत्पाद स्वयं खरीद लेने चाहिए।

हमें रुई का आयात कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हम देश में और अधिक क्षेत्र में रुई की खेती कर सकते हैं और प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सरकार को स्थिति में सुधार करने के लिये विचार करना चाहिये।

श्री प्र० कु० घोष (रांची) : हम देखते हैं कि हमारा आयात तो बढ़ रहा है किन्तु हमारा निर्यात सन्तोषजनक ढंग से नहीं बढ़ रहा है। हमारा व्यापार सन्तुलन घटने के बजाय बढ़ रहा है। हमें इसकी चिन्ता है। आयात-निर्यात व्यापार में भारी गड़बड़ है। बड़े-बड़े लोगों को अधिक आयात लाइसेंस दिये जा रहे हैं। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को कच्चे माल के 94 प्रतिशत के लिये लाइसेंस दिए जा रहे हैं जबकि छोटे उद्योगपतियों को 6 प्रतिशत लाइसेंस ही दिये जा रहे हैं। यह आयात व्यापार में जमीदारी प्रणाली जैसा है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का राष्ट्रीय-करण किया जाना चाहिए, इससे सरकार को काफी आमदनी होगी। इससे आयात कम होगा और निर्यात बढ़ेगा और अधिक तथा कम मूल्य के बीजक बनाने का झगड़ा भी नहीं रहेगा। इस प्रकार तस्कर व्यापार भी कम होगा और निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का दुरुपयोग भी नहीं हो सकेगा।

हमने निर्यात व्यापार में आयात लाइसेंस रखने वाले कुछ लोगों का एक समुदाय बना दिया है। वे 400 से 500 प्रतिशत मुनाफा कमा रहे हैं। अतः अच्छा होगा कि आयात और

निर्यात पूर्णतया सरकार के हाथ में रहे और सभी वस्तुओं का आयात सरकार ही करे और उनकी बिक्री भी सरकार ही करे। इससे मूल्यों के उचित स्तर को भी कायम रखा जा सकेगा।

महाजन आयोग का प्रतिवेदन**

MAHAJAN COMMISSION'S REPORT**

श्री नायनार (पालघाट) : महाजन आयोग के प्रतिवेदन ने सीमा-विवाद को हल होने के बजाय, राज्यों की सीमाओं पर और झगड़े पैदा कर दिए हैं। हमारे देश की स्थायी सीमाओं को भी तय नहीं किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि कांग्रेसी नेताओं ने सीमा विवाद को सिद्धान्तहीन ढंग से हल करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार उन्होंने भाषाई प्रान्त प्राप्त किये हैं।

1956 में जब भाषाई राज्यों का सीमांकन किया गया था तब मेरे दल ने कहा था कि सीमांकन एक गांव को एक यूनिट मानकर किया जाना चाहिए।

जब आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाया गया तब मद्रास और आंध्र प्रदेश ने स्वीकार किया था कि सीमांकन गांव को आधार मानकर किया जाना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि उन दोनों राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है और उनका सीमा विवाद सदा के लिए एक बार तय हो गया है। करनाटक महाराष्ट्र के बीच सीमा-विवाद को तय करने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा एक संकल्प पारित किये जाने के बाद भारत सरकार ने 1966 में महाजन आयोग नियुक्त किया था। इसने अपना काम 15 अक्टूबर, 1966 को शुरू किया और इसने अपना प्रतिवेदन 27 अगस्त, 1967 को प्रस्तुत किया।

उस समय भी केरल के लोगों ने इसका विरोध किया था। मैंने महाजन आयोग की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आयोग की सिफारिशें किसी सिद्धान्त और उद्देश्य पर आधारित नहीं हैं। अतः इस रिपोर्ट से सीमा विवाद हल करने में सहायता नहीं मिलेगी और इससे इन राज्यों में संघर्ष और बढ़ेगा जिससे देश की एकता को खतरा पैदा हो जायेगा।

आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रश्न में कोई सिद्धान्त अन्तर्ग्रस्त नहीं है और ऐसे विवादों को हल करने के लिये कोई कड़ा रवैया नहीं अपनाया जा सकता।

यदि किसी गांव में कोई विशेष भाषा वर्ग बहुमत में है तो उस गांव को साथ वाले भाषायी राज्य में शामिल किया जाना चाहिये यह सिद्धान्त अपनाये जाने पर ही समस्या को हल किया जा सकता है। लेकिन महाजन आयोग ने अपना ही सिद्धान्त अपनाया है। आयोग ने यह सिफारिश की है कि जब तक 50,000 से 60,000 लोगों का एक घना

**आधे घंटे की चर्चा

** Half-an-hour Discussions

क्षेत्र न हो जिसमें किसी एक भाषायी गुट का बहुमत हो और जब तक इसमें प्रशासनिक, भूगोलिक और संचार सम्बन्धी सुविधाएं न हों, तब तक कोई भाषायी समायोजन नहीं किया जा सकता। लेकिन आयोग ने अपने सिद्धान्तों को समान और पक्षपात ढंग से लागू नहीं किया है। यदि इसने मैसूर और महाराष्ट्र के बीच राज्य क्षेत्रों के स्थानान्तरण की सिफारिश करते समय उसी सिद्धान्त को लागू किया होता तो उसे मैसूर से महाराष्ट्र में कई क्षेत्रों के स्थानान्तरण की भी सिफारिश करनी पड़ती। आयोग ने मैसूर-केरल सीमा विवाद के सम्बन्ध में भी उस सिद्धान्त का पालन नहीं किया है।

बेलगांव का उदाहरण ही ले लीजिये। इसकी कुल जनसंख्या 1,80,000 है, जिसमें मराठी भाषी 48 प्रतिशत लोग हैं, कन्नड़-भाषी 27 प्रतिशत हैं और बाकी लोग 25 प्रतिशत हैं। आयोग ने इस बारे में एक अजीब सिद्धान्त अपनाया है। यदि इसे महाराष्ट्र में शामिल किया जाता है तो 52 प्रतिशत गैर-मराठी-भाषी लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। किन्तु यदि इसे मैसूर में शामिल किया जाता है तो 73 प्रतिशत गैर-कन्नड़-भाषी लोगों के साथ न्याय होगा।

यही अजीब सिद्धान्त मैसूर-केरल सीमा के विवाद के भी मामले में कासरगाड के बारे में भी लागू किया गया है।

विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद हल करने के लिये एक ही सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिये। लेकिन महाजन आयोग ने महाराष्ट्र के लिये एक सिद्धान्त तथा केरल के लिये दूसरा सिद्धान्त अपनाया है। महाराष्ट्र के लोगों ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है।

महाराष्ट्र विधान सभा ने 10 नवम्बर, 67 को एक संकल्प पारित किया था। गत 25 तारीख को केरल के मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि वह इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

आयोग कठिनाइयों को दूर करने में असमर्थ रहा है। अतः भाषावादी राज्यों की सीमा गांव को एक यूनिट मानकर की जानी चाहिए। एक ओर कांग्रेस के प्रधान यह कहते हैं कि हम महाजन आयोग की रिपोर्ट को क्रियान्वित करना चाहते हैं, दूसरी ओर श्री नायक यह कहते हैं कि हम इसे क्रियान्वित करना स्वीकार नहीं करते। मैं संसद् से निवेदन करूंगा कि वह इस रिपोर्ट को स्वीकार न करे।

Shri George Fernandes (Bombay South). The Mahajan Commission has accepted that its recommendations are based on political reasons and not on legal reasons. Therefore, its report should not be implemented. Out of these three states, two have not accepted its report. Taking this into consideration whether the Government will not accept this report and will take action on the basis of the Pataskar formula ?

श्री वासुदेवन नायर (पीमाडे) : क्या मंत्री महोदय महाजन आयोग की रिपोर्ट को इस आधार पर अस्वीकार करेंगे कि यह किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। मैं मंत्री महोदय से

यह आश्वासन चाहता हूं कि वे इस विवाद को सुदृढ़ सिद्धान्त के आधार पर हल करेंगे जो ग्राम एकक तथा भौगोलिक निकटता के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता।

श्री विश्वनाथन (वंडीवाश) : जहां तक महाराष्ट्र और मैसूर के वाद-विवाद का सम्बन्ध है महाराष्ट्र सरकार ने कुछ गावों को देने का प्रस्ताव रखा था और मैसूर सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में महाराष्ट्र सरकार ने यह प्रस्ताव वापिस ले लिया था। न्यायधीश महाजन ने कुछ गांवों को महाराष्ट्र से मैसूर का और कुछ गांवों को मैसूर से महाराष्ट्र को देने की सिफरिश की थी। महाजन आयोग की रिपोर्ट को पूर्णतः स्वीकार किया जाना चाहिए।

जहां तक केरल-मैसूर विवाद का सम्बन्ध है, यह एक तरफा निर्णय है। अतः इस प्रश्न को फिर से नहीं उठाया जा सकता।

केन्द्रीय सरकार ने इस रिपोर्ट को क्रियान्वित करने अथवा न करने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की है? केन्द्रीय सरकार इस बारे में चुप बैठी है। कांग्रेसियों के विचारों को समस्त भारत के विचार नहीं समझा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में सभी दलों तथा राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए और यथाशीघ्र इस बारे में कोई हल निकाला जाना चाहिये।

श्री रणजीत सिंह (रोहतक) : आपने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति जैसे व्यक्ति का आयोग नियुक्त किया है अतः उनके द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकार न करना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जब किसी आयोग की नियुक्ति कर दी जाती है तो, और वह आयोग कुछ सिद्धान्तों से भी परे जाता है तब भी सरकार को यह चाहिये कि वह उसकी रिपोर्ट को स्वीकार करे। किसी पक्ष को किसी वायदे से मुकरने न दिया जाना चाहिए।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : क्या सरकार महाजन आयोग के प्रतिवेदनों को अमल में लायेगी? इस सम्बन्ध में विभिन्न दलों की क्या प्रतिक्रिया है। सरकार को यह भी याद रखना चाहिये कि पहले ही इस मामले में केन्द्रीय सरकार की निष्पक्षता पर देश के लोगों को संदेह है। जैसा कि कच्छ के निर्णय को हमें स्वीकार करना पड़ा क्योंकि वह अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय था इसी प्रकार हमें सरकार द्वारा निरन्तर किये गये आन्तरिक न्यायाधिकरण के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : यद्यपि महाजन आयोग की रिपोर्ट को प्रकाशित हुए एक वर्ष हो गया है तथापि इसको चर्चा के लिये सभा-पटल पर नहीं रखा गया है। सरकार ने प्रतिवेदन को सभा-पटल पर न रखकर सदस्यों को प्रतिवेदन का अध्ययन करने और उसके बारे में अपनी निष्पक्ष राय देने का कोई अवसर नहीं दिया है। ऐसा करने से परस्पर राज्यों में मतभेद बढ़े हैं। वास्तव में यह सभा का कर्तव्य है कि वह कोई निर्णय ले और इस निर्णय को सभा-पटल पर रखे।

क्या यह सच नहीं है कि यह आयोग मैसूर सरकार के नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार के कहने पर नियुक्त किया गया था? क्या यह भी सच नहीं है कि मैसूर और महाराष्ट्र के मुख्य

मंत्रियों के बीच यह समझौता हुआ था कि आयोग का जो फैसला हो, वे उसे स्वीकार करेंगे और गृह-मंत्री ने भी यह बचन दिया था कि वह इस निर्णय को स्वीकार करेंगे ? गृह-कार्य मंत्री द्वारा प्रतिवेदन को सभा-पटल पर न रखने के ही कारण यह गलतफहमी हो रही है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले। तब ही रिपोर्ट की अच्छाई और बुराई का पता लग सकता है।

श्री तुलशीदास जाधव (बरामती) : जब अधिकांश राज्य अर्थात महाराष्ट्र और केरल महाजन आयोग की सिफारिशों का विरोध करते हैं, तो इस प्रतिवेदन को पूर्णतया रद्द क्यों नहीं कर दिया जाता ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि महाराष्ट्र विधान सभा ने एक संकल्प पास किया है जिसमें कहा गया है कि इस प्रतिवेदन पर पुनः विचार किया जाये, क्योंकि यह प्रतिवेदन सुदृढ़ सिद्धान्तों पर आधारित नहीं है।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : इस विशेष मामले में महाराष्ट्र, मैसूर तथा केरल सरकार ने इस कदर विरोधी रवैया अपनाया कि भारत सरकार को संविधान के उपबन्धों के अनुसार एक आयोग की नियुक्ति करनी पड़ी जिससे कि उसका निष्पक्ष निर्णय स्वीकार किया जा सके। क्या यह सच नहीं है कि महाराष्ट्र और मैसूर की सरकारों ने इस भावना से आयोग को नियुक्त किया था और दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस आशय के वक्तव्य दिये थे ? इस आयोग के लिये देश के सबसे उपयुक्त कानूनी शास्त्री की सेवाएं ली गई थीं। क्या यह सच नहीं है कि प्रतिवेदन को अस्वीकार करने के तर्क उस समय नहीं दिये गये थे जब आयोग इस मामले पर विचार कर रहा था ? यह तर्क अब इसलिये दिये जा रहे हैं जबकि फैसला उनके विरुद्ध गया। यदि सरकार इस प्रकार के सब मामलों पर फिर से विचार करने के लिये तैयार हो जायेगी तो देश में स्थिरता कैसे स्थापित होगी।

श्री अनन्तराव पाटिल (अहमद नगर) : इस प्रतिवेदन में परस्पर विरोधी बातें कही गयीं हैं। सिफारिश मनमानी और भेद मूलक है। आयोग ने वेलगांव से राकस्कोप तक एक गलियारा क्षेत्र का सुझाव दिया है। क्या यह संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन जनता के अधिकार की अवहेलना नहीं है क्योंकि लोगों के आने-जाने पर रोक लगी है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : बहुत से सदस्यों ने आन्ध्र और मद्रास राज्यों के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिये अपनाये जाने वाले सिद्धान्त का उल्लेख किया है। उन्होंने यही विचार व्यक्त किये हैं कि इस विवाद को हल करने के लिये भी यह सूत्र अपनाया जाना चाहिए था। लेकिन वे यह बात भूल गये कि ऐसा करने का आधार यह है कि इस मामले में दोनों राज्यों की सरकारों और मुख्य मन्त्रियों में समझौता हो गया था।

यह दुख की बात है की कुछ सदस्य सीमा विवाद के सम्बन्ध में सरकार पर पक्षपात और संकीर्णता के आरोप लगा रहे हैं। इस प्रकार के आरोप लगाना न केवल गलत बात है बल्कि अनुचित बात भी है।

हमारे देश के राष्ट्रीय दल इस मामले पर एक मत नहीं हैं अतः इसको सुधारने के लिये हमें एक राष्ट्रीय मतैक्य ढूंढ निकालना चाहिए। इस मामले पर तथा इसके बारे में दी गई आयोग की रिपोर्ट पर विस्तार से विचार किया गया था और चर्चा के बाद ही निश्चय किया गया था कि इस बारे में एक बैठक शीघ्र ही फिर से बुलाई जायेगी। हम इस विषय पर फिर से चर्चा करेंगे और एक राष्ट्रीय जनमत बनाने का प्रयत्न करेंगे ताकि यह मामला किसी के प्रति अन्याय किये बिना हल किया जा सके। संसद् की सम्मति के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। सरकार पर सभा का निर्णय बन्धनकारी होगा। हम किसी भी राज्य को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहते। हम ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जो देश की जनता और खास कर इस विवाद से प्रभावित लोगों को स्वीकार्य हो। इसीलिये इसमें कुछ अधिक समय लग रहा है।

यह कहा गया है कि जब किसी ऊंचे न्यायिक अधिकारियों को आयोग में नियुक्त किया जाता है तो उनकी सिफारिशों को पूरा-पूरा मानना स्वीकार किया जाना चाहिये। आयोगों की नियुक्ति सरकार को किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये की जाती है। लेकिन सरकार किसी भी आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, पहले से कोई वायदा नहीं कर सकती।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 2 अप्रैल, 1968/13 चैत्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 2, 1968/ Chaitra 13, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 12-9-1968—600